राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 68वां दिवस संख्या 34

शुक्रवार,

दिनांक 26 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वित्त, शिक्षा, कृषि, खनिज, गृह, जन-सम्पर्क, अकाल राहत, जन स्वास्थ्य, सहकारिता, आयोजना, उद्योग, वन एवं स्वायत्त शासन विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

विधायक के पिता की हत्या

799. श्री मोहनराज (बाली)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़)

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10-10-1971 को विधायक श्री पुखराज कालानी के पिता श्री शंकरलाल कालानी की पिस्तौल से हत्या की गई और मुलजिम नामजद होते हुए भी उसको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है ?

(2) इस सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये और इतने लम्बे समय के पश्चात् भी प्रयास सफल न होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अतिरिक्त आई. जी. श्री गणेशसिंह के समक्ष किसी पुलिस अधिकारी ने मुलजिम द्वारा आत्म-समर्पण कराने की चर्चा की थी ? यदि हां, तो चर्चा किसने और किस आधार पर की थी और उस चर्चा के अनुसार आत्म-समर्पण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(4) अब मुलजिम की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) जी हां।

(2) मुलजिम बाद वारदात से ही फरार हो गया और उसकी गिरफ्तारी हेतु

Page No. 2

(श्री चन्दनमल बैद)

उसके रिश्तेदारों और मिलने वालों के यहां तलाश की गई और उसके छिपने के स्थानों पर दबीशें दी गई तथा मुलजिम पर कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 87–88 जा. फौ. की कार्यवाही भी की गई एवं उसकी गिरफ्तारी में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए 2000) रुपयों का इनाम भी घोषित किया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी हेतु भरसक कोशिश की गई जो अब भी जारी है।

(3) जी नहीं।

(4) मुलजिम की गिरफ्तारी हेतु लगाये गये विशेष स्टाफ द्वारा गिरफ्तारी का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री शंकरलाल (पाली): इसकी तफतीश शुरू से किस के द्वारा कराई जा रही है और अब तफतीश कौन कर रहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं पूछ लूं। क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1971 में एडिशनल एस. पी. श्री कुबेरदानजी और एडिशनल आई. जी. पी. श्री गणेशसिंहजी के बीच इस मुलजिम को सरेन्डर करने के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी ?

श्री चन्दनमल बैद : पहले प्रश्न का जवाब यह है कि इसकी तफतीश श्री सम्पतराज दवे, इन्सपेक्टर, सी.आई.डी., जोधपुर के पास में है। दूसरे प्रश्न के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इसकी प्रापर्टी के बारे में कानूनी कार्यवाही की गई है तो दफा 87–88 में कार्यवाही की गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी प्रापर्टी का मैनेजमेंट आज किस के हाथ में है ?

श्री चन्दनमल बैद : उनकी समस्त चल व अचल संपत्ति जो ग्राम देवला कलां में है और जो गांव बोरूंदा, जोधपुर में थी वह रिसीवर के कब्जे में है।

श्री हीरालाल देवपुरा : रिसीवर कौन है, नाम मैं जानना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : नाम इस समय मेरे पास में नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 87–88 में जो कार्यवाही की गई है तो उसके परिणाम स्वरूप रिसीवर तहसीलदार को नियुक्त किया है लेकिन तहसीलदार ने उसका मैनेजमेंट मुलजिम के भाई को दे दिया है। मैनेजमेंट मुलजिम के भाई को सौंपा हुआ है तो इस कार्यवाही का क्या असर होने वाला है और मुहिम्स मुलजिम की तलाश कैसे कर पायेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में कि मुलजिम के भाई के पास में इनका मैनेजमेंट है। अगर है तो उनको मैं देखूंगा और चैन्ज करवा दूंगा।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, 10–10–70 को वाकाया हुआ है और उसके बाद में वह मुलजिम वहां से पिस्तौल से हत्या करके फरार हुआ है तो आसपास के एरिया में पाली जिले की पुलिस और

(श्री मोहन राज)
उसके बाद में जिनको यह सुपुर्द की गई मामले की छानबीन जो इतने हाई लेवल पर की गई उनके द्वारा वह गिरफ्तार नहीं हुआ और उसका पता लगाने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किये गये, तो क्या राज्य सरकार इसमें पुलिस अधिकारियों को लापरवाही नहीं समझती है ? पहला प्रश्न तो यह है।

दूसरा इसके मुतल्लिक मैं यह अर्ज करूंगा, जो यह प्रश्न उठाया गया है कि अतिरिक्त आई. जी. पी. गणेशसिंहजी और पुलिस अधिकारी, जो पुलिस विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और जिनका नाम कुबेरदान हैं उन दोनों की आपस में बातचीत हुई कि इस अभियुक्त, जिसने हत्या की है, उसको सरेन्डर कराने को तैयार हैं और उसके एवज में कुछ बहुत सी बातें, जिनको वे शर्तें कहते थे, मनवाने को तैयार थे, लेकिन कुछ बात बैठी नहीं इसलिये यह बात नहीं हुई। जब एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने यह बात की गई तो इस बारे की बातों को लेकर एडिशनल आई. जी. पी. ने क्या उपाय किया ? उनकी गिरफ्तारी की जो बातें की थीं वह वैसे ही रह जाती हैं। मैं चाहता हूं, राज्य सरकार इस मुताल्लिक यह करे कि उनसे जानकारी करें यदि राज्य सरकार को जानकारी नहीं है तो हमने पर्टीक्यूलर अधिकारियों के नाम दिये हैं जिनके दरम्यान यह बात हुई हैं। मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उसने इस मुताल्लिक मालूम किया है और यह सारी बातें आने के बाद क्या राज्य सरकार मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिये उस बातचीत को आधार मानती है ? क्या उस को गम्भीरता से लेती है वह मैं जानना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्कार कर चुका हूं इस बात से कि कभी गणेशसिंहजी के सामने मुलजिम को किसी ने उपस्थित किया हो।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुलजिम नहीं...

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): कुबेरदानजी एडिशनल एस. पी. ने गणेशसिंहजी से बातचीत की गणेशसिंहजी के मकान पर और कुबेरदान ने यह बात रखी है कि यह काम हो जाय तो हम सरेन्डर करने को तैयार हैं। यह कुबेरदानजी ने कहा है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया है कि ऐसी बात कुबेरदानजी ने एडिशनल आई. जी. पी. से नहीं कही है। आप प्रश्न तो चार पूछते हैं और जवाब एक का सुनते हैं। जो रिसीवर मुलजिम की प्रापर्टी का है वह तहसीलदार ही है। जो भ्रम है....

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, हम भ्रम में नहीं हैं। रिसीवर तो तहसीलदार ही है। नाम तहसीलदार का है, लेकिन प्रापर्टी का मैनेजमेंट मुलजिम के भाई को दिया हुआ है विजयदान को। उस का मैनेजमेंट विजयदान कर रहा है या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : माननीय मंत्रीजी की दृष्टि में नहीं आया हो कुबेरदानजी आये और इस आधार पर कि केस

Page No. 4

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)
वापिस ले लिया जाय, मुलजिम को सरेन्डर करने की बात रखी तो इतनी बात तो जरूर है कि कुवेरदानजी को मालूम है कि मुलजिम कहां पर है ? ऐसा नहीं हो सकता है कि कुबेरदान चारण को मुलजिम का वर्तमान पता मालूम न हो । मामूली मुलजिम हो तो उसकी घरवाली को बिठा लेते हैं थाने में और उससे पूछताछ करते हैं । पुलिस के अन्दर एक व्यक्ति आता है और वह यह कहता है कि मुलजिम सरेन्डर करना चाहता है, जो व्यक्ति केस को विड़ा करने के लिए प्रेशराइज करना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो कुवेरदान चारण को क्यों नहीं पूछते हो ? क्यों नहीं उसको इन्टेरोगेट करते हो ? उसके द्वारा मुलजिम का क्यों नहीं पता लगाते हो ?

श्री चन्दनमल बैद : यह बातें कयास के आधार पर रख रहे हैं ।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह कयास की बातें नहीं हैं। यह बात सही है । आप जो सूचना दे रहे हैं वह गलत सूचना है ।

श्री शंकरलाल : आपको जानकारी उनसे करने में क्या आपत्ति है । हमारी जानकारी को आप रिफ्यूट क्यों कर रहे हैं ? आप उनसे जानकारी कर लें ।

श्री चन्दनमल बैद : आप नाराज क्यों हो रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य हाउस में कह रहे है तो जिम्मेदारी से कह रहे हैं । हम कुबेरदान से पूछेंगे हम । पता लगायेंगे इसके लिए ।

श्री शंकरलाल : माननीय विधायक के पिता की हत्या का प्रश्न है और उसको इतना अर्सा हो गया है और अभी तक पता नहीं लगा है और आप कह रहे हैं कि नाराज क्यों हो रहे हैं तो नाराज न हों तो क्या करें ? अभी तक इसका पता नहीं लगाया गया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)**:** कांग्रेस सरकार से कह रहे हैं कि पता नहीं लगता है इस तरह के मामलों में तो··

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) **:** सदन के एक जिम्मेदार माननीय सदस्य के पिता की हत्या हो जाय और उसका पता न लगे तो आम जनता में क्या वातावरण होगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरे कत्ल वगैरह के लिए जिम्मेवार कौन है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री रोशनलाल शर्मा (सलुम्बर) **:** अध्यक्ष महोदय, इसमें सवाल यह है, जैसा कि मंत्री महोदय कह रहे हैं यह नहीं है, मैं आपसे निवेदन करूं कि गणेशसिंहजी और कुबेरदानजी के बीच बातचीत हुई है । काफी बातचीत हुई है । बातचीत के ऊपर हम आपको बता सकते हैं कि तीसरा व्यक्ति कौन था ? मगर आपको पता है कि बातचीत हुई है और बातचीत के बाद में इन पुलिस अधिकारियों ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया । जब

(श्री रोशनलाल शर्मा)

गणेशसिंहजी को यह मालूम हो गया था, कुबेरदान ने यह स्थिति रखी है कि वे सरेन्डर करवा रहे हैं इस आदमी को यदि आप गवाहों को बिगाड़ दें तो। यहां तक बातें हुई हैं। उसके बाद में गणेशसिंहजी को यह पता था कि यह मुलजिम जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर है तो इसके बाद में कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? तो मैं मानता हूं, यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? जब कि यह फैक्ट हैं। सुने सुनाये नहीं हैं। तब कार्यवाही क्यों नहीं हुई है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर) : माननीय सदस्य के पिता की हत्या हुई है, अभी तक उनका पता भी नहीं चला है। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है। कुबेरदान ने निश्चित रूप से यह कहा है कि मैं सरेण्डर करा सकता हूं। आज तक कुबेरदान को पार्टी क्यों नहीं बनाया। कुबेरदान को अरेस्ट किया जाये तो वह निश्चित रूप से पकड़ा जा सकता है। डी. आई. जी. हिम्मतसिंह को पूरा पता है। जिन माननीय सदस्य ने इस विषय को रखा है, वह प्रमाण भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार उदासीन है। आप कुबेरदान को अरेस्ट करें। तभी पता चल जायेगा। कुबेरदान को अरेस्ट किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी : माननीय मन्त्री महोदय ने डी. आई. जी. गनेशसिंह ...

कई माननीय सदस्य : एडीशनल आई.जी.।

श्री पी. के. चौधरी : एडीशनल आई. जी. को बुला कर पूछा है ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे यह सूचना दी है कि कुबेरदान ने बात नहीं की है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप उनसे जांच करवा लें।

श्री रोशनलाल शर्मा : जांच का सवाल नहीं है। हम कह रहे हैं, वह सूचना सही है। आप को गलत सूचना दी गई है। आप यह कहें कि कुबेरदान को अरेस्ट करेंगे। और एक्शन लेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य गण, मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे खयाल में महत्व की बात यह है कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है वह एक विधायक के पिता हैं। कोई भी नागरिक मारा जाये, उस बात का भी उतना ही महत्व है। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण सवाल है, वह यह है कि एक रिस्पोंसिबिल पुलिस ऑफिसर इस बात के लिए कहे कि हम सरेन्डर करा सकते हैं। इसके लिए वह मीडियेटरी करे और एक उच्च अधिकारी के सामने वह अफसर इस प्रकार से कहे तो वह अपराधी बनता है। गनेशसिंह भी इस बारे में इम्पलीकेट हुए

Page No. 6

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं। इसकी पूरी इन्क्वायरी की जानी चाहिए। माननीय देवपुराजी उस समय इस पोर्टफोलियो को होल्ड करते थे।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। यह बाद की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अच्छा, उस दौरान में यह नहीं हुआ है।

लेकिन यह बात ऐसे लोगों के द्वारा आ रही है, जो उस पोर्टफोलियो को होल्ड कर चुके हैं। इसलिये जिन तथ्यों को रख रहे हैं, वह बहुत ही रैस्पोन्सिबिलिटी के साथ रख रहे हैं। इसका जवाब देने से पहले उन्हें अधिकारियों से बात करनी चाहिये थी। गनेशसिंह से बात करना चाहिये था कि इस बारे में उनका क्या कहना है। इसका बुनियादी तौर पर जवाब दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह एक सीरियस बात है एक आफिसर इन्वाल्वड हो, तो उस पर सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : मैं इस बात को महत्व देता हूं। वह विधायक के पिता थे इसीलिए नहीं, विधायक से लगाव हो इस लिए भी नहीं। मैं इसलिए महत्व देता हूं कि राजस्थान के जिन व्यक्तियों का कोई वसीला नहीं है, कोई साधन या प्रभाव नहीं है, उनके साथ में किसी प्रकार के जुर्म होते होंगे? तो क्या स्थिति होती है। उनके मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा अधिकारी जाने वाला है। यदि यहां पर राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य रहे हैं। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। उनके पिता की हत्या होने के बाद कई महीने हो गये हैं, पुलिस इस प्रकार निकम्मी है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि हाई लेविल पर, आई.जी. लेविल पर बातचीत कर रहे हैं। इस बात के लिए कि मुलजिम को किस प्रकार से सरेण्डर कराया जाये और मुकदमे को किस प्रकार से वापिस लिया जाये। यह बेसलेस नहीं हो सकता है। जिन्होंने इस मामले को उठाया है, उन्होंने समझ-बूझ कर उठाया है। इसके पहले नीम के थाने में हत्याकाण्ड हुआ था।

श्री चन्दनमल बैद : राजोरिया के बारे में भी भाषण दे दीजिये।

श्री गुमानमल लोढा : मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान में नीम के थाने में भी हत्याकाण्ड हुआ ...

श्री चन्दनमल बैद : राजोरिया के बारे में भी बात कर दें।

श्री अध्यक्ष : जो विषय चल रहा है, उसी विषय में कहें।

श्री गुमानमल लोढा : मैं इस बात की गम्भीरता के बारे में कह रहा हूं। उन आदमियों को गिरफ्तार किया जाये। वह मुलजिम आज खुले विचरते हैं। उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। मुख्य मन्त्री महोदय ने हिम्मतसिंह को जो आज्ञा दी, उस को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि पुलिस का ओवरहाल चेंज किया जाये। जिससे कि उनसे आज्ञा पालन करा सकें।

Page No. 7

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : I will not allow a debate. I can allow only supplement aries.

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन करू' कि जोधपुर के डी.आई.जी. को हटा कर जांच को जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मर्डर को इतना समय हो गया है।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी।

श्री रोशनलाल शर्मा : एक विधायक के पिता की हत्या हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने एडीशन आई. जी. से पूछा है, 8 महीने हो गये हैं, केस को वर्क आउट नहीं कर सके हैं, क्यों ? दूसरा यह है कि माननीय सदस्यों ने यह सारी सूचना दी है, एक एडीशनल एस. पी. के द्वारा सरेण्डर करने के बारे में मुलजिम की सूचना आई तो आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। पहला यह है कि रिसीवर तहसीलदार है।

श्री रोशनलाल शर्मा : गलत है।

श्री हीरालाल देवपुरा : तहसीलदार, रिसीवर तहसीलदार है। मैनेजमेण्ट उसके भाई को दिया हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय · · ·

श्री चन्दनमल बैद : अभी प्रश्न उठाया गया, आपने कहा कि रिसीवर तहसीलदार है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा कि रिसीवर तहसीलदार है, मैनेजमेन्ट उसके भाई को दिया हुआ, वह नाम मात्र का रिसीवर है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैनेजमेन्ट उसके भाई को दिया हुआ है तो निश्चित रूप से इस बात के आदेश दे दिये जायेंगे कि मैनेजमेन्ट उसके भाई के हाथ से ले लिया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या यह बात साबित नहीं करती है कि तहसीलदार उससे मिला हुआ है क्योंकि उसने उसके भाई को मैनेजनेन्ट दे दिया है।

श्री चन्दनमल बैद : मै इसकी जानकारी कराने के लिए कह चुका हूं।

श्री पी. के. चौधरी : इसमें जानकारी क्या करायेंगे · · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या यह सही है कि तहसीलदार ने उसके भाई को मेनेजमेन्ट दिया है, इस बात को आपने स्वीकार किया है · · · ·

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहां कहा कहां स्वीकार किया है कि भाई के पास में मैनेजमेन्ट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सरकार उसको सस्पेन्ड करेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उसको इमेजियेटली सस्पेण्ड करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह सिद्ध हो जायगा कि मर्डरर के भाई को मैनेजमेन्ट दिया है, तो यह प्राइमा फेसी केस है और उसको सस्पेन्ड किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को सुन लीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे इसकी सूचना नहीं है। चूंकि माननीय सदस्यों ने जोर दिया है। इस वास्ते मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बात की जांच कराऊंगा और मैनेजमेंट उसके भाई को अगर दिया हुआ है तो उसके बारे पूरी कार्यवाही की जायगी।

श्री पी. के. चौधरी : तहसीलदार के के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रोशनलाल शर्मा : यह बात साबित हो जाय कि उसके भाई को मैनेजमेंट दिया है तो सस्पेन्ड करेंगे या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : सस्पेन्ड की बात नहीं, मैं कानूनी कार्यवाही की बात कह रहा हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय उत्तर गलत दिया जा रहा है। मंत्री महोदय गलत उत्तर दे रहे हैं इस सदन के अन्दर।

श्री पी. के. चौधरी : कानून में तो यह कार्यवाही होती है कि उस तहसीलदार की जगह पर दूसरे को भेज देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : जो कार्यवाही तहसीलदार के विरुद्ध की जा सकती है वह की जायगी। मैं यह कह चुका हूं। मैं यह नहीं कह सकता कि कानूनी कार्यवाही में सस्पेन्ड होता है या डिसमिसल होता है। रिसीवर तहसीलदार है, कागज तहसीलदार की कस्टडी में हैं, तहसीलदार ने उसके भाई को मैनेजमेंट दे दिया है—इस सब मामले की मैं जांच करवा लूंगा और जो कानूनी कार्यवाही तहसीलदार के खिलाफ हो सकती है, जांच के बाद वह की जायगी।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : क्या होगी कानूनी कार्यवाही ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री चन्दन मल बैद : यहां सारी कानून की किताब मैं नहीं लाया हूं जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है वह की जायगी।

श्री गुमानमल लोढा : आपके यहां तो डिफाल्टर का प्रमोशन हो जाता है, यह कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि कुबेरदान एडीशनल एस. पी. ने एडीशनल आई. जी. गणेशसिंह से सरेन्डर के बारे में बात नहीं की।

श्री अध्यक्ष : यह तो दो दर्शन हो गये, आपका कहना एक है, और आपका करना दूसरा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कालानीजी इस

(श्री हीरालाल देवपुरा)
सदन में मौजूद हैं। उनके पास में कुबेर दान आये और उन्होंने कहा कि 512 की कार्यवाही की जायगी तो मुलजिम को सरेन्डर करा दिया जायगा। उन्होंने कहा कि गणेशसिंह, एडीशनल आई. जी. के. पास जाकर बात करें। माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद हैं, उनसे पूछा जाय कि क्या कहा था।

श्री चन्दनमल बंद : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद एडीशनल आई. जी. गणेशसिंह को बुलाऊंगा और दरयाफ्त करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जब माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद हैं इसलिए गणेशसिंह को बुला कर दरयाफ्त करने का सवाल पैदा नहीं होता है। इस सदन में उनका स्टेटमेंट होना चाहिए। माननीय सदस्य का स्टेटमेंट सदन में होना चाहिए। गणेशसिंह को बुलाने का सवाल नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य यहां पर सारी बातें रख सकते हैं जो भी उनकी आपस में बात हुई है। अगर यह बात हुई है तो वह खुद एक्सेप्ट कर लेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : माननीय सदस्य का स्टेटमेंट यहां होना चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : उनसे पूछ लिया जाय

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य का स्टेटमेंट होना चाहिए।

श्री चन्दनमल बंद : मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री पुखराज कालानी : माननीय अध्यक्षजी, कुबेर दानजी मेरे पास आये थे, उन्होंने मुझसे कहा, 512 में केस चालान कर दिया जाय और गवाह इस प्रकार के कर दिये जाये जिससे केस समाप्त कर दिया जाय तो हम सरेन्डर करने को तैयार हैं। मैंने कहा मैं कम समझता हूं इसलिए उचित होगा, गणेश सिंह साहब के पास चलें और उनके साथ बात करें। मैं और वह वहां गये, उस दिन या दूसरे दिन। उनको कहा कि 512 का चालान करवा दिया जाय तो ठीक रहेगा। गणेश सिंह ने कहा कि आप इसको सरेण्डर कराने के लिए आये हैं–और हमको सरेण्डर कराने के लिए आये हैं यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, मेरे परिवार का मामला है, उसको सरेण्डर करवाने की कार्यवाही करता हूं तो परिवार वाले कहेंगे कि मैंने आगे होकर फांसी लगवा दी। इसलिए केस को पहले से कमजोर करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद सरेंडर करा देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य सदन के सामने आया है, मैं समझता हूं, कुबेरदान को फौरन अरेस्ट किया जाय और गणेशसिंह को डिस्मिस किया जाय। कुबेरदान मर्डरर के रिश्तेदार हैं, उनके पास मर्डरर का भाई आता है और सरेन्डर करने से पहले केस को कमजोर करने के लिए कहता है और जो भी कार्यवाही होती है उसकी मर्डरर को इन्फार्मेशन देता है। कुबेरदान गणेशसिंह के पास जाकर बात करते हैं। उसके बाद भी आपको यह

Page No. 10

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्फार्मेशन दी जाती है कि कोई बातचीत नहीं हुई, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं, माननीय मंत्री जी कांग्रेस दल के नेता हैं, और उनके दल के सदस्य के पिताजी का मर्डर हो जाय, आपके दल के सदस्य के पिताजी का इस तरह से मर्डर हो जाय और पुलिस के जो इतने बड़े रेस्पान्सिबल आफिसर हैं वह आपको गलत बात बताते हैं और इस तरह से आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, मुझे दुःख है, जो इस सदन के माननीय सदस्य का कथन है उसके मुकाबले में आप गणेशसिंह को बुला कर पूछना चाहते हैं–ऐसी बात कहते हैं, जब कि मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य की बात को ज्यादा वजन देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस सदन में जो अफेक्ट्स बतलाये गये हैं, वह बिल्कुल क्लीअर हैं, साफ हैं, इस प्रकार पूरे केस को चोक करने के लिए कोशिश की जाती है और फिर भी गणेश सिंह जी आंख मूदे हुए हैं। वह खुद इस बात को जानते हैं कि मुलजिम वहां पर है और मुलजिम को वहां पर छिपाया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कुबेर दान को फौरन अरेस्ट किया जाना चाहिए। 302 की कार्यवाही में जो देरी लगाई है और जो गणेशसिंह ने फैक्ट्स छिपाये हैं, यह इतने रेस्पान्सिबल चार्ज हैं कि उनके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जाय, उनको सस्पेंड किया जाय और फौरन उनके खिलाफ इन्क्वायरी करवाई जाय।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह मामला...

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह ऐसी श्रृंखला सी चल पड़ी है, राज्य सरकार कभी मर्डरर को पकड़ने में इन्ट्रेस्टेड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस मर्डरर को पकड़ने के लिए एडीशनल आई.जी. को इन्ट्रक्शन हैं, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, उसको प्रासीक्यूट नहीं किया जा सका है। इस सदन के एक माननीय सदस्य की हत्या कर दी गई, मालाराम की हत्या हो गई, इस सदन में जब इस मामले को उठाया गया तो यह आश्वासन दिया गया कि मुलजिम को पकड़ा जायगा, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो राज्य सरकार राज्य में इस प्रकार की अव्यवस्था ही फैला सकती है, इसलिए मैं समझता हूं यदि मिनिस्टर राज्य में पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इसको सम्भाल नहीं सकते हैं तो वह इस पद को छोड़ दें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जो नये फैक्ट्स इस सदन में सामने लाये गये हैं, मैं यह अर्ज कर सकता हूं कि इसके विषय में पूरी जानकारी की जायगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जायेंगे।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : सख्त से सख्त कदम क्या होंगे ?

श्री पी. के. चौधरी : यह कड़े कदम क्या होंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : कड़े से कड़े कदम उठाये जायेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मेरा निवेदन है कि इस सदन में जो तथ्य दिये गये हैं उनको सरकार माने। धौलपुर में जो राजोरिया की हत्या की गई, उस समय जो उस लाश के पास से गुजरे थे उन्होंने कहा था कि सुरक्षा दल के लोग थे, उनके एक मेम्बर के द्वारा हत्या की गई। लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री रोशनलाल शर्मा : उसको इसके साथ नहीं जोड़ें।

श्री अध्यक्ष : इस मामले को खत्म कीजिये। इस मामले को और उठाने की कोशिश न करें तो अच्छा हो।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं. 800—श्रीमती मदनकौर—(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)।
कु. शकुन्तला श्रीवास्तव।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता है।

छोटे समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने की योजना।

801. **कु. शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर)**: क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान से प्रकाशित होने वाले छोटे समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) राज्य के जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा छोटे बड़े समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में क्या नीति निर्धारित है ?

(3) क्या छोटे बड़े समाचार पत्रों को विज्ञापन एक ही अनुपात से दिये जाते हैं अथवा उनमें भिन्नता रखी गई है ? यदि भिन्नता है तो उनमें कितना अन्तर किस आधार पर रखा गया है ?

(4) क्या यह सही है कि समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों के बिलों का भुगतान समय पर नहीं होने से उनके सम्पादकों में काफी असंतोष रहता है ? यदि हां, तो बिलों के पेमेन्ट में देरी होने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए निदेशालय का कौन अधिकारी अथवा कर्मचारी जिम्मेदार है ?

(5) क्या विज्ञापन के बिलों के पेमेन्ट में देरी की जाने की शिकायत निदेशक के ध्यान में है ? यदि हां, तो उनके द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि वर्तमान में इस विभाग का मुख्य कार्य राज्य के मंत्रियों के भाषणों के प्रसारण व उनकी गौरव-गाथा ही गान करने का रह गया है ? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा राज्य की कौन कौन सी विकास परियोजनाओं को या जनमानस में हुए परिवर्तन को अन्य राज्यों की जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है ?

Page No. 12

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

(7) निदेशालय द्वारा जिन पत्रकारों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क अथवा रियायती टिकटों पर यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने की निगम को सिफारिश की गई है तथा उस सिफारिश के क्या आधार हैं ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राजस्थान से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार उन्हें नियमित रूप से जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रसारित प्रेस विज्ञप्तियां, विशेष लेख तथा अन्य संदर्भ सामग्री भेजती है । इन छोटे समाचार पत्रों को विभाग द्वारा चित्र सुलभ कराने के अतिरिक्त नियमित रूप से अबोनाइड ब्लाक भी उपलब्ध कराये जाते हैं, क्योंकि बहुत से पत्रों की स्थिति ब्लाक बनवाने की नहीं होती । छोटे समाचार पत्रों को दृष्टि में रखकर समय समय पर विशेष लेख निकाले जाते हैं । छोटे समाचार पत्रों के अधिस्वीकृत प्रतिनिधियों को प्रेस कान्फ्रेंसों तथा अन्य आयोजनों में जहां नियमित रूप से बुलाया जाता है, वहां समय समय पर एक जिले के पत्रकारों को राज्य के दूसरे भागों में विकास योजनाओं तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी दिलाने के लिए यात्राओं का आयोजन भी किया जाता है ।

इन समाचार पत्रों के अधिस्वीकृत प्रतिनिधियों को रियायती दर पर रेल यात्रा करने की सुविधा भी उपलब्ध है और जन सम्पर्क विभाग द्वारा उन्हें इसके लिये प्रमाण-पत्र उपलब्ध किये जाते हैं । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा इन अधिस्वीकृत प्रतिनिधियों को बस यात्रा की सुविधा भी दी जाती है । अधिस्वीकृत समिति में भी राजस्थान के साप्ताहिकों आदि के दो प्रतिनिधि विशेष रूप से लिये गये हैं ;

(2) विज्ञापन नियम 1962 के अन्तर्गत विज्ञापन दिये जाते हैं । नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) विज्ञापन साधारणतः सम्बन्धित विषय की आवश्यकता को देखते हुए दिये जाते हैं और जो पत्र इस दृष्टि से उपयुक्त होता है उसे विज्ञापन दे दिये जाते हैं । इस विषय में निर्धारित अनुपात रखना कठिन है ।

(4) कभी कभी पार्टियों से बिलों के साथ कटिंग व प्रतियां न होने, संदर्भ ठीक न होने, डी.ए.वी.पी. की दर न होने आदि कारणों से बिलों के भुगतान में देरी हो जाती है । ऐसे मामले ध्यान में आते ही उस पर कार्यवाही की जाती है ।

(5) ऐसे अवसर आये हैं जब इस प्रकार की शिकायतें निदेशक के पास भी आयी हैं । उनका निराकरण तुरन्त करने की कार्यवाही की जाती है ।

(6) यह सही नहीं हैं । मंत्रियों के वे ही भाषण प्रसारित किये जाते हैं जो विशिष्ट समारोह, विभिन्न परियोजनाओं और नीति सम्बन्धी घोषणाओं से संबंधित होते हैं । इसके साथ ही राज्य की विकास

Page No. 13

(श्री चन्दन मल बेद)
योजनाओं, उपलब्धियों तथा अन्य विशिष्ट विषयों सम्बन्धी समाचार, विशेष लेख, चित्र एवं एबोनाइड आदि भी बराबर समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ भेजे जाते हैं

(7) निदेशालय इस विषय में सिफारिश नहीं करता है। यहां तो पत्रकारों को अधिस्वीकृत किया जाता है। अधिस्वीकृत पत्रकारों की ऐसी सूची राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उनके चाहे अनुसार भिजवाई गई है। इसके बाद की कार्यवाही निगम कार्यालय में ही होती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दूसरा मेरा सवाल है कि बजट कब कब रिवाइज्ड हुआ। महंगाई और रेट्स बढ़ने के साथ साथ क्या विज्ञापनों की दरों को भी बढ़ाया गया ?

तीसरी बात विज्ञापनों की श्रेणी कब की बनाई हुई है और इसकी दरें समय समय पर परिवर्तित हुई हैं अथवा जो पहले की बनी हुई हैं वही चल रही हैं। अखबार के स्टैन्डर्ड के अनुसार श्रेणी जो तय की जाती है, उन श्रेणियों में कोई परिवर्तन किया गया अथवा नहीं? पत्रकार सम्मेलन में मंत्री महोदया ने घोषणा की थी कि सरकार ऐसी नीति निर्धारण कर रही है जिससे विज्ञापनों का समान वितरण हो सकेगा। इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? इसी प्रकार मंत्री महोदया ने आश्वासन दिया था कि•••

श्री अध्यक्ष : इतने सवाल याद ही नहीं रहेंगे।

कु. शकुन्तला श्रीवास्तव : बार बार पूछने पड़ेंगे इसलिए•••

श्री अध्यक्ष : इससे तो पूरा दूसरा सवाल तैयार हो गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : बार बार उठने से मुटापा घटता है।

कु. शकुन्तला श्रीवास्तव : मुटापे का प्रश्न नहीं है•••

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका मुटापा गुमानमलजी से अधिक नहीं है।

श्री चन्दनमल बेद : दूसरों का मुटापा देखकर इतनी खुशी होती है कि अपना मुटापा 4—5 गुना बढ़ जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वित्त मंत्री जी आप कुढ़ कुढ़ कर क्यों पतले हो रहे है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काजीजी दुबले क्यों शहर के अन्देशे में ?

श्री चन्दनमल बेद : 1967—68 में प्रावधान था 4.40 लाख। मैं आंकड़े देकर साबित करना चाहता हूं कि जो विशेष प्रावधान किया गया पूरे का पूरा खर्च हो गया। इसलिए यह कहना कि छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन देने में सतर्कता नहीं बरत रहे हैं या हम कोई गलती कर रहे हैं, मैं समझता हूं माननीय सदस्या की सारी बातों का जवाब देना संभव नहीं। मैंने विस्तार से जवाब दिया है, माननीय सदस्या को संतोष होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

जयपुर शहर में सरकारी कार्यालयों हेतु किराए के मकान

802. श्री **मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा जयपुर कितने मकान सरकारी कार्यालयों हेतु किराए पर लिए गए हैं ?

(2) उक्त किराए पर लिए गए मकान किन किन व्यक्तियों के हैं व उनमें कितने मकान मालिक राज्य सरकार की सेवाओं में किस किस पद पर हैं ?

(3) किराए पर लिए गए मकानों का मासिक किराया कुल कितना है ?

(4) क्या राज्य सरकार इन समस्त कार्यालयों को जनता की सुविधा हेतु एक स्थान पर केन्द्रित करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री चंदनमल बैद) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सूची के भाग 4 पर उपलब्ध है।

(3) सूचना के भाग 3 पर उपलब्ध है।

(4) स्थानाभाव एवं धनराशि के अभाव के कारण यह संभव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल में जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है उसी तरह से कार्यालय भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास उदाहरण हैं। एक सरकारी नौकर मकान बनाता और बनाने से पहले ही निर्णय लेता है कि वहां कौनका दफ्तर आने वाला है। मैं वित्त मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछूंगा कि दो तीन विभाग जो खास तौर से एक भूतपूर्व मंत्री के पास गए हैं इसलिए गए हैं कि एरेंजमेंट करके उन विभागों के दफ्तर वहां आने वाले हैं। अगर वित्त मंत्री चाहे तो नाम बता दूं।

श्री चंदनमल बैद : चाहें तो लिस्ट दे दें।

श्री गोपाल जोशी : जयपुर में जगह का अभाव है तो बीकानेर, जोधपुर और कई जगहें हैं वहां क्यों नहीं दफ्तर ले जाते ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन राज्य अधिकारियों में से एक अधिकारी ने श्री बल्यू अमरीकन जो सी. आई.ए. के एजेन्ट के रूप में आया उसने अपना मकान उनको किराए पर दे रखा है ?

श्री चंदनमल बैद : यह इस प्रश्न से भिन्न है। किस सरकारी अधिकारी का मकान किस किस के पास है यह अलग सवाल है वह पूछिए तो मैं कोशिश करूंगा।

श्री रामानंद अग्रवाल : क्या यह सही है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने अपने लिए तो मकान सरकार के लिए हुए हैं और स्वयं के मकान सरकार को किराए पर दिए हुए हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह भी अलग प्रश्न है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अलग प्रश्न नहीं है। जो मकान उन्होंने बनवाए हैं उसमें तो सरकारी ऑफिस। इसको कोई न कोई जाच होनी चाहिए।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

खुद के तो मकान किराए पर और सरकारी मकानों में वे रह रहे हैं? हम विधायक तो बिना मकान ? यह क्या स्थिति है ? शहरों में सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपने मकान बनवाए···

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकारी नियमों के अनुसार यह बात की जा सकती है कि एक सरकारी अधिकारी जिसके पास स्वयं का मकान हो, वह अपने मकान में न रहकर सरकारी मकान में रहें और अपने मकान को किराए पर दे दे, क्या यह कानूनन वर्जित नहीं है?

श्री चंदनमल बैंद : जो ईयरमार्क्ड मकान हैं जैसे कलक्टर, एस.पी., चीफ सेक्रेटरी आई.जी. उनका वहां रहना जरूरी है। अगर उनका अपना जयपुर में मकान है तो भी उसमें नहीं रह सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किस कानून के अंतर्गत ?

श्री चन्दनमल बैंद : अगर किस अधिकारी का खुद का मकान हो, उसके बाद भी सरकारी मकान लेकर उसमें रहते हैं तो वह गलत है, अगर सूचना दी जाएगी तो कार्यवाही करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सूचना तो आप लो।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री श्रीराम गोटेवाला (जयपुर) : जिन जिन सरकारी अधिकारियों ने अपने मकान किराए पर दे रखे, उनसे किराया अधिक वसूल करते हैं और सस्ते किराये पर सरकार से मकान ले रखे हैं, पद का दुरुपयोग किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : जांच करने की मत कहिए, कि क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक आई.ए.एस. अधिकारी जो 900) वेतन पा रहा है, उसने अपना मकान 1400—1500) पर किराये पर दे रखा है। आज मकानों की दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे सभी अधिकारियों को चाहे कलक्टर हों चीफ सेक्रेटी हो, मजबूर किया जाय कि अगर उनका घर का मकान है तो उसमें रहे।

श्री चन्दन मल बैंद : हमारे नोटिस में ऐसा कोई केस नहीं है। अगर माननीय सदस्य··

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप जांच करें, सब अधिकारियों से कहें कि वह अपने मकानों की लिस्ट दें...

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री मोहनलाल छंगाणी : डाइरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन का आफिस बीकानेर में है। उन्होंने अपना मकान किराये पर दे रखा है। कोई जरूरत नहीं थी उनको सरकारी मकान देने की। यहां भी मैं मानता हूं कलक्टर, आई. जी. को

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
मकान देना चाहिये उनका हक है लेकिन यह बात कलेक्टर और आई. जी. तक सीमित नहीं है। आर. ए. एस. अधिकारियों ने सारे के सारे बापू नगर और सी स्कीम के मकानों को दबा रखा है, अपने मकानों को किराए पर दे रखा है खुद सरकारी मकानों में रहते हैं, कोई जांच नहीं की जाएगी तो समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : किस से जांच करायेंगे ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : हम जांच करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन के सदस्यों की समिति बनाई जाए तो पता लगेगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सदन के सदस्यों की समिति बनाई जाए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आई. जी. को अलग मकान देना चाहिए।

मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, हम तो मन्त्री महोदय को तथ्य बता रहे हैं और ये एक्शन लेने से बचना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं बचना नहीं चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आपके डाइरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन हैं वो रह रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मेरी जानकारी में तो यह बात है नहीं और अगर आप बता रहे हैं तो इसके बारे में जांच करवाली जायेगी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपको मेरा निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के लिए आप जांच बैठायें और उसकी जांच भी यहा हाउस के मेम्बर्स के द्वारा कराने की परम्परा डाली जानी चाहिये। आप हमारी कमेटी बनाइये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह तो गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री शंकरलाल।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह सारा सी स्कीम और बापूनगर वगैरह में सरकारी कर्मचारियों ने बंगले ले रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिये। श्री शंकरलाल। नेक्स्ट प्रश्न।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, भाग गये हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : भागे नहीं है, मन्त्री महोदय बैठे हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से इसके बारे में कोन्क्रीट रिप्लाई चाहता हूं और वो बोल नहीं रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप लोग मुझे बोलने ही नहीं देते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (जयपुर): अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय, से यह पूछना चाहता हूं कि आज सरकारी अधिकारी तो रहते हैं किराये के बंगलों में और अपने बंगले उन्होंने राज्य सरकार को ज्यादा किराये पर दे दिये हैं। और जब तथ्य उनके सामने पेश कर रहे हैं तो मन्त्री महोदय, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप जो प्रश्न पूछते हैं इसका जवाब तो मैं दे देता हूं। जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब भी मैंने दे दिया।

श्री गुमानमल लोढा : मन्त्री महोदय, यह गलत कह रहे हैं इन्होंने जो अभी सदन में प्रश्न किया उसकी जानकारी नहीं दी उसका उत्तर दिया जाय। कि ऐसे कितने सरकारी अधिकारी हैं जिनके मकान हैं खुद के और वो किराये पर रह रहे हैं और अपना मकान राज्य सरकार को किराये पर दे दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय, जवाब नहीं देकर उन अधिकारियों को बचाना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय, को हाऊस के मेम्बर्स से जांच कराने में क्या आपत्ति है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, काफी मकान ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने किराये ज्यादा देकर ले रखें हैं, और जो उनके मालिक हैं वे खुद कम किराये में सरकारी मकानों में रह रहे हैं। और मन्त्री महोदय, उनके खिलाफ जांच नहीं कर रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आज उदयपुर में हजारों की संख्या में ऐसे बंगले हैं सरकारी अधिकारियों के जिनमें सरकारी आफिसेज हैं और वो खुद सरकार के बंगले में कम किराये में रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप दो चार के नाम गिनाइये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आज जो उदयपुर में सरकारी अफसर हैं उन सभी के घर के मकान हैं फिर भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं और अपने मकान ज्यादा किराये में दे रखे हैं। मन्त्री महोदय, चाहे तो जांच कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो कहता हूं कि वो एक जांच कमेटी बैठादे।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा आप पांच बार तो बोल चुके हैं और छठी बार बोलना चाहते हैं अच्छा, बोलिए क्या कहना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, आप इन पर सीलिंग लगाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय, इस हाऊस की एक कमेटी बनाए जो कि ऐसे सारे अधिकारियों को जांच करे जिनके कि खुद के मकान हैं और उन्होंने किराए पर दे रखे हैं सरकार को या और किसी को और खुद किराये के मकान में रहते हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इसकी जांच करने के लिए इस विधान सभा के सदस्यों की समिति गठित की जाय।

श्री **शंकरलाल** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सभी सरकारी अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया जाय जिसमें उन्हें लिखा जाय और फिर उनसे सभी इनफोरमेशन सप्लाई करायी जाय। और सरकार को चाहिये कि जिन–जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की कार्यवाही कर रक्खी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। और इसके लिये हाउस के मेम्बर्स की एक कमेटी होनी चाहिये जो कि इनकी जांच करे।

श्री **गुमानमल लोढा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में निवेदन है कि जब आप इस बारे में सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी का निर्माण करें तो हाउस के विरोधी पक्ष के सदस्यों का, जो कि प्रभावशाली हो उन्हें उसमें सदस्य बनाने की व्यवस्था करें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इन बेचारों को जरूर मेम्बर बना देना।

श्री अध्यक्ष : अब इसे क्लोज करिये मेरी सुनिये। प्लीज हीयर मी। आज मैंने बहुत रियायत देदी है। अब इस मामले को समाप्त किया जाय।

श्री चन्दन मल बंद : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाया गया था कि सरकारी कर्मचारी अपने मकान किराये पर दे देते है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : मन्त्री महोदय, कर्मचारी का नाम बेकार ले रहे हैं हमने तो कर्मचारियों के बारे में नहीं कहा है हमने तो सरकारी अधिकारियों के बारे में कहा है।

श्री **चन्दनमल बंद** : अच्छा कर्मचारी नहीं सरकारी अधिकारी मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस बात का पता लगायेगी की किन किन सरकारी अधिकारियों ने अपने मकान कहां बनाये हैं, और उनका पोस्टिंग कहां कहां पर है। और अगर जहां उनका मकान बना हुआ है उनका पोस्टिंग भी वहीं है और वो उस मकान में न रह कर किराये के सरकारी बंगले में रहते हैं। अपने मकान को किराये दे दिया है तो उसके लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी। लेकिन जो मैंने लिस्ट सप्लाई की है वह तो उस प्रश्न की है कि सरकार ने किस किस सरकारी अधिकारी का मकान किराये पर लिया है। इसमें ऐसे भी मकान हैं जो सरकारी अधिकारियों के नहीं है और राज्य सरकार ने किराये पर ले रखे हैं। अब जैसा कि मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं। कि अगर माननीय सदस्य कोई कोनक्रीट सूचना दें तो उसके अनुसार कार्यवाही करली जायेगी। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा कि वे भी 10–15 दिन में इस प्रकार की सूचना दे दें तो उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जिनका कि पोस्टिंग वहीं है और वहां उनका मकान भी है और वे अगर सरकारी मकान में रहते हैं और उन्होंने अपने मकान को किराये पर दे रखा है तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

श्री **जनार्दन सिंह गहलोत** : ऐसे भी सरकारी अधिकारी हैं अध्यक्ष महोदय, कि

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी के नाम बंगले बनाये और राज्य सरकार को किराये दे रखे हैं। उनके खिलाफ भी जांच की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न संख्या 803।

803. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पाली और जिलाधीश पाली ने किसानों को बैलों की खरीद के लिये तकावी दिलाये जाने की मांग की है ?

(2) क्या वर्षा ऋतु के पूर्व पाली तहसील के तमाम अकाल ग्रस्त गांवों में किसानों को बैलों की खरीद के लिये तकावी उपलब्ध करायी जा सकेगी ? यदि हां तो कब तक और कितनी ? यदि नहीं तो क्यों ?

अकाल राहत मंत्री : (श्री परसराम मदेरना) (1) जी हां।

(2) प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री शंकर लाल : पंचायत समिति पाली और जिलाधीश पाली ने कितने रुपये की मांग है ?

श्री परसराम मदेरना : 6 लाख रुपये की।

श्री शंकरलाल : यह प्रश्न विचाराधीन है। यह कितने दिन तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री परसराम मदेरना : जब तक कि निर्णय नहीं लिया जाये।

श्री शंकरलाल : अगर वर्षा ऋतु के पहले निर्णय नहीं लिया गया तो फिर ?

श्री परसराम मदेरना : वर्षा ऋतु के पहले निर्णय ले लिया जावेगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी बात हो रही है जैसे कि रामा कौन है कि श्यामा की बहन। और श्यामा कौन रामा की बहन। यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, पाली तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में कई वर्षों से अकाल पड़ रहा है और इससे किसान को बहुत ही तकलीफ हो रही है। अगर किसानों को बैल खरीदने के लिये तकावी मिल जाये तो वह अपनी जमीन जोत सके और उत्पादन बढ़ा सके। अध्यक्ष महोदय, वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है अगर राज्य सरकार किसानों को बैल खरीदने के लिये तकावी दे दे तो उनको राहत मिले।

श्री परसराम मदेरना : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में 549 गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये थे। और संवत् 2025 से 2026 में जब बड़ा व्यापक अकाल पड़ा तो राज्य सरकार ने किसानों को बैलों की खरीद के लिये किसानों को लोन दिया था। राज्य सरकार ने करीब 60 लाख रुपये पूरे राजस्थान में किसानों को दिया गया। लेकिन किसानों ने उस पैसे के. बैल नहीं खरीदे और उन्होंने ट्रैक्टर्स के जरिये खेती करा ली। दूसरी फेमिन में तो बैलों की खरीद के लिये तकावी देने का प्रावधान है

(श्री परसराम मदेरना)

इसके अलावा राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। दूसरे अभी सैन्ट्रल स्टडी टीम अकाल ग्रस्त क्षेत्र में दौरा करने गयी है। वह इस मामले में तय करेगी जैसा भी वह सेन्ट्रल स्टडी टीम तय करेगी वह जिलाधीश को रिपोर्ट भेज दी जायेगी और उसके निर्णय का माननीय सदस्य को भी अवगत करा दिया जायेगा। वैसे यह निर्णय वर्षा ऋतु के पहले ले लिया जायेगा।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, ने जो सवत् 2025 और 2026 के जो अकाल के समय तकावी वितरण करने की बात कही थी उसके लिये में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि उस वक्त राज्य सरकार ने किसानों को तकावी के 100 रुपये दिये थे क्या इन सौ रुपये में बैल खरीदे जा सकते हैं?

श्री परसराम मदेरना : यह अलग से प्रश्न है।

श्री सज्जनसिंह : मैंने यह निवेदन किया कि आपने यह प्रसंग छेड़ा है और आपने कहा है कि तकावी के पैसों से लोगों ने टेक्टरों से खेती करवाली। सम्बन्धित प्रश्न है इवेड करने की कृपा न करें और उत्तर देने की कृपा करें कि क्या बैल खरीदने के लिये पाली जिले में 100) रुपये ही दिये गये थे?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दुनिया में कहीं 100) में बैलों की जोड़ी नहीं आ सकती बैलों की पूंछ मिल सकती है।

श्री परसराम मदेरना : सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इवेड करने का प्रयास कर रहा हूं यह उनका कयास मात्र है। मैं इवेड नहीं कर रहा हूँ। इस वर्ष में तकावी देने की बात कही जा रही है। पूरा कितना तकावी का लौन दिया गया और बैल खरीदने और बीज खरीदने के लिये किस किस व्यक्ति को कितना दिया गया यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इवेड करने का प्रश्न नहीं है। यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्रीमती भगवती देवी।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 9–5–72 व 16–5–72)

क्रेश प्रोग्राम एवं मार्जिनल फार्म प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को दी गयी राशि

372. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिछले वर्ष क्रेश प्रोग्राम एवं मार्जिनल फार्म्स प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले में कितनी राशि आवंटित की गई?

(2) उक्त राशि को किस किस कार्य एवं योजना पर कहां व्यय किया? पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इस समय अजमेर जिले में कौन कौन सी योजना चल रही है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्रीमती भगवती देवी)

(4) आगामी वर्ष में इस योजना पर कितनी राशि रखी गई है तथा कितनी योजनायें सरकार के अधीन हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : शार्ट नोटिस प्रश्नवचन के रूप में हमने प्रश्न दिया था, सबसे पहले छपना चाहिये था नियमानुसार।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) अजमेर जिले में सन् 1971–72 के लिये क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत 12.50 लाख एवं मार्जिनल फार्म्स प्रोग्राम के अन्तर्गत 13.50 लाख की राशि आवंटित की गई थी।

(2) उक्त राशि को जिस जिस कार्य पर जहां जहां व्यय किया गया उनकी सूची 'क' एवं 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस समय अजमेर जिले में क्रेश प्रोग्राम, मार्जिनल फार्म्स व ग्रामीण कार्य योजना चल रही है।

(4) (i) सन् 1972–73 में क्रेश प्रोग्राम के लिए राशि का आवंटन अभी नहीं हुआ है। क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सन् 1971–72 में जो कार्य लिये गये थे उनकी अनुमानित लागत 26.17 लाख की है और इन कार्यों पर 1971–72 में 9.67 लाख रुपये खर्च किये गये थे, बाकी 16.50 लाख रुपये की राशि का कार्य इस वर्ष करवाया जावेगा। इन कार्यों के पूर्ण हो जाने पर 6 सड़क निर्माण कार्य, 20 लघु सिंचाई कार्य, 11 भू-संरक्षण कार्य, व 5 पौध संरक्षण के कार्य करवाये जावेंगे।

(ii) सन् 1972-73 में मार्जिनल फार्म्स प्रोग्राम के लिये 70.50 लाख का बजट है। इस राशि में से 20 लाख रुपया रूरल वर्क्स में तथा बाकी उपभोग से अल्पकालीन ऋण 18.52 लाख, मध्य कालीन 56.82 लाख तथा दीर्घकालीन 18.67 लाख का ऋण मार्जिनल कृषकों व कृषि श्रमिकों को बैंकों से उपलब्ध करवाया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्रीमती भगवती देवी : आपकी सूची के अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीकल्चर लेबर काम कर रहा था और क्रेश प्रोग्राम में हम कर रहे थे उनका सवाल नहीं है। अनुमानित आय बतायी, सेंक्शन्स गयी हैं गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टस से।

श्री केसरीमल : कर्जा कब मंजूर हुआ ? अकाल को भीषणता कम हो गई तब ?

श्री अध्यक्ष : 491।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15–5–72)

कर्मचारियों की नियुक्ति।

491. श्री **महेन्द्र कुमार** (पाड़वा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में वन विभाग में कुल कितने कर्मचारी किस किस संवर्ग में काम कर रहे हैं। इनमें कितने कितने आदिवासी (भील) हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में गत पांच वर्षों में वन विभाग के अधीन कितने कर्मचारियों को नियुक्तियां दी गईं और इनमें कितने आदिवासी (भील) नियुक्त किये गये? जिलेवार प्रत्येक सवर्ग की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) सूची (क) संलग्न है।

(2) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या–503

श्री प्रद्युम्नसिंह

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 510

श्री राजेन्द्र सिंह

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16–5–72)

नहर तोड़ने और पानी की चोरी के मामले।

516. श्री **योगेन्द्र नाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) गंगानगर जिले की भाखड़ा तथा गंगनहर परियोजनाओं की नहरों में गत पाँच वर्षों में नहरें तोड़ने और पाइप लगा कर पानी की चोरी करने के कितने मामले पुलिस में दर्ज हुए? प्रति वर्ष के हिसाब से बतायें?

(2) कितने मामलों में चालान हुए, कितने लोगों को क्या क्या दंड मिला और कितने मामले अभी विचाराधीन हैं?

(3) कितने मामले सिंचाई विभाग की पैरवी के अभाव में खारिज किये गये अथवा विचाराधीन हैं?

(4) नहरों से सिंचाई के पानी की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या विशेष प्रबन्ध किये हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) (गृह मंत्री की ओर से) : (1) चाही गई सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तालिका मेरे पास नहीं आयी है।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे पूरा जवाब तो दे देने दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तालिका मुझे दी नहीं गयी है। सप्लीमेन्टरी क्या पूंछूगा।

श्री केशरीमल : कल मुझे भी सूची नहीं मिली।

श्री मोहनलाल छंगाणी : स्थगित कर दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : गृह मंत्रीजी नहीं हैं। मेरा जवाब सुन लीजिये।

(1) चाही गई सूचना को तालिका सदन मेज पर रख दी गई है जिसके कालम नं. 2 व 3 में सम्बन्धित विवरण उल्लेखित है।

(2) चालान हुए मुकदमों के सम्बन्ध में चाही गई सूचना। तालिका के कालम नं, 4 में, तथा अभी तक विचाराधीन मामलों की सूचना कालम नं. 7 में और जिन जिन लोगों को सजा हुई उनकी सूचना कालम नं. 5 में दर्ज है।

(3) चाही गई सूचना संलग्न तालिका के कालम नं. 8 व 9 में अंकित है।

(4) इस प्रकार पानी की चोरी की रोकथाम के लिये तमाम सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किस प्रकार के निर्देश जारी किये गये? सदा ही जारी किये जाते हैं। इसमें स्पष्ट है कि सिंचाई अधिकारी होस्टाइल हो गये हैं। पहले केसेज दर्ज करवाये और वे फैल हो गये चूंकि सिंचाई अधिकारी होस्टाइल हो गये। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री चन्दनमल बैद : वे ही होस्टाइल हो गये हैं तो कार्यवाही की जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस वक्त आप रैवेन्यू मिनिस्टर थे···

श्री अध्यक्ष : रामकिशोर व्यास होगा। नोट एज अध्यक्ष।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक्स इ एन के अधिकारी होस्टाइल हो जाते हैं। गृह मंत्री जी कहूं या वित मंत्रीजी ?

श्री चन्दनमल बैद : What-ever you like.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गृह मंत्री ऑन डेपुटेशन वालों को तनख्वाह ही रोक दीजिये कुछ तो कार्यवाही कीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक तरफ जिम्मेदारी आपकी भी है। आश्वासन तो दें।

श्री रोशनलाल शर्मा : गृह विभाग का जवाब दे रहे हैं, आज तो शक्ति लगायें।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-5-72)

वन विभाग की भूमि परिवर्तन करने की मांग

517. श्री भैरूंलाल (अकलेरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री भैरूलाल)

(1) क्या यह सच है कि तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ के 35 ग्रामों में 11941 बीघा 12 बिस्वा कृषि योग्य भूमि जिस काश्तकर ने हेतु भूमिहीन कृषकों की मांग है यह वन विभाग के अधिकार में है ? यदि हां, तो उक्त कृषि योग्य भूमि को वन से राजस्व विभाग में क्यों नहीं परिवर्तित किया जाता ?

(2) क्या सरकार उक्त भूमि का परिवर्तन करने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक परिवर्तन किया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सच है कि उक्त भूमि में से कुछ भूमि में भूमिहीन कृषकों ने अतिक्रमण कर सन् 1971–72 में फसल बोई ? यदि हां, तो उन अतिक्रमणकारियों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में कृषकों को खेतों की बाड़ करने के लिये केवल बोर घटोर का ही परमिट दिया जाता है ? जबकि वहां बोर घटोर नाम के पेड़ ही नहीं हैं ? यदि हां, तो खलदी (धोकड़ा) का परमिट बाड़ हेतु कृषकों को दिया जाने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ?

वन मंत्री (श्री परसराम मदेरना): (1) यह किन ग्रामों की किस भूमि से सम्बन्धित है प्रश्न से ज्ञात नहीं होता। कृषि योग्य वन भूमि को राजस्व विभाग में स्थानान्तर करने का निर्णय जिला प्रमुख, जिलाधीश एवं मण्डल वन अधिकारी की समिति मौके की स्थिति को देखते हुए करती है।

(2) भूमि की जानकारी होने पर इस सम्बन्ध में उपरोक्त समिति निर्णय देने को अधिकृत है।

(3) जी हां, किन्तु अतिक्रमण कारी भूमिहीन है या नहीं इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध न्यायालय एस.डी.ओ. इकलेरा में चालान किया जा चुका है।

(4) जी नहीं अन्य प्रश्न नहीं उठते

श्री भैंरूलाल: इस कमेटी की बैठक झालावाड़ में कब हुई थी क्या आप बता सकेंगे ?

श्री परसराम मदेरना : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत ।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 16–5–72)

रोल्ड स्टील जोइट्स का विवरण

520. **श्री अमृतलाल गहलोत** (जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान लघु उद्योग निगम को पिछले चार वर्षों में किस किस नाप (साइज) की रोल्ड स्टील जोइट्स किस किस स्टील प्लान्ट से प्राप्त हुई और उनका वितरण किन लोगों को किस कार्य के लिए कितना किया गया ?

वित मंत्री (चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है मैं चाहूंगा कि इसको स्थगित किया जाये।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह आप एक बार स्थगित कर चुके हैं कल कब जवाब आयेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगानी

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 16–5–72)

जयपुर उद्योग लिमिटेड को दिया गया ऋण

528. **मोहनलाल छंगानी** (फलौदी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) राज्य सरकार ने तथा राजस्थान वित्त निगम ने सन् 52 से फरवरी, 72 तक जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को किन किन शर्तों पर व कितना कितना कर्जा कब कब दिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जयपुर अथवा राजस्थान सरकार का सन् 52 में कितना कर्जा जयपुर उद्योग लिमिटेड की ओर बकाया था ?

(3) क्या उपरोक्त कर्ज की वसूलियां समय पर होती रही हैं ? यदि हां, तो किस वर्ष का दिया हुआ कर्जा निर्धारित शर्तों के अनुसार, किस समय प्राप्त हुआ ? यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1957 पी.डी.आर. एक्ट अथवा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत वसूली क्यों नहीं की ?

वित्त मन्त्री श्री चन्दनमल बैद : (1) राज्य सरकार ने राजस्थान वित्त निगम ने सन् 1952 से फरवरी, 1972 तक जयपुर उद्योग को जिन जिन शर्तों पर जब जब ऋण दिया है उसकी सूची तालिका (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जयपुर राज्य अथवा राजस्थान सरकार का सन् 1952 में जयपुर उद्योग लिमिटेड की ओर कोई कर्जा बकाया नहीं था।

(3) यह सूचना तालिका (ख) में उपलब्ध है। जो सदन की मेज पर रख दी गई है। तालिका (ख) के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अथवा पी. डी. आर. अथवा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनलाल छंगाणी : No supplementaries please, because I am submitting the conclusion of the debate before the Chief Minister.

श्री गुमानमल लोढा : मैं एक सप्लीमेन्टरी पूछना चाहता हूँ। क्या यह सही है कि इतना सब यहां पर आक्रोश जाहिर करने के बाद में भी 8 या 10 अप्रेल को राजस्थान सरकार ने इस उद्योग को कर्जा दिलाने के लिए 25 लाख की गारन्टी दी है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं समझा नहीं, क्या फरमाया आपने ?

श्री गुमानमल लोढा : इस उद्योग के बारे में इस सदन में काफी विचार–विमर्श किया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। पर अभी 8 या 10 अप्रेल को 25 लाख रुपये की गारन्टी राज्य सरकार ने जयपुर उद्योग या आलोक उद्योग ग्रुप है इसको कर्जा दिलाने के लिए दी है ? क्या यह सही है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर उद्योग और आलोक उद्योग को कोई ऐसी गारन्टी दी गई हो यह सही नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी अभी 8 या 10 अप्रेल को 25 लाख रुपये की गारन्टी राज्य सरकार ने देकर जयपुर उद्योग और आलोक उद्योग ग्रुप को कर्जा दिलवाया है और वह दिलवाया श्री अशोक जैन के द्वारा जो कि इनका फाइनेन्शियल कारपोरेशन बना हुआ है और उन्होंने यह कहा कि तब ही कर्जा दे सकते हैं जब कि राज्य सरकार उसके बारे में गारन्टी दे कि वह रिपेमेन्ट करेंगे और वह 8 या 10 अप्रेल को हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर उद्योग या आलोक को कोई भी कर्जा की गारन्टी नहीं दी गई।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन साहू जैन पर डिबेट हुई थी राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जायेगी तब तक हम कोई गारन्टी नहीं देंगे, अभी मुझे रिपोर्ट मिली है वरबेटिम रिपोर्ट की उसमें शायद वह नहीं आया है इसीलिए मुख्य मन्त्रीजी यहां उपस्थित हैं इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो मेरा ख्याल है कि जो राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था वह ठीक है या नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : जो भी आश्वासन दिया गया उसको पूरा किया जायेगा। उसके लिए बार बार दोहराने की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट का समय बढ़ा दीजिए। प्रश्न संख्या 815 शार्ट नोटिस क्वेश्चन के रूप में 15–20 दिन पहले भेजा था बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजाओं की सम्पत्ति के बारे में है ...

श्री अध्यक्ष : एक सवाल के लिए आज्ञा दे दूंगा तो बाद में फिर सभी के लिए देनी पड़ेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 10 मिनट ही बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न को 10 के बजाय 15 मिनट ले लेना हो नहीं सकता।

श्री भानुकुमार शास्त्री : स्थगित प्रश्न फिर कल लिए जायं।

श्री अध्यक्ष : आइन्दा टर्न पर।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आज तो बहुत कम प्रश्न पूछे गये।

श्री अध्यक्ष: मैं एग्री करता हूं क्या करूं माननीय सदस्य बहुत समय ले लेते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय 812 को ले लीजिए।

श्री माणकचन्द सोगाणी : अध्यक्ष महोदय 809 बहुत आवश्यक है।

Page No. 27

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। नं० 809 नं० 815 और 812।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप कोई भी अपनी इच्छा से लें लें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अन्य प्रश्नों के लिए परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाडमेर शहर में चूना बनाने के भट्टे

800. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाडमेर शहर में चूना बनाने के कितने परमिट दे रखे हैं ?

(2) क्या यह एक ही व्यक्ति के नाम परमिट दिया हुआ है ? इस परमिट को कितने वर्षों के लिए और कब से दे रखा है?

(3) क्या इसके अलावा कोई चूना भट्टा लगाने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ?

(4) यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्रों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) क्या राज्य सरकार उपभोक्ताओं को उचित दाम पर चूना मिल सके, इस धारणा से मोनोपोली सिस्टम समाप्त करने की नीति नहीं रखती ?

उत्तर

(1) केवल एक।

(2) जी हां। यह परमिट दिनांक 16–7–71 को दिया गया था दिनांक 31–8–71 तक के लिए दिया गया था।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) मोनोपोली का प्रश्न ही नहीं उठता राज्य सरकार की हमेशा से नीति रही है कि मोनोपोली ट्रेड न बने।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-5-72)

उर्दू मदरसों की संख्या

503. **प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में उर्दू मदरसों की संख्या कितनी है तथा इनमें से मान्यता प्राप्त कितने हैं ?

(2) क्या सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उर्दू मदरसों की कुल संख्या व मान्यता प्राप्त मदरसों की जिलेवार संख्या की सूची संलग्न है ?

(2) जिन मदरसों को सहायता दी जाती है उनकी संख्या सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 15-5-72)

वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋण की वसूली

510. **श्री राजेन्द्र सिंह**—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा अब तक कुल कितना कर्जा किन किन को दिया जा चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्त निगम द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसके क्या कोई नियम हैं? यदि हां, तो क्या ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वित्त निगम के नियमों के अनुसार किसी को भी ऋण एक मुश्त नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो मैसर्स अलोक उद्योग को कितना ऋण एक मुश्त दिया गया है ?

(4) उद्योगों को जो ऋण दिया गया है उसमें से आज दिन तक कितना वसूल हुआ है और कितना किन किन में बाकी है ? कृपया बकाया की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा 31 मार्च, 1972 तक कुल 591 संस्थानों को 958-07 लाख रुपये का ऋण दिया गया है। संस्थानों की नामवार सूची तैयार करने में समय लगेगा।

(2) जी हां, प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(3) जी नहीं एक मुश्त भी ऋण दिये जाने का प्रावधान है। मैसर्स आलोक उद्योग नाम के किसी संस्थान को निगम द्वारा ऋण नहीं दिया गया है।

(4) दिनांक 31 मार्च, 1972 तक निगम ने 591 संस्थानों को 958.07 लाख रुपये का ऋण दिया। उक्त तारीख को 504 संस्थानों में रुपये 616.27 लाख का ऋण बकाया (outstanding) है। संस्थानों की नामवार बकाया सूची तैयार की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डलोमाइट की खान

325. **श्री मालाराम** (नीम का थाना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री नन्दलाल अग्रवाल व इनके भाई श्री बनवारी लाल अग्रवाल पुत्र श्री गुलजारी लाल, निवासी मावन्डा खुर्द उर्फ मावन्डा रेल्वे स्टेशन त नीम का थाना जिला सीकर ने डेलोमाईट की मेजर मिनरल में लीज ली हुई है वह माल डेलोमाईट माइनर मिनरल में काम में लिया जाता है क्योंकि इसकी चिप बनती है और चूंकि बिल्डिंग मेटेरियल है इसलिए यह माइनर मिनरल में आता है और मेजर मिनरल की रायल्टी

(श्री मालारा)

सरकार को दे रहा है जबकि मेजर मिनरल की रायल्टी माइनर मिनरल से आधी से भी कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि नन्दलाल, बनवारीलाल अग्रवाल की डेलोमाईट की एक खान नीम का थाना मावन्डा रेल्वे स्टेशन के पास है तथा यह मेन रोड से केवल 10 गज है और इस खान की तरफ से कई गांवों को कच्चा रास्ता जाता है जिसमें कि एक रास्ता नापाली एक रास्ता पुराना वास जाता है तथा ब्लास्टिंग के समय खान का पत्थर सड़क पर गिरता है और आने जाने वाले व्यक्तियों और सभी वाहनों तक को नुकसान भी पहुंचाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, सही है । इन खनन पट्टों के डेलोमाइट को माइनर मिनरल में उपयोग करने बाबत शिकायतें आयी हैं और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है ।

(2) जी हां । एक खनन पट्टा सड़क तथा रेल्वे लाइन के पास है । सड़क व रेल्वे लाइन के 50 गज के अन्दर जो पुराने पिट हैं उनमें कार्य नहीं हो रहा है । एक working pit सड़क से 65 मीटर दूरी पर है । नियमों में सड़क रेल्वे लाइन इत्यादि से 50 गज छोड़ कर खनन कार्य करने का प्रावधान है । सड़क से आवश्यक फासला होने पर भी ब्लास्टींग करते समय पट्टाधारियों को मेटेलिफेरेस माइन्स रेग्युलेशन्स के तहत चारों ओर झन्डी लगाना सीटी बजा कर अथवा आवाज देकर लोगों को दूर हटाने का प्रावधान है दुर्घटना की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

जालोर जिले की सोसाइटीज के विरुद्ध गबन के मामले

326. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जालोर जिले की किन-किन सोसाइटीज के विरुद्ध गबन के मामले पुलिस में दर्ज कराये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राजकीय सेकेण्डरी स्कूल कोटपुतली का भवन

327. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) कोटपुतली की राजकीय सैकेन्ड्री स्कूल में सरकार द्वारा भवन विस्तार हेतु किस किस वर्ष में कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूल में छात्रों की संख्या को देखते हुए स्कूल भवन अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या

(श्री सुरेश चन्द्र)
सरकार द्वारा भवन विस्तार हेतु इस वर्ष धनराशि स्वीकृत की जावेगी ?

उत्तर

(1) कोटपुतली की राजकीय सैकेण्डरी स्कूल में सरकार द्वारा भवन विस्तार हेतु वर्ष 1962–63 में रु. 10,000–50 प्रतिशत जनसहयोग के अनुपात पर व वर्ष 69–70 में रु. 2,000)–यूरिनल्स व डब्लू सी. के लिये स्वीकार किये गये।

(2) यह सही है। औचित्य को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार सम्भव हो सकेगा।

बीज गोदाम

328. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दौसा पंचायत समिति क्षेत्र की सेवा सहकारी समितियों के सन् 1965 में कुल कितने गोदाम बने तथा ये गोदाम किन किन स्थानों पर बनाये गए ?

(2) इनमें से कितने गोदाम पूर्ण बन चुके हैं व कितने अधूरे पड़े हैं ?

(3) इनके निर्माण पर राज्य सरकार की कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

(4) क्या इन गोदामों को काम में लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दौसा पंचायत समिति क्षेत्र की चार सेवा सहकारी समितियों को सन् 1965 में बीज गोदाम के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दो गोदाम पूर्ण हो चुके हैं एवं दो अधूरे हैं।

(3) इनके निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा 45,000) रु. स्वीकृत हुआ है।

(4) जो गोदाम पूर्ण हो गये हैं उनको सेवा सहकारी समितियां काम में ले रही है।

(कृपया परिशिष्ट–7 देखिये)

डोडियाना ग्राम में मिडिल स्कूल

329. **श्री जेठमल बरड़** (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नागौर जिले में दो मिडिल स्कूल डोडियाना ग्राम में खोलने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले में डोडियाना नामक ग्राम एक ही है ? यदि हां, तो ये आदेश किस नक्शे व डाइरेक्ट्री को देखकर दिये गये ?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा निरीक्षक, नागौर ने इसकी तरफ ध्यान दिलाते हुए शिक्षा विभाग को सिफारिश की थी कि डोडियाना ग्राम एक ही है अतः पंचायत समिति परबतसर के ग्राम मंगलाना में मिडिल स्कूल खोल दिया जावे ? यदि हां, तो उस पत्र की प्रति सदन की मेज पर

Page No. 31

(श्री जेठमल बरवड)

रखी जावे। तथा राज्य सरकार द्वारा इस सिफारिश को क्यों नहीं माना गया, जब कि मंगलाना ग्राम में मिडिल स्कूल की परमावश्यकता है ?

उत्तर

(1) प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। ग्राम डोडियाना (नागौर) गलती से टाईप हो गया था। इस गलती को बाद में ठीक कर दिया गया।

(2) जी हां। उत्तर प्रश्न के भाग (1) में निहित है।

(3) पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य सरकार विद्यालय निरीक्षक की सिफारिशों को मानने के लिये बाध्य नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

विद्यार्थियों को छात्रवृति

330. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति लूणकरणसर एवं प्रधानाध्यापक, सेकेण्ड्री स्कूल महाजन ने सन् 1971–72 के सत्र में कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु अपनी सिफारिशें भेजी थीं ? अगर हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों हेतु भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की योजना गत वर्ष प्राप्त हुई थी। इसके अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति से प्रतिभाशाली छात्रों के नाम मांगे गये थे। यह योजना बिल्कुल नयी थी। समय की कमी तथा भारत सरकार से पूछे गये स्पष्टीकरण समय पर प्राप्त न होने के कारण गत वर्ष इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सका तथा किसी भी छात्र को छात्रवृति स्वीकार नहीं की जा सकी। इस वर्ष इस योजना पर कार्यवाही अभी से प्रारम्भ कर दी गई है ताकि छात्रवृत्तियां स्वीकार की जा सकें।

राजस्थान राज्य होटल निगम के प्रबंध संचालक

331. श्री **मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य होटल निगम के प्रबन्ध संचालक कौन हैं ? इनको प्रबन्ध संचालक बनाने का निर्णय सरकार द्वारा कब व किस आदेश के अन्तर्गत लिया गया ? कृपया उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) प्रबंध संचालक के निगम में कितने शेयर हैं व उनका मूल्य क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शेयर का मूल्य राज्य सरकार द्वारा चुकाया गया है ? यदि हां, तो किन आदेशों के अन्तर्गत ? कृपया उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त शेयरों के मूल्य का

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
विनियोजना करते समय किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि प्रबन्ध संचालक के नाम पर राज्य कोष से खरीदे गये शेयर वैधानिक रूप से प्रबंध संचालक की निजी सम्पत्ति है और ऐसा वे अपने आय-व्यय के रिटर्न देते समय बताते हैं ?

(6) पर्याप्त सिक्योरिटी लिये बिना प्रबन्ध संचालक के नाम पूंजी-विनियोजन किस अधिकारी द्वारा किया गया व उसके विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य होटल निगम के प्रबन्ध संचालक श्री बी. एन. काक है। इन्हे प्रबन्ध संचालक बनाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा 28-3-65 को लिया गया। इन्हें राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15-6-65 के द्वारा प्रबन्ध संचालक के पद पर मनोनीत किया गया। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट क तथा ख)

(2) उनका रु. 1000) के मूल्य का एक शेयर है।

(3) जी हां, कम्पनी के सारे शेयर राज्य सरकार के ही हैं उनको कार्य सुविधा के लिए एक शेयर ट्रान्सफर किया गया है।

(4) तमाम शेयर राज्य सरकार के हैं अतः सिक्योरिटी लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं। प्रबन्ध संचालक का यह शेयर उनकी निजी सम्पति नहीं है। बल्कि राज्य सरकार की सम्पत्ति है।

(6) संचालक मण्डल के कोरम (Quorum) के लिये प्रबन्ध संचालक के पास जैसे अन्य कम्पनियों में होता है शेयर होना समुचित होने के नाते दिया गया। चेयरमैन, श्री आर. राधाकृष्णा, श्री डी.आर. मेहता और श्री के. एन. शर्मा डाईरेक्टरों को भी इसी कारण शेयर दिये गये हैं, नहीं तो कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत मिटिंग के लिये कोरम (Quorum) नहीं बनता जो नितान्त आवश्यक है। अतः सिक्यूरिटी लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

झालावाड़ जिले में जप्त की गई बन्दूकें

332. श्री रामप्रसाद बोहरा-(झालरापाटन) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में अब तक कितनी बन्दूक एवं टोपीदार बन्दूक जप्त की जा चुकी हैं ? इनमें से कितनी कारतूसी बन्दूकें व टोपीदार देसी बन्दूकें किन किन को और कहां कहां की हैं ?

(2) क्या इनके संबंध में कोई केस भी चलाये हुए हैं ? यदि हां, तो कितने केस कब से चल रहे हैं ? अभी तक फैसला न होने का क्या कारण है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

Page No. 33

स्वशासित निगम व बोर्डों द्वारा गबन

333. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर)–क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) राज्य में कुल कितने स्वशासित निगम व बोर्डों का गठन किया गया है ?

(2) उक्त निगमों व बोर्डों को राज्य सरकार ने कितनी कितनी धनराशि गठन के समय से वर्ष 1971–72 तक दी है? निम्नतालिका के अनुसार विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें:––

1–निगम अथवा बोर्ड
2–गठन के समय देय धनराशि
3–गठन के बाद देय धनराशि का वर्षवार ब्योरा
4–लाभ और हानि का वर्षवार ब्योरा।

(3) राज्य सरकार द्वारा गठित किये गये निगम तथा बोर्डों के प्रारंभ से अब तक मानोनीत पदाधिकारियों का विवरण निम्न तालिका के अनुसार सदन के पटल पर रखने की कृपा करें:––

1–निगम अथवा बोर्ड का नाम
2–प्रथम मनोनीत पदाधिकारी तथा वर्षवार मनोनीत पदाधिकारियों की सन् 1972 तक की सूची।

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

नागौर जिले की वेटरनरी डिस्पेन्सरियां

334. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल)–क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

नागौर जिले में कितनी वेटरनरी डिस्पेन्सरियां हैं एवं वर्ष 1971–72 में प्रत्येक डिस्पेन्सरी को कितनी कितनी दवाइयां क्या क्या सप्लाई हुई ? किन किन दवाओं की खरीद जिला स्तर पर हुई एवं किन किन दवाओं की खरीद राज्य स्तर पर हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। जिला स्तर पर यदि खरीद हुई हो, तो टेण्डर आदि का व रकम का विवरण भी देने की कृपा करें।

उत्तर

नागौर जिले में पन्द्रह पशु चिकित्सालय, दो चल पशु चिकित्सा इकाई है। वर्ष 1971–72 में जितनी जितनी औषधियां उपरोक्त संस्थाओं को जिला स्तर पर क्रय कर वितरित की गई हैं उसकी सूची संलग्न है। राज्य स्तर पर कोई औषधियां क्रय नहीं की जाती हैं। राज्य स्तर पर एक विभागीय क्रय समिति गठित की गई है जो कि दवाइयों की दरें तथा फर्म निर्धारित करती है। क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार समस्त जिलास्तर पर संबंधित जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा औषधियां क्रय की जाती हैं। नागौर जिले में 1971–72 में 18,800 रुपयों की औषधियां क्रय कर वितरित की गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्लाटर हाउसों की व्यवस्था

335. **श्री गोरधनसिंह** (सीकर)–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या राज्य की समस्त नगरपालिकाओं में स्लाटर हाऊसों (कट्टीखाना) की नियमानुसार समुचित व्यवस्था की हुई

(श्री गोरधनसिंह)

है ? यदि नहीं, तो कहां कहां इसका अभाव है एवं सरकार ने इसके लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(2) जहां जहां स्लाटर हाउस (कट्टीखाना) की व्यवस्था है क्या वहां सभी स्थानों पर इस कार्य की देख रेख के लिये सक्षम अधिकारी नियुक्त हैं ? यदि नहीं तो राज्य सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) स्लाटर हाऊसों की समुचित व्यवस्था एतदर्थ स्वीकृत उपविधियों के प्रावधानानुसार स्वयं नगरपालिका करती है।

(2) जहां जहां नगरपालिकाओं की मांग होती है वहां पार्ट टाइम वेटरनेरी असिस्टेन्ट सर्जन की नियुक्तियां की जाती हैं।

पशु चिकित्सालयों पर आवास व्यवस्था

336. श्री गोरधन सिंह (सीकर)–क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पशुपालन विभाग में राजपत्रित पद कितने व कब कब से रिक्त हैं तथा इन की पूर्ति पदोन्नति से की जानी है अथवा सीधी नियुक्ति द्वारा ? यदि पदोन्नति से तो अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राजस्थान वेटरनरी मैन्युअल के अनुसार पशु चिकित्सकों के चिकित्सालयों पर आवास के बारे में प्रावधान पर अमल किया जा रहा है या नहीं ?

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग में 6 राजपत्रित अधिकारियों के पद रिक्त हैं, जो निम्न प्रकार हैं:–

(1) निदेशक दिनांक 4-4-72 से

(2) संयुक्त निदेशक दि. 4-3-71 से

(3) उपनिदेशक क्षेत्र प्रथम 6-3-72 से

(4) उपनिदेशक मत्स्य दि. 29-12-71 से

(5) जिला पशु पालन अधिकारी, उदयपुर 14-5-72 से

(6) लेखाधिकारी दिनांक 6-2-72 से

उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक, पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा की जानी है जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। क्रमांक 6 पर नियुक्ति वित्त विभाग द्वारा की जानी है जो उनके यहां विचाराधीन है।

(2) विभागीय मैन्युअल के अनुसार अमल किया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है–तब तक अंतिम निर्णय लिये जाने तक किराया वसूल किया जा रहा है।

पत्र-पत्रिका स्मारिका आदि को दिये गये विज्ञापन

337. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली)–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1971–72 व 1972–73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
लिये कितना कितना और कब कब एवं किस किस मूल्य का विज्ञापन किन किन को दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) यह विज्ञापन किस किस पत्र–पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किस किस तारीखों पर प्रकाशित हुए हैं ?

(3) इन विज्ञापनों के लिए कब और कितना कितना किस किस को भुगतान किया गया है और कितना कितना शेष है ?

(4) उपरोक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किस किस को व कब कब आवेदन-पत्र दिये गए थे और उन पर किस अधिकारी और मंत्री द्वारा कितने कितने रुपये का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और न ही ऐसे विज्ञापन सहित, प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुंची ? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन किन को और कब कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) वांछित सूचियां संलग्न हैं।

(2) वांछित सूचियां संलग्न हैं।

(3) वांछित सूचियां संलग्न हैं।

(4) वांछित सूचियां संलग्न हैं।

(5) जी नहीं। विज्ञापन हेतु पहले विज्ञापन आदेश दिया जाता है, जिसके आधार पर विज्ञापन प्रकाशित होता है। विज्ञापन का भुगतान विज्ञापन बिल प्राप्त होने पर आवश्यक जांच के पश्चात् किया जाता है।

पशु मेले की भूमि

338. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल जयपुर)–क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले के सांचोर कस्बे में आबादी के पास की भूमि में पशु मेला लगता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश जालोर ने यह आदेश दिये थे कि उस भूमि पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाय ? यदि हां, तो यह भी सही है कि उक्त भूमि में लोगों ने अनाधिकृत कब्जे कर लिये हैं ? यदि हां, तो उस भूमि पर किन किन व्यक्तियों के कब्जे हैं और उसे हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सत्य है कि सांचोर कस्बे में आबादी भूमि के पास की भूमि में पशु मेला लगता है।

(पशु पालन मंत्री)

(2) जी हां, यह सत्य है कि जिलाधीश जालोर ने मेला एरिया में किसी को कब्जा नहीं करने के आदेश दिये थे। मेला एरिया में कुछ लोगों ने नाजायज कब्जे किये थे जिनके नाम निम्न प्रकार हैं। इन व्यक्तियों के खिलाफ हस्ब दफा 91 राजस्थान लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत मामले, विचाराधीन हैं।

(1) कोजाराम व जयकिशन बिश्नोई सांचोर।

(2) गोरधन कौम खटीक सा. सांचोर

(3) सुरखाराम, कौम बिश्नोई, सांचोर।

(4) धवलाराम लुहार सा. सांचोर।

(5) रामा, रणछोडा, प्रेमा आदि कलवियान सा. पथमेडा।

उपरोक्त मुकदमों में से श्री गोर्धन, पुरखा, रामा, रणछोडा आदि व्यक्तियों को बेदखल करने के आदेश दिये हैं किन्तु सर्व–श्री पुरखा को ग्राम पंचायत सांचोर से पट्टे दिये गये हैं जो जिलाधीश महोदय को मुकदमा रेफर किया गया है, कब्जे हटाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री करणपुर का वाटर वर्क्स

339. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर)–क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका श्री करनपुर ने वहां की वाटर वर्क्स की तकलीफें राज्यपाल, मुख्य मन्त्री, स्वायत्त शासन मन्त्री, जन स्वास्थ्य मन्त्री राजस्व मन्त्री के समक्ष बार बार रखीं? यदि हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही राज्य सरकार ने की है? अगर नहीं की, तो क्यों नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) अब सरकार श्री करनपुर की वाटर वर्क्स की समस्या को कब तक उचित व्यवस्था कर दूर कर देगी?

उत्तर

(1) जी हां, नगरपालिका श्री करनपुर ने वहां की वाटर वर्क्स सम्बन्धित तकलीफों का माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान जयपुर के समक्ष श्रीकरणपुर के के शुभागमन पर दि. 7-9-71 को ज्ञापन दिया तथा मुख्य अभियन्ता, को जनवरी 72 में पत्र लिखा था। श्री करणपुर की पुनर्गठित योजना तैयार की जा चुकी है।

(2) पुनर्गठित योजना जिसकी कि अनुमानित लागत 4,50,000 है, की तकनी की जांच की जा रही है।

नागौर तहसील की ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें

340. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल)–क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले की नागौर तहसील में कौन कौन सी ग्रामीण क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनायें चालू है?

(2) नागौर जिले की नागौर तहसील की कौन कौन सी ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय

(श्री रामसिंह कुड़ी)
योजनायें अब स्वीकृत हैं एवं जिनमें कार्य चालू किया जाना है ?

(3) नागौर जिले की नागौर तहसील की कौन कौन सी ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें सर्वे होकर स्वीकृति हेतु पैंडिग हैं ? ये किस लेवल पर किस अधिकारी के कार्यालय में पैंडिग हैं ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की नागौर तहसील में कोई भी ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना नहीं है।

(2) ऐसी कोई योजना नहीं है।

(3) निम्नलिखित योजनायें नागौर तहसील को बनाई गई हैं।

1. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना गोगेलाव चुटिसरा, चेनार

2. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना ज़बासकी कुमारी, कादरपुर, ताउसर, बापोद

3. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना इनाना, अठियासन, बरन गांव ।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना रोल, रुणुंगा मिडियारा, गोठ मांगलोद व माइनिंग एरिया दुस्ताऊ प्रश्न संख्या तीन की उपरोक्त 3 योजनायें अधिशासी अभियन्ता नागौर कार्यालय में पुनर्गठन के लिए दिनांक 10-5-72 से पैंडिग है प्रश्न संख्या 3 की चौथी योजना ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत ली जा चुकी है तथा स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

नागौर जिले की जल प्रदाय योजनाओं का स्टाफ

341. श्री रामसिंह कुडी (जायल)– क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नागौर जिले में जो जो ग्रामीण व नगरीय जल-प्रदाय योजनायें चालू हैं, उनमें स्टाफ पेटर्न किस प्रकार का है ? प्रत्येक योजना की तारीख 31-3-72 का स्टाफ स्ट्रेंथ क्या थी ?

उत्तर

नगरीय तथा ग्रामीण जल योजनाओं पर लगाये जाने वाले स्टाफ की पेटर्न निम्न प्रकार है :–

1. फोरमेन
2. पम्प चालक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी
3. फिटर
4. सहायक : प्रथम श्रेणी, एवं द्वितीय श्रेणी
5. इलेक्ट्रिशियन
6. लाइन मैन
7. मीटर रीडर
8. बिल वितरक
9. चौकीदार
10. मिस्त्री
11. स्टोर मुन्शी
12. लेजर कीपर
13. बिल क्लर्क

नागौर जिले में जो-जो ग्रामीण व नगरीय जल प्रदाय योजनायें चालू हैं, प्रत्येक

(जनस्वास्थ्य मन्त्री)
योजना की तारीख 31-3-72 को स्टाफ स्ट्रेन्थ संलग्न सूची में दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्वीकृत बजट के अलावा व्यय

342. श्री **रामसिंह कुडी** (जायल)–क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के 1971–72 के स्वीकृत बजट के अलावा किस किस मद में कितना कितना व्यय हुआ है ? विभागवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य के 1971–72 के स्वीकृत बजट के अलावा व्यय करने हेतु मंत्री स्तर पर या केबिनेट स्तर पर कब कब व किस किस कार्य हेतु कितने कितने रुपये व्यय करने की विशेष स्वीकृतियां दी गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971-72 के वास्तविक व्यय के आंकड़े महा लेखाकार से उपलब्ध नहीं हुए हैं। फिर भी अनुदान की अन्तिम स्थिति के अनुसार यह व्यय संलग्न सूची में बजट मदों के अन्तर्गत दर्शाये गये अनुसार है।

(2) राज्य के 1971–72 के स्वीकृत बजट के अलावा व्यय के ब्यौरे संलग्न सूची में उपलब्ध है। इस अतिरिक्त व्यय की मंत्री मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्व कर की वसूली

243. श्री **मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी)–क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत 6 वर्षों में राज्य के भिन्न भिन्न जिलों से निम्न लेखा शीर्षकों के राजस्व कर वसूली का मानचित्र सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें:—

(क) बिक्री-कर
(ख) यात्रा व माल कर
(ग) मनोरंजन कर
(घ) विद्युत् कर एवं महसूल
(ङ) अन्तर परिवहन कर
(च) कृषि आय कर
(छ) आबकारी कर

उत्तर

गत 6 वर्षों में राज्य में भिन्न भिन्न जिलों से निम्न लेखा शीर्षकों के राजस्व कर वसूली के मानचित्र इसके साथ संलग्न है।

(क) बिक्री-कर
(ख) यात्रा व माल कर
(ग) मनोरंजन कर
(घ) विद्युत् एवं महसूल
(ङ) अन्तर्राज्यीय परिवहन कर
(च) कृषि आय कर
(छ) आबकारी कर

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव और गुमानमल लोढा सदस्य विधान सभा, ने भारत अधिकृत पाक क्षेत्र में शरणार्थी शिविरों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न होने के संबंध में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

(2) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 23 मई, 1972 को जयपुर कुट्टी खाखला डीलर्स एसोसियेशन के ठेकेदार की गाड़ी में आग लग जाने के बावजूद फायर ब्रिगेड द्वारा समय पर कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री केसरीमल श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री गिरधारीलाल भार्गव सदस्य विधान सभा ने राजस्थान होम्योपैथिकों के चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष श्री चन्द्रप्रकाश झुन्झुनुवाला की अमरिकी संदिग्ध व्यक्तियों से संदेहास्पद सांठ-गांठ के संबंध में 2 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

(4) श्री केशरीमल और श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने कोटा में लगाये जाने वाले 400 मेगावाट के भाप बिजली घर का निर्माण कार्य राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा न किया जाकर केन्द्रीय नल एवं विद्युत कमिशन को सौंपने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) सर्वश्री निरंजन नाथ आचार्य केदारनाथ, गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने श्री गोकुल भाई भट्ट की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अन्तर्गत गिरफ्तारी के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री इस संबंध में सदन में कल दिनांक 27 मई, 1972 को एक वक्तव्य दें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान नहर क्षेत्र में पौंग डैम के विस्थापितों को बसाने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं चाहूंगा कि इस विषय में भी माननीय मंत्री कल दिनांक 27 मई, 1972 को एक वक्तव्य दें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने अलवर में आर्य समाज सम्मेलन में मुख्य मंत्री द्वारा एक सम्पत्ति को पैत्रिक सम्पत्ति बताकर उसे आर्य समाज को दान करने की घोषणा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं इस प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं किन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर आज सदन में एक वक्तव्य दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि

Page No. 40

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कोटा में राजस्थान विद्युत मण्डल की तरफ से 400 मेगावाट पावर का एक भाप का बिजली घर बनाने का जो कार्य है उसको सैन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन है उसको देना तय कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, उनका प्रोजेक्ट तो उनको दे दिया है और इसके इरेक्शन का काम भी उनको देने के बारे में बातचीत चल रही है। अध्यक्ष महोदय. कल इस सदन में बेरोजगार इन्जीनियर्स के बारे में बहस हो रही थी और ऐसे इन्जीनियर्स राजस्थान में कितने बेरोजगार हैं उस ओर ध्यान दिलाया था उसके बावजूद सरकार की एक जो पब्लिक अण्डरटेकिंग है उसकी तरफ से इतना बड़ा काम जिसमें 120 करोड़ रुपया खर्चा होना है हमारे राजस्थान में हमारे पास खुद टेक्निकल मैन पावर काफी मौजूद है अध्यक्ष महोदय, हमारे इसी बिजली विभाग के इन्जीनियरों ने 1964–65 में जब कि इमरजेंसी के तौर पर रतनगढ़ से जयपुर तक की लाइन तीन महिने के अन्दर 132 के. वी. को खड़ी कर दी जो कि रिकार्ड टाइम था और हमारे इन्जीनियर्स ने बहुत शाबाशी का काम किया था। लेकिन खेद की बात है कि इतनी उनकी एफिशियेंसी होते हुए भी और इतनी उनमें शक्ति और गट्स होते हुए भी अब हमारा यह विद्युत् मण्डल इस कार्य को खुद अपने हाथ में न लेकर सैंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन को इसे सुपुर्द कर रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि यह 120 करोड़ रुपयों से जितना वर्क निकलता जिसमें से 10 करोड़ तो ऐसे होंगे जो कि हमारी स्टेट में भी हमारे एम्पलाईज हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको काम मिलता, वह नहीं मिलेगा इस तरह का नुकसान होगा।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे यह अनुभव पंजाब का और हरियाणा का भी है...

श्री अध्यक्ष : यह सब जानकारी चाही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं अध्यक्ष महोदय, कल लास्ट डे है हाउस का इसलिए या तो गवर्नमेंट इस बारे में आज ही एट दी एण्ड आफ दी डे, उस समय इसका उत्तर दे दें या कल इसका उत्तर अवश्य मिले। इतने इन्जीनियर्स का मामला है, सारे राजस्थान के टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मामला है। इस सम्बन्ध में, मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं उनकी जानकारी में है यदि वो अभी उत्तर दे सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यहीं पर इस सम्बन्ध में बात हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इसको रोका जावे। प्रोजेक्ट तो दे ही दिया है, अब उसका इरेक्शन भी दे देते हैं तो जो काम हमें मिलता हम उससे वंचित रह जायेंगे इसे हम रुकवाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कल ही खेतड़ी के हैड-क्वार्टर को चेंज करने के बारे में मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और हाउस के सेंटीमेंट्स को रेसपोंड किया था, इसी प्रकार इस बारे में भी हाउस के सेंटीमेंट को देखते हुए एवं स्टेट के इण्टरेस्ट को देखते हुए रैसपाण्ड करें। हमारा बिजली मण्डल किस प्रकार निर्णय ले रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों तैयार करायी, हमारे पास टेक्निकल हैंड हैं तो फिर क्यों करवाई,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इसकी कोई वजह नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव · · ·

श्री केसरीमल (ब्यावर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें मैंने होम्योपैथिक बोर्ड के सम्बन्ध में · · ·

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : वह बहुत अहमियत का प्रश्न है। होम्योपैथिक बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हुए हैं उनका कार्य ऐसा है कि जो शंका उपस्थित कर रहा है। यह बोर्ड क्यों बना और कैसे गठित हुआ, जो आदमी लिए गए वास्तव में क्या इसके काबिल हैं या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित नहीं है। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बोर्ड के जो अध्यक्ष श्री झुंझुनूंवाला, श्री प्रकाशचन्द या चन्द्रप्रकाश झुंझुनूंवाला हैं, उनका कार्य बिलकुल शंकास्पद है। उन लोगों ने एक ही दिन में करीब 17 अमेरिकन लोगों का पता खुद अपने घर का पता देकर उनका रजिस्ट्रेशन किया है। अध्यक्ष महोदय, इससे यह पता लगता है कि यह बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वे सी. आई. ए. से मिले हुए हैं और अमेरिकन लोगों को पनाह दे रहे हैं और यहां की सूचनाएं अमेरिकन्स को दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने 17 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन के लिए जो फार्म भरे गए उनमें जो पते दिए गए हैं उनमें 25–न्यू कालोनी जयपुर के पते हैं, ये उनके अस्थायी पते हैं। इसका मतलब यह है कि 25–न्यू कालोनी का जो एड्रेस है वह बोर्ड के अध्यक्ष के घर का है · · ·

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। जानकारी ली है।

श्री केसरीमल : इस प्रकार झुंझुनूंवाला के खुद के घर का पता है। अध्यक्ष महोदय, मामला ऐसा है कि कोरी जानकारी करने से · · ·

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं करें तो फिर क्या करें।

श्री केसरीमल : उनकी कार्यवाही को रोकने के लिए ऐसे कदम उठावें जिससे कि इस प्रकार की कार्यवाही रुक सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है · · ·

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव विस्थापितों के सम्बन्ध में पेश किया है और विस्थापितों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कुछ · · ·

श्री अध्यक्ष : आज नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आज है।

श्री अध्यक्ष : आज तो आपका कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं है।

Page No. 42

श्री भानुकुमार शास्त्री : विस्थापितों के बारे में मैंने रखा है और मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जैसे बंगला देश से आए शरणार्थियों को यहां देवली में स्थापित किया था और 4162 विस्थापितों को टैंट लगाकर और दवाइयां देकर, तीन लाख के विटामिन देकर सारी व्यवस्थायें अच्छी की थीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा ही मानवीय दृष्टिकोण रख कर आज हमारे विस्थापितों के जो कैम्प लगे हुए हैं उनमें इस प्रकार की दवाइयां, टैंटस उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था आदि कार्य किए जावें तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था ठीक होगी।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा कहना यह है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव दोनों ही चल रहे हैं, यह तो पूंजीवाद हो गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपका सीलिंगवाद चलाइए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त फरमायें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा कहना है कि माननीय मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया था कि निकट भविष्य में दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है लेकिन मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि वहां वास्तव में दवाइयों की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है और इसकी वजह से कइयों की मृत्यु हो गई है। जिनकी मृत्यु हुई है उनके नाम भी मेरे पास हैं जिन्हें मैं पढ़कर सुना देता हूं। एक है चम्पा···

श्री अध्यक्ष : इसकी जरूरत नहीं अभी जानकारी चाही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उनके नाम मैं बता देता हूँ। चम्पा···

श्री अध्यक्ष : आपने नाम दिए हैं वे मौजूद हैं। गवर्नमेन्ट को भेजे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तो जो बुखार के कारण, दवाइयों के अभाव में चले गए हैं····

श्री अध्यक्ष : जो जानकारी आपने दी है गवर्नमेंट को भेज दी है और जानकारी चाही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं चाहूंगा कि इस बारे में जानकारी मिले। कल सदन का सत्रावसान हो जाएगा, इसके बाद मिलने की कोई सम्भावना नहीं। क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार बिना उपचार के विस्थापितों की मृत्यु हो जाय, तो मैं चाहूंगा कि आप राजस्थान सरकार को यह निर्देश करें कि वहां तुरन्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए ताकि इस प्रकार मृत्यु नहीं हों।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा-महल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, होम्योपैथिक बोर्ड के सम्बन्ध में मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और बोर्ड में जो अमेरिकन एजेन्सीज काम कर रही हैं उनके बारे में कहा है। मेरा निवेदन करना है कि डा. चन्द्रप्रकाश जो इसके अध्यक्ष हैं और उनकी जो गतिविधि है उसके सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। इन्होंने 17 विदेशी अमेरिकन लोगों को रजिस्टर किया है और उन लोगों को जो कि भारत में कभी आए नहीं, उनके बारे में निवेदन करना यह है कि रजिस्ट्रेशन 19 नवम्बर, 71 को स्पेशल मीटिंग में किया गया जब कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट का स्टे आर्डर रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में पहले से दिया हुआ था। इससे यह मतलब निकलता है कि स्टे आर्डर होने के बावजूद स्पेशल मीटिंग करके 17 अमेरिकनों जिनका खुद का पता नहीं, भारत की धरती पर जिन्होंने पांव धरा नहीं, का इस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन किया गया है यह उचित नहीं है। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि झुंझुनूं वाला साहब ने उसी मीटिंग में दो और डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन किया जिनमें एक डाक्टर बैनर्जी और एक डाक्टर एस. के. गौड हैं। इसमें धोखा देने के लिए सीर्फ दो और आदमियों को इस प्रकार जोड़ दिया है बाकी केवल 17 विदेशियों का रजिस्ट्रेशन इस स्पेशल मीटिंग में किया गया और इन 17 व्यक्तियों को तो प्रमाण-पत्र भी दे दिए गए हैं लेकिन जो ये दो व्यक्ति जयपुर के रहने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन तो किया गया लेकिन उनको प्रमाण-पत्र नहीं दिए गए हैं। इसी प्रकार फार्म्स के बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो फार्म्स अमेरिकन्स को दिए गए हैं उनके नम्बर एक के बाद एक हैं जिनसे ऐसा लगता है कि जो फार्म्स की बिक्री की गई है वह एक साथ की गई है। इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को जानकारी करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : की है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के एक्स्ट्रा-आर्डीनरी गजट जो कि 5 जनवरी, 1970 का है, में दिया हुआ है कि किस आदमी का रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी···

श्री अध्यक्ष : डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : थोडा सा बता देता हूं। इसमें लिखा है कि प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी जो विहित रीति में यह साबित कर देता है कि वह राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कम से कम ठीक तीन वर्ष पूर्व से ही होम्योपैथिक पद्धति की चिकित्सा का नियमित चिकित्सा व्यवसाय करता रहा है तो वह उक्त प्रारम्भ के छः मास

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
के भीतर रजिस्टर में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपने द्वारा किए गए आवेदन पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा।"

इसका मतलब है कि राजस्थान में काम करने वाला व्यक्ति जो है उसका ही केवल रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बाहर वाले व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता।

इस प्रकार से इस का यह जो अध्यक्ष महोदय, नं. 7 है चिकित्सा व्यवसाय का है और नं. 4 जो होमियोपैथ का है उसमें कहा गया है कि जो बोर्ड की राय में पर्याप्त प्रतिष्ठा ख्याति और योग्यता प्राप्त हैं तथा अपने व्यवसाय में अपनी दक्षता के लिए सुविख्यात हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : खाता खोल दिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इन दोनों नियमों का उल्लघंन करके...

श्री श्रीराम गोटेवाला : खाता बहुत बड़ा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो बातें यहां पर मैंने कहीं हैं कि वे इस आफिस में जमे हुए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के जो संबंधित मंत्री महोदय हैं उनको इस सबंध में वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि इससे देश के हित को खतरा है। यह इस प्रकार का प्रश्न है कि आज ही शाम को इन अमेरिकनों की गतिविधियों के बारे में मंत्री महोदय वक्तव्य दे दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुख्य मंत्रीजी नोट कर रहे हैं कि जनसंघ की नीतियों में परिवर्तन अमेरिका के संबंध में आना शुरू हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिसमें इस प्रकार की राष्ट्रीय गतिविधियां होंगी चाहे कोई देश हो हम रखेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाले : अमेरिका का पक्ष लेने वाले उसकी आलोचना करने लगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पक्ष लेने का प्रश्न नहीं हैं। गद्दार लोग हैं उनको प्रोत्साहन नहीं देने देंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमने देश के हित में सब का समर्थन किया है और सभी का विरोध किया है जब भी आवश्यकता हुई है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : ऐसा परिवर्तन हुआ है तो जरूर स्वागत करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से जो यहां बैठे हुए हैं, यही निवेदन करूंगा कि यह जो उनके सामने तथ्य आये हैं कि अकेले इस बोर्ड में 25 अमेरिकनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो मेरे पास लोगों की लिस्ट है कि ये अमेरिका में भी डिफरेन्ट जगहों के रहने वाले हैं। तो सी. आई. ए. की एक्टीविटीज विभिन्न भागों में आज हमारे देश मे बढ़ रही हैं,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और इस तरह से जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, और जिस तरीके से इनकी भरती की गई है, और जिस तरह से इन अध्यक्ष महोदय का इस बात से जो ताल्लुक है यह शंका पैदा करता है कि शायद ये भी सी. आई. ए. की एक्टीविटीज को चला रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वह इस संबंध में पूरी जांच करालें इस सारे मामले की और अगर किसी तरीके से डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट सी. आई. पी. से इनका सम्बन्ध हो तो फौरन कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। इसलिए यह एडजोर्नमेन्ट मोशन लाया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खाँ : मैं वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उत्तर दिलवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसका नहीं कह रहा हूं। अलवर वाले मामले का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके संबंध में भी हो जाय तो क्या हर्ज है ?

शासकीय वक्तव्य

मुख्यमन्त्री की अपनी पैतृक सम्पत्ती आर्य समाज को दान करने सम्बन्धी घोषणा के सम्बन्ध में

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, मारीशस के प्रधान मंत्री अलवर के अन्दर पधारे। आर्य समाज की मीटिंग थी उसको उन्होंने प्रेसाइड किया था। मैं भी उनके साथ था, और जो हमने स्पीचेज दीं वह सारी टेप-रेकार्ड थीं। वहां पर जनसंघ के काफी नेता मौजूद थे, खास तौर से श्री त्यागीजी जो कि पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, वह भी वहां मौजूद थे। मेरी जो भी स्पीच थी उसका प्रेसनोट बना है। मैंने यही कहा था कि यह मकान मेरा नहीं है। मेरे परदादा का मकान था जब कि वह वहां जोधपुर में प्राईम मिनिस्टर थे। उसके बाद यह मकान जप्त हो गया। अभी नहीं है उस के बाद यह कहा कि यह पहले तय हो चुका था कि चूंकि स्वामीजी वहां पर बिराजते थे इसलिए मकान आर्य समाज को दे दिया जाय, लेकिन चूंकि आपस के अन्दर झगड़ा चल रहा था इसलिए दे नहीं पाये। जब यह मिट जायेंगे झगड़े, तो यह तय किया गया था कि मकान दे देंगे। इस तरीके से कोई भ्रम न रहे, कोई गलतफहमी न रहे मैं यह आपको पूरा पढ़कर सुना देता हूं और बाद में इसको टेबल आफ दी हाउस पर रख दूंगा।

Government of Rajasthan
Directorate Public. Relations
Government to its donate Jodhpur
palace to Arya Samaj-

Chief Minister's announcement at Alwar.

Jaipur May 20, Shri Barkatullah Khan, the Chief Minister declared yesterday at Alwar that the historical palace at Jodhpur in which once Swami Dayanand had stayed would

(श्री बरकतुल्ला खां)

be donated to the Arya Samaj for running a school.

The Chief Minister made this announcement at the 11th Sarvdeshik Arya Samaj Sammelan at Alwar which was being presided over by Dr. Sivsagar Ram Goolam, Prime Minister of Mauritius.

Shri Barkatullah Khan said that the palace to be donated belonged to his great grandfather, but due to his political activities, the earstwhile Jodhpur State had confiscated the palace. The building since then vested in the State.

Shri Khan said he had expressed his desire sometime back to give the building to Arya Samaj but on account of two rival groups the offer could not be materialised. The Chief Minister assured the Sammelan that if the two Parties agreed the building could be given to the Arya Samaj.

यह फेक्चुअल पोजीशन है। इसके बाद मुझे ज्यादा और न मालूम है और न है।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष मैं दो बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। यह 30 तारीख को सारे राजस्थान के समाचारपत्रों के अन्दर और हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों के अन्दर यह समाचार छपा है। मैं आपकी जानकारी के लिए जयपुर से जो "राजस्थान पत्रिका" निकलती है और "राष्ट्रदूत" में प्रकाशित कुछ अंश सुनाता हूं।

"बरकतुल्ला ने पैतृक मकान आर्य समाज को दिया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री बरकतुल्ला खां ने जोधपुर स्थित अपने उस निजी निवास स्थान को आर्यसमाज के समर्पण करने की घोषणा की है जिसमें उनके पितामह के समय आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने जोधपुर प्रवास के समय ठहरे थे। खान ने यह घोषणा गत रात्रि को ग्यारहवें आर्य समाज के सम्मेलन में भाषण करते हुए की।

खान ने अपने भाषण में कहा कि मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि स्वामीजी ने मेरे पितामह श्री फैजुल्ला खां का आतिथ्य स्वीकार किया था जो उस समय भूतपूर्व जोधपुर रियासत के दीवान थे।" यह हिन्द समाचार का था।

इसी प्रकार से राष्ट्रदूत में पी.टी.आई. का समाचार है—

"अलवर 20 मई, राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां ने जोधपुर स्थित अपने पैतृक मकान को आर्य

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

समाज को दान में दिया है। इस मकान में स्वामी दयानन्द उस समय आकर ठहरे थे जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के दादा स्वर्गीय श्री फैजुल्ला खां जोधपुर स्टेट के दीवान थे।"

इसके अलावा और मेटेरियल टाइम्स आफ इण्डिया और हिन्दुस्तान टाइम्स आदि कई समाचार पत्र हैं आल इण्डिया के थे उनमें यह समाचार इस प्रकार से आया तो माननीय मुख्य मंत्री जी के जो प्रेस अटैची या पब्लिसिटी के लिये जो इन्चार्ज रहते हैं उन्होंने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं किया। एक बात।

दूसरी बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जी. ए. डी. गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान का एक पत्र जी. ए. डी एफ. 316 जी. ए. ए.169 दिनांक 21–7–69 का है जिसमें राज्य सरकार ने सुभाष होस्टल नं. 3 को जो जोधपुर यूनिवर्सिटी कैम्पस के अन्दर है और जिसके अन्दर स्वामी दयानन्द सरस्वती किसी समय के अन्दर ठहरे थे उसको देने के लिए जोधपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को 69 में यह पत्र लिखा है और इस पत्र के अनुसार इसका पजेशन हैंड ओवर उन्हें कर दिया। इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी से कि यदि उनका यह निजी हाउस था तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्दर रजिस्ट्रार के पास माननीय वित्त मंत्री उस समय के श्री मथुरादासजी के नेतृत्व में 16-12-69 को रजिस्ट्री ट्रस्ट के नाम हो गई जिसके ट्रस्टी मथुरादासजी माथुर हैं और चेयरमैन हैं और दूसरे ट्रस्टी हैं आनन्द सिंह कछवाहा आदि इस प्रकार 8–4 व्यक्ति हैं। इसके साथ में 1970 के अन्दर सन्तोषसिंह कछवाहा (हो सकता है कि आर्य समाज में आपस में उस वक्त झगड़ा हो, यह सब 1969 के अन्दर हो गया) ने इसका चार्ज लिया। इस सम्बन्ध में एक परचा निकला है वह मैं अपने साथ लाया हूं। उसमें वहां मथुरादासजी वित्तमंत्री ने एक फंक्शन किया है और उसके बारे में एक पेम्फलेट निकाला उसमें कहा गया था :—

"इस हेतु यह निश्चय किया गया है कि दिनांक 25 जनवरी, सन् 1970 तदनुसार माघ कृष्ण 3, सम्वत् 2026 रविवार को मध्यान्तर 4 वजे उक्त भवन-भूमि आदि के प्रदान करने की औपचारिक कार्यवाही माननीय श्री मथुरादासजी माथुर, वित्त एवं योजना मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा सम्पन्न की जायेगी।"

और इसके बाद उन्होंने एक अप्रेल, 1969 को इसकी घोषणा की आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के अन्दर जोधपुर के अन्दर कि राजस्थान सरकार ने 1969 में एक लेटर देकर युनिवर्सिटी को यह लीज पर दिया गया है और होस्टल उसको दे दिया गया है। उसके पश्चात् मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार से यह सारे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सारे देश के अन्दर इस प्रकार का वातावरण निर्माण हो रहा है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति दी जा रही है तो आर्य समाज जोधपुर के कई लोग घास मण्डी में जो इनका मकान स्थित है वहां

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
पर यह जानने के लिए पहुंचे कि क्या घास मंडी का मकान जो कि आपकी पैतृक सम्पत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति है उसको आर्य समाज को दिया जा रहा है। अगर वह दिया जाता है तो बहुत सुन्दर है, बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं।

राज्य सरकार द्वारा 1969 को ही मकान दे दिया गया और उसकी रजिस्ट्री करवा दी गई। उसका परचा छापा गया और उसके लिए माननीय मथुरादास जी ने सैंकड़ों चोसरे पहन लिए और जयजय कार करा ली गई उसमें इनका किसी प्रकार से नाम नहीं, किसी प्रकार का संबंध नहीं है उन सब ट्रस्टियों में आप को किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। अब मैं जानना चाहूंगा कि 72 में इस सरकारी बिल्डिंग का यह वातावरण फैलाया गया है कि जैसे वह व्यक्तिगत रूप से दे दी गई है। क्योंकि राज्य सरकार की सम्पत्ति दी जाये तो यह निश्चत रूप से घोषणा होनी चाहिए कि यह राज्य सरकार की सम्पत्ति दी गई है। और जो 69 में दी गई थी····

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह मकान पहले किसका का था ?

श्री गुमानमल लोढा: यह वही बिल्डिग है, जिसमें स्वामी दयानन्द को जहर दिया गया था। इसी बिल्डिग में जहर दिया गया था। यहां से वह अजमेर गये। अजमेर में उनका देहान्त हुआ था। ऐसी स्थिति में क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, जिस समय उनके दादा फेजुल्ला खां वान थे। जहर देने के बाद इस बिल्डिग को उस समय की सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद यह अभी कुछ साल पहले इसको कहा गया कि सुभाष होस्टल के लिए दे दी जाये। 20 साल के लिए यूनिवर्सिटी को यह लीज में दे दी गई। यह पी.डब्ल्यू.डी. के ट्रस्ट में हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं जानते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है। जो इतने दिनों से प्रचार होता रहा है, उसका उन्होंने खण्डन क्यों नहीं किया है. पी. टी. आई., हिन्दुस्तान समाचार, और राजस्थान का प्रचार विभाग क्यों चुप रहा है। जो कि छोटी-छोटी बातों और छोटे छोटे समाचारों का खण्डन किया करता है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बिल्डिग में ऋषि दयानन्द को जहर दिया गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : यह बिल्कुल सही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कितनी गलत बात है। क्या फेजुल्ला खां ने जहर दिया था ?

(भारी शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : यह 'जलते दीप' साप्ताहिक में लेख है, जिसमें कहा गया है कि स्वामी जी का भाषण सुनकर भइया फेजुल्ला खां आग बबूला हो गये।

(भारी शोरगुल-व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : फेजुल्ला खां ने उनको अपने यहां ठहराया है।

श्री गुमानमल लोढा : यह गलत हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप गलत हैं।

(भारी शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री रोशनलाल शर्मा : यह 'जलते दीप' क्या है ?

श्री गुमानमल लोढा : यह साप्ताहिक पत्र है।

एक माननीय सदस्य : खुद ही लिखते हैं, खुद ही छपाते हैं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : अच्छे काम को अच्छा कहना भी आप को कठिन है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है लेकिन अब मुद्दे पर आ जाना चाहिए। मुख्यमन्त्री जी स्वयं इसका उत्तर दे देंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : आप लोग गलत हैं।

श्री गुमानमल लोढा : स्वामी जी को जहर दिया गया है। उनका बलिदान दिया गया है।

(भारी शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(भारी शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है···

श्री अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह इण्टर-फियर करके गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। जो मुख्य मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है, उस पर चर्चा चल रही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप इसको कम्युनल ढंग से रख रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : (अश्रव्य)

(भारी शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री निरंजननाथ आचार्य : आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, (विराम) ··· आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

(भारी शोरगुल–अश्रव्य)

श्री रोशनलाल शर्मा : आप गलत बात करते हैं।

(लगातार शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(लगातार शोरगुल–अश्रव्य)

प्वाइन्ट आफ आर्डर है, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, एक साधारण सा प्रश्न है और

Page No. 50

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

उस प्रश्न में उत्तेजना इसलिए फैल रही है कि जो कागजात हैं, वह रिलेवेंण्ट है या इर्रेलेवेण्ट हैं। मैं आप से व्यवस्था का प्रश्न चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी दस्तावेजात पेश किये जायें, वह जिम्मेदारी से पेश किये जायें। उनमे कितनी रिलेवेन्सी है, कितनी नहीं है, यह देखा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य · · ·

श्री मोहनलाल छंगाणी : साम्प्रदायिक ढंग से बोला जा रहा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह स्टेज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल छंगाणी : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य · · ·

श्री गुमानमल लोढा : मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तैयार हूं।

श्री गुमानमल लोढा : पहली बात तो यह है कि ऋषि दयानन्द जिस जोधपुर में आये तो महाराजा जसवन्तसिंह की कोठी खाली कराई गई · · ·

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह 'जलते दीप' कहां का है जो आप पेश कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : खुद छपवाकर ले आते हैं, और पेश कर रहे हैं। यह हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री गुमानमल लोढा : हम आप को नहीं सुनाते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम नहीं सुनेंगे।

श्री [illegible]सिंह : कोई हिस्टोरिकल डोक्युमेन्ट [illegible] है नहीं, जो आप सुना रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप जलते दीप को लाकर यहां सुना रहे हैं · · · ·

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस पर व्यवस्था दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : Please sit down.

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपकी आवाज कान फोड़ देती है और आपके फैक्ट बोगस होते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारा विरोध बोगस है, यह मानकर चलते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम इस प्रकार के विरोध को बोगस मानते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : जलते दीप का एक कोटेशन मैं पढ़ देता हूं। उसमें लिखा है :

महाराज अपने व्याख्यानों में सभी मत मतांतरों पर प्रसंगानुसार समालोचना कर दिया करते थे। कोई कितना ही सत्ताधारी सामने क्यों न बैठा होता, प्रकरणानुसार

(श्री गुमान मल लोढ़ा)
वे उनके मत के भ्रममूलक विचार पर आक्षेप कर देते थे। जोधपुर में स्वामी जी ने इस्लाम मत पर भी समालोचनात्मक भाषण दिया। उसको सुन कर फैजुल्ला खां के तन बदन में आग लग गई। वे बहुत ही चिढ़···

श्री रघुनाथ विश्नोई : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : सारा सुन लीजिये। बीच में क्या···

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढा : कर बोले–स्वामी जी यदि मुसलमानों का राज्य होता तो आपको इस तरह समालोचना करने का अंजाम भुगतना पड़ता।

स्वामी जी ने धैर्य से मुस्कराते हुए कहा कि यदि अवसर आता तो मैं कभी थरथराहट में न आता और न निठल्ला बैठता, किन्तु निधड़क मन से दो चार वीर राजपूतों की पीठ ठोक कर विरोधियों के धुर्रे उड़ा देता कि उनके छक्के छूट जाते। महाराज के इस उत्तर से खां साहब सकपका गये।

यह एक हिस्टोरिकल पाइन्ट है···

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमारी जो संस्कृति है और परम्परा है, उसको झुठलाया जा रहा है, जलते दीप का उद्धरण देकर। यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : कान्ट्रेडिक्ट कर सकते हैं, बोलने दीजिये।

(शोरगुल)

इस पाइन्ट पर नेता महोदय कुछ कहेंगे। (विराम) माननीय नेता महोदय

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है···

श्री रोशनलाल शर्मा : नेता महोदय खड़े हैं, आप विराज जाइये।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है जैसे मेरे खानदान वालों ने जहर दिया हो। यह बिल्कुल गलत है। मुझे इस बात का अफसोस है, न यह हिस्टोरिकल डोकूमेन्ट है, न हिस्टोरिकल बात है। इस तरीके से अगर इस हाउस के अन्दर लांछन लगाना शुरू किया तो बहुत से लोगों पर लांछन लग सकता है। एक किसी अखबार में कुछ छाप दिया गया तो यह क्या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है? कोई इन्क्वायरी हुई हो और उसमें किसी खानदान का नाम आया हो कि फलां व्यक्ति द्वारा जहर दिया गया तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी अखबार में छपवाने के बाद किसी खानदान के लिए कह दिया जाय···

श्री मोहल लाल छंगाणी : है भी जनसंघ का अखबार।

श्री बरकतुल्ला खां : इसका मतलब जाहिर है।

श्री रोशन लाल शर्मा : दो कोड़ी का अखबार है।

श्री मोहन लाल छंगाणी : आप कहें तो मैं उदयपुर के अखबार में निकलवा दूं, मैं दावे के साथ कहता हूं···

श्री गुमान मल लोढा : मैंने यह नहीं कहा···

श्री मोहन लाल छंगाणी : यह गलत बात है।

(शोरगुल)

श्री गुमान मल लोढा : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने नहीं कहा, फैजुल्ला खां ने जहर दिया, नन्हीं बाई ने जहर दिया। रहस्यमय तरीके से जहर दिया था, उस कोठी में दिया था, इसलिए कहता हूं कि वह तो आधार थे। आप गलत रूप में इसे न लीजिये, मैंने निवेदन किया है···

श्री राजेन्द्र भारतीय : खुद ने लिखा और खुद ने पढ़ कर सुनाया।

श्री मोहन लाल छंगाणी : इन्होंने ही छपवाया और इन्होंने ही पढ़ा है।

श्री गुमान मल लोढा : स्वामी जी को जहर दिया गया···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इस एडजोर्नमेन्ट मोशन पर डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा, इस पर डिबेट नहीं हो सकती। मैं इस प्वाइन्ट को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र भारतीय : Document, if any, should be placed on the table of the House.

श्री बरकतुल्ला खां : I lay it on the table of the House.

सघन पशु विकास योजना बीकानेर के नलकूप संबंधी वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, पशु पालन विभाग।

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, पशु पालन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1968-69 में सघन पशु विकास परियोजना, बीकानेर के तहत भू-जल मण्डल, जोधपुर के माध्यम से निम्नांकित स्थानों पर 9 नल कूप खोदे गये। उनकी खुदाई पर तथा पम्प एवं मशीनरी इत्यादि स्थापित करने पर कुल व्यय 9,78,000 हुए—

1. सीयाना	2. लाखूसर
3. हिमतासर	4. सरेरा (चल रहा है)
5. बादनू	6. लूम्माना
7. कुम्माना	8. बन्धैला
9. साधुना	

उपरोक्त नलकूपों में से क्रमांक 9 पर अंकित नलकूप छोड़ देना पड़ा क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं था। शेष 8 नल कूपों की पानी देने की क्षमता 2,500 से 5,000 गैलन पानी प्रति घण्टा है। उक्त नल कूप 1968-69 में खोले गये थे। प्रथम दो वर्षों में उक्त नल कूप अकाल सहायता विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत चलाये जाते रहे, तत्पश्चात्, यह निर्णय लिया गया कि इन कुओं को सघन पशु विकास परियोजना विभाग को

(श्री परसराम मदेरणा)

सौंप दिया जाय। अभी तक क्रमांक 1 से 5 पर अंकित नलकूपों को उक्त परियोजना को सुपुर्द किया गया है। अवशेष 3 नलकूपों (क्रमांक 6, 7 व 8) को अभी तक परियोजना के अन्तर्गत नहीं दिया गया है। परियोजना को सौंपे गये 5 नल कूपों में से केवल एक नल कूप जो सरेरा में स्थित है, ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। इन नल कूपों के चालू नहीं रहने का मुख्य कारण यह है कि आवश्यक स्टाफ जैसे इलेक्ट्रिशियन एवं मैकेनिक उपलब्ध नहीं हैं। मुख्य अभियन्ता, भू-जल मण्डल जोधपुर, को इस सम्बन्ध में पशुपालन विभाग द्वारा बराबर लिखा गया है किन्तु अभी तक वांछित स्टाफ उपलब्ध नहीं हो सका है। चूंकि सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है अतः विभाग अभी तक सीधी नियुक्तियां भी नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त इन नल कूपों में से कुछ नल कूपों की मशीनरी त्रुटिपूर्ण है और इन्हें ठीक करने के लिये मुख्य अभियन्ता, भू-जल मण्डल जोधपुर को पशुपालन विभाग द्वारा निवेदन किया गया है।

उक्त नल कूप केन्द्र प्राप्त सहायता द्वारा खोदे गये हैं अतः इनको जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।

(12.46 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भीमसेन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी माननीय मंत्री जी ने सदन को यह सूचना दी कि सघन पशु विकास परियोजना द्वारा नल खोदे गये, वे इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि स्टाफ नियुक्त नहीं हो पाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे ट्यूब वैल्स हैं, जहां आलरैडी स्टाफ हैं जिनकी मशीनरी खराब पड़ी है, उन ट्यूब वैल्स की खराबी को ठीक कराने की जिम्मेदारी पशु पालन विभाग की है। साथ ही जो अभाव ग्रस्त जिले हैं, बीकानेर जिला जो है, वहां पर गर्मी के मौसम में भीषण पानी की समस्या है, ऐसी स्थिति में भी वह ट्यूब वैल्स बन्द रहें और लोग पानी के लिए त्राहि त्राहि करते रहें, तो इसके सम्बन्ध में सरकार को शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। जैसा मंत्री महोदय ने बताया, पिछले अकाल के दौरान यह ट्यूब वैल्स अकाल सहायता विभाग द्वारा चलाये जाते रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के माध्यम से क्या सरकार पुनः अभाव की स्थिति होने तक ये ट्यूब वैल्स टेम्प्रेरी तौर पर लेकर पानी सप्लाई नहीं कर सकती, क्या अभाव की स्थिति के कारण पीने के पानी देने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को ये ट्यूब वैल्स नहीं सौंप सकती।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 9 ट्यूब वैल्स खोदे गये थे, सैन्ट्रल असिस्टेन्स से, भारत सरकार ने 9 लाख 78 हजार रुपये की राशि ट्यूब वैल्स को खोदने के लिए दी थी। बीकानेर के अन्दर कैटल इन्सेन्टिव प्रोग्राम में ये ट्यूब वैल्स खोदे गये थे, यह अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने खोदे

(श्री परसराम मदेरणा)

थे। उस वक्त अकाल की स्थिति थी, इसलिए यह अकाल सहायता विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं, एक अवण्डन कर दिया और आठ चलाये जाते रहे। जब अकाल की स्थिति समाप्त हो गई तो इन ट्यूब वेल्स को इन्टेन्सिव केटल डवलपमेंट प्रोग्राम बीकानेर की योजना में ट्रान्सफर नहीं किया जा सका। पांच ट्रांसफर कर दिये गये हैं लेकिन उनमें मशीनरी त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इन्टरनली अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को लिखा है, लेकिन उन्होंने अपना टेक्निकल स्टाफ नहीं भेजा है। जिन ट्यूब वैल्स को अभी ट्रांसफर नहीं किया है, उन तीन की अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड जोधपुर को जानकारी दी है, इन तीन ट्यूब वेल्स की अच्छी मशीनरी है, इनके लिए पम्पिग सैट उपलब्ध हो जाय और दस दिन के भीतर पम्पिग सैट इन्स्टाइल करें तो इन तीन ट्यूब वैल्स को विभाग को ट्रान्सफर कर देंगे। माननीय सदस्य ने एक बात कही कि अभी वहां अकाल की स्थिति है। मैं आफ हैण्ड जानकारी नहीं दे सकता कि इन आठ सबके सब ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया हैं या नहीं, एक बात, लेकिन जो भी पानी की डिफीकल्टी है और गांव अकालग्रस्त हैं वहां पर अकाल सहायता विभाग द्वारा ट्यूब वैल्स चलाये गये हैं. कई स्थानों पर पानी उपलब्ध करने और कई स्थानों पर सब्सोडी देने के लिए, पानी ड्रा करने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य कह रहे हैं इन ट्यूब वैल्स को पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर कर सकते हैं। वह भारत सरकार के ट्यूब वैल्स हैं, इसलिए उनकी अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किये जा सकते। लेकिन इमर्जेन्सी को मीट आउट करने के लिए पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट इनको चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्टरनल आर्गेनाइजेशन होता है इस कार्य का वह एनीमल हसबेन्ड्री के पास इस प्रकार का आर्गेनाइजेशन नहीं है कि कोई खराबी या मैकेनिकल डिफेक्ट होने के बाद उसको एकदम ठीक कराया जा सके। इसलिए जोधपुर को लिखना पड़ता है, और वहां से टेक्निशियन आने पर इन्हें ठीक कराया जा सकता है, वैसे पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट तैयार है। मैं इसकी भारत सरकार से अनुमति ले लूंगा, हम ट्रान्सफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन पानी की कमी है इसलिए भीषण गर्मी में दो तीन महीने के लिए पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट, जिसका बीकानेर में आर्गेनाइजेशन है, वह हाथ में ले ले और लोगों को सहायता पहुंचाने का प्रयत्न करे- तो राज्य सरकार को ऐतराज नहीं है और इसमें भारत सरकार को भी ऐतराज नहीं हो सकता क्योंकि परमानेन्ट ट्रान्सफर का मैटर नहीं है....

विधायी कार्य

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिए जाने वाला विधेयक।

श्री परसराम मदेरणा (नगर आयोजन मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव।

श्री केदार नाथ (गंगा नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अर्बन प्रापर्टी सीलिंग बिल, 1972 जो हमारे सामने और हमारी पार्लियामेन्टरी लाइफ के सामने पहली बार पेश हो रहा है। हमारी मन्शा चाहे लिमिटेड हो, हमारा इम्पैक्ट चाहे लिमिटेड हो, मगर यह बिल स्वागत योग्य है। हम लोग हमेशा यही कहते रहे कि मोनोपोलीज कहीं भी क्रियेट हो गई, उनसे बुरा असर पड़ा इकानामी पर चाहे रूरल चाहे अर्बन। हम इस बात को मानते आए हैं, हम मानकर चलते हैं कि इससे कोई डिस्पैरिटीज रिमूव नहीं होगी, इससे कोई अर्बन लाइफ में जो वर्तमान डिस्पैरिटीज हैं गरीब और अमीर में वह दूर नहीं होगी मगर जो एक्यूट हाउसिंग समस्या है उसमें राहत मिलेगी इस बिल के तहत। जब तक सारे देश में मोनोपोलीस हाउसेज हम नेशनलाइज नहीं करते, आमनी की लिमिट नहीं बांधते, खर्चे की सीमा नहीं बांधते तब तक डिस्पैरिटी को मिटाने की बात नहीं करनी चाहिए। मगर फिर भी यह प्रोग्रेसिव कदम है और एक्यूट हाउसिंग समस्या को यह किसी हद तक हल करेगा जब हम इस बात को मान कर चलते हैं तो इस बिल के तहत मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि एक आदमी एक व्यक्ति जो शहर में रहता है चाहे झुग्गी में चाहे झोंपड़ी में चाहे स्लम्स में चाहे किराये के मकान में, चाहे उनका अपना मकान हो अगर राइट टु रूफ यह सदन मानता है तो बिल में चेंज लानी पड़ेगी, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, स्कोप को बदलना पड़ेगा। जो व्यक्ति किसी शहर में देहात छोड़कर आया हो, झुग्गी झोंपड़ी में रहता हो, किराए के मकान में रहता हो अगर सरकार फंडामेंटल राइट मान ले कि उसको सर ढकने के लिए इतनी जगह चाहिए, अगर बुनियादी तौर से राइट टु रूफ तो मैं समझता हूं यह बिल लाने की मन्शा काफी हद तक पूरी हो जाएगी। मगर इससे राइट टु रूफ नहीं बनता। हमारे यहां घोषणा हुई थी केवल जयपुर की चहारदीवारी में जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में बसे हुए हैं, स्लम्स में बसे हुए हैं, हमने कहा था कि उनके कब्जों को रेग्यूलराइज करेंगे। इस सदन में एक बार यह भी फैसला किया गया था कि जो रूरल सैक्टर में लोग रहते हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, उनको रेग्यूलराइज कर दिया जाए। 1971 तक जो लोग शहरों में आकर बसे गए झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं उनका राइट वहां पर क्यों नहीं मानते? उनको मिल्कयत का हक क्यों नहीं देते? आज राजस्थान के आधार पर मंत्री महोदय जो इसको पाइलट कर रहे हैं वह हमेशा ओपन कन्विक्शन्स क रहे हैं। और वह नई बात मानकर चलते हैं। मैं समझता हूं सारे राजस्थान के आधार पर यह होना चाहिए कि सितम्बर, 1971 तक जो झुग्गी झोंपड़ी में लोग बसे हुए हैं उनको वहां मिल्कयत के राइट्स दिए जायं

Page No. 56

(श्री केदार नाथ)

फ्री आफ कास्ट। जब आप तय कर रहे हैं जो आज तक ओपन प्लाट्स थे, वैकेन्ट प्लाट्स थे, जिनकी कीमत आज से 10 साल पहले बहुत कम थी, जब जयपुर शहर बसा, बड़े बड़े शहर बसे, उस समय जमीन दो आने प्रति गज थी और आज 100) रु. प्रति गज और 150) प्रति गज हो गई। आज खाली प्लाटों की कीमत बढ़ गई। यह अनअर्न्डई आमदनी कैसे बढ़ रही है, किसकी आमदनी है? इसको सोशलाइज किया जाय, नेशनेलाइज किया जाए। यह प्रापर्टी आपकी है, इसको अपने कब्जे में लेकर, कैसे आप बांटेंगे, कैसे इसका वितरण करेंगे, किनका अधिकार है यह इस बिल के तहत कवर नहीं होता। यह चीज भी कवर्ड नहीं है कि 10-11 साल से किराएदार हैं, मकानों में रहते हैं अगर मकान आज सीलिंग के तहत सरप्लस प्रापर्टी बन जाता है तो उनका हक नहीं है। मगर सरकार का कर्तव्य है कि जो किराएदार रहते हैं उनको दे दें। उनको वहां मिल्कयत के अधिकार दें, उनसे पैसा लिया जाय, जो काम्पेन्सेशन आप दे रहे हैं मालिक को सरप्लस प्रापर्टी का, वह किराएदार से किश्तों में लें। जयपुर में स्टेट के समय कुछ प्रापर्टीज थी जो पी. डब्ल्यू.डी. को दे दी। आप ताज्जुब करेंगे, कल मैंने अखबार में पढ़ा वह प्रापर्टी आक्शन करने जा रहे हैं। पी.डब्ल्यू.डी. को देने के बाद जो 20-20 साल के लोग रह रहे हैं, उनको कोई साधन नहीं केवल यही टेनीमेंट्स हैं उनको नीलाम करने का आपको अधिकार नहीं। चाहे झुग्गी हो, चाहे झोंपडी हो, चाहे किराएदार हो चाहे वेलर हो? अगर आप राइट टु रुफ फंडामेंटल राइट मानते हैं, अगर इस बात को मानते हैं तो मैं समझूंगा कि इस बात को लाने का मक्सद पूरा होता है।

मैं मान कर चलता हूं कि जिस समय ये शहर बने थे, इनकी पाप्पुलेशन कम थी। आज सारे देश में अर्बनाइजेशन की रेस चल रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ज्यों ज्यों लैंड पर प्रेशर पड़ा, एम्पलायमेंट नहीं मिला, लोग शहरों में आए, झुग्गी झोंपड़ी में लोग बस गए, यह प्रोसेस सारे देश में है, उसका नतीजा क्या हुआ? अनईविन डेलपमेंट हुआ, लोगों ने नाजायज कब्जे किए और आप ताज्जुब करेंगे जिन लोगों ने 10-15 साल से अच्छी पैलेशल बिल्डिंग्स बनादी, उनके कब्जे आप मानकर चलते हैं, झुग्गी झोंपड़ी के कब्जे आप मानकर नहीं चलते। हाउसिंग इन्डस्ट्री आज इतनी एक्सपेन्सिव बन गई, आपने वायदा किया था कि हम इस देश में बराबरी की लेविल पर चल रहे हैं, एक तरफ शहर में पैलेशल बिल्डिंग्स हों और दूसरी तरफ झुग्गी झोंपड़ी हो, यह कोएग्जस्टेन्स कैसा? इसलिए भविष्य के लिए लिमिट तय करनी पड़ेगी एक मकान इतनी उसकी जगह हो इससे ज्यादा नहीं। चाहे एक हजार गज तय करें इसके अलावा इससे ज्यादा स्टोरीज न हों ताकि मालूम पड़े कि आपने अपन मिशन को बदला है। इसलिए तय करें कि आइन्दा कन्सट्रक्शन किस तरह से हों, इतनी स्टोरीज हों, इस ढंग से डिजाइन हो ताकि मालूम पड़े आप कोई समानता के रास्ते पर चल रहे हैं।

इतना ही नहीं एक्वुइजीशन का प्रासेस

(श्री केदारनाथ)

इतना टेढा है—चाहे यू.आई.टी. हो, म्यूनिसिपैल्टी हो, हाऊसिंग बोर्ड हो आज तक 10 साल के आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन हमारे पास सेन्सस रिपोर्ट है कि कितने वेकन्ट प्लाट्स हैं, कितने टेनेन्ट्स हैं, कितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और इन 10 सालों में उनको बसाने के लिए सरकार को सेन्टर से जो पैसा मिलता रहा है, सरकार कितना इस्तेमाल करती रही है, कितना बैकलोग है? आइन्दा फेज्ड प्रोग्राम के मुताबिक 20 साल में बिना मकान वालों को भी आप मकान नहीं दे पायेंगे, इस गति से नहीं दे पायेंगे, आल इन्डिया लेविल पर बैकलोग हैं। इसलिए जब तक आप जितनी आपकी प्लानिंग बाडीज हैं, उनके आउटलुक में यूनीफार्मिटी नहीं लाते, हाउसिंग बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, म्यूनिसिपल बोर्ड के एकुइजीशन के प्रासेस को सिम्पलीफाई नहीं करते और उनको लोन के जरिए, चाहे हायर पर्चेज चाहे कन्सेशनल रेट्स पर प्लाट्स दें, कोई तरीका आप बांधें। मैं आपसे आश्वासन लेना चाहता हूं कि आइंदा आक्शन न होकर शहरी लोगों के बसने के लिए जमीन देने के लिए आप आक्शन की पद्धति समाप्त करें। जैसे जमीन का आक्शन बंद कर दिया, पहले भूमिहीनों को दी, जो जमीन बचती है वह छोटे किसानों को दी। तो आक्शन को अवाइड करें। लाटरीज निकालें। आक्शन की पद्धति केवल कामर्शियल और इंडस्ट्रियल बेसिज पर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्लाट्स के या कार्मशियल पर्पजेज के लिए तो नीलाम करें। केवल जो रेजीडेन्शल पर्पजेज का हो, वह आक्शन नहीं करना चाहिए।

मैं समझता हूं, इस बिल का उनको पढ़े, जो प्लेजिज आप अपने मेनीफेस्टो में देकर आए हैं, संविधान में 25 वां संशोधन करने के बाद आप अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग लिमिट ला सकते हैं, आपको इजाजत मिल गई।

उपाध्यक्ष महोदय, यह शहरी सम्पत्ति की सीलिंग के बारे में राज्य सरकार कानून लायी है वह बहुत देर से लायी है यह तो लोंग बिफोर ड्यू था। लेकिन आज तक गवर्नमेन्ट इसे कोई न कोई बहाने से टालती रही। उपाध्यक्ष महोदय देश में समाजवाद लाने के लिये यह जरूरी था कि अरबन सीलिंग ला को पास किया जावे। इसके लिये निवेदन है कि आज सीलिंग के कानून लगने के बाद जो सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास रहती है उसमें अगर कोई जमीन पर बिल्डिंग नहीं बनाता है या उसे किसी प्रकार से यूज नहीं करता है। तो मेरा सुझाव है कि उन वेकेन्ट लेण्ड या वेकेन्ट प्लोट्स जो पड़े रहते हैं उन पर गवर्नमेन्ट को चाहिये कि वह उन पर अरबन टेक्स लगावे। आज लोग अरबन सीलिंग लगाने के बाद भी प्लोट्स जो लोगों ने एक्वायर कर रखे हैं लीगली और इललीगली उन पर कन्सट्रक्शन नहीं कर पायेंगे। और इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि अगर इन प्लोट्स के अच्छे पैसे मिल जायें तो वे उसे बेच दे और उनसे इस प्रकार अनअर्न्ड मनी कमाते हैं। और यह ऐसा वही लोग कर सकते हैं जिनके पास सरप्लस मनी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मान्यवर इन पलोट्स का नेशनेलाइजेशन किया जाना चाहिये। और गवर्नमेन्ट को चाहिये कि

(श्री केदारनाथ)

इन वेकेन्ट लैण्ड्स को एक्वायर करके उन लोगों को दे देनी चाहिये जो कि लैण्ड लेस हैं। आज पिछले दस पन्द्रह सालों से जयपुर के म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के 10 मील के घेरे के लोगों ने जिनमें तौर पोलिटिकल लीडर्स ने केपीटेलिस्टों ने और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों ने फार्म बना रखे हैं, या पोलट्री फार्म खोल रहे हैं या फैक्ट्रीज लगा रखी हैं। उन लोगों ने उनमें रहने के लिये बिल्डिंग्ज भी बना रखी हैं। इनमें मान्यवर ऐसे लोग है जिन्होंने इललीगली जमीन पर कब्जा भी कर रखा है। इन जमीनों का काफी वेल्यूएशन है। इस प्रकार की सभी प्रोपर्टीज को जो कि अनलाफुल हैं गवर्नमेंट को चाहिये की सीज करे और लोगों को बांट दें। दूसरे आपने जो यह कानून बनाया है कि जो शहर एक लाख की पोपूलेशन से ज्यादा हो और उनके लिये म्यूनिसिपैलिटीज के क्षेत्र से 8 मील आसपास का ऐरिया हो वह सीलिंग में गिना जायेगा इसी प्रकार आपने 50 हजार से एक लाख की पापूलेशन के लिये अपने म्यूनिसिपैलिटीज क्षेत्र से 5 मील के आस पास हो, और इसी प्रकार दस हजार से पचास हजार की पोपूलेशन के लिये आपने 4 मील म्यूनिसिपैलिटीज के क्षेत्र के आस-पास का इलाका रखा है उस प्रोपर्टी को सीलिंग मे लिया जायेगा। इसके बारे में मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि पहले इन शहरों के विकास होने से जो काश्तकार इन नजदीकी क्षेत्रों में काश्त करते थे उनकी जमीन को आप सीलिंग में लेंगे तो काफी दिक्कत उन लोगों को हो जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन लोगों की जमीन को सीलिंग परपज में नहीं ली जानी चाहिये। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने इन रीसेन्ट इयर्स में लोगों ने जो बड़े-बड़े पेलेशियल बिल्डिंग्ज बनाई हैं या वहां पर मेकेनाईज्ड फार्म बनाये हैं-तथा साथ में रहने की व्यवस्था भी की है उनकी इन जमीनों पर सीलिंग लगना चाहिये। चाहे उन्होंने वहां पर फैक्ट्रीज लगा रखी। हैं या मेकेनाईज्ड फार्म बना रखे हैं। इसमें ऐसे भी है जिन्होंने रिलीजियस परपजेज के लिये जमीने घेर रखी है। या उस लैण्ड को किसी और परपपेज के लिये वेकेन्ट घेर रखी है। तो उनके लिये मैं निवेदन करूंगा इन्हें इमीडियेटली एक्वायर की जानी चाहिये। क्योंकि लोगों ने ऐसी जमीने पहले बहुतसी उने ले रखी थीं और बाद में उन्होंने काफी प्लाट्स बना बना कर बेचे थे जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ। इसलिये इस बिल में आपने जो एग्जम्पशन्स रखे है चाहे इन्डस्ट्रीज के लिये हों चाहे किसी फर्म या चाहे किसी फैक्ट्री के लिये उन्हें तुरन्त एक्वायर की जानी चाहिये। इन्हें एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिये। नहीं तो यह एक तरह से डिस्प्यूट पैदा करेगी। क्योंकि आपने 30 स्टेण्डर्ड एकड़ जमीन से कम करके 18 स्टेण्डर्ड जमीन जो किसानों के सिलिंग के लिये रखी है, उससे गांव वालों के लोगों से डिससेटिसफेक्शन होगा। इसके अलावा आपने जो कहा कि ऐसी प्रोपर्टीज कौन-कौन सी हैं वह सेन्सेज से पता लगेगा और वह रिपोर्ट देगी जब वस्तु स्थिति सामने आयेगी। तो मेरा इसमें निवेदन यह है कि आज सीलिंग बिल आ रहा है सुनते-सुनते शहरी इलाकों की जनता के और खास तौर

(श्री केदारनाथ)

ऐसे लोगों ने जिनकी कि प्रोपरर्टी सीलिंग में आ सकती थी उन्होंने पहले से ही मैन्यूपलेशनस कर लिये हैं। और प्रोपर्टी को ट्रान्सफर कर दिये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन पिछले तीन चार सालों से जो इस प्रकार के प्रोपर्टी के ट्रान्सफर्स हुए हैं उन्हें इललीगल घोषित किये जाये। और वह प्रोपर्टी सीलिंग में आनी चाहिये। इसके अलावा मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर टिनेन्सी एक्ट को जिस तरह से आपने बैक डेट से लागू किया है उसी तरह इसमें भी ऐसा प्रावधान होना चाहिये कि जिससे कि वो सारे ट्रांसफर्स उस डेट के बाद इललीगल डिक्लेयर हो सके। और जो इस बिल का मेन मकसद है पूरा हो सके। आज उन बड़े लोगों ने इन सभी का मैन्यूपलेशन कर लिया होगा पर बेचारा काश्तकार इन चीजों मैन्यूपलेशन नहीं कर सकता है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि गवर्नमेन्ट को चाहिये कि जो आपने 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से घटा कर 28 स्टैंडर्ड एकड़ कर दी है उसी तरह से गवर्नमेन्ट को चाहिये कि जो आपने 3 लाख की प्रोपर्टी पर सीलिंग रखा है वह एक लाख रुपये की कर देनी चाहिये। और जो इसकी मेग्जीमम लिमिट की है वह ज्यादा से ज्यादा दो लाख होनी चाहिये। क्योंकि इन पिछले सालों में प्रोपर्टी का ट्रान्सफर बहुत हुआ है। अगर आप बैकडेट से बिल को ले आयेंगे और सीलिंग की लिमिट कम कर देंगे तो काफी इस बिल का मकसद है वह पूरा हो जायेगा। वरना तो ये एक प्रकार से आपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में और शहरी क्षेत्र के लोगों में डिसपरेरिटी क्रियेट कर दी है। और जो हमारा ध्येय समाजवाद लाने का है वह पूरा नहीं होगा। आज ज्योंही लोगों ने अरबन के सीलिंग का सुना उन्होंने अपनी सारी प्रोपर्टीज का मैन्यूपलेशन कर लिया जिससे जो लीगल या इललीगल जो भी प्रोपर्टी थी वह सेफ हो गई। और मैं समझता हूं कि आपकी जो सैन्सेज रिपोर्ट इस बारे में आयेगी वह बिलकुल बेकार आयेगी। क्योंकि आपको इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और आपका जो समाजवाद लाने का कार्यक्रम है वह समाजवाद का नारा ही बन कर रह जायेगा। इसके अलावा मान्यवर आज लैण्ड की कीमत में भी काफी डिफरैन्स होता है। आज नहरी इलाकों की जमीन में 18 स्टैन्डर्ड एकड़ जमीन की कीमत और दूसरे इलाकों की स्टैण्डर्ड एकड़ जमीन में बहुत ही फर्क है। आज जो भाखड़ा और गंग केनाल नहर के क्षेत्र की जमीन और राजस्थान केनाल नहर के क्षेत्र की जमीन की कीमत है वह भी आपस में वैराई करती है। आज वहीं जमीन कहीं पर एक लाख से डेढ़ लाख रुपये की बीच के कीमत की है, कहीं पर एक लाख से दो लाख रुपये की कीमत की जमीन है। क्योंकि इसमें यह देखा जाता है कि सोइल कैसी है, वहां पर इरिगेशन की फैसीलीटीज कैसी हैं तो मेरा निवेदन है कि इसके लिये रूल्स में प्रावधान रखा जाना चाहिये कि वह जमीन कहां पर उसकी कीमत क्या है। ऐसा प्रावधान कानून में होना चाहिये कि किसी प्रकार की डिसपेरिटी नहीं रहे। आपने जो अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग तीन लाख पर लगाया है वह बहुत ज्यादा है उसको कम करके एक लाख रुपये तक सीमित किया जाय। आज आपने

(श्री केदारनाथ)

टिनेन्सी एक्ट में भी काफी डिस्परिटी रखी है। आज गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल, और राजस्थान नहर के कैनाल एरिया में जहां कि वन थर्ड जमीन में तीरो दो क्रोप्स हो सकती हैं वहां पर क्या बाड़मेर, जैसलमेर तथा और किसी भी ऐरिया की स्टेण्डर्ड एकड़ की जमीन में दो क्राप्स हो सकती हैं वह नहीं हो सकती है इसलिये मेरा निवेदन है कि उसको भी इक्वीटी बेसिस पर किया जाना चाहिये। ताकि डिस्पेरिटीज समाप्त हो जाय। और जो हमारा समाजवाद को एचिव करने का गोल है वह पूरा हो सके। अब आज तो मान्यवर कौन्स्टीट्यूशन भी आपके हक में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने मौनोपोलीज क्रियेट कर रखी हैं उनको ब्रेक किया जाय। आज आपने जो अरबन सीलिंग का स्कोप तीन लाख रुपये चार लाख रुपये तक रखा है वह भी खतम होना बहुत ही ऐसेन्सियल है। इसे घटा कर आप एक लाख कर दीजिये। मैं नहीं समझता कि क्या कारण है कि आप इसकी डेफिनेशन को वाइड क्यों कर रहे हैं। वैसे ही इन लोगों को कोई टेरर अरबन सीलिंग कानून का नहीं है क्योंकि इन्होंने काफी मैन्यूपलेशन कर रखे हैं। इसके अलावा जो आज राजा महाराजाओं की जमीन है जो करोड़ों रुपये की है और दूसरी जमीनों पर ऐसे बड़े बड़े पून्जीपतियों ने फेक्ट्रीज कायम कर रखी हैं या उन्होंने कोई बिजनेस चला रखे हैं। उन्हें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलना चाहिये। दूसरे इस अरबन सीलिंग के इम्पलीमेन्टेशन के बारे में मेरा यह निवेदन है कि इस प्रोपर्टी का वैल्यूऐशन करने के लिए आपने जो कोम्पीटेन्ट अथोरिटी बनायी है। वह वेल्यूएशन कमेटी के मारफत होगा जिसमें कि गवर्नमेन्ट के बड़े बड़े आफिसर्स होंगे। तो फिर मेरा निवेदन है कि इसका सही तरीके से इम्लीमेन्टेशन नहीं होगा। और आपका यह तरीका इन आफिसर्स के द्वारा वेल्यूऐसन कराने का कार्य गलत सिद्ध होगा।

इसलिए वेल्यूऐशन की स्टेज हो, असेस्मेन्ट की स्टेज हो, अलाटमेन्ट की स्टेज हो। इन दोनों स्टेजेज पर सदन के मेम्बर, एम. पी. या और कोई पोलिसी इसके लिए तय हो ताकि जिस ब्यौरोक्रेसी को हम ब्रेक करना चाहते हैं वह कर सकेंगे।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारे हालात पर क्लाजवाइज बहस होगी। हम चाहते हैं कि आज यह पास हो जाय चाहे कमियां भी रह जाय, एक प्रोग्रेसिव कदम में कोई कमी भी रह जाय तो भी स्टार्ट हो जाना चाहिये, उन कमियों को बाद में दूर कर सकते हैं और डिले करना नहीं चाहेंगे। आज इसको पास करने के लिए रखा है सरकार की जो मन्शा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। क्लाज वाइज बहस होगी, नहीं मानो तो भी इम्पलीमेन्टेशन एक स्टेज पर रखेंगे तो मैं इसका स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 इस सदन

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

में प्रस्तुत हुआ है। इस बिल को बहुत समय पहले आ जाना चाहिये था लेकिन राज्य करने वाली पार्टी पर दक्षिण पंथी शक्तियां हावी थीं और इस बिल को हमेशा रोके रखा। दादा भाई नौरोजी ने सन् 1901 में "पावर्टी ओफ इण्डिया" लिखी। और राष्ट्रीय आन्दोलनों में कांग्रेस, झुग्गी झोंपड़ी, खेत खलिहान, खेत मजदूरों की बात करती आयी, भूमि सुधार की बात करती आई, शहरों की झुग्गी झोंपड़ियों में, स्लम्स में नारकीय जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की बात करती आयी है, कलकत्ता बम्बई के फुटपाथों पर सोने वालों की बात करती आयी है और उनको छत देने की बात करती आयी है लेकिन कांग्रेस में जो दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियां छायी हुई थीं उन्होंने इसको रोक दिया। सिन्डीकेट और इन्डीकेट के झगड़े के बाद कांग्रेस के विभाजन के बाद और राष्ट्रपति गिरी के चुनावों के बाद कांग्रेस के अन्दर प्रोग्रेसिव शक्तियां शक्ति में आयीं तब बैंकों का राष्ट्रीकरण हुआ। कांग्रेस के अन्दर और बाहर दोनों ये शक्तियां संघर्षरत होकर मैदान में उत्तरीं। डांडेकर की और नेशनल सर्वे रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि 80 परसेन्ट लोग डांडेकर के हिसाब से रूरल एरिया में 15 रुपया और शहरों में 22 रुपये माहवार पर गुजर करते हैं और गांवों को देखें तो 50 पैसे और शहर में 80 पैसे प्रतिदिन पर लोग गुजर बसर करते हैं। नेशनल सर्वे के आंकड़े इससे भी कम हैं। देश में मकानों की स्थिति देखें और देश में आबादी बढ़ी है उनकी स्थिति को देखें तो सारी स्थिति का आभास हो जाता है।

मैं मुख्य रूप से इस प्रश्न को लेता हूं। जिस परसेन्टेज में राजस्थान के नगरों में आबादी बढ़ी है उसको गौर फरमाइये। 6 नगरों को लेता हूं। अलवर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। अलवर में 38.63 परसेन्ट पापुलेशन बढी है 61 के बाद 71 तक बीकानेर 25.30 परसेन्ट। जयपुर 51.98 परसेन्ट, जोधपुर 41.88 परसेन्ट, कोटा 77 परसेन्ट और उदयपुर 10 परसेन्ट। केवल दस साल में इतनी जन संख्या इस परसेन्टेज पर बढी है। ओक्यूपाइड रेजिडेन्शियल हाउसेज उन शहरों में देखें तो मालूम होगा। अजमेर में ओक्यूपोइड रेजिडेंन्सियल हाउसेज हैं 93 हजार, हाउस होल्डर्स 1 लाख 16 हजार इसमें अरबन हाउसेज 41 हजार और रूरल हाउसेज में 1 लाख 34 हजार। अरबन और रूरल का कितना भेद है। और भी आंकड़े दूंगा। अलवर में यह स्थिति देखिये, अरबन में 17 हजार हाउस होल्ड्स हैं और हाउसेज में 1 लाख 47 हजार, टोटल हैं 1,92 हजार। इस प्रकार की बीकानेर की स्थिति को देखिये 1.70 हजार। उनका परसेन्टेज इन्क्रीज ओफ पोपुलेशन उस अनुपात में देखिये कि किस कदर अभाव हैं हाउसेज का यह स्पष्ट आप देख पायेंगे। जयपुर में 3.46 हजार। परसेन्टेज आफ इन्क्रीज ओफ पापुलेशन 50 परसेन्ट। कोटा में परसेन्टेज आफ इन्क्रीज आफ पापुलेशन हैं 77 परसेन्ट वहां आंकड़े हैं 1 लाख 70 हजार और पापुलेशन 77 परसेन्ट और हाउसेज 1 लाख 70 हजार। उदयपुर में 50 परसेन्ट पोपुलेशन में इनक्रीज हुआ है और हाउसेज 2 लाख 87 हजार है। राज्य सरकार ने

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इस दिशा में क्या प्रयत्न किये हैं मकान बनाने के लिये, जो भी किया है वह सागर में एक बूंद की तरह है।

इन्डस्ट्रियल हाउसेज में राज्य सरकार ने प्लान में 68 से 71 में क्या मकान बनाये और एक्सपेन्डीचर क्या किया वह निवेदन करना चाहूंगा। अजमेर के एन्युअल प्लान में 69.70 में 0.4 लाख, 54 हजार खर्च किया इन्डस्ट्रियल हाउसेज के लिये । 54 व्यय हुआ। यह स्थिति जयपुर में देखिये 0.9 और 9.00 रुपया खर्च हुआ इन्डस्ट्रियल हाउसेज पर जहां पर मजदूरों का इतना बड़ा नम्बर है और साथ है। कोटा में 77 पर्सेन्ट इन्क्रीज ओफ पापुलेशन है, सारे इन्डस्ट्रयलाइजेशन की वजह से है वहां पर 2.60 हजार रुपया खर्च किया है 69.70 में तो और भी आंकड़े कम हो गये 2.04 । उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्लीज कम टू दी प्रिन्सिपल्स ओफ दी बिल।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रिन्सिपल्स ओफ दी बिल पर ही आ रहा हूं क्योंकि मैं तरमीम चाहता हूं जो हद बंदी रखी है वह मुझे मालूम नहीं है इसलिये मैं अपना केस बिल्ड कर रहा हूं कि राजस्थान में कितने लोग हैं जो मकानों के बिना है। और तो और सेन्सेज के आंकड़े देखेंगे। डिस्ट्रिब्युशन ओफ सेन्सेज हाउसेज। उनका डिस्ट्रिब्यूशन देखिये और रूरल और अरबन एरिया के आंकड़े देखिये। राजस्थान में कुल 100 में से 82.50 परसेन्ट अरबन में केवल 17.5 परसेन्ट और मुख्य मुख्य शहरों में देखिये बीकानेर में 23.50 परसेन्ट रूरल में 2 परसेन्ट और अरबन में 1.0 परसेन्ट। उदयपुर को ले लीजिये। अरबन में 5.1 परसेन्ट रूरल में 5.4 परसेन्ट अजमेर का 1 परसेन्ट। यह स्थिति है मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उनके मकान की स्थिति देखिये जिनके सिर पर छत नहीं है। कितने लोग रहते हैं डेन्सिटी भी देखिये बिना मकान के रहते हैं।

राजस्थान के अन्दर टोटल रूरल और अर्बन हाउसेस हैं 76 लाख 20 हजार और है। उपाध्यक्ष महोदय जिस पर कोई छत नहीं है, नो रैगुलर रूफ। उसमें रूरल की स्थिति देखिये 1871 और अर्बन की स्थिति देखिये 168 और रहने वाले लोगों की संख्या देखिये जिसमें कोई रेगुलर रूफ नहीं है उसमें 38 लाख 97 हजार टोटल और अर्बन के अन्दर 97 हजार आदमी, याने गौर फरमाइये केवल 168 हाउसेस के अन्दर जिनके अन्दर छत नहीं है 97 हजार आदमी रहते हैं और अगर मैं आपको एक कमरे वाले, दो कमरे वाले, 3 कमरे वाले और चार कमरे वाले मकानों की स्थिति बताऊं तो और भी गम्भीर स्थिति है। यह वह दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है जिसमें राजस्थान का आदमी शहर के अन्दर रह रहा है। बिना कमरे के मकान में सौ-सौ आदमी रहते हैं, 50-50 आदमी रह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय दो-दो कमरों के मकानों की बहुत दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है। इसलिये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इन हालात के अन्दर यह सीलिंग बिल आया है

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

और यह बिल 1 जनवरी, 1972 के बाद के सारे सेल, सारे ट्रांसफर्स को बैन करता है। अभी थोड़े दिन पहले बिहार का भी सीलिंग बिल आया और बिहार के सीलिंग बिल के अन्दर 2 लाख की लिमिट रखी है। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जो म्युटेशन्स की, ट्रांसफर्स की और सब प्रकार के डिस्ट्रिब्यूशन्स की जो रोक लगाई है वह 8 सितम्बर, 1970 से लगाई है जब कि पहली दफा प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने घोषणा की थी कि हम जमीन लेने वाले हैं, मकानात को लेने वाले हैं। उस घोषणा के एक दिन पहले से इस प्रकार के सारे म्यूटेशन्स के ऊपर रोक लगा दी है। जबकि हमारे यहां राजस्थान में 1 जनवरी, 1973 से रोक लगा रहे हैं।

इन दो सालों की घोषणाओं से अर्बन सीलिंग का बड़ा जबरदस्त डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है। लाखों और करोड़ों की संख्या में स्टाम्प्स बिके हैं, तलाकनामे हुए हैं। जयपुर में इस प्रकार के डिस्ट्रिब्यूशन्स हुए हैं, राजस्थान के बड़े शहरों में इस प्रकार के डिस्ट्रिब्यूशन्स हुए हैं और अगर 1 जनवरी, के बाद के म्युटेशन्स और ट्रान्सफर्स पर आप रोक लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला हैं। एक इकानामिस्ट का सर्वे है कि सारे राजस्थान में केवल 150 ऐसे केसेज हैं जो कि आपके हाथ में आयेंगे। यह उसी प्रकार की बात है जिस प्रकार से सीलिंग के संबंध में था। आपने पहले सीलिंग लागू की थी 30 एकड़ की। आपको गंगानगर जैसे जिले से बड़ी आशायें थीं कि ढाई लाख एकड़ जमीन मिलेगी लेकिन आपको केवल 90 एकड़ ही जमीन प्राप्त हुई और बाकी 5 हजार केसेज में 100–125 से ज्यादा धरती नहीं मिलने वाली है। इसलिए सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस बात को बिहार ने सोचा है उसे आप भी सोचिये। यह 1 जनवरी 1972 को जो तारीख है इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं और पीछे जाना चाहिये और 8 सितम्बर, 1970 के बाद के सारे म्युटेशन्स को आप रद्द कर डालिये।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, टाउनशिप्स हैं, नोटीफाइड एरिया कमेटीज केन्टोनमेंट हैं स्पेसीफाइड टाउन एरियाज हैं उनके संबंध में जो बिल ने सीमा रखी है कि 10 हजार की पापुलेशन से लेकर 50 हजार तक की पापुलेशन में 4 किलो मीटर का एरिया लेंगे, 50 हजार की पापुलेशन से लेकर 1 लाख तक की पापुलेशन पर आप 6 कि. मी. का एरिया लेंगे और इसमें आप एग्रीकल्चरल लैण्ड लेंगे और दूसरी चीजें लेंगे और एक लाख से ऊपर की पापुलेशन का टाउनशिप या म्युनिसिपैलिटी या केन्टोनमेन्ट की हद से 8 कि. मी. के एरिया को लेंगे। मैं ऐसा समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि इस एरिया को भी आपको बढ़ाना चाहिये। कम से कम 10 हजार के लिए 6 मील का एरिया रखिये। मैं तो कोटा और गंगानगर का ही एक दृष्टान्त आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूंगा, जहां कि कालोनाईजेशन का प्रोसेस है, कोटा में इन्डस्ट्रियल प्रोसेस है–उपाध्यक्ष महोदय इन दोनों शहरों को आप देखें तो यह शहर

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

चारों तरफ से चौक हो रहे हैं। गंगानगर में म्युनिसिपेलिटी के चुनाव लड़े जाते हैं तो केवल इसलिए लड़े जाते हैं और एक-एक वार्ड के ऊपर पचास पचास हजार रुपये खर्च होते हैं। आज गंगानगर के चारों तरफ जो धन्ना सेठ बैठे हैं, राजा महाराज बैठे हैं, हम नहीं चाहते कि उनकी लैण्ड एक्वायर हो और उसमें झुग्गी झोंपड़ी वालों को कोई प्लाट मिल जाय। हालांकि गंगानगर की स्थिति यह है कि जयपुर तो मंहगा है लेकिन गंगानगर में अच्छा मकान 200 रु. से कम नहीं मिलता। आज वहां पर करनसिंह का फार्म है, यह बहुत बड़ा एरिया है उसमें शानदार कोठी है। यहां पर सुगनचन्द सेठ है उनका फार्म है। दूसरे लीला एण्ड कं. है। उन्होंने चौक कर रखा है। सारे चुनावों के मैदान में उतरते है। इन्होंने मकानात बना रखे हैं। मैं समझता हूं कि इस लिमिट के अन्दर भी एक्सटेन्शन होना चाहिए और जयपुर का तो एक केस जो कि मैं समझता हूं कि जयपुर के चीफ सैकेट्री को भी मालूम है। आज खातीपुरा की जमीन है जो कि महाराजा जयपुर के नाम से है और जिसमें हाईकोर्ट से स्टे था और जिस जमीन के संबंध में राज्य परिवार का प्लेंज था कि हम उसको सेल आउट नहीं करेंगे। आज खातीपुरा की सेल आउट हो रही है और यही नहीं सैटलमेंन्ट डिपार्टमेन्ट ने तीन-तीन साल और चार-चार साल पहले के रेकर्ड्स के अन्दर उनका रिकार्ड दर्ज कर लिया है। उनके रैकर्ड्स बना दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं चीफ सैक्रेटरी की यही पूरी नालेज में है और इस राज्य के कई उच्चाधिकारी और आर्मी ऑफिसर्स की इन सारी चीजों में सांठगांठ है और अब जब कि मैं इस सदन में बोल रहा हूं इस समय भी खातीपुरा के अन्दर प्लाट्स की सेल जारी है और उसके म्यूटेशन्स तीन-तीन और चार-चार साल पहले से दर्ज किये जा रहे हैं।

बूंदी के पास लाल फूलसर का सारा जंगल जो कि 4 मील के एरिया में था और बूंदी से बहुत नजदीक, बूंदी रोड के ऊपर—उस सारे के सारे जंगल को 3।। लाख रुपये के अन्दर फूलसर के राजासाहब ने एक ठेकेदार को बेच दिया और सेटलमेंट रिकार्ड के अन्दर पिछले अकाउन्ट्स के अन्दर अपने खातेदारी जमीन के राइट्स के अन्दर उस जमीन को दर्ज करवा लिया। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जहां हम इसकी लिमिट रखते हैं उस लिमिट के संबध में आपको सचेष्ट होना चाहिए।

जहां तक उपाध्यक्ष महोदय 3 लाख का प्रश्न है, मैं 3 लाख से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में यह लिमिट 2 लाख होनी चाहिए और जिस प्रकार से 5 सदस्यों के परिवार के लिए आपने सीलिंग 3 लाख रखी है और इसके ऊपर की सम्पत्ति का आप 25 परसेन्ट कम्पन्से..न देंगे उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। यह बहुत बड़ा कम्पन्सेशन है और मेरी राय के अन्दर जहां कम्पन्सेशन 25 परसेन्ट देने की बात करते हैं मेरे ख्याल में 3 परसेन्ट से ज्यादा कम्पन्सेशन नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि जहां पर सीलिंग का कम्पन्सेशन दे रहे हैं जो लैंड, सीलिंग से आ रही है,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जिसको आप ले रहे हैं उसका कम्पेन्सेशन उसकी रेवेन्यू रिसीप्ट का, रेवेन्यू रकम का 30 गुना दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपको यह कम्पन्सेशन कम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी डेस्परिटी होगी गांव वालों और शहर वालों के बीच में। मेरे ख्याल से 25 परसेंट कम्पन्सेशन की जगह 3 परसेंट कम्पन्सेशन देना चाहिए। दूसरी पंक्ति में जहां आप 20 परसेंट कम्पन्सेशन दे रहे हैं मेरे ख्याल से आपको 2 परसेंट देना चाहिए। तीसरी पंक्ति में जहां 15 परसेंट कम्पन्सेशन का प्रोविजन रखा है, मैं समझता हूं कि 1 परसेंट कम्पेन्सेशन का प्रोविजन रखना चाहिए और जहां 10 परसेंट कम्पेन्सेशन का प्रोविजन है मेरे विचार में हाफ परसेंट कम्पन्सेशन का प्रोविजन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आपने धर्म स्थानों को, कालेजेज के संस्थानों को और बिजनेस के आफिसेज को या जिसमें प्लाण्ट लगा है, ऐसे आफिसेज या जिसमें कोमर्स का धन्धा होता है ऐसे आफिसेज को एग्जम्प्ट किया है, यह बहुत बड़ा लेकूना है। उपाध्यक्ष महोदय। प्लाण्ट में तो क्या है। एक छोटा सा प्लाण्ट लगा लिया। एयर कण्डीशन आईसक्रीम का प्लाण्ट और उसमें आईसक्रीम बन रही है। कम्प्रेशर लगा है एयर कूलर लगा है और वह भी प्लाण्ट है और उसमें चार लाख की सम्पत्ति या एक लाख की सम्पत्ति सीलिंग की आती है। वही हाल कार्मशियल आफिसेज का है, किसी ने भी लल्लूलाल लिमिटेड एण्ड सन्स का बोर्ड लगा लिया और आपकी सीलिंग का सारा हिस्सा दबा कर बैठ गया। मैं समझता हूं कि यह लेकूनाज जिनको आप प्लाण्ट के नाम से देना, जिनको आप कॉमर्शियल आफिसेज के नाम से देना, जिनको बिजनेस आफिसेस का नाम से देना, इस लेकूनाज को अलग करने की बहुत बड़ी जरूरत है, उपाध्यक्ष महोदय।

जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, इसको एन्फोर्स करने का सवाल है ला को, मैं समझता हूं कि एन्फोर्समेंट के सम्बन्ध में इसमें काफी संतोषजनक प्रावधान रखे हैं। जिन व्यक्ति के पास तीन लाख की सम्पत्ति है और अगर वह घोषणा नहीं करे तो आपने दो साल की सजा दण्ड रखा है। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर सीलिंग बिल के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए था। मैं माननीय मंत्रीजी की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने यह प्रावधान रखा है जो कि एग्रीकल्चर सीलिंग बिल में प्रावधान नहीं है वरना क्या जरूरत है कि कोई डिक्लेयर करेगा। तहसीलदार के सामने अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया तो तहसीलदार डिक्लेयर कर देगा जिसमें एक हजार की पेनल्टी है। श्रीमान् कुलका साहब जिसको माफ करना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने दो साल की सजा रखी है और इससे मेरा ख्याल है कि लोग डिक्लेयर करेंगे। वैसे सजा इससे भी ज्यादा सख्त होनी चाहिए थी पर अगर तीन लाख को जगह दो लाख की बात रहे तो बहुत बड़ी सम्पत्ति मिलने वाली है।

अन्त के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, इसके इम्प्लीमेंटेशन और किरायेदारों की बात है। इम्प्लीमेंटेशन के सम्बन्ध में जिस प्रकार की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एक कमेटी कल सीलिंग के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी शिवचरणजी माथुर ने सजेस्ट की थी ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : भूतपूर्व मंत्री।

श्री योगेन्दनाथ हांडा : जी हां, भूतपूर्व मंत्री। उसी प्रकार की एक कमेटी मैं समझता हूं कि नगरों के लिए बननी चाहिए जिसमें झुग्गी झोंपड़ी के आदमी हों, जिसमें किरायेदार हों, जिसमें एम. एल. ए. उस क्षेत्र के हों, और जिसमें अन्य गरीब तबके के लोग हों जिनको सम्पत्ति से लाभ मिलने वाला है। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी से जल्दी किया जाय। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार का एग्रीकल्चर का व्यक्ति है, आपका शिकमी काश्तकार डिफाइन्ड नहीं है, आपका हिस्सेदार काश्तकार डिफाइन नहीं, आपका खेतीहर मजदूर डिफाइन्ड नहीं, बीस-बीस साल तक काश्त करने पर भी गिरदावरी में नाम दर्ज नहीं होता, मैं समझता हूं कि वही स्थिति आज किरायेदार की है। किरायेदार बीस-बीस साल से रह रहा है, 25 साल से रह रहा है अगर आपको कोई सम्पत्ति मिलती है, कोई मकान मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि उस किरायेदार का पहला हक है उस मकान पर जो 20 साल से उसी मकान में रह रहा है।

इन सारी बातों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि इस बिल को आज ही पास कर दिया जाय। मेरा प्रस्ताव जो जनमत जानने को प्रसारित करने का है वह तो मैंने सदन में बोलने में प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए दिया था। वर्ना मेरा यह सुझाव है कि इसे आज ही पास कर दिया जावे और इन सारी तरमीमों के साथ पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तथ्य के लिए तो वास्तव में सरकार बधाई की पात्र है कि उन्होंने अपने कमिटमेंट को, जिस प्रकार का नारा कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर किया था चुनाव घोषणा पत्र के अन्दर कि हम शहरी सम्पत्ति पर भी एक सीमा निर्धारित करेंगे और उस वायदे को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने इसी सत्र के अन्दर यह बिल राज्य सरकार की तरफ से पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय क्षमा करें यह जो शहरी सम्पत्ति का बिल आया है शहरी सम्पत्ति पर सीमा निर्धारित जब होगी उस समय आम जनता में मैं ऐसा समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में यह धारणा थी कि शहरी सम्पत्ति से तात्पर्य हमारे उस साधनों से हैं जो कि शहरों के अन्दर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर शहरी सम्पत्ति की जो डेफिनेशन रखी गई है, शहरी सम्पत्ति की जो परिभाषा रखी गई है, इसके अन्दर केवल अचल सम्पत्ति, इम्मूवेबल प्रोप्रर्टी लैंड और लैंड से कनेक्टेड बिल्डिंग है यानि भूमि और उसके ऊपर बना हुआ भवन, यह शहरी सम्पति माना मैं।

उपाध्यक्ष महोदय, शहरी सम्पत्ति को

(श्री शंकरलाल)

हम केवल भूमि और भूमि पर बने भवन को ही हम उसकी सम्पत्ति नहीं कह सकते। श्रीमान् यह अचल सम्पत्ति है लेकिन चल सम्पत्ति भी है जो कि शहरों के अन्दर आम मनुष्यों के पास लोगों के पास सेठों के पास पूंजीपतियों के पास लाखों नहीं करोड़ों की धनराशि के अन्दर है और वह धनराशि दबा रखी है उन्होंने। हमने यह सोचा था कि पूरी सम्पत्ति पर एक सीमा निर्धारित होकर एक कानून ऐसा आएगा। हम यह चाहते हैं कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में यहां पर कोई बिल इस प्रकार आता लेकिन वास्तव में यह अरबन प्राप्रर्टी बिल है और इसे शहरो सम्पत्ति बिल कहना ही गलत है। इसे तो शहरी अचल सम्पत्ति का बिल कह सकते हैं। अरबन इम्प्रूवेबल प्रोप्रर्टी का बिल कह सकते हैं अरबन प्रोपर्टी का बिल नहीं कह सकते। प्रोपर्टी का मतलब मूवेबल और इम्प्रूवेबल दोनों ही हैं। अचल और चल दोनों ही हैं। लेकिन यह जो बिल है वह केवल अचल सम्पत्ति के लिए लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। जनमत इसलिए जानने के लिए कि जनता में यह भावना भी जनम यह चाहता है कि शहरों के अन्दर जो भी सम्पत्ति है चल और अचल दोनों के ऊपर सीमा निर्धारित हो। यह नहीं कि एक आदमी के पास मकान तो कम कीमत का हो लेकिन उसकी पूंजी बैंकों में जमा रहे गहने जिसके बने हुए हों और, और और तरह का सामान हो वह सम्पत्ति उसके पास काफी ज्यादा तादाद में रहे तो जनमत जानने के बाद इस बात पर निर्णय हो सकेगा कि जनता क्या चाहती है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल आम जनता के ताल्लुक रखता है और कभी कभी ऐसे कानून बनाते हैं जिससे कि जनमत जानना भी मैं समझता हूं कि लेजिस्लेशन के लिए जरूर होता होता है। यह भी ऐसा ही बिल है जिस पर जनमत जानना जरूरी है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा न समझा जाय कि जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है उससे हम इस बिल को देरी में लाना चाहते हैं या हम इससे यह चाहते हैं कि बिल को अभी पास नहीं किया जाय। यह, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा नहीं है। अगर इस बिल को इसी प्रकार से आज ही पास कर दिया जाता है तो पास करने के बाद भी मैं यह चाहूंगा कि जनता के व्यूज मांगे जाय और जनता के व्यूज आने के बाद उसके अन्दर आवश्यक संशोधन कर दिए जायं। अगर सरकार इस बिल को आज ही पास करना चाहती है तो अवश्य पास करे लेकिन जनमत जानने के पीछे और शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण के पीछे जो जनता की भावना है यह बिल उसके अनुकूल हो है ऐसी बात नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, वह बात सही है कि भारत सविधान के अन्दर 25 वां संशोधन इसीलिए लाया गया कि पहले मुआवजा जो मार्केट वेल्यू से देते थे लेकिन अब पार्लियामेंट ने यह अधिकार रखा है कि मुआवजा जो है वह सरकार निश्चित करेगी और मुआवजा

(श्री शंकरलाल)

को किसी भी न्यायालय के अन्दर चेलेंज नहीं किया जा सकेगा। तब तो शहरी सम्पत्ति लेने में कुछ माना भी हो सकता है, वर्ना अगर मार्केट रेट पर दिया जाता है तो कम्पेन्सेशन देने का कोई तथ्य नहीं रहता। इसमें जो कम्पेन्सेशन के बारे में प्रावधान रखा गया है और जो आप कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं वह भी अधिक है। भावना तो यह थी कि जो सीमा आपने निर्धारित की है तीन लाख की, उससे अधिक जो सम्पत्ति है वह सरकार ले ले नामीनल मुआवजे पर, लेकिन आप तो 25 प्रतिशत मुआवजा दे रहे हैं। यह बहुत ज्यादा है और मुआवजा नामीनल ही होना चाहिये। इसके पीछे जो भावना थी, जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में यह कहा गया था कि समुदाय के जो भौतिक साधन होंगे उनका बंटवारा इस प्रकार से किया जायेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके. और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यह सीलिंग बिल लाया गया कि जिन के पास ज्यादा प्रापर्टी हो, ज्यादा मकान हो, ज्यादा जमीन हो, वह लेकर जो होमलेस आदमी हैं, जिनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, उनको सर छुपाने के लिए जगह मिल जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह भावना है और यह ही चाहते हैं कि जिन लोगों के पास रहने की आवश्यकता से अधिक प्रापर्टी है, उन से हम अधिक प्रापर्टी ले लें, तो उस हालत में, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सीमा आप कीमत के आधार पर बांध रहे हैं, वह आपकी भावना पूरी नहीं होगी। कीमत के आधार पर मकान की सीमा बांधना आपकी भूल होगी, और यह सही कदम नहीं होगा। आप यह चाहते हैं कि जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक मकान हैं, उनके खुद के रहने के अधिक मकान हैं, वह अपनी रहने की आवश्यकताओं के लिये मकान रखें और जो आवश्यकताओं से अधिक मकान हों उनको आप लेना चाहते हैं और वह लेकर देना चाहते हैं जिनके पास रहने का उनको मकान नहीं है और आपकी यह भावना है तो आपको मकान कितना आवश्यक है उसकी सीमा बांधनी पड़ेगी। एक आदमी के लिए कितना मकान आवश्यक समझा जाये, एक परिवार के लिए कितने कमरों वाला मकान होना चाहिए, ऐसा एक माडल आपको बनाना पड़ेगा कि इस प्रकार का मकान एक आदमी के लिए आवश्यक है चाहे वह किसी भी कीमत का हो। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कीमत के आधार पर ही चलना चाहते हैं तो आज जो मकान की कीमत जोधपुर में है उससे चौगुनी कीमत जयपुर में हो सकती है, और दूसरी जगहों पर जो मकानात हैं, उनसे आठ गुना ज्यादा हो सकती है। आज मकानों की कीमत सब जगह एक जैसी नहीं है। तीन लाख का मकान किसी जगह छोटा भी हो सकता है और किसी जगह बहुत बड़ा हो सकता है। रुपयों के हिसाब से सीमा निर्धारित की जाये यह हमारी मन्शा नहीं है। हमारी मन्शा तो यह है कि आदमी को रहने के लिये उपयुक्त मकान किस प्रकार होना चाहिये। तो आपको सीमा यह निर्धारित करनी पड़ेगी कि राजस्थान के अन्दर दस हजार की पापुलेशन के जितने भी शहर हैं उनके अन्दर एक पांच मेम्बर्स की फैमिली के लिये रहने का मकान

(श्री शंकरलाल)

कौनसा पर्याप्त होगा। उस पर्याप्त मकान की कीमत चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कीमत हरेक जगह अलग अलग ही होगी, आपको उस मकान की सीमा बांधनी होगी। रुपयों के हिसाब से अगर आप लायेंगे तो वह आपके उद्देश्य के अनुकूल नहीं होगा। आपको यह तय करना पड़ेगा कि दस हजार से अधिक पापुलेशन के जो शहर हैं, वहां पर पांच मेम्बर्स की फैमिली के लिए कौनसा मकान उपयुक्त है और उससे ज्यादा जो भी उसके पास बेंड हैं, चाहे वह एक लाख का हों, चाहे दस लाख का हो, वह आपको ले लेना चाहिये। उनका मकान कितना हो इसके लिये आपको सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस डेफीनेशन के अन्दर ऐग्रीकल्चरल लैंड को भी शामिल किया गया है। एक तरफ आपने ऐग्रीकल्चरल लैंड के लिये अलग सीलिंग बिल बनाया है, और इधर फिर आप कहते हैं:

"Urban property means all lands and buildings (including any rights therein) including agricultural lands, buildings situated thereof and rights there in situated".

एग्रीकल्चरल लैंड के लिये जब आप अलग से बिल लाये हैं और अलग से सीलिंग तय की है तो उसको फिर अर्बन प्रापर्टी के अन्तर्गत भी ले आये, वह मैं समझता हूं, ठीक नहीं होगा और इस पर आपको विचार करना होगा। आप ऐग्रीकल्चरल लैंड के लिये अलग बिल लायें और फिर उसी लैंड को अर्बन प्रापर्टी के अन्दर भी शामिल करें तो यह उपयुक्त नहीं होगा और हमारी जो भावना है उसके अनुकूल नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को अगर पूरी तौर से देखा जाये तो सीमा निर्धारण की बात इसलिए की जा रही है कि जो ज्यादा मकान होंगे वह होमलेस आदमियों को दिये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, होमलेस तो वह आदमी भी हो सकता है जिसके पास मकान भले ही नहीं हो लेकिन लाखों रुपयों की चल सम्पति हो, उनके पास लाखों रुपये का बैंक बैलेंस हो लेकिन रहने को मकान नहीं हो उसके लिये भी आप कहेंगे कि होमलेस है। जिस प्रकार आप ऐग्रीकल्चरल लैंड के लिये कहते हैं कि जिसके पास जमीन नहीं है वह लैंडलेस है चाहे वह वकील हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो या कोई सेठ साहूकार हो। उसी प्रकार जिसके पास मकान नहीं है वह होमलेस माना जाये चाहे उसके पास दूसरी चल सम्पत्ति कितनी भी हो तो उचित नहीं होगा। तो होमलेस के लिये भी आपको निर्धारण करना होगा कि होमलेस कौन होगा। होमलेस उसको ही मानना चाहिये जो कि अपने पैसे से मकान नहीं बना सकता हो। जिसके पास पर्याप्त पैसा है लेकिन मकान नहीं बना रहा है, उसको होमलेस नहीं मानना चाहिये। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके मकानों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लोगों को हो जायेगा जिनको आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री शंकरलाल)

निवेदन करना चाहूंगा कि आज कई लोग अपना मकान न होने के कारण किराये के मकान में रहते हैं । उन किरायेदारों के लिये इस बिल के अन्दर कोई स्पष्ट प्रयोजन नहीं है कि मकान मालिकों से मकान लेकर उनमें उसी किरायेदार को ही रखगे या सरकार सेल करेगी या किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्युशन होगा। मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर प्रोवीजन होना चाहिये कि जो मकान के किरायेदार रहते हैं उनको प्राथमिकता दी जावेगी और और वह मकान उन्हीं को रहने के लिये दिया जायेगा। यदि उनके पास खरीद करने के लिये पैसा नहीं है तो उससे वह पैसा पांच दस या बीस साल के अन्दर किश्तों में लिया जायेगा।

एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। आज का जो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट बना हुआ है उसके अन्दर किरायेदार को सक्सेशन के राइट्स नहीं दिये हुए हैं। किसी के माता पिता एक मकान मे रह रहे है, बरसों से उस मकान में रह रहे हैं, अब अगर उस पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को इस रैन्ट कन्ट्रोल एक्ट के तहत कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है। उनको उस मकान से इविक्ट किया जा सकता है।

उस कानून में भी परिवर्तन की आज जरूरत है। क्योंकि बहुत सी विडो और उनके बच्चे हैं, और जो दूसरे किरायेदार हैं, उनको रहने की प्राथमिकता दी जाये। इसी तरह से कानून में भी ऐसा नहीं है। जो रहते हैं, उनको परमिट कर दें और दूसरे लाभ उठायें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कानून के बारे में भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। क्योंकि यह कानून आज ही पास होने का है। जनमत जानने को प्रसारित होने को नहीं है। यह पास हो जाये तो बाद में संशोधन करने लिये आयें अगर जनमत जानने को प्रसारित किया गया तो यह कानून रह जायेगा। यह रह जायेगा तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा, आपने जो आब्जेक्ट्स में जो प्राविजन दिया है। चौथी क्लॉज का जो दूसरा प्राविजो है। आपने यह बताया है, 'सच सिमिलर एक्टीविटोज' यह जो है, इसको आपने डिफाइन नहीं किया है। इसका मिसयूज होगा। मिसयूज होने से ऐसे लोग जो इससे बचना चाहेंगे, वह बच सकेंगे—

"Owned and used by the owner himself for the exclusive purpose of an industry, Commerce, trade or business, professional activity."

यह जो प्रोफेशनल एक्टोविटीज बताई हैं, इसमें मान लीजिये एक वकील है, उसको रहने को कमरा चाहिए। वह कहेगा कि हमारी लाइब्रेरी के लिये भी चाहिये। यह भी एग्जीम्युशंस है—

"......hotel, cinema, private hospital educational Institutions or public club, provided that the urban property may be so owned and used in accordance with all the laws."

(श्री शंकरलाल)

यह जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है और डेफीनेशन में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, दोनों में कण्ट्राडिक्शन है। क्योंकि इसके अन्दर में लिखा गया है—

"The Urban property or any part of it for the purpose of section 4 (1) (b) shall be deemed to be used for the exclusive purpose of an industry, commerce, trade or business professional activity, hotel, cinema private hospital, educational institution or public club, as the case may be, provided it is used for providing housing accommodation to its employees and labourers not being its owners, partners, directors, shareholders and the like and not used or kept for use as a guest house or the like;"

तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कण्ट्राडिक्शन्स भी हैं। इसलिए इसको देखना होगा। दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, 1-1-72 की तारीख रखी गई है। इसका कोई बेसिस नहीं है। इसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि इसका बेसिस क्या है? मैं समझता हूं कि जैसे कि 26 सितम्बर, 70 को तारीख मुख्यमन्त्री महोदय ने लैण्ड सीलिंग की बताई थी तो उसके साथ साथ इसकी भी घोषणा हुई थी। यह भी मैनीफेस्टो में था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 71 में इलेक्शन हुए थे तो उससे पहले यह घोषणा हुई थी। उससे पहले होना चाहिए।

श्री शंकरलाल : मैं वही कह रहा हूं। इस तारीख से पहले कई लोगों ने अपनी प्रापर्टी ट्रांसफर कर दी है। वह प्रापर्टी नहीं मिल पायेगी। इसलिए -1-72 की तारीख है, वह 26 सितम्बर, 70 की तारीख रखी जाये। तो मैं समझता हूं इस हिसाब से अपने को कुछ अधिक जमीन मिल सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा। संकल्प में ही उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा पूरे क्लाज पर जाकर नहीं।

एक माननीय सदस्य : क्लाज वाइज तो अलग होंगे।

श्री शंकरलाल : इसमें ट्रांसफर दिये गये हैं उसमें कण्ट्राडिक्शन्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे ज्यादा यह है कि पहले लास्ट असेम्बली में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने यह कहा था आज देश में यह विचारधारा है। पूरे देश में यह कानून होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि इसे आज ही पेश किया जाये। लेकिन ऐसे व्यक्ति राजस्थान में हैं जिनकी प्रापर्टी दूसरे प्रदेशों में, बोम्बे, गुजरात कलकत्ता में है। वहां का कानून तो वहां के प्रान्त वाले बनायेंगे। आप गवर्न करेंगे या वह गवर्न करेंगे? क्योंकि ऐसे लोगों की प्रापर्टी दो जगह देखनी पड़ेगी। लेकिन दूसरे प्रदेशों में उसका क्या होगा? ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में कानून

(श्री शंकरलाल)

बन गया तो उसका तो ट्रांसफर कर दिया और जो दूसरे प्रदेशों में है, वह जैसे के तैसे रख लिए। लोगों की अलग अलग प्रदेशों में बिल्डिंग्स हैं, लैण्ड्स हैं। उन पर सीलिंग अलग अलग प्रदेशों में किस प्रकार से लागू हो जिससे उनकी आवश्यकता के अनुसार मकान रहे और बाकी हम ले सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कई और बातें हैं जो कि जनमत जानने से मालूम हो सकती हैं। मेरी भी भावना यह है कि इसको जल्दी से पास किया जाये। लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इसमें संशोधन लाना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस पर विचार होना चाहिए। हम उस वक्त सन्तोष करेंगे जबकि ऐसा बिल आयेगा, जिसके अन्दर शहरी सम्पत्ति, चाहे वह चल सम्पत्ति हो, चाहे अचल सम्पत्ति हो, दोनों का बंटवारा हो। तभी हम कह सकेंगे कि धन और धरती का समान बंटवारा हो गया। वहां यह कानून आधार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव रखता हूं और यह भी निवेदन कहता हूं कि यह जल्दी से जल्दी पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल 5 मिनट निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : केवल 5 मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : He was not present in the House when he was called.

एक माननीय सदस्य : उनके बाद तो हमारा है।

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो पेश हुआ है, इसका मैं सिद्धान्ततः स्वागत करता हूं। यह बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। यह अब आया है। ऐसा लग रहा है, इस बिल से सारी ऐसी सम्पत्ति से सम्बन्ध जुड़ गया है, जो स्थायी है। यह लगा जो स्थायी सम्पत्ति है। और दूसरी सम्पत्ति की सीमाबन्दी नहीं है, तो फिर यह बिल अधूरा रहेगा। मुझे लगता है, यह बिल इस प्रकार अधूरा है। वैसे होना यह चाहिए कि जितने प्रकार की सम्पत्ति है, चाहे जेवर, जवाहरात की हो, दूसरे प्रकार की हो, किसी प्रकार की हो—उस सब पर सीमाबन्दी होती तो ज्यादा बेहतर होता। अभी जिस रूप में हैं उसमें स्थिर सम्पत्ति तो बन्दिश में आ रही है, बाकी कोई दूसरी सम्पत्ति बन्दिश में नहीं आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल आवासीय समस्या को हल करने का रास्ता भी निकालेगा—ऐसा लगता है आप अन्दाज से यह बात प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज शहरों के अन्दर लोगों ने जिस कदर जमीन पर, चाहे वह जमीन खेती की हो या नहीं उस पर मकान बना लिये हैं—इस प्रकार का कब्जा आम लोगों का न रह

(श्री केशरी मल)

सकता है, न वह उस पर बस सकते हैं, न मकान बना सकते हैं, न मकान बनाने की उन्हें सुविधा हो सकती है ताकि वह मकान बना कर रहें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है, आज ऐसी स्थिति शहरों के अन्दर है कि जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं उनको कहीं मकान बनाकर रहने का मौका नहीं मिलता है। जहां कहीं उनके मकान बने हैं, झौंपड़ी बनी हैं, वह चार पांच फीट ऊंची होती है जहां आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन उन झौंपड़ियों में रहने वालों को भी यह अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि वह वहां रह जायं बार बार उनको वहां से हटाया जाता है उनकी झौंपड़ियां तोड़ी जाती हैं और उन जमीनों को बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। यह तमाम जमीन दो आने, चार आने गज की होगी, उसके आज सौ रुपये, दो सौ रुपये गज के मिल सकते हैं। इसलिए जो गरीब वहां रहते हैं, उनके मकान को तोड़ा जाता है, ट्रैक्टर चला कर और बुलडोजर लगाकर उनकी झुग्गी झौंपड़ियों को बरबाद करके ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाता है कि उन जमीनों को बेचा जा सके। ऐसी स्थिति भी है, जिन झुग्गी झौंपड़ियों में मजदूर रहते हैं, उन झुग्गी झौंपड़ियों की हालत कैसी हैं, एक झुग्गी झौंपड़ी आठ फीट लम्बी और छः फीट चौड़ी होती हैं। उसमें एक दो कमरे रहते हैं चारपाई इस तरह की होती है कि एक चारपाई तीन फीट की होगी, दूसरी दो फीट की होगी, ताकि एक के नीचे एक रख जा सके। बहुत सी जगह यह चारपाई भी नहीं मिल पाती है, वैसे ही धरती पर पड़े रहते हैं। इसके अलावा एक एक झुग्गी झौंपड़ी में दो दो तीन तीन परिवार रहते हैं, जिनके शादी-विवाह, जन्म मौत सब नहीं होती है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है, मनुष्य कीड़े-मकोड़े की तरह रहते हैं; कीड़ों की तरह एक के ऊपर एक पड़े रहते हैं। क्या हमारे सभ्य समाज में इस तरह रहना वाजिब है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरीके से जिस जमीन पर वह काबिज हैं, जमीन की क्योंकि कीमत बढ़ रही है इसलिए उन लोगों को बेघरबार कर रहे हैं। इस तरह के स्लम हमारे यहां बहुत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से लोगों के पास अभी भी कुछ जमीन है जो उनके हाथ में है, वह चाहे जयपुर की रानी की होगी या कहीं सेठ की होगी, उस जमीन पर लोगों के कच्चे मकान बने हुए हैं—उस जमीन से उनको बेदखल करने की कार्यवाही चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जमीन पर गरीब लोग रह रहे हैं; उनके वहीं रहने की व्यवस्था कर दी जाय बल्कि जमीन उनको और बढ़ा कर दी जाय ताकि वह वहां रह सकें। मेरा निवेदन करना है आज उस जमीन पर उनके मकानात बने हुए हैं उनके हाथ में यह जमीन बनी हुई है, लेकिन उस जमीन की कीमत बढ़ गई है, इस कारण बहुत से लोगों ने मारपीट करके उनका शोषण किया है उनको लूटा गया है। और उनको उनके बहुत से अधिकारों से वंचित किया गया है और शोषण के जरीए पैसा कमा कर उस सम्पत्ति को अपने पास रखा है: यह सम्पत्ति उनकी नहीं है यह माल—भत्ता उनका नहीं है यह जमीनजायदाद उनकी नहीं है—यह

Page No. 74

(श्री केशरीमल)

इन मजदूरों की है, जिन्होंने कड़ी महनत की है और भूमि से धन पैदा किया है। उन लोगों का शोषण किया और वह मालिक बन गये और जमीन पर कब्जा करके बैठ गये। यह उनकी सम्पत्ति नहीं है, यह जनता की सम्पत्ति है। इसलिए सीलिंग होना अच्छी बात है लेकिन जिनकी उस जमीन पर झोंपड़ी हैं जिनके मकान हैं, जिनके पास जमीन है उन गरीबों को वह मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए जो आज यहां रहे हैं।

इसके साथ ही मेरा कहना है कि राजाओं की सम्पत्ति है जो गांवों के अन्दर है, कई जगह ऐसी हैं जो शहर से बीस किलोमीटर, पचास किलोमीटर है, मेरा निवेदन करना है कि कई राजाओं ने बिल्डिंग ऐसी जगह बनाई हैं, जहां पर पापूलेशन नगण्य है, हजार, दो हजार की आबादी के गांव हैं, वहां पर बिल्डिंग बनाई है। वह बिल्डिंग लाखों की कीमत की है, इसलिए उन बिल्डिंग्स को कब्जे में क्यों न लें। मेरा निवेदन है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो गांवों में ऐसी बिल्डिंग हैं, जो जमीन गांवों में है, वह पापूलेशन के कारण से इस बिल के दायरे में नहीं आती है। इसलिए इसमें ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे ऐसी जगह पर जो बिल्डिंग बनी हुई हैं उनको ले सकें। मेरा निवेदन करना है कि बहुत से उद्योगपतियों ने ऐसे मकानात ऐसी जगहों पर सैर सपाटे के लिए बना रखे हैं। ऐसी बिल्डिंग सैर-सपाटे के लिए रमणीक स्थान पर बनाई हैं, ऐसी जमीन के मकानात को लेना चाहिए। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि दस लाख से ऊपर की पापूलेशन हो और म्यूनीसिपेलिटी के एरिया में आती हो उनको लिया जायेगा। मैं निवेदन करता हूं कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाय, जिससे जितनी ऐसे सेठ-साहूकारों की बिल्डिंग बनी हुई हैं और उनकी जो जमीन है, वह बिल्डिंग और जमीन भी ली जा सकें। मेरा निवेदन करना है कि जो इस विधेयक में कहा गया है, यह विधेयक 1-1-72 से लागू किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब गत चुनाव हुआ था 1971 के अन्दर, उसके बहुत पहले जनता के बीच में यह बात आगई थी, यह बात फैल गई थी कि यह होने वाला है। जब यह बात लोगों के सामने आई तो जिन लोगों के स्वार्थ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने जमीन बेच कर खुर्द बुर्द कर दी, और लोगों के नाम से बेची हुई दिखाई, उसके झूठे पट्टे किये हैं, रजिस्ट्री कराई हैं। इसलिए सीमा की जो घोषणा की गई है, वह 1-1-72 से लागू करने की घोषणा की गई है, लेकिन मेरा निवेदन कि ऐसी घोषणा तो पहले ही कर दी गई इसलिए यह तब से लागू करना चाहिए।

मेरा निवेदन यह भी करना है कि इसमें यह कहा गया है कि इलाकों में यह विधेयक तब से लागू होगा जब यह गजट में छापा कर दिया जायेगा कि फलां इलाके में फलां तारीख से यह लागू हो जायगा। यह गलत होगा। इसका मतलब यह है कि यह कानून नहीं होगा और यह कानून बन कर ही रह जायगा। कई जगह, जहां स्वार्थ टकरायेंगे, वहां के लिए नोटिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो यह कानून बनेगा यह

(श्री केशरीमल)

एकदम अमल में आयेगा और इसमें गजट में शाया करने की बात नहीं होगी। यह तयशुदा तारीख से डाइरैक्टली लागू होना चाहिए।

मेरा निवेदन यह भी करना है, उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति के पास कितनी सम्पत्ति रहनी चाहिए- इस सम्बन्ध में मतभेद है। मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति के पास एक लाख की सम्पत्ति हो और पांच का परिवार हो तो दो लाख की हो। इससे ज्यादा नहीं। इससे भी बढ़ाते जायं तो ज्यादा से ज्यादा तीन लाख तक जाय।

इसके साथ साथ मुझे यह भी निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अन्दर केवल स्थावर सम्पत्ति को जोड़ा है। इसके अलावा और प्रकार की सम्पत्ति है उसको भी जोड़ा जाय तो अच्छा होगा। बहुत से लोगों के पास सोने के जेवरात हैं, जवाहरात हैं, इससे जिनके पास पैसा पड़ा है, वह उस शक्ल में न रखकर उसकी शक्ल जेवर में बदल देंगे। गरीब के पास तो गिलट के जेवर मिलते हैं पहनने के। लेकिन बड़े बड़े सेठ-साहूकारों के पास सोने की कनकती है, हाथ में पहनने के सोने के कड़े हैं और दूसरे जेवर हैं। तो इस तरह पैसे को लोगों ने शक्ल बदल दी है और शरीर पर धारण कर लिया है जिसके लिए कहा जा सकता है और दूसरे काम में नहीं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो सोने के जेवरात हैं, बड़े बड़े जेवरात हैं, उनको भी सम्पत्ति में शामिल किया जाय।

मेरा यह भी निवेदन करना है, इसमें यह कहा गया है कि जहां इंडस्ट्री हैं और उद्योग वगैरह हैं, दुकान है-ऐसी प्रापर्टी के लिए कह कर जो सीलिंग से छूट की बात कही है उससे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रास्ता दे दिया है उन लोगों को जिससे वह उस सम्पत्ति को अपने पास ही बनाये रखें, जो कि सम्पत्ति पर सीमाबन्दी का उद्देश्य नहीं है। मेरा निवेदन करना है, आज कई आदमियों के पास ऐसी दुकानें बेचने का कोई सामान नहीं है। बहुत सी सट्टे वालों की ऐसी दुकानें हैं जहां लोग सट्टे का धन्धा करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं वह कागज पर, बाकी और कोई सामान बेचने और खरीदने का नहीं होता है, खाली दिखाने को पचास बीड़ी के बण्डल, पचास माचिस और पचास सिगरेट के पैकिट रखे हुए मिल जाते हैं और दिखा दें कि दुकान करते हैं, ऐसे कई कारखानेदार बन सकते हैं, अपने मकान में मशीनरी लगा दें जिससे हवा भी आ सकती हो, मकान भी ठंडा किया जा सकता हो और कुल्फी भी बनाई जा सकती हो, और कहा जा सकता है कि कुल्फी का कारखाना लगा हुआ है। वास्तव में कुल्फी बनाते नहीं, कुल्फी जमती नहीं, सीलिंग की कुल्फी जरूर जमा ली। ऐसा कोई रास्ता निकालकर, ऐसी व्यवस्था कर दें तो जो सम्पत्ति लोगों से लेकर सरकार हाथ में लाना चाहती है, वह नहीं आएगी। यह इसमें आनी चाहिए। यह जरूर है कि ऐसे मकान जिनमें मजदूर रहते हैं, उनके क्वार्टर्स हैं उनको जरूर छोड़ना चाहिए। वहां जो मजदूर रहते हैं उनसे थोड़ा किराया लेना चाहिए। अगर उनको क्वार्टर नहीं मिले तो कम से कम उनके कब्जे में रहें।

जहां तक फालतू संपत्ति अपने हाथ में आने की बात है, जो लोग उन मकानों में

(श्री केशरीमल)

रह रहे हैं वर्षों से, उनको ही उन मकानों में रहने दिया जाए। उनके लिए क्या व्यवस्था हो, इसके लिए कमेटी बनाई जाए, वही निर्णय कर दे ताकि न तो खाली कराए जायं और न सरकार उनका कब्जा ले। इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि जो मकानों में रह रहे हैं जिनका खुद का मकान नहीं है, किराएदार हैं, उनको बसने दिया जाए। अच्छा होगा अगर इस कानून को जो आज पास करने की सोचते हैं, तो सरकार की तरफ से घोषणा हो, आज हो कि जिन मकानों में जो गरीब छोटे मजदूर जो बचे हुए मकानों की प्रापर्टी के अन्दर रहते हैं, जो सीमा से ज्यादा मकानों में रहने वाले हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा उन्हीं को रहने दिया जाएगा तो खुशी की बात होगी, इसके लिए कमेटी स्थापित की जाए उनको मकान दिलाने के लिए।

मैंने प्रस्ताव रखा है कि यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष भेजा जाए। चाहे एक दो दिन के लिए भेज दिया जाए और बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव रखा है और जो मैने रखे हैं उन पर विचार करके फिर रात दिन बैठकर ज्यादा से ज्यादा समय देकर एक दो दिन में इसको पास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को देने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को और इस विधेयक पाइलट करने वाले मंत्री को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सदन में इस बिल को पेश करके राजस्थान की गरीब जनता, संपत्तिहीन जनता, मकान-हीन जनता और तमाम उन लोगों, उन प्रगतिशील शक्तियों की मांग को, जो कि वर्षों से उठा रहे थे, आज की मांग को क्रियान्वित करने की ओर एक और ठोस कदम बढ़ाया है। यह विधेयक राजस्थान के उन करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं की तृप्ति की ओर कदम है। जो लोग समाजवाद के नारे को सुनकर आशा करते हैं कि एक दिन आएगा कि उनको भी अपना सर ढकने के लिए कोई जगह मिलेगी, गरीबी दूर करने की तरफ कोई कदम बढ़ाया जायेगा।

यद्यपि इस विधेयक के जरिए सरकार कोई समाजवादी कदम उठा रही है, वह बात कहना तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि वैज्ञानिक तौर से समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाना, मीन्स आफ प्राडक्शन को अपने हाथों में लेना उनको समाज के नियंत्रण के अन्दर चलाना, वह मुख्य बात है। जिस संपत्ति को आज सीलिंग करके अपने हाथ में लेने की बात हम कर रहे हैं, उन उत्पादन के साधनों को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। यह दरअसल एक सोशल प्राबलेम है जो हमारे राज्य में, सारे देश में है, उसको हल करने की दिशा में हमारा कदम है और कुछ मात्रा में गरीबी हटाओ नारे को ठोस रूप देने की दिशा में यह कदम है। आज इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जिन स्थितियों में इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी, समाज का वह कन्ट्रास्ट हमें और आपको गली गली कूचे कूचे में देखने को मिल रहा है। एक तरफ बड़े बड़े महल चाहे चंद्र महल हो, चाहे रामबाग पैलेस हो, चाहे जहां वर्तमान जयपुर महाराजा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विराजते हैं, चाहे स्टेचू सर्किल के चारों तरफ हिन्दुस्तान के बड़े 2 इजारेदारों की बनाई हुई कोठियां हों चाहे बिड़ला हाऊस हो, पोद्दार हाउस हो, उसीके मुकाबले में हम जाकर देखें कि मिलों के क्वार्टर्स के पास झुग्गियां जिनमें 3—3 फीट ऊंची, जो गरीब अपने बच्चों के लिए, पड़े हुए हैं। वह है समाज का कान्ट्रास्ट जो पुकार पुकार कर कहता है कि इस अन्याय का, इस असमानता को, सभ्य समाज को बरदाश्त नहीं करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं इस सरकार को, मैं यद्यपि क्रिटिक हूं कल के बिल के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म भी की। जिन मंत्रीजी ने उसको रखा उनका क्रिटिसिज्म भी किया लेकिन जहां ड्यू है, सही कदम है वह हम पीछे नहीं हटेंगे उस ड्यू को देने में। इसलिए मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं यह कदम चुनाव के तुरन्त बाद रूलिंग पार्टी ने सही दिशा में हमारे सामने रखा है।

जो बिल का मैन फ्रेमवर्क है उसके अनुसार इसमें यह व्यवस्था की गई है कि लोगों की खास आबादी वाले नगरों में जिनकी सीमायें 10 हजार से लेकर और बड़ी आबादी वाले नगरों को उसमें रखा है उसमें लोगों की प्रापर्टी को सीमाओं को देखा जाए और जिनके पास 3 लाख से ज्यादा संपत्ति जुड़ती है, उसको एक्वायर कर लिया जाए और उनको गरीब प्रापर्टीलेस, सम्पत्तिहीन लोगों में बांट दिया जाए। मैं समझता हूं इस दृष्टिकोण से मेनली यह एक गरीबी और अमीरी को कम करने की दिशा में कोई पूर्ण कदम नहीं है। यह दरअसल मेनली आवास समस्या को हल करने की दिशा में एक कदम है। जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि यदि गरीबी और अमीरी की डिस्पेरिटीज को दूर करने की दशा में कदम होता, जिसको कि हम बहुत चाहेंगे और मैं समझता हूं कि एक कदम के बाद दूसरा कदम उठे इन्कम पर सीलिंग की, एक्सपेंडीचर पर सीलिंग की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और मैं समझता हूं कि जिस तरह से लैंड के सीलिंग ने इनसेंटिव दिया कि यह अरबन सीलिंग आये और यह अरबन प्रोपर्टीज की सीलिंग पर बहस शुरू हो रही है तो इसके बाद में विचार निकल रहे हैं कि इन्कम की क्यों न सीलिंग बंधे। तो यह एक चीज है, एक कदम अच्छा है जो दूसरे कदम को मजबूत करता है। हमारे समाज में एक और तो लोग ऐसे हैं निहित स्वार्थ वाले जो ओब्जेक्शन करते हैं लैंड सीलिंग न करो या लैंड सीलिंग करो तो अरबन सीलिंग भी करो और अरबन सीलिंग नहीं करते तो इस बहाने से लैंड को भी रुकवाना चाहते हैं। वे यह मानते हैं कि चूंकि लैंड पर सीलिंग लगा रहे हैं तो फिर अरबन प्रोपर्टी पर भी सीलिंग लगनी चाहिए। क्योंकि हमारे पांव काटते हो तो इनके भी पांव कटाओ, इस दृष्टि से तो वे दोनों दोस्त हो गए हैं लेकिन सिद्धान्त: उनको बात बुरी लगी है। लेकिन चूंकि उनकी हो रही है इसलिए इनकी भी हो। मैं समझता हूं कि इन दोनों के पीछे सिद्धान्त अलग अलग हैं। लैंड सीलिंग के पीछे प्रोडक्शन का क्वेश्चन है, रूरल इकोनोमी का प्रश्न है और रूरल इकोनोमी को री-आर्गेनाईज करने का प्रश्न है और इसके साथ हाउसिंग प्राब्लम मैनली

(श्री गजानन्द अग्रवाल)

सोल्व करने की दिशा में मामला जुड़ा हुआ है। तो जो स्कीम है इस बिल की बोडली वह इस सीमित घेरे में होती हुई है इसमें जो कुछ इसके अन्दर जैसा मैं यहां निवेदन कर रहा हूं कि इसके फ्रेम वर्क में जहां बोडली इन उसूलों को एग्री करता हूं, बोडली मैं यह भी चाहता हूं कि यह बिल इस सदन में पास हो और प्रवर समिति के लिए पेश करने का प्रस्ताव मैंने केवल दो दिन के अन्दर रिपोर्ट आनी चाहिए, इसलिए दिया है। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार कर लें तो परसों तक रिपोर्ट तैयार करके हम इसको पास कर सकते हैं। और अगर सरकार आज ही अमेंडमेंट को देखकर और इन पर विचार करके आज ही पास कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल इस बिल के जो अभी पेश किया हैं, पक्ष में हूं। लेकिन इस बिल में शार्ट कमिंग्स की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट और माननीय मंत्रीजी उनके बारे में गम्भीरता से विचार करेंगे।

पहला तो मेरा निवेदन करना यह है कि आपने इस बिल को कमेंसमेंट करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की। आपने यह भी नहीं कहा कि यह बिल कानून बनते ही लागू हो जायगा। आपने यह कहा है कि गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन निकालेगी उस तारीख से यह लागू होगा। इस परिभाषा का हम लोगों ने बहुत बड़ा कटु अनुभव किया है। जो लैंड सीलिंग है उसमें भी इस प्रकार का प्रावधान था और वह इस बुनियाद पर किया है कि चूंकि रूल्स फ्रेम करने हैं तो उसमें कुछ समय लगेगा। इसमें यह भी प्रावधान किया है कि कानून के लागू होते ही छः महीने में स्टेटमेंट दे तो पता नहीं रूल्स बनने में छः महीने से ज्यादा समय लग जाय और छः महीने में वह स्टेटमेंट नहीं दे तो उसके ऊपर जुर्म बन जाता है तो कसूर सरकार का और जुर्म जनता का, यह बात गलत हो जाएगी। इसलिए सरकार इसमें प्रावधान करे कि कमेंसमेंट बाद में होगा और जब रूल्स बन जायेंगे। हमारा अनुभव है कि सन् 1960 में बिल पास किया, हमारे हाथ से शक्ति चली गई और सेक्रेट्रियेट के हाथ में पावर पहुंच गयी। तीन वर्ष तक रूल नहीं बने और रूल नहीं बने तब तक लागू नहीं हुआ। मैं यह समझता हूं कि इसलिए हमारे सामने रास्ता है। हम इसको इफेक्टिव इमीजियेटली बनायें। नहीं बनाने से वह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की जो धारा है कि 1-1-72 के बाद की तमाम सैल्स अन-रिकोग्नाईज्ड रहेंगी, नाजायज होंगी, इल्लीगल होंगी, इसलिए अगर आपने इसे ऐन्फोर्स नहीं किया तो वह धारा भी एन्फोर्स नहीं होगी। अगर आप इमीजियेटली एन्फोर्स नहीं करेंगे तो जयपुर महाराजा जो बेच रहे हैं खातीपुरा की जमीनें उसको आप नहीं रोक सकेंगे। अगर आप इसको इमीजियेटली इफेक्टिव बना देते हैं और स्टेटमेंट देने के लिए यह कह देते हैं कि स्टेटमेंट उस तारीख से तीन महीने के अन्दर या छः महीने के अन्दर दिया जाएगा जब कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल कर इस तरह का स्टेटमेंट देने का आदेश देगी। तो आप नोटिफिकेशन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लिए प्रावधान रख लीजिए लेकिन उसमें वह रूल्स बनें तो आप नोटिफिकेशन लगा लीजिए ! लेकिन उसके लिए कमेंसमेंट को रोकना कोई अक्लमंदी नहीं है। इसके अन्दर जो महत्वपूर्ण धारायें हैं जिसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रूल्स वगैरा या, ट्रांसफर वगैरा का सम्बन्ध रखती है, जो आज बहुत जरूरी है, उसका भी अगर कमेंसमेंट अगर अभी से नहीं होगा तो उसको भी इन-इफेक्टिव बनाए रखेंगे और उसका मतलब यह होगा कि उससे पहले आपके लोग जो भी सेल करेंगे उसको आप रोक नहीं सकेंगे। इसमें आपने कहा है कि रजिस्ट्रेशन करने वाले आफिसर्स ऐसी प्रोपर्टी की सेल के लिए आए तो वह उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, यह भी लागू नहीं होगा जब तक इसका एन्फोर्समेंट नहीं होगा। अगर हम आज इसे पास कर देंगे और कल हमें राज्यपाल महोदय की इसके अन्दर स्वीकृति मिल जाती है तो परसों ही यह लागू हो जाता है। तो परसों ही अगर सेल करे, जयपुर महाराजा तो आपका रजिस्ट्रेशन करने वाला आफिसर इसको इन्कार कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने वाली वह धारा लागू हो जाएगी। अगर रूल्स तक इन्तजार किया तो वह धारा लागू नहीं होगी। इसलिए एक तो मेरा निवेदन यह है कि इसको बदलें। इसका एन्फोर्समेंट तुरन्त करें और स्टेटमेंट मांगने के लिए आप नोटिफिकेशन के बाद इसके अन्दर रख दें। उस नोटिफिकेशन में आप छः महीने न रख कर तीन महीने कर दें तो समय भी बच सकता है। मैं समझता कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी स्टेप लें कि एक महीने से ज्यादा रूल्स बनने में नहीं लगना चाहिए किसी भी हालत में, यह अश्योरेंस इस ऑगस्ट हाउस को देना चाहिए ताकि वह हिस्ट्री रिपीट नहीं हो जो एग्रीकल्चर सीलिंग के बारे में हुई है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की बात है। इस बारे में मैंने यह सजेस्ट किया है कि इस की डेट 1-1-71 होनी चाहिए। एक साल पहले जो आपने कहा है उससे पहले वह डेट रखनी चाहिए। यह डेट आर्बीट्रेरी नहीं है। जब लोकसभा के चुनावों की घोषणा की गई थी उस समय इलेक्शन मेनीफेस्टों में आपने कहा है कि आप अरबन सीलिंग भी लगायेंगे और उस वक्त सारे देश में घोषणा हो चुकी थी। इसलिए इसके बाद देखेंगे कि ट्रांसफर प्रोपर्टी का बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। 1-1-72 से रखेंगे तो कितने ही रूलर्स, बड़े लोग और पूंजीपतियों ने ट्रांसफर प्रोपर्टी का किया है वे सबके सब स्काट-फ्री निकल जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप 1-1-71 से दें।

तीसरी बात जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि फेमिली की डेफिनेशन मे आपने माईनर चिल्ड्रन, हस्बेंड एण्ड वाईफ एण्ड अनमेरिड डाटर्स रखा है। इसका मतलब यह है कि इसमें मैरिड डाटर्स तो हो नहीं सकती। मेरा कहना यह है कि जो मेजर सन्स हैं वे भी परिवार के अन्दर ही रहते हैं। मेजर सन्स को भी उसी के अन्दर, परिवार के अन्दर रखना चाहिए एक लड़का मेजर होने पर भी बगैर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बाप के साथ ही रहता है। इस रूप में उसको बिना ब्याहे अलग फैमिली मानना मेरे ख्याल से गलत है।

(व्यवधान—अश्रव्य)

लेकिन मैं सार्वजनिक हित का खयाल रखते हुए केदारजी का खयाल नहीं करूंगा। फिर मेरा यह भी कहना है कि इसमें आपने मार्केट वेल्यू की जो सीलिंग लिमिट मुकर्रर कर रहे हैं, उसकी बिल्ड वेल्यू जो भी जिस समय वह लागू हों उस वक्त लागू हो तो यह बड़ी वेरियेबल चीज है मैंने इसमें स्पष्ट किया है आइडिया स्टेन्डर्ड वेल्यूएशन का। स्टेन्डर्ड वेल्यूएशन का आइडिया, वह वेल्यूएशन जो 1-1-71 को एक्जिस्टिंग प्रोपर्टी की थी या नई प्रोपर्टी बनी उस किस्म की प्रापर्टी, उसका 1-1-71 को वैल्यूएशन होता, बेस इयर 1-1-71 को मान कर चलें तो वह वेरिएबल नहीं होगा वरना यह हो जावेगा। मैं समझता हूं कि इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि इसका बेसिस हाउसिंग का है। एक फेमिली को कितनी अकमोडेशन देनी चाहिए। एक बैसिस होना चाहिए। एक आदमी का परिवार है उसको एक कमरा दो कमरा। एक यह बेसिस रखा है कि एक पांच आदमियों की फेमिली का परिवार है एक एक परिवार के व्यक्ति के लिए एक कमरा किचन बाथ रूम लेट्रिन उसके बाद सीलिंग की बात की। उसमें जो स्पेस होता है होरिजेन्टल हो या वरटिकल हो। कितनी ही बिल्डिंग बन रही हैं इतनी बात कहने से काम नहीं चलेगा। जनसंघ के माननीय सदस्य ने एक हजार स्क्वायर फीट की बात की है। छोटी जमीन में बनने शुरू हो जावेंगे, अकमोडेशन तो उसमें भी ज्यादा होती है, होरिजेन्टल हो या वरटिकल हो, उनका दृष्टिकोण होना चाहिए। जल्दी में प्रस्ताव पेश नहीं कर सके, वेल्यूएशन लगाते समय उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें सीलिंग लिमिट सजेस्ट की गई है उसमें संशोधन की बात है। दूसरे माननीय सदस्य मेरे दल के हैं उन्होंने सुझाव रखा है सिंगल आदमी के 1 लाख, पांच आदमियों के दो लाख और मेक्सिमम 3 लाख और कार्पोरेट बोडी के लिए जो कि इमपर्सनल पर्सन है एक एक आदमी बढ़े उसके लिए सजेशन दिया है। इसका भी बेसिस है। बिहार ने पांच आदमियों का परिवार सजेस्ट किया है 2 लाख। पंजाब ने 2॥ लाख और यू.पी. ने 2॥ लाख। हमारी स्टेट में प्रोपर्टी है उत्तर प्रदेश और पंजाब से हमारी पर केपिटा इन्कम कम है हमारा लेवल आफ डेवलपमेंट कम है। टोटल जी.एन.टी. भी कम है डेवलपमेंट भी कम है इसलिए यू. पी. और पंजाब से कम होना चाहिए। ज्यादा होना किसी प्रकार जस्टिफाइड नहीं है। दो लाख पांच आदमियों की फेमिली के लिए सजेस्ट किया है। कितना लिविंग स्पेस चाहिए। पांच आदमियों की फेमिली। पांच कमरे और उसकी कितनी कीमत। एवरेज दो लाख निकलता है यह हमारा सजेशन है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

जल्दी खत्म कर देता हूं।

फिर एक्जम्पशन के बारे में निवेदन

Page No. 81

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना चाहूँगा कि यह जो एक्जेम्पशन का सैक्शन है उसको जरा गौर से देखने का प्रयत्न करें। इसमें एक्जेम्पशन की बड़ी लूप होल्स नजर आती हैं। आपने चेरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट्स को एक्जेम्प्ट किया है, जिनाइज चेरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट्स को एक्जेम्प्ट करने से मुझे भी इन्कारी नहीं है लेकिन आज ही मुझे समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ने को मिली कि कोटा के भूतपूर्व महाराजा एक चेरिटेबल बना रहे हैं अपनी प्रोपर्टी का। यह चेरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट बना कर लोगों ने अपनी प्रोपर्टी को प्रोटेक्ट करने का तरीका पहले भी अपनाया इसलिए इस धारा के जरिये ऐसे लूप होल्स न खोल दें जिससे और लोग अपनी प्रोपर्टी को सीलिंग से बचा जायं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्डियन ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने चाहिए और 1–1–71 से पहले रजिस्टर्ड होने चाहिए। न्यू ट्रस्ट बनाये जांय तो सीलिंग के परपज को डिफोर्ट करना हुआ। और ऐसा करेंगे तो नया रास्ता खोल देंगे। माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें।

आपने धारा 4 बी में जो क्लाजेज रखे हैं ये बड़े कान्ट्राडिक्टरी हैं। मकसद क्या है यह समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट का क्या मकसद है, इन्डस्ट्रीज की बिल्डिंग, बिजनेस हाउसेज की बिल्डिंग, होटल्स, सिनेमा की बिल्डिंग्स खुद चलाते हों उनको एक्जेम्प्ट करना वाजिब है क्या? पहला सैक्शन आप देखियेगा कि 4 में, अंग्रेजी में पढ़ूंगा 4 बी का सैकिन्ड पार्ट आप पढ़ेंगे। उसमें कहा है—

"(b) any urban property or part of the property—

× × × ×

(ii) owned and used by the owner himself for the exclusive purpose of an industry, commerce, trade or business, professional activity, hotel, cinema, private hospital, educational institution or public club, provided that the urban property may be so owned and used in accordance with all the laws, rules, bye laws, regulations, orders etc. if any, made by the Central or the State Government, Municipality, Urban Improvement Trust or any other competent officer or authority."

अगर यहां तक ही पढ़ें और एक्सप्लेनेशन को नहीं जोड़ें तो इससे साफ मतलब यह है कि ऐसे तमाम बिजनेस हाउसेज और इन्डस्ट्रियल हाउसेज, होटल्स रैस्टोरैन्ट्स, सिनेमा हाउसेज वगैरह जिसके मालिक खुद अपने बिजनेस के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप एक्जेम्प्ट करते हैं। लेकिन आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ें तो आपने डिफाइन किया है एक्सक्लूजिव यूज फोर हिमसेल्फ किया और उसके लिये यह कहा है कि एक्सक्लुजिव यूज फोर हिमसेल्फ के माने यह होंगे कि वह प्रोपर्टी एक्सक्लुजिवली अपने मेंबरर्स और एम्प्लाइज के हाउसेज के एकमोडेशन के देने लिये तय की जाय।

श्री परसराम मदेरणा : Explanation is more stringent.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक पहले जो बात कही है कान्ट्राडिक्ट कर देता है। मैं खुद चाहूंगा कि मालिकों के मकान, रैस्टोरेन्ट्स्, होटल्स आदि उसकी अरबन प्रोपर्टी है चाहे किराये दे रखी है या खुद बिजनेस करता हो। मेरे मकान, दुकान, होटल आदि हैं। आप बताइये सीलिंग सिर्फ मकान और दुकान और होटल्स आदि सब पर लगाना चाहते हैं और उन सब को शामिल करना चाहते हैं ? मेरा यह कहना है कि मकान, होटल, सिनेमा आदि मेरे दस धन्धे हैं तो दस की दस जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सब को शामिल करके सीलिंग लाइये। आपकी नियत यह मालूम पड़ती है क्लाज 'बी' का सैकिन्ड पार्ट इस बगैर एक्सप्लेनेशन के हो यह आपकी मंशा है। बिजनेस हाउसेज एक्जेम्प्ट करना चाहते हैं सिवाय इसके कि किराये पर दिये हुए हों। यह उसकी प्रोपर्टी में शामिल होने चाहिये और आपकी मंशा एक्सप्लेनेशन वाली है तो कह दीजिये ऐसे मालिक की प्रापर्टी है जिसको एक्स-क्लुजिवली अकमोडेशन के लिये यूज करता है। उसमें एक सेंस है। जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स है, इसमें मजदूरों के लिये क्वाटर्स बनाये हों। और वह क्वार्टर्स ही 5 लाख के हैं तो उन क्वार्टर्स की कीमत को मान कर यह कह दें कि इस सीलिंग में इतनी प्रोपर्टी आ गयी और तुम दो तो यह दुरस्त नहीं होगा। ऐसा और हुआ तो लोग मजदूरों के लिये मकान नहीं बनायेंगे। तो उनको तो एक्जेम्प्ट करना चाहिये, यह बात कुछ समझ में आ सकती है इसलिये मैंने अपने अमेण्डमेंट को मूव किया है और जब अमेन्डमेंट्स आयेंगे तब उस पर बोलूंगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको गम्भीरता से देखें। इसमें बहुत बड़ा लेकुना नजर आता है और अखबार वालों ने न्यूज फ्लैश की है उन्होंने यही कहा है कि बिजनेस हाउसेज, इन्डस्ट्रियल हाउसेज सब एग्जेम्पट कर दिये गये है। तो सामान्य आदमी के दिमाग में यही असर इसका पड़ता है और अगर यही मकसद है एग्जेम्प्ट करने का तो मैं द्वारा विरोध करता हूं और जैसा एक्सप्लेनेशन में है, इसका कन्सट्रक्शन गलत है और आप इसको दुरुस्त कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जो सेक्शन 5 आपने फ्रेम किया है जिसमें आप प्राहिबीशन करना चाहते हैं सीलिंग से ज्यादा जमीन कोई रख नहीं सकेगा। आपने इस बिल में कोई पाबन्दी नहीं लगाई। आपने बिल में यह तो पाबन्दी लगाई है कि 1–1–72 के बाद सीलिंग से ज्यादा कोई खरीद नहीं सकेगा। सेक्शन 3 है जो डिफाइन करता है सीलिंग एरिया को और वह पाबन्दी नहीं लगाता। सीलिंग लिमिट को डिफाइन करता है। 5 आदमी हैं तो 3 लाख रुपया होगा। सेक्शन 5 है जो पाबन्दी लगाता है सेक्शन 5 माननीय सदस्य देखेंगे कि जो आलरैडी एग्जिस्ट करता है। आपकी प्रापर्टी है उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगती लेकिन फ्यूचर एक्वीजीशन पर आपकी पाबन्दी लगती है। मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी एग्रीकल्चरल सीलिंग थी उसके अन्दर जो शब्दावली इस्तेमाल की गयी है उसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दोनों बातों को कवर किया है। माननीय सदस्य देखें कि उसमें यह लिखा है:

"Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, no person shall as from the date notified by the State Government in this behalf, continue to hold or retain in his possession in any capacity and under any tenure whatsoever, land in excess of the ceiling area applicable to him."

तो यह तो एग्जिस्टिंग लैंड के बारे में आ गया और दूसरा "acquired by purchase, gift or mortgage,"

यह आ गया फ्यूचर एक्वीजीशन के बारे में। अब आप इसको धारा 3 पढ़िये हैडिंग ही यह कहता है:

"Restriction on acquisition of urban property in excess of ceiling limit.

अब आगे लिखा है:

"On and from the commencement of this Act, it shall not be lawful for any person to acquire by construction, purchase, mortgage or otherwise any urban property except by way of inheritance, settlement"

तो यह फ्यूचर एक्वीजीशन के बारे में है। माननीय मंत्री जी यह बतायें कि एग्जिस्टिंग प्रापर्टी की सीलिंग लिमिट कहां लगाई है? आपने प्राहिबिट कहां की है? कौन सा सेक्शन है इसमें आदमी कहेगा कि आगे नहीं लेंगे, अभी है तो महाराजा जयपुर बहुत खुश होंगे कि इन्वेन्ट्री में जितनी भी प्रापर्टी है यह तो सारी बच गयी, अब आगे बढ़ाते तो है नहीं इसलिये खूब बेचेंगे। इसलिये आपने आश्वासन दिया उसकी उल्टी बात हो रही है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं नहीं जानता माननीय मंत्री जी ने यह बात सुनी या नहीं ..

श्री उपाध्यक्ष: इस क्लाज पर अमेन्डमेन्ट हो तब बोल लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अब मैं अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि इस बिल में जो टेनेन्टस उनके ऊपर बसे हुए है उनके प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं कही गयी है। इसमें यह कहा गया है कि जो सरप्लस प्रापर्टी होंगी उसे गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगा और काम्पीटेन्ट अथारिटी उसको अपने कब्जे में ले लेगी। और सिम्बोलिक कब्जे की बात है टेनेन्ट्स के राइटस प्रोटेक्टेड होते हुए तो ठीक है लेकिन इसमें कहा है कि तमाम लाज एप्लीकेबल नहीं होते। हमारा ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट या प्रिमिसेस रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट है उन सब को ओवरराइड कर जायेगा क्योंकि यह बाद की डेट में आ जायेगा। इसलिए it will have an overriding value तो मैं चाहता हूं कि किरायेदारों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। फिर जो आदमी प्रापर्टीलेस है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इकानामिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए तो डिफाइन करना चाहिए कि सरप्लस लैण्ड पर जो ऐसे लोग बैठे हुए होंगे उनको वही प्रापर्टी दी जायगी और उनको वहां से हटाया नहीं जायगा और उनको निश्चित रूप से वहां पर रखा जायेगा। अब वस्ता कौन इस बिल में प्रापर्टीलेस है, कौन होमलेस है, कौन पूअर है यह कुछ नहीं कहा गया है बल्कि यह बिल्कुल वेग है। अच्छा तो यह होता कि इसी में डिफाइन होता लेकिन क्योंकि समय नहीं था इसलिए मैंने कहा है कि प्रेस्क्राइब्ड इन दी रूल्स कर दीजिए नहीं तो वेगनेस की वजह से अल्ट्रावायर्स हो जायेगा। इसलिए इनको डिफाइन करने का जरूरत है। कौन है प्रापर्टीलेस, कौन है पूअर, कौन होमलेस है और कौन, बैकवर्ड है इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा।

अन्त में इम्प्लीमेन्टेशन की बात बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि जैसा माननीय शिवचरण जी माथुर ने लैण्ड सीलिंग के बारे में कहा था वही बात इसमें भी लागू होती है। मैं अभी कुछ अमेन्डमेन्ट्स पढ़ रहा था तो, उपाध्यक्ष महोदय मुझे कुछ अमेन्डमेन्ट्स जनसंघ के माननीय सदस्यों के भी पढ़ने को मिले। सीलिंग के बारे में भागलपुर में रिज्योल्यूशन हुआ और उसमें कहा गया कि जनसंघ बहुत जोरों से सीलिंग बिल का सपोर्ट करेगा। लेकिन यहां अमेन्डमेन्ट्स हैं इनको देखकर आप हैरान हो जायेंगे। नये कांग्रेस के माननीय सदस्य, सोशियेलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य तो यह कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और पीछे करो और जनसंघ के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जब कमेन्समेन्ट हो तो 6 महीने और खुली छुट्टी रखो कि सब बेच बाचकर छुट्टी कर लें। 6 महीने के लिए खुला छूट दे दो। कमेन्समेन्ट हो तो उसके 6 महीने बाद तक बेच सकते हैं और उसके बाद प्राहिबीशन लागू होगा। तो यह बहुत बड़ा गरीबों के प्रति और सीलिंग के प्रति हमदर्दी का रुख जनसंघ की तरफ से हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि चाहे जब नकाब हटने से चेहरे को नहीं छिपाया जा सकता, असलियत सामने आकर रहती है। तो मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि इस कानून को, जो कि करोड़ों और लाखों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है इसको इन संशोधनों के साथ हम जल्दी से जल्दी पास करेंगे। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपने अमेन्डमेन्ट मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष जी यह हमें खुशी है कि राज्य सरकार की ओर से शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण का कानून सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। हम कई दिनों से इन्तजार करते थे क्योंकि, जबकि एग्रीकल्चरल प्रापर्टी के सीलिंग की बात संविधान जब लागू हुआ उसी दिन से सुनते आ रहे हैं और उसके साथ ही साथ शहरी सम्पत्ति को लिमिट करने की बात नहीं कही गयी। उसका नतीजा यह हुआ कि सबसे ज्यादा फायदा शहरी प्रापर्टी

Page No. 85

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अर्जित करके लोगों ने प्राप्त किया। कुछ हिन्दुस्तान में ऐसे घराने हैं जिनमें करोड़ों रुपयों की शहरी सम्पत्ति उन्होंने अर्जित की है और प्लाण्ड इकानामी का फायदा उठा कर जिस जमीन की कीमत कम थी उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती रही और उस पर बड़े बड़े मकान बनाये गये और उपको कोई लिमिट नहीं रही। तो उपाध्यक्ष जी जब यह विचारधारा आई तो प्रापर्टी जब कि कुछ लिमिटेड आदमियों के हाथों में आई है और उनमें मेटेरियल रिसोर्सेस सेन्ट्रलाइज हो गये हैं और जो इकोनोमिक पावर स्टेट में वेस्ट होनी चाहिए वह लोगों में वेस्ट हो गई। समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाना है तो ऐसे लोगों के ऊपर कन्ट्रोल करने की जरूरत है और जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपयों की सम्पत्ति अर्जित करली है उसको भी लिमिट करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष जी इसी विचारधारा को लेकर जब मिडटर्म पार्लियामेन्ट के इलेक्शन्स थे उसके मेनीफेस्टों में यह भी रखा गया था कि जो पूंजीपति लोग हैं उनकी सम्पत्ति के ऊपर हम सीलिंग से हमारे पास धन उपलब्ध होगा वह खजाने में जायेगा और जो ज्यादा हाउसेस हैं उनको एक्वायर करके जिनके पास हाउसेस नहीं हैं और जो हाउसिंग की प्राब्लम है उसको हम साल्व करेंगे। तो इस रूप में सभी स्टेटों में यह बिल बनाने के ड्राफ्ट बने, सेन्टर में भी बना और हमारी राज्य सरकार ने भी यह बिल प्रस्तुत किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार ने काफी अच्छा प्रयास किया है। फिर भी इसमें काफी लेकूना है। इस कानून में कोई लेकूना नहीं रहे इसके लिए दूसरी स्टेट्स के कानून हैं उसकी भी स्टडी की जाये। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अभी भी इसमें काफी लूप होल्स हैं। इसलिए इसमें काफी चेन्जेज करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय अगर इन लेकूनाज को खतम नहीं किया तो जिस तरह से बड़े बड़े केपिटलिस्टस लोग अपने इन्कम टैक्स एडवाइजर से या अपने दूसरे लीगल एडवाइजर्स से इसमें जो लेकूनाज हैं उनका फायदा उठायेंगे और इस प्रकार सरकार को काफी नुकसान रहेगा। और इस बिल का जो ध्येय है वह पूरा नहीं होगा। आज भी टैक्स पेयर्स जो केपिटलिस्ट वगैरह हैं, गवर्नमेन्ट के करोड़ों रुपये के टैक्स का इवेजन करते हैं। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि, उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की वास्तविक इच्छा कानून को लागू करने की है तो सरकार को चाहिए इसमें पूरी सावधानी बरते। नहीं तो जिस तरह आज कई सालों से सरकार बिल पास कर देती है पर उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है क्योंकि बिल पास होने के बाद उनका नोटीफिकेशन वगैरह कई अर्से तक नहीं निकलता। दूसरे कई बार बिल के क्लाजेज ऐसे वेग होते हैं कि जो बिल लाने का ध्येय होता है उसका ध्येय पूरा नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट बने वर्ष हो गये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पर उसमें इस प्रकार की कानूनी लेकूनाज रह गये थे कि आज तक उसका इम्पलीमेन्टेशन पूरी तरह से नहीं हुआ।

(2.52 म. प.)

श्री भानुकुमार शास्त्री (सभापति महोदय, पदासीन)

उसमें ऐसी कानूनी कमियां रही कि उसका सही अर्थों में काश्तकार को लाभ नहीं मिल सका। आज कई बार ऐसा होता है कि सरकार बिल पास तो कर देती है पर उसके बाद में जो पीरियड वगैरह उसके नोटीफिकेशन में इश्यू होता है वह समय पर नहीं होता है तो फोर्मेलिटीज पूरी होना जरूरी होता है वह कई बार नहीं होती है। जिससे काफी समस्यायें पैदा हो जाती हैं। आज राज्य सरकार कोई कानून बना देती है पर रूल्स के अभाव में उन कानूनों की दुर्गति हो जाती है और वह कानून रूल्स के अभाव में लागू नहीं हो पाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर्वोडिनेट लेजिस्लेशन में रूल्स 6-6, साल 7–7 साल बाद भी कानून बनने के बाद भी उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है। इतने महत्वपूर्ण कानून होते हैं, सभापति महोदय, कि उनमें स्टेट पालिसी रिलेट होती है पर चूंकि उनके रूल्स नहीं बनने के कारण जो जनता को फायदा होना चाहिये वह नहीं हो पाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि रूल्स समय पर ड्राफ्ट हो, जिनमें डिले नहीं होनी चाहिये। इसके लिए जरूरी है कि समय पर रूल्स का नोटीफिकेशन हो, जिस जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक का कानून हो, उन डिपार्टमेन्ट को चाहिये कि वे रूल्स का नोटिफिकशन तुरन्त करें। और उनके इम्पलीमेन्टेशन का कोई पीरियेड निर्धारित नहीं होना चाहिये। सभापति महोदय, आज सरकार ने 5 सदस्यों की फेमिली के लिये 3 लाख की प्रोपर्टी रखी है और उसके बाद में 25 हजार रुपये की सम्पति की 4 सदस्यों को छूट है। ये अपने 4 लाख रु0 की प्रोपर्टी पर सीलिंग को बहुत अधिक छूट दे रखी है। आज अपने राजस्थान जैसे स्टेट के लिये राज्य सरकार को चाहिए यह कम की जाय। इधर राज्य सरकार ने 30 स्टेण्डर्ड एकड़ को घटा कर जो 18 स्टेण्डर्ड एकड़ कर दी है जिससे किसानों को काफी नुकसान रहेगा। क्योंकि किसान तो टेक्स का इवेजन नहीं कर सकता है लेकिन इस अरबन सीलिंग कानून में काफी लूप होल्स हैं। इसलिये इन्हें समाप्त किये जायं। राज्य सरकार को चाहिये कि इसकी लिमिट कम की जाय। आज कई केपीटलिस्टों ने अपने बड़े मेकेनाइज्ड फार्म बना रखे हैं, केटल ब्रीडिंग फार्म्स बना लिये और कई प्रोपर्टीज ऐसी बना रखी हैं जो सीलिंग में नहीं आ सकती हैं जिससे एक्जेम्प्टेड हो गये हैं। और जो गवर्नमेंट एग्जेम्प्शन देती है उनका मिस यूज करते हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि एग्जेम्प्शन्स किसी प्रकार के नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दिये जाने चाहिए। आज हिन्दुस्तान के जो 20 घराने हैं उन्हें काफी एक्जम्पशन दिये हुए है। उनके एक एक के पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है उनके एक्जम्पशन्स खत्म होने चाहिये। इनके पास करोड़ों रुपये की इम्मूवेबल प्रोपर्टी के साथ साथ करोड़ों रुपये की मूवेबल प्रोपर्टी भी होगी। अगर आपको राजस्थान की जनता की हालत सुधारनी है और समाजवाद को लाना है तो राज्य सरकार के लिये यह जरूरी हो जाता है कि वह इस कानून में और सुधार करे।

आज हमारे राजस्थान की इकोनोमिक कन्डीशन दूसरी स्टेट्स पंजाब हरियाणा, महाराष्ट्र, यू. पी., मद्रास वगैरह से बहुत खराब है वहां पर अरबन सीलिंग की सीमा चाहे 3–4 लाख की रख दे पर हमारे यहां पहले 5 सदस्यों के लिये 1 लाख रुपये और बाकी के लिये 1 लाख और रख कर कुल 2 लाख रुपये की मेक्जीमम प्रोपर्टी तक ही छूट होनी चाहिये। इसके ऊपर कोई छूट नहीं होनी चाहिये। अगर ऐसा करेंगे तब तो जो आशायें आज राज्य सरकार से जनता को बन्धी हुई हैं उनकी पूर्ति होगी नहीं तो उनकी आशाओं की पूर्ति नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन है मेक्जीमम 2 लाख रुपये तक की सम्पत्ति पर ही छूट रखी जाय, इसके बाद की जो प्रोपर्टी है उसे राज्य सरकार द्वारा अरबन सीलिंग में ले लेनी चाहिये। और बाद में उसे जनता में एलोट करनी चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रोपर्टी सीलिंग के अन्दर राज्य सरकार के पास में आये उसका अलोटमेन्ट भी गरीब जनता में किया जाना चाहिये ताकि गरीबों को राहत मिले और अगर इसका एलोटमेन्ट गरीबों में नहीं हुआ तो सभापति महोदय, जो आज कांग्रेस ने चुनाव में वायदे किये थे वे पूरे नहीं हो सकेंगे। इसलिये हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सीलिंग की लिमिट कम हो और इसके साथ कानून में ऐसा कोई लेकूना नहीं रहना चाहिये जिससे कि लोगों की प्रोपर्टी सीलिंग में आने से बच जाय। आज कई बड़े बड़े सेठ साहूकारों की, राजा लोगों की प्रोपर्टीज विदेशों में है और दूसरी स्टेट्स में भी है इसलिये इस कानून में ऐसा प्रोविजन रखा जाना चाहिये कि उनकी सभी प्रोपर्टी सीलिंग में आ जाये। इसके लिये आपको स्ट्रींजेन्ट कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रोपर्टी को एक्वायर करने के लिये काम्पीटेन्ट आथोरिटी को रखा है जिसमें कलेक्टर और कुछ सीनियर आई. ए. एस. रखे हैं। सभापति महोदय, इस सरकारी मशीनरी के जरिये आप इस कानून का इंम्पलीमेन्टेशन करा लेंगे मुझे वहम है। और इसकी आशा नहीं कि आप यह कर सकेंगे। इसलिए एडवाइजरी कमेटी, पीपल्स कमेटी को इसमें एडवाइस के लिए, गाइडेन्स के लिए आपको रखने की आवश्यकता है ताकि यह अगर कहीं पर कोई प्रापर्टी की जानकारी नहीं हो या गलत हो तो कम से कुछ क्लब करना हो तो आपको बता सकें। तो इस प्रकार की असिस्टेन्स के लिए कमेटी बनानी चाहिये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और हर तरह के लोगों को और खास कर बेनिफिशियरीज को, जिन लोगों को हम देना चाहते हैं उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज को रख कर वह कमेटी होनी चाहिए और अधिकारियों को सिर्फ जमीन एक्वायर करने के लिए रखें। तो इसमें वह मुझे दिखाई नहीं दिया। इसके लिए राज्य सरकार ने कोई प्रोवीजन नहीं डाला है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछला जो अनुभव है उसकी स्टडी करके उस अनुभव के आधार पर भविष्य में यह मामला पेचीदा और कम्प्लीकेटेज न हो, और इससे हर तरह से राज्य की मन्शा पूरी हो। इसके बारे में काम्पीटेन्ट अथारिटी के साथ साथ दूसरी बोडी का गठन स्टेच्यूट में होना चाहिए, ताकि एक्वायर करने में, लेने में अपने अनुभव से असिस्ट कर सके और प्रापर्टी का कन्सोलमेंट नहीं हो सके।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने यह प्रोवीजन जरूर डाला है कि प्रापर्टी का कन्सोलमेंट कर देंगे तो पनिशमेंट के लिए दो साल का इम्प्रिजनमेंट का प्रोवीजन रखा है। परन्तु इसमें अपील करने का प्रोवीजन है इस चीज को देखते हुए इन्कम टैक्स का एक्ट में भी बहुत से प्रोवीजन रखे हुए हैं उसके बावजूद भी हमेशा टैक्स का इवेजन किया जाता है; लीगल एडवाइजर्स की हेल्प लेकर इवेड कर लेते हैं। जो कन्सोलमेंट करने वाली चीज है उसको क्लोज करने की आवश्यकता है। इसलिए सलेक्ट कमेटी में भेजकर दूसरी स्टेट में यह कानून लागू हुआ हो और जहां भी हो तो इसको देखकर और भी इसको मजबूत बनाया जाय ताकि वह स्टेटमेंट गलत न दे और कन्सोलमेंट न हो। जो कम्पेन्सेशन देने की बात है और सुभीता देने की बात है, ये बातें आ सकती हैं तो वह उसके अन्दर डाल सकते हैं।

सभापतिजी, जो प्रापर्टी है, बनी हुई है उसका फाइव टाइम्स और वेकेन्ट लेण्ड रखने की छूट दे रखी है। तो फाइव टाइम्स का जो रखा हुआ है वह ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा दुगुना और मेक्जीमम थ्री टाइम्स काफी है। फाइव टाइम्स अगर रख देंगे तो ज्यादा होगी, और इसके अन्दर जो राज्य सरकार की मन्शा है उसकी पूर्ति नहीं होगी और पूरी प्रापर्टी आपके हाथ में नहीं आयेगी।

सभापतिजी, इन चीजों को लेकर यह जो सारा एलाटमेंट का सवाल है वह किस तरह से होगा। इसका इसके अन्दर प्रोवीजन नहीं है। ओपीनियन के लिए, सलाह देने के लिए कैसी कमेटी होगी, कौन एडवाइजर्स होंगे जिनको साथ में रखकर वह करेगा, इसका प्रोवीजन इसमें नहीं है। एडवाइजर्स सलाह के लिए भूमि एलाटमेंट कमेटी में रखे गये थे तो उसमें पहले तहसीलदार था और बाद में एस. डी. ओ. को रखा, पोपल्स रिप्रेजेन्टेटिव भी थे फिर भी गलत एलाटमेंट हो गये। जिन लोगों को देने का लक्ष्य आपका है वे लोग बाहर बैठे रह जाते हैं, उनको नहीं मिलता है। जैसे पहले फर्जी लेण्डलेस की लिस्ट बनकर एलाटमेंट हो गये और लेण्ड अनधिकृत आदमियों के हाथ में चली गई। तो इस तरह से वापस होमलेस बनकर इनको ही एलाटमेंट हो गया तो मुश्किल होगा। तो इस बारे में एक स्टेच्यूटरी कमेटी बनानी चाहिए ताकि इसके अन्द

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जो हमारी एलाटमेंट की मन्शा है, जिनको हम बेनिफिट पहुचाना चाहते हैं उनको फायदा मिल सके।

सभापतिजी, जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स इस बिल के अन्दर दिये हैं उनकी पूर्ति करने के लिए कानून में प्रोवीजन होना चाहिए और सारी स्टेट के कानूनों को देखकर इस प्रकार का प्रोवीजन इसमें डाल देना चाहिए। लैण्ड सीलिंग का एक्सपीरियेन्स भी आपके सामने है और उससे भी कम्प्लीकेटेड यह बात है। उसमें तो रेकार्ड आफ राइट है, सब तरह के आधार हैं, सब तरह के आधार हैं, और प्रापर्टी का राज्य सरकार के पास कोई रेकार्ड नहीं होगा तो कम्पीटेन्ट आथोरिटी को यह देकर रेकार्ड तैयार कराना होगा। और आफिसर्स का करैक्टर और कन्डक्ट जो आजकल का है वह आपके सामने मौजूद है। किस तरह से एक कामन मैन, एक गरीब के लिए वे काम करते हैं यह एक्सपीरियेन्स आपके सामने है। यह कठिन परिस्थिति है। राज्य सरकार मेहनत करके जो करैक्टर वाले लोग हैं, इन्टेग्रिटी के लोग हैं, आफिसर हैं उनको लगाकर कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कानून तो पास कर दें और उसका इम्प्लीमेन्टेशन न हो और फिर इलेक्शन आयेगा और गांवों में लोगों के सामने जायेंगे तो मुंह नहीं बता सकेंगे। कानून पास करके उसका इम्प्लीमेन्टेशन करायेंगे तो कानून की मन्शा पूरी होगी जो कि इम्पार्टेंट है। कानून तो कोई भी पास करके हम रख सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेन्टेशन बहुत मुश्किल है। आपने आक्ट्राय टैक्स को खत्म किया और दूसरा टैक्स लगाया। उसके अन्दर इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ। पहले भी नगरीय सम्पत्ति के बारे में मथुरादासजी ने एनाउन्समेंट किया था वेकेन्ट प्लाट्स पर कुछ लगाने का। वह भी एलान हो गया। उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। यह कानून बनाया है तो इसके हर क्लाज को एक्जामिन करके वापिस सलेक्ट कमेटी को एक या दो दिन के लिए दे दें, ज्यादा डिले करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हम एग्रीकल्चर लैण्ड का सीलिंग का कर रहे हैं तो साथ ही यह इम्पार्टेन्ट मसला है जिसको कि इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो लूप होल्स है उनको प्लग करने के लिए, इम्प्लीमेन्टेशन की मशीनरी वगैरह के लिए कमेटी के गठन के लिए वापिस इसको एक्जामिन करने का आवश्यकता है। इसलिए इन्हीं मुद्दों के लिए सलेक्ट कमेटी में आप थोड़े समय के लिए भेज दें और उसके बाद में एफेश एक्जामिन करके जो प्रोवीजन्स की कमी हैं उनको जोड़कर वापिस सदन में प्रस्तुत यह हो जाय और फिर इसको पास करें। रूल्स वगैरह भी साथ साथ सिलेक्ट कमेटी में भेज दिये जायं ताकि उसमें कोई कमी हो तो उस पर विचार किया जा सके। इन सारे मुद्दों को एक्जामिन करने के लिए इस बिल को सलेक्ट कमेटी में थोड़े समय के लिए भेजकर वापिस सदन में प्रस्तुत कर इसको पारित करें।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापतिजी,

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सर्वप्रथम तो मैं माननीय नगर आयोजन मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में जो वायदा किया था शहरी सीलिंग का उस वायदे को बहुत शीघ्र ही पूरा किया है....

श्री विट्ठल भाई : बहुत देर से कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पूरा कर रहे हैं इसमें अड़चन नहीं है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने जो इसमें उद्देश्य रखे हैं उनका जो मुख्य अंश है वह यह है कि "समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व तथा उस पर नियन्त्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोतम रूप से साधन हो, नगरीय सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा का अधिरोपण करने और अधिकतम सीमा से अधि नगरीय सम्पत्ति का इस दृष्टि से अर्जन करने के लिए कि उसका उपयोग नगरीय क्षेत्रों के क्रम बद्ध विकास तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तथा इससे सम्बद्ध विषयों के लिए किया जा सके, सरकार यह कदम उठा रही है।" माननीय मंत्रीजी ने जो उद्देश्य बताये हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि कई सम्माननीय सदस्यों ने इसके संबंध में कई प्रकार की बातें, शंकाएं यहां पर रखी हैं। मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापत्ति जी, कि जब चुनाव हुआ था तो हम सब ने शहरी सम्पत्ति की सीमा-बन्दी की बात कही थी और कहा था कि 5 लाख तक की सम्पत्ति पर सीलिंग लगायेंगे। तो 5 लाख से 3 लाख पर आ गये तो इसके लिये मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। पर हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं क्या हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर पायेंगे? आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर शहर के बारे में अर्ज करूंगा कि हजारों लोग ऐसे हैं जो आज भी किराये के मकानो में रहते हैं या ऐसी स्थितियों में रहते हैं जिनको हम किसी तरह से बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। जयपुर शहर में लोग टोकरियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करता हूं मैं वित्त मंत्रीजी को एक रात दिखाकर लाया हूं कि इस जयपुर शहर में टोकरियों के अन्दर रहकर लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार की हालत है और इन हालातों को बदलने के लिए आपने कदम उठाया है तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो एक्जेम्प्शन दिये गये हैं उनके बारे में विशेष तौर से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना है।

जहां तक इन्डस्ट्रियल हाउसेज या बिजनेस आफिसेज की बिल्डिंग्स का इससे ताल्लुक है और श्रमिकों के लिये बनाये गये हाउसेज का ताल्लुक है उनके एक्जेम्प्शन की तो बात समझ में आती है किसी प्रकार से। इन एक्जेम्प्शन के बारे में माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिड़ला हाउस, सिन्थेटिक्स वालों का हाउस, बांगड़जी का हाउस है, पोद्दार पार्क है, यह जो बड़े बड़े संस्थान हैं इनके कर्मचारियों के रहने के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

लिये स्थान हों तो कर्मचारियों की सीमा निश्चित नहीं है। कर्मचारी को वेतन क्या मिलता है। 100 रुपया पाने वाला भी कर्मचारी और 5 हजार पाने वाला भी कर्मचारी है। तो एक तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे 1 हजार रुपये से ज्यादा पाने वाले कर्मचारी को इस सीमा के अन्दर न लें। उसको भी मकान देते हैं तो उस मकान को इस सीमा के अन्दर जो कि एक्जेम्पशन मिला हुआ है वह एक्जेम्पशन न दें। वर्ना हालत यह होगी कि उनको आप गेस्ट हाउस मानते हैं तो किसी हाउस पर सीलिंग लागू किया तो किसी इन्डिस्ट्रियल हाउस की कोई बिल्डिंग किसी सेक्रेटरी के नाम पर हो जायगी, जैसा कि आपने मैनेजिंग एजेन्सी समाप्त कर दी तो वाइस प्रेसीडेन्ट बन गये; और उसका उपयोग कर लेंगे।

यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेक्रेटरी उनका पेड सर्वेन्ट होता है, या मैनेजर उनका पेड सर्वेन्ट होता है, उनके लिये इस बिल में कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई है। डाइरेक्टर्स वगैरह के लिये तो पाबन्दी डाली गई है लेकिन पेड सर्वेन्ट वह चाहे कितना भी तनख्वाह क्यों नहीं पाता हो उसके लिये कोई पाबन्दी नहीं है और उसको एग्जेम्पशन में लिया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर आप चले हैं और कहा है कि 15 अगस्त तक किसी भी व्यक्ति को बिना मकान के नहीं रहना पड़ेगा ऐसी व्यवस्था करेंगे, वह आपकी घोषणाएं पूरी नहीं होंगी यदि इस प्रकार की एग्जेम्पशन्स इस बिल में रहेंगे। आज लाखों लोग किराये के मकानों में रहते हैं, अपना मकान तो केवल चन्द व्यक्तियों का ही है। और जो सीमा आपने बांधी है उसके अन्तर्गत तो जयपुर में पचास से अधिक व्यक्ति इस बिल मे प्रभावित नहीं होंगे। तो जो एग्जेम्पशन आपने कर्मचारियों के मकानों के बारे में दे रखा है, उसमें मैं आपसे अर्ज करूं कि कहीं बड़े बड़े हाउसेज इस बात से एग्जेम्पशन न ले लें, इस पर आपको विचार करना होगा। तो एक तो मेरा यह सुझाव है।

दूसरा मेरा सुझाव है कि तीन लाख की सीमा आपने एक परिवार के लिये रखी है, और अगर बड़ी फेमिली है तो चार लाख आदि रखी है। लेकिन इस बिल में आपने प्राइवेट लिमिटेड जो कम्पनीज हैं उनके बारे में कुछ नहीं रखा है। जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज हैं, उनका क्या होगा? जहां तक इन्डस्ट्रीज आदि का सवाल है, इस देश में इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना है, उसके लिये तो छूट देनी चाहिये लेकिन इन्डस्ट्रीज के नाम से यह जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज हैं कहीं वह इसका फायदा न उठा जायें, इसके लिये हमको देखना होगा। राजस्थान में तो यह कानून लागू हो रहा है, लेकिन मान लीजिये किसी कम्पनी के अलग अलग जगहों पर मकान हैं, बिहार में है, यू. पी, पंजाब में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, तो उनके बारे में हमारा क्या दृष्टिकोण होगा, उन पर किस प्रकार से आप नियन्त्रण करेंगे, उसके सम्बन्ध में इस बिल के अन्दर कोई उल्लेख नहीं है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

इसके बारे में आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है दस हजार की आबादी वाले कस्बों के लिये। जहां नगरपालिका की सीमा है वहां तो आपने चार मील निर्धारित की है। उसके आगे आपने शहरों के लिये आठ मील की सीमा भी निर्धारित की है। उस आठ मील की परिधि में एग्रीकल्चरल लैंड भी है, तो जैसा अभी माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई जी ने कहा कि वह एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल लैंड की सीमा में आयेगा उसकी सीलिंग में आयेगा या शहरी सम्पत्ति की सीलिंग में आयेगा, इसके बारे में क्या व्यवस्था होगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तो एग्रीकल्चरल लैंड है जो दूरी पर है, और एक ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि शहरों के आस पास ही है, इन दोनों के भाव के बीच बहुत अन्तर है। इसको आप किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। जो शहरों के आस पास ही है, इन दोनों के भाव के बीच बहुत अन्तर है। इसको आप किस प्रकार से डिसाइड करेंगे? जो शहरों के आसपास आठ मील की सीमा के अन्दर जमीन है, उसको हम गृहहीन लोगों के मकान बनाने के लिए काम में ले सकते हैं, जो हमारा प्रयोजन है, इसलिए उस भूमि की कीमत एग्रीकल्चरल लैंड मान कर डिसाइड नहीं करनी चाहिये। उनका भाव भी शहरी सम्पत्ति के हिसाब से आंकना चाहिये। आप जिन अधिकारियों को यह काम देने जा रहे हैं, उनके बारे में जितने भी व्यक्ति बोले हैं, सभी ने संदेह व्यक्त किया है और सभी ने यह कहा है कि जो भाव वह डिसाइड करेंगे वह संदेहास्पद रहेगा। जैसे कल एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में माननीय शिवचरण जी ने बताया था कि हमारे नगरों में रहने के मकानों की समस्या का समाधान करने के लिए यह जरूरी है कि नगरों के आठ मील की परिधि के अन्दर जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसका वास्तव में कोई ऐग्रीकल्चर के लिये पर्पज नहीं है, उसको सरकार तुरन्त हस्तगत करले। फिर चाहे सहकारी आधार पर या नगर विकास न्यास के द्वारा उस भूमि का आवंटन करना चाहिये या सरकार द्वारा वहां मकान बनवा कर देने चाहिये। इससे हमारे बिल का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बड़े-बड़े ठिकानों के मकान हैं या बड़े-बड़े लोगों के मकान हैं, उनमें से कइयों ने दूसरों के नाम जमीन बेच दी है और कइयों के मकानों में किरायेदार रहते हैं। उन किरायेदारों से मकान खाली करवाने के लिये उन बड़े लोगों ने अदालतों में दावा कर रखा है और उनको परेशान किया जा रहा है। कई गरीब लोग इस मुकदमेबाजी से परेशान होकर मकान खाली कर जाते हैं या चार पांच सौ रुपये लेकर मकान खाली कर लेते हैं, और इस सब का लाभ मकान मालिकों

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

को मिल रहा है । तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के अन्दर यह भी प्रावधान होना चाहिये कि जो आदमी बीस साल से एक मकान में किरायेदार है उस आदमी का उस मकान पर अधिकार होना चाहिये, और तीन लाख से अधिक सम्पत्ति जो आप लेने जा रहे हैं उसमें सब से पहले उस किरायेदार को प्राथमिकता देनी चाहिये और अगर वह किरायेदार उस मकान का पैसा एक मुश्त नहीं दे सकता तो उससे इन्स्टालमेंट बेसिज पर पैसा लेना चाहिये ताकि उस आदमी को लाभ पहुँच सके ।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ ट्रस्ट्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कई ट्रस्टस बने हुए हैं और उन ट्रस्ट्स के नाम लाखों और करोडों रुपये की सम्पत्ति है । जहां तक चैरिटेबल ट्रस्टस का सवाल है, अभी माननीय रामानन्द जी फर्मा रहे थे कि जहां तक धार्मिक उपयोग के लिये उस सम्पत्ति को रखा जाता है वहां तक तो ठीक है । लेकिन हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि जैसे करौली के महाराजा हैं, वह केला देवी के पुजारी की हैसियत से माने जाते हैं, और यहां जयपुर के महाराजा भी गोविन्द देव जी के पुजारी की हैसियत से माने जाते हैं, कि राज तो गोविंद देव जी का ही है और महाराजा उनके पुजारी हैं । तो ऐसे कोई लूपहोल्स इस बिल में नहीं रह जायें कि यह राजा महाराजा धार्मिक सम्पत्ति का उपयोग पुजारी की हैसियत से करने लगें और हम जो सही आदमी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं जिस गरीब जनता ने हमें इतनी बड़ी संख्या में चुनकर विधान सभा में भेजा है, उनके हित के लिए कुछ नहीं हो पाये हैं । ऐसे लूपहोल्स को बन्द करना है । जैसे बड़े-बड़े प्लाटस की बात है । सन 1944 में जब कि मिर्जा इस्माइल रोड से आगे शहर को बसाना था तो बीस बीस हजार गज के प्लाटस लोगों को आवंटित किये गये । वह भूखण्ड आज खाली पड़े हुए हैं । उनका आप कैसे नियमन करेंगे । यह तो बाद की बात है कब आपके रूल्स बनते हैं कब वह क्रियान्वित होंगे ? तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ऐसे भूखण्डों को आप तुरन्त ले लें और एक योजना बनाकर मकान बनवाइये तथा भूखण्ड अलाट करिये । आप यह तय कर लीजिये कि जयपुर के अन्दर किसी भी व्यक्ति को यू. आई. टी. से 225 गज के अधिक जमीन आवंटित नहीं की जायगी । और आज भी मैं कहता हूं, लगभग बीस हजार व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित करने हैं, बीस हजार व्यक्तियों के लिए भूमि चाहिए । वह भूमि उपलब्ध भी है लेकिन वह भूमि यहां के राजा-महाराजाओं के पास है, वह भूमि बड़े बड़े सेठ-साहूकारों के पास में है, जो जमीन के ऊपर सीलिंग होने से किसी न किसी प्रकार से कानूनी तरीके से बच जायेंगे क्योंकि सीलिंग की बहुत वर्ष से चर्चा चली जा रही है । हालांकि शहरी सम्पत्ति के ऊपर सीलिंग करने के बारे में वायदा चुनावों में किया था, लेकिन उससे पहले भी चर्चा चल रही थी । इसलिए सब लोगों ने अलग अलग व्यवस्था कर ली है । मैं निवेदन करना चाहता हूं इस संदर्भ में,

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जो आज दो दो हजार गज के भू खण्ड हैं, भगवान दास रोड़ पर बीस हजार गज के भू खण्ड हैं, उनके छोटे छोटे प्लाट काट कर लोगों में वितरित करवा सकें तो निश्चित तौर पर जमीन के दाम जो आसमान पर चढ़े हुए हैं वह नीचे गिरेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि बारह आने गज में जो भू-खण्ड आवंटित किये गये, आज उनकी कीमत सौ रुपये गज की है। तो आप आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं या बड़े आदमियों का जो वर्ग है उसके लिए कुछ कर रहे हैं। अगर झोंपड़ियों में रहने वाले, कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति के हित के लिए कर रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन भू-खण्डों का तुरन्त अधिग्रहण करें।

इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड जो जयपुर की सीमा के अन्दर है, आठ मील के दायरे में है, इस दायरे में जो लैंड आता है, मैं निवेदन करता हूँ उस लैंड को एग्रीकल्चर लैंड की सीलिंग में न मानकर इस सीलिंग में मानना चाहिए। लेकिन उसके अन्दर कहीं मुआवजे की बात हुई तो लम्बा चौड़ा प्रोसीजर चल जायगा। हालांकि माननीय मंत्री जी ने इस संदर्भ में जो प्रावधान रखा है, उसमें रैवेन्यू बोर्ड को फाइनल आथोरिटी रख कर चले हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि काफी मुकदमेबाजी को निबटाने की कोशिश की है और लम्बी चौड़ी प्रक्रिया से बचने की बात भी की है, लेकिन किसी मुद्दे पर लोग हाई कोर्ट में जा सके हैं और लम्बा विवाद हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यमसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो खाली जमीन पड़ी है, एग्रीकल्चर लैंड, मैंने जैसा पहले कहा है, खाली प्लाट्स जो यू.आई.टी. के द्वारा आवंटित किये हुए प्लाट थे, एक स्थिति तो वह है, दूसरे एग्रीकल्चर लैंड जयपुर के आस पास शहरों के आस पास है, जिस पर लोगों के द्वारा किसी तरह कब्जा किया हुआ है मैं निवेदन करता हूँ उसका एग्रीकल्चरल लैंड के हिसाब से मुआवजा होता है वह देकर अधिग्रहण कर लें और योजना बनवा कर, चाहे हाउसिंग बोर्ड से हो, चाहे जो अपेक्स सोसायटी की मार्फत हो, या नगर विकास न्यास की मार्फत-उसे सौंप कर योजना को कार्यान्वित करें, जिससे हजारों लोगों को अहसास हो कि जो चीज कही थी, जो चीज देने की बात कही थी वह उनके पास तक पहुँची। सीलिंग के सवाल को लेकर बड़े लोगों में बहुत बेचैनी थी, चुनाव में हमने देखा था, शहर शहर में और कस्बे कस्बे में प्रगतिशील ताकतों के खिलाफ एक वातावरण था और लोग कहते थे, सारी सम्पत्ति पर कब्जा कर लेंगे। आज मैं कहता हूं कि राजस्थान में शहरों में पचास लाख की आबादी है, जिसमें से दो या तीन लाख लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्वयं के मकान हैं, बाकी अधिकतर किराये के मकानों में रहते हैं। अस्सी प्रतिशत जो गांवों से आकर बसे हैं, उनके सामने रहने की समस्या है। मैं निवेदन करता हूं, जो क्रांतिकारी कदम आपने उठाया है उसको शीघ्रता से लागू करें। कहीं ऐसा न हो, जैसे लैंड सीलिंग बिल आपने 1959 में पास किया, उसके रूल्स 1963 में बने और 1972 में हम आर्डिनेन्स लाने की बात कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि अधिक से अधिक छः माह का समय निर्धारित कर दें, और अपने अधि-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कारियों को निर्देश दे दें कि छः महीने के भीतर भीतर शहरी सम्पत्ति को जो सीमा तीन लाख निर्धारित की है चार लाख अधिकतम सीमा निर्धारित की है, और बिजनेस हाउसेज वगैरह में छूट देने की बात कही है, उसके अतिरिक्त जो बातें हों, चाहे किसी की हो, चाहे कोई विवाद आता हो—उस सबका निवटारा छः महीने में हो जाय। रेवेन्यू बोर्ड को अधिकृत किया है तो रेवेन्यू बोर्ड के लोगों को निबटाने के लिए कह सकते हैं। इस तरह एक एक आदमी को जल्दी से जल्दी लाभ पहुंचायेंगे तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में एक बात आयेगी कि जो कहा था वह कर रहे हैं। वैसे यह सही कदम है इसके लिए मैं पहले बधाई दे चुका हूं, अब दुबारा धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही चुनाव घोषणा पत्र में 32 पैरा में यह रखा था कि हर नगर, हर कस्बे और हर गांव में इस प्रकार की समितियों का गठन करेंगे जो भूमि सुधार और शहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो सुधार कर रहे हैं उनको लागू करवाने का प्रयत्न करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही योजना की क्रियान्विति न सोचें (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जो योजना आई है, उसके मुताबिक एम.एल.एज चाहे नामिनेटेड प्रतिनिधि हों, या शिड्यूल्ड कास्टस के प्रतिनिधि हों, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनका रिप्रजेंटेशन लेकर कमेटियां बनानी चाहिये। उसके सामने सम्पत्ति का रिकार्ड रख कर सीलिंग का, सम्पत्ति की सीलिंग का किस तरह से निबटारा हो-यह देखें। इसके अन्दर इसका भी प्रावधान करें ताकि यह काम छः महीने में हो जाय और जिस काम के लिए आपने कहा है वह आप पूरा करके दिखा सकते हैं। इन शब्दों के साथ जैसा मैने पहले कहा था, इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु रखा है, उसको मैं वापिस लेता हूं और मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी, आज ही, इस बिल को पारित किया जाय और इसके अन्तर्गत रूल्स बना कर इसे छः महीने के अन्दर कार्यान्वित करने की कार्यवाही की जाय।

श्री परसराम मदेरणा : आपका मोशन प्रवर समिति का है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रवर समिति का है, उसको मैं विथड्रा करता हूं, बिना आपके कहे ही विथड्रा करता हूं।

श्री गुमान मल लोढा : सभापति महोदय, यह प्रस्ताव है इस सम्बन्ध में मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति : अभी दो नाम हैं। श्री मोहन लाल छगाणी।

(अनुपस्थित)

श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान को इस बात का सौभाग्य प्राप्त है, राजस्थान पहले भी समाज के सब अंगों को आर्थिक दृष्टि से एक समान रूप देने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाता आया है। मैं समझता हूं, इस

(श्री मगराज चौधरी)

दिशा के अन्दर राजस्थान का यह पहला कदम नहीं है, राजस्थान ने इस विषय में आज से पन्द्रह साल पहले भूमि सुधार के संबन्ध में, जागीरदारी विश्वेदारी प्रथा को समाप्त करने का क्रांतिकारी कदम उठाया था। उसके बाद भूमि सीलिंग, जो धीमी गति से चला है, लागू हो चुका है। उससे भी सरकार को संतोष नहीं हुआ, इस दिशा में सरकार कृषि भूमि का समाज के सभी कृषकों को समान रूप से बटवारा करने के लिए जागरूक है और इसके लिए अठारह एकड़ की सीलिंग करने का प्रयत्न कर रही है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही समाज के जो दूसरे अंग हैं, जो खेती का धन्धा नहीं करते, ऐसे लोगों के पास काफी सम्पत्ति है और ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं है, खाने का जरिया नहीं है, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था की है, राजस्थान में शहरी सम्पत्ति की सीलिंग का विधेयक पेश किया है। यह क्रांतिकारी कदम है। दूसरे प्रान्तों में भी ऐसे कानून बनाये जा रहे हैं, बनाने की कोशिश है, लेकिन राजस्थान जैसे प्रान्त के लिए; जो पिछड़ा हुआ प्रान्त है, इस प्रकार का कानून ले आना सौभाग्य की बात है। वैसे जिस प्रकार से यह विधेयक पेश हुआ है, मुझे उससे संतोष नहीं होता। कारण यह है कि आज राजस्थान के अन्दर करीब 40 लाख लोग शहरों में रहते हैं, बाकी गांवों में रहते हैं। राजस्थान की आबादी ढाई करोड़ है, दो करोड़ से ऊपर है। कहने का अर्थ यह है कि 85 पर्सेन्ट लोग गांव में रहते हैं। जो लोग गांवों में रहते हैं उनको किस प्रकार से सामाजिक स्तर और कैसा आर्थिक स्तर देना चाहते हैं इस पर विचार किया और विचार करके इस निर्णय पर पहुंचे कि सालाना की ग्रोस नेट इन्कम तीन हजार रुपये देना चाहते हैं। जब उन पर सीलिंग लगाने का सवाल आया जिस समय सदन में विचार हुआ तो यह प्रश्न आया कि काश्तकार की फेमिली जिसको कृषक मानते हैं, उसके पास कितनी सम्पति रहने दी जाय ताकि उनकी इन्कम तीन हजार से ज्यादा नहीं हो। सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और माननीय मन्त्री जी का ध्यान पेयजल की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस बिल को पेश करते समय सरकार ने इस दृष्टि को सामने क्यों नहीं रखा। यह मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, जो बिल पेश किया गया इसमें इसका उल्लेख नहीं है। सरकार ने किस आधार पर एक परिवार के लिये तीन लाख की संपत्ति की सीमा निर्धारित की है। यह सीमा परिवार के लिए साल की जो आय होती है उसको आधार मानकर किया है अथवा संपत्ति को आधार मानकर किया है। जहां तक मैं समझा हूं, संपत्ति को आधार मानकर किया है। जबकि ग्रामीण लोगों की जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है, उनके काम में ली जाने वाली भूमि है उसको हमने संपत्ति के आधार पर नहीं माना है। उस बारे में हमने साल के अन्दर किसान के परिवार की साल की जो आमदनी होती है उस पर पैदा के आधार पर मान कर सीलिंग लगाई है। तो क्या कारण था सरकार ने एक वर्ष की आय को आधार मान कर नगरीय संपत्ति पर सीलिंग नहीं लगाई ? अगर मैं अपनी बात और मजबूत करने के लिए निवेदन करूं आखिर एक परिवार की

(श्री मगराज चौधरी)

तीन लाख को संपत्ति देना चाहते हैं तो साल की उससे क्या आमदनी होने वाली है? खैर मैं बड़ी आमदनी के रूप में नहीं बताता लेकिन कम से कम 10 प्रतिशत आज नार्मल मानने का जो तरीका हैं, रेट आफ इन्टरेस्ट या एक और कुछ कह दिया जाए, 3 लाख पर कम से कम 30 हजार साल की आमदनी होती है। एक शहरवासी को एक वर्ष के लिए 30 हजार तक की पैदा करने का स्थान कहिए या कोई वस्तु कहिए अपने पास रख सकता है जब कि एक ग्रामीण को एक वर्ष के लिए तीन हजार रुपए की पैदा करने की वस्तु है तो वह नहीं रहने दी जाएगी, यह डिस्पेरिटी हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर चलेंगे तो राजस्थान में गरीबी नहीं मिटेगी। समाजवाद का उद्देश्य यह है कि समाज के सारे उत्पादन हैं जिनसे हमारा उत्पादन होता है, समाज के होने चाहिए, सरकार का स्वामित्व होना चाहिए।

इस विधेयक में एक अजीब बात पढ़ने को मिली। इस विधेयक के जरिए हमने केवल उस संपत्ति को शामिल किया है जो रहने के काम आती है यथा प्लाटस। बाकी जो दूसरे पैदा के जरिए, इस उत्पादन के जरिये बिल के प्रावधान से बाहर रखे हैं, यह बिडंबना की बात है। आज मेरे पास रहने का मकान है, जिसकी कीमत तीन लाख है। मगर मकान के अलावा 10 लक्ष्मी मिष्ठान भंडार 10 नटराज होटलें हैं। उनसे एक साल की 20 हजार की आमदनी होती है और 10 होटलों से 2 लाख की सालाना आमदनी होती है। मेरे पास रहने का मकान 3 लाख का है। इसके अलावा उत्पादन का जो साधन है उससे साल में दो लाख मिलते हैं। आखिर में यह कौनसा तरीका है? ठीक उसी प्रकार से होटल्स को शामिल नहीं किया हैं, रेस्टारेंन्टस, फैक्ट्रीज और माइन्स को शामिल नहीं किया गया है। दूसरे जो शहर को संपत्ति के साथ में उत्पादन के जरियों को शामिल नही किया है, क्या इस प्रकार के साधनों से व्यक्ति को पैदा नहीं होगी? तो उस पैदा होने वाली आय से उस कुटुम्ब का क्या होने वाला है वह फायदा उठाने वाला है वंचित नहीं रहेगा।

हमारे समाज में, देश में समान रूप से खुशहाली बढ सके। इस दिशा में हमारे कदम होने चाहिए थे, मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं विशेष तौर से मंत्री महोदय को जिन्होंने कुछ प्रयास तो किया है, अच्छी शुरूआत है, मगर हमें संतोष नहीं करना चाहिए। इसलिए इस बिल के अन्दर जो उन्होंने एग्जेम्शन्स दिए हैं-जैसे फैक्ट्रीज, होटल्स, रेस्टारेन्टस, माइन्स, वह नहीं देने चाहिए। इस प्रकार के एग्जेम्शन्स देने से बिल का सारा प्रयोजन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। केवल रहने के लिए मकान 3 लाख का एक व्यक्ति को देना चाहते हैं जबकि गाव वाला व्यक्ति का जो आमदनो का जरिया पैदा का जरिया है उसको कोसना चाहते हैं। गरीबों के पास रहने को मकान नहीं, जमीन नहीं। एक ही राज्य का आदमी क्योंकि वह गांव में रहता है, उसकी आमदनी का जरिया छीन लें जबकि दूसरा व्यक्ति जो गांव में से दस मील दूर रहता है, जो टाउन की तारीफ में आता है। उसको खाली रहने के लिए 3 लाख को लिमिटेड प्रापर्टी के रूप में फिक्स करना चाहते हैं और बाकी जो आय के

(श्री भगराज चौधरी)

साधन हैं, उन पर कोइ कन्ट्रोल नहीं, कर्टेल नहीं करना चाहते, हम उन पर सीलिंग लगाना नहीं चाहते । सरकार कह सकती है कि इस प्रकार का कानून बनाना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन माफ कीजिए, सरकार इस प्रकार का कानून बना सकती है । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का कानून बनाकर सारे होटलोंका राष्ट्रीयकरण करें, धीरे धीरे आगे बढ़ना है तो उनका राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा क्योंकि यह हमारा शुरूआती स्टेज है । इसलिये मैं सरकार से इतनी आशा करता हूं कि जो साल की आय के साधन हैं, उनका आमदनी के रूप में असेसमेंट किया जाए और जिस परिवार में तीन लाख रुपये के रहने के लिए जो मकान है, उसके अलावा जो आय के साधन हैं, उनमें से जो साल में पैदा होती है, उसमें से कुछ न कुछ परसेन्टेज फिर खजाने में आने चाहिए । तब जाकर जो गरीब और अमीर के बीच अंतर है, उस दिशा में आगे बढ़ पायेंगे । एक काश्तकार जिसको 3 हजार रुपए साल में पैदा होते हैं और शहरवासी जिसको दो लाख रुपए पैदा होते हैं । दूसरे साल इन दो लाख में से और दो लाख पैदा होंगे । धन धन को मल्टीप्लाय करता है, इस तरह अमीर और अमीर बनेगा, गरीब नहीं होगा । इसलिये इस बिल में जो एग्जेम्शन्स रखे है उन पर विचार करना चाहिए ।

यदि सरकार आय को आधार मानकर सीलिंग नहीं लगाना चाहती है तो कम से कम संपत्ति को आधार मानना चाहिए । जब शहर में तीन लाख प्रापर्टी एक परिवार के लिए सीलिंग में रखा है जबकि ग्रामों में जो जमीन हैं, कृषि योग्य, उस पर हमने 18 एकड़ की सीलिंग लगाने वाले हैं । 18 एकड़ की कीमत ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार । कहने का मतलब है कि गांव में जो परिवार रहता है उसके पास में 15-20 हजार की सम्पत्ति, अगर ज्यादा है तो सरकार में निहित होती है ताकि जमीन का समाज में बटवारा हो सके । आखिर हमने 3 लाख की सीमा क्यों रखी है 5 सदस्यों के पीछे ? 5 सदस्यों के अलावा प्रति व्यक्ति के लिए 25-25 हजार और छूट देकर 4 लाख की सीमा रख रहे हैं । उसमें कितने मकान आने वाले हैं, कितनी सम्पत्ति आने वाली है, जयपुर तो राजधानी है बड़े बड़े जो शहर हैं डिवीजनल हैडक्वाटर्स के अलावा बाकी शहरों से क्या मिलने वाला है ? उदाहरण के लिए पाली है, सिवा पाली मिल के क्या मिलेगा, जालोर में क्या मिलेगा, दूसरे जिला हेडक्वाटर्स से क्या मिलेगा ? प्रयास तो बहुत बड़ा दिख रहा है, मगर विशेष कोई फायदा नहीं । जब तक शहरों और कस्बों के उत्पादन के साधनों को आप इस बिल में शामिल नहीं कर लेते हैं । जब मैं यह बात कहता हूं तो मेरे सामने बैठे साम्यवादी पार्टी के श्री रामानन्दजी हां नहीं भरते ....

श्री रामानन्द अगवाल : मैंने खुद ने इस पाइंट को रेज किया है, मेरा सशोधन है ।

श्री भगराज चौधरी : मुझे ताज्जुब है जब मैं उनके भाषण को सुन रहा था तो आशा करता था कि कम से कम इस बात को जोर से कहेंगे कि सरकार के उत्पादन के सारे साधनों को इस विधेयक में शामिल करना चाहिए मगर जिस जोर से बात करते हैं वह नहीं थी । कल जब मैं भूमि विधेयक

(श्री भगराज चौधरी)

पर बोल रहा था तो उन्होंने मुझे नान-प्रोग्रेसिवया री-एक्शनरी की संज्ञा दी। खैर, वह मुझ से उम्र में बड़े हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन जितने वह प्रगतिशील हैं उतना मैं भी हूं।

सभापति महोदय, मेरा जन्म किसान के परिवार में हुआ है पर इस बारे में ज्यादा जानता हूं। आज जो कम्यूनिस्ट पार्टी वाले लोग अपने आप को ज्यादा प्रोग्रेसिव बताते हैं मैं उनके बारे में आपको निवेदन कर दूं कि शहरी सम्पति की सीमा की बात कांग्रेस पार्टी ने रखी है। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। और जो मैंने बताया है उससे इनकम बढ़ेगी, इनकम घटेगी नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिए कि, जो मैंने सुझाव दिया है इस बिल को प्रवर समिति को सोंपा जाय। क्योंकि आज जो बिल पेश हुआ है उसमें बहुत से लेक्यूनाज हैं। उन्हें जब तक आप नहीं हटायेंगे तब तक जो अमीरी और गरीबी के बीच में खायी पड़ी है वह खाई पटने वाली नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। इसके बाद में प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद जब हम क्लाज बाई क्लाज विचार करेंगे तब अगर और कुछ चेन्ज करना जरूरी हो तो वह भी कर लिया जायेगा।

श्री **गुमानमल लोढा** : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने भी जो संशोधन प्रस्ताव दिये हैं उसके बारे में ....

श्री **सभापति** : वह तो बाद में है। मेरे पास 3 लिस्ट है। उनके अनुसार नाम बोल दिये जायेंगे।

श्री **सज्जनसिंह** : सभापति महोदय, मेरा नाम भी आप कृपया बोलने वालों में लिख लें।

श्री **सभापति** : मेरे पास नाम है। उनके बाद आपको भी मौका मिलेगा।

श्री **सज्जनसिंह** : सभापति महोदय, हम तो कभी कभी बोलते हैं। वैसे बोलने का हमारा धन्धा नहीं है वैसे बहुत से लोग बोलते हैं। यहां तक कई बार शासन द्वारा मना किया जाता है तो भी बोलते रहते हैं।

श्री **मुन्शीलाल** : सभापति महोदय मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री **सभापति** : मैंने कहा ना कि सबको मौका मिलेगा।

श्री **मुन्शीलाल** : सभापति महोदय, लोगों ने एमेन्डमेन्ट ज्यादा दिए हुए हैं हमारा नम्बर आयेगा या नहीं। इसलिए समय को निर्धारित कर दिया जाय।

श्री सभापति महोदय : चूंकि बोलने वाले अधिक हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों द्वारा बोलते समय, समय का ध्यान रखा जाये।

श्री **मूलचन्द सामरिया** : सभापति महोदय, इस तरह तो दबाया जा रहा है।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। श्री चतुरभुज।

श्री चतुरभुज पटेल (टोडा रामसिंह) : सभापति महोदय, मैं भी आपको कुछ सीलिंग बिल के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। आज जो राज्य सरकार ने बिल रखा है वह न्याय-संगत नहीं है। क्योंकि आज हमारे सामने ढाई करोड़ जनता का सवाल है। इसलिए सोच-समझ कर कानून बनाया जाय। कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो बिल सदन के सामने है वह शहरी सम्पत्ति और सीलिंग के लिए सन्तोषजनक नहीं है। क्योंकि सारे भारत-वर्ष में एक प्रकृति के मनुष्य नहीं है। जब केरल में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में और उड़ीसा आदि प्रान्तों में ऐसी बात भी पैदा होती है जहां पर मेवा मिष्ठान्न, किशमिश, बिदाम, छुआरा, वगैरह जितनी चीजें हैं वह पैदा होती है उसके बनिस्बत में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें करीब करीब मोठ बाजरा, जैसी पैदावार होती है। मुश्किल से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अन्य अनाज पैदा होता है जो कि गेहूँ, चणा वगैरहा पैदा करता है। उसमें भी प्रकृति का कई बार प्रकोप होता है जैसे अकाल, दावा, ओला और कभी कभी तो जानवर टिड्डी दल इसे नष्ट कर देता है। शायद उन प्रान्तों में ये बीमारी लागू नहीं होती। वहां दावा नहीं पड़ता। परदेश में यह बीमारी लागू नहीं होती। तो हम जिस राज्य की परि-स्थिति को देख कर अगर कानूनन नहीं बनायेंगे तो हमारी यह बड़ी भारी भूल होगी। जल्दबाजी में कानून बनाने का तरीका गलत है, क्योंकि इससे राजनैतिक आलोचना होती है। इससे मैं यह भी कह सकता हूँ कि केरल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वगैरहा में जो मनुष्य जीवन है और राजस्थान में जो मनुष्य जीवन है उन दोनों जगहों के मनुष्यों की खुराक में बहुत अन्तर है। यह भी हमें देखना पड़ेगा। राजस्थान और पंजाब में एक मनुष्य एक किलो में दो टाइम निकाल नहीं सकता है और हमारे सरकारी लोगों में तो यह हालत है कि एक आदमी 15 रुपये तक की खुराक खा सकता है। और ऐसी खुराक केरल व वेस्ट बंगाल के लोगों की खुराक नहीं है। और इस प्रकार हमारे यहां के जो लोग हैं वे मेहनत भी उतनी ही कर सकते हैं। जब कि उन प्रदेशों में एक किलो से पांच मनुष्य तक खुराक खा सकते हैं। जब राजस्थान की महिला में इतनी ताकत है कि हमारी महिला पशुधन को लेकर जंगल की डांगों में, मध्य-प्रदेश में जाती है तो हमारी महिला समाज कम से कम 40 से लेकर 50 किलो वजन सर पर लेकर पशुधन को लेकर 8 वजे के बाद बांट कर आती है तो ऐसे जीवन और उस जीवन के लिए एक कानून बनाना यह तो बुद्धिजीवों को सोचना जरूरी होगा। अगर इस महत्व को नहीं सोचेंगे तो मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बजाय बेकारी हटाने के और अधिक बेकारी देश में बढ़ेगी। जो आज 20 पर्सेन्ट बेकारी है वहाँ 60 पर्सेन्ट बेकारी बढ़ जायेगी आज से 20 साल में। अगर इसका निराकरण नहीं किया गया तो इसमें सवाल शहरी सम्पत्ति का उदाहरण बतौर बताना चाहता हूँ 18 एकड़ और आगे शहरी सम्पत्ति के मामले में आपने चार लाख रुपये तक की सम्पत्ति को छूट में दे दी है। इस प्रकार सरकार देश में दो नागरिक होना साबित करती है। जो दुर्भाग्य पूर्ण है। क्योंकि सरकार के समक्ष दोनों ही बराबर हैं। मैं दो मुद्दे सरकार के सामने इस बारे में पेश करना चाहता हूं

(श्री चतुरभुज)

कि सन् 1952 में जयपुर के अन्दर कितनी आबादी थी और आज कितनी है आंकड़े देख लिये जांय। और जितना जयपुर के अन्दर डेवलपमेंट का कार्य हुआ है वह भी आप देखलें। आज यहां पर बड़े सरकारी अफसरों ने जमीने दाबकर बड़े बड़े मकान बना लिये। आज गरीब तो गरीब बना रहा है। इसलिए हमें इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि गरीबों को किस प्रकार से ऊपर लाया जा सकता है। और हमें बड़ों को कन्ट्रोल में करना है। ये कानून के द्वारा होंगे वो बात नहीं है। वो तो केवल टेक्नीकल दृष्टिकोण से देखने से हो सकता है या सरकार को मालूम होगा कि जब लोग वोट लेने जाते हैं तब उस वक्त तो बात और करते हैं और हर बात की हांमी भर कर आते हैं पर जब जीत कर यहां आ जाते हैं तो सदन के अन्दर आने के बाद सब भूल जाते हैं। इसलिये इलेक्शन के समय देहात के अन्दर अशिक्षित वर्ग का जिस दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिये वह ध्यान रखा जाना जरूरी है। आज आपको जो अशिक्षित हैं उनको जिन्दा रखना है तो आप टेक्नीकल राय दो उनका कानून से कोई काम नहीं होगा। आज अशिक्षित लोग न तो आन्दोलन कर सकते हैं और न अपने स्वार्थ के लिये जुलूस ही निकाल सकते हैं। आज वो अपने स्वार्थ के लिये डेपूटेशन भी पेश नहीं कर सकते हैं। वह तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वह तो आत्म विश्वास सरकार पर रखता है। और आज हालत यह है कि राज्य सरकार ने उस नीति का ध्यान देकर कानूनों का महाभारत बना दिया है। इस कानून से उसकी रक्षा नहीं हो सकती। इसलिये शहरी सम्पत्ति, 1972 के बिल को जो ला रहे हैं और सीलिंग जो 18 एकड़ आपने रखी है वह तो सन् 70 से कानून लगाया है यह भी न्याय संगत नहीं है। इसमें भी शिक्षित और अशिक्षित लोगों में भ्रान्ति है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन दोनों को एक किया जावे। और मूल कानून लागू किया जाय या सीलिंग जो लागू किया

(3.46 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

जाय, वह ठीक ढंग से लागू किया जाय। और ऐसा नहीं किया गया तो यह सब बहस बेकार हो जायेगी। जो देहात के लोग हैं वे लोग पेटी की पेटी वोट देते हैं वह बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि सरकार हमारे लिये क्या कर रही है आज सारे कानून अशिक्षित लोगों पर लगाना चाहते हैं वह कदाचित बरदास्त नहीं करेगी क्योंकि सारे सदन के सदस्य अच्छे अच्छे विचार रखते हैं उन्हें सरकार काम में नहीं लेती है। उनका दोष किस पर रखें, मैं तो यह मानता हूं राज्य सरकार अगर सुझावों को नहीं माने तो फिर विधान सभा को बुलाना ही नहीं चाहिये। वह तो बुलाना और नहीं बुलाना बराबर है। सरकार आप ही आप मनमानी करना चाहती है। सुझावों को नहीं मानने का यह मतलब मैं मानकर चलता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य दस मिनिट में भाषण समाप्त करें क्योंकि बोलने वाले काफी हैं और समय कम है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह बिल

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जा रहा है है मैं उसका स्वागत करता हूं।

25 वर्ष में एक छत्र राज्य करने के बाद भी कांग्रेस सरकार समता की ओर अग्रसर नहीं हो सकी विषमता का प्रवाह बढ़ता गया है, गरीब गरीब होता गया है और अमीर अमीर होता गया है। उद्योग पतियों और पूंजी पतियों के हाथ में कांग्रेस के सतारूढ़ लोग, शासक दल, कठपुतली के नृत्य की भांति नृत्य करते रहे हैं और जब गाजियाबाद में भारतीय जनसंघ ने समता की ओर कदम बढ़ाया और बिगुल बजाया देश में समता लाने के लिये, दरिद्रनारायण की पूजा करके गरीब इन्सान को आगे बढाने के लिये, हम सारे देश के अन्दर शहरों के अन्दर एक हजार स्क्वायर गज जमीन और दो लाख से अधिक की सम्पत्ति से अधिक न हो तो कांग्रेस दल ने बाध्य होकर प्रगतिवाद का झूंठा नारा लगाया और जनता को धोखा दिया और शोषण कर रहे हैं किसान मजदूरों का, छोटे व्यापारी और कर्मचारियों का, उनको बाध्य होकर यह विधेयक लाना पड़ा। यह विधेयक दर असल भारतीय जनसंघ की पहली जीत है जिसने सबसे पहले गाजियाबाद में समता लाने के लिये गाजियाबाद में बिगुल बजाया और अन्ततोगत्वा कांग्रेस के सत्ताधारियों को पता लगा कि उनकी झूंठी बातों को बेनकाब कर दिया जावेगा। सदन में कहना चाहूंगा कि विषमता को समाप्त करने की दुहाई देने वाले सत्तारूढ़ लोगों को सबसे पहले प्रशासन में, प्रशासन छोडिये ...

(व्यवधान)

श्री चतुरभुज : सीलिंग बिल पर बोलिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : विधान सभा में खड़े होकर यह डींग मार रहे हो कि 'गरीबी हटाओ' का नारा यह हमारा क्रान्तिकारी कदम है, मैं आप के क्रान्तिकारी कदम का पर्दा फाश करना चाहता हूं। आपने सन् 1957 में तोड़-फोड़ से शासन बनाया, 62 में इसी प्रकार शासन बनाया और सन् 1967 में जौहरी बाजार में हत्याकांड करवा कर, पानी की तरह निरपराध व्यक्तियों का खून बहा कर शासन बनाया क्यों नहीं यह कदम लिया पहले? आपका तो एक छत्र शासन था। मैं पूछना चाहूंगा मंत्रियों के बड़े बड़े मकान हैं, एयर कन्डीशन्ड हैं, कूलर्स लगे हुए हैं, क्या यही विषमताओं को खत्म करने का और उसकी खाई को पूरा करने का आप का कदम है? यही आपका प्रगतिवाद है, क्यों नहीं आपकी आंखे उस तरफ जाती हैं? मैं पूछना चाहता हूं बड़े बड़े फार्म लेकर बैठे हुए हो, दुर्गापुरा में नर्सरी है, फार्म है, चारों तरफ से शोषण करने वाले राजनेता बार बार भुलावा देकर जनता को अब प्रगतिवाद का नारा देने आये हैं, सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों को अपने फार्मों में लेजाकर वहां पर प्रोडक्शन करवा कर जनता का शोषण करने वाले लोग यहां आकर प्रगतिवाद की बात करें तो बड़ा आश्चर्य है। कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रगतिवाद की बात कही मैं जानना चाहूंगा विधायक के नाते एक व्यक्ति को मकान न मिले और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम.एल.ए. क्वाटर्स में, बी क्लास में 7 कमरे लेकर ऐशो-आराम करते रहे क्या यही समता है,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
यही प्रगतिवाद है ? क्या यह समता है या विषमता ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप छोड़ने के लिए तैयार हैं ?

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि आपने कल घोषणा की इन्टरवीन करके कि जो काश्त करता है, जो खेत और खलिहान में जाकर जोत चलाता है उसी को जमीन मिल सकती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे मुख्य मंत्री जी ईमानदार होते तो घोषणा करने के पहले वे अपने फार्म को समर्पित कर देते और कहते कि मैं अपनी सम्पत्ति को देता हूं, लेकिन मुख्य मंत्री जी अशोका होटल में रह सकते हैं, ताज महल होटल में जा सकते हैं सेठों से बातें कर सकते हैं।...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : आप उनके चेलेन्ज को तो स्वीकार कर लीजिए। अपनी बात को मानकर इस्तीफा दे दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब उनकी बारी है और वे निर्णय करके त्यागपत्र दें या मुझे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करें। मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं। अगर यही बात है तो आप मुझे बतायें कि वह जोधपुर से भागकर क्यों तिजारा गये ? हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार तो जो भागकर जाता है उसको औरतें भी घर में नहीं घुसने देतीं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : क्योंकि सीलिंग में आपकी जोधपुर की कोठी जा रही है इसीलिए बोल रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जायेगी तो जायेगी कोई आपके बचाने से नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय जा रहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े फार्म जो उन्होंने जयपुर के चारों ओर बना रखे हैं क्या राजस्थान के सारे काश्तकारों को वह उपलब्ध हैं और यही आकर बातें करते हैं समता की, समानता की, एकता की और विषमता को दूर करने की। हमारे यहां के केन्द्रीय मंत्री-मण्डल के अन्दर सबसे बड़े नेता जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आज मंत्री हैं वह इनकम टेक्स की चोरी करें और 5-6 साल तक फार्म नहीं भरें और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाये, और हमारे यहां आकर प्रगतिवाद की बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इन्कम टैक्स की चोरी करने वाले आज बड़े बड़े मंत्री हैं। उनको आप छाती से चिपकाए बैठे हैं और इसलिए चिपकाये बैठे हैं कि उनके पास वोटों की शक्ति है। इसलिए चाहे वह जयपुर उद्योग हो, चाहे आलोक उद्योग हो, चाहे जे. के. सिन्थेटिक्स हो, चाहे डी. सी. एम. हो ...

श्री अध्यक्ष : कुछ नागरिक सम्पत्ति के ऊपर प्रकाश डालें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नगर सम्पत्ति के ऊपर प्रकाश डालने के पहले मैं कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो यहां रोल प्ले किया गया है प्रगतिवाद का उसका पर्दाफाश करना चाहता हूँ, उनको बेनकाब करना चाहता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यदि उनका साहस था तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कल एग्रीकल्चरल सीलिंग के बिल को क्यों डेफर किया ? मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य इसका निर्णय करें कि क्या आन्तरिक झगड़े थे जिनके कारण उस बिल को डेफर किया गया ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : क्योंकि आपसे ज्यादा प्रगतिशील हैं इसलिए डेफर किया और इसलिए कि उस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके इसलिए किया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सैद्धान्तिक प्रश्न है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिक समय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को मिला है और जितना समय उनको मिला है उतना ही मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जनहित का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए इस प्रश्न के ऊपर मैं अपने विचार रखूंगा और आप कहें कि विचार नहीं रख सकते तो आप मेरी वाणी को अवरुद्ध कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनें। बात यह है कि मैंने इसलिए निवेदन किया था कि समय सीमित है और बिल आज पास करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले इसलिए दस मिनट का समय दिया था। लेकिन उसको कम दिया और उसको ज्यादा दिया यह बात नहीं है। आप पहले ही बोल लेते तो आपको ज्यादा समय मिल जाता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो प्रोसीजर मोशन देने का है। पार्टी का प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात और यह भी है कि जिन लोगों ने अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं जनमत जानने के लिए या प्रवर समिति को भेजने के लिए उनको अवसर ज्यादा दिया जाना था। आपका न तो जनमत को भेजने के लिए प्रस्ताव था और न ही प्रवर समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव था। इसलिए एक्स्ट्रा माननीय सदस्यों को रेगुलेट करके समय देना ही पड़ेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था नगर और ग्रामों के बीच में कई तरह के वाद-विवाद यहां पर उठाये गये और मैं भी कहूंगा कि ग्रामों में जो सीमा रखी जाती है कृषि भूमि के बारे में उसकी आमदनी कम होती है। मैं यह मानता हूं और मेरी यह भी मान्यता है कि राजस्थान के किसान के साथ यह अन्याय है, लेकिन यह मैं, अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि यदि यह राजस्थान के किसान के साथ अन्याय है और सदन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अधिकतर लोगों का यह मत था तो जिस समय विधान सभा सैशन में चल रही है, विधान सभा भंग नहीं हुई है, किसी विधान सभा या लोकसभा के इतिहास में नहीं सुना होगा कि प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री कहे कि मैं इसको डेफर करता हूं और इसका ऑर्डिनेन्स ले आयेंगे। यह स्पष्ट रूप से विधान सभा के अधिकारों को, सदस्यों की भावनाओं की और विचारों की अवहेलना है। कल वाले बिल को सदन के अन्दर प्रस्तुत करते और पास करवाते और यह कहना कि ऑर्डिनेन्स ले आयेंगे जबकि संविधान में स्पष्ट प्रोवीजन है कि जब विधान सभा सेशन में नहीं हो और इमरजेन्सी पैदा हो जाये उस समय गवर्नर को या राष्ट्रपति को अधिकार है कि ऑर्डिनेन्स लाये। निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जो प्रगतिवाद का पूरा ढकोसला करने के बाद भी वह पास नहीं करवा सके और इसमें कम्युनिस्ट मेम्बर्स भी बेनकाब हो गए और वह नहीं कह सके कि इसको वोट पर रखो। चुपचाप मौन होकर उन्होंने मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं को सुन लिया कि यह बिल डेफर किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कहने के लिए लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ....

श्री राजेन्द्र भारतीया : आप भी तो चुप रहे, कल कुछ नहीं बोले।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज ब्रीफ होकर आये हैं।

श्री गुमानमल लोढा : आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बिल के विरोध में था लेकिन किसानों के हक में था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, विषय से बाहर बोलने की अनुमति है माननीय सदस्य को।

श्री गुमानमल लोढा : आज आप बिल पारित करवाना चाहते हैं संशोधनों के साथ में, लेकिन जो प्रगतिवाद की बात करते हैं वह उस समय कहां थे? यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। यदि आपने किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो हमने भागलपुर में प्रस्ताव पास किया है कि एक परिवार के लिए इतनी मंहगाई के अन्दर कम से कम राज्य सरकार को और भारत सरकार को ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए कि उनकी आमदनी 1500 रुपये तक पहुंच सके। मेरे कम्युनिस्ट दोस्तों ने, कम्युनिस्ट बन्धुओं ने इसके अन्दर जनसंघ को बेनकाब करने का साधन बनाया लेकिन मैं समझता हूं कि वह खुद इस समय बेनकाब हो गए हैं। भारतीय जनसंघ ने माना है कि शहरी सम्पत्ति की सीलिंग हो और जो कम्युनिस्ट बन्धु सम्पत्ति रखने के विरुद्ध हैं उन्होंने स्वयं ने यहां अमेंडमेन्ट देकर, दो लाख की सम्पत्ति रखने का अधिकार माना है और इस तरह सम्पत्ति का अधिकार मान कर वे स्वयं बेनकाब हो गये हैं। दो लाख की कितनी सम्पत्ति होगी और उससे कितनी आमदनी होगी। यदि आप उस सम्पत्ति से आमदनी का अधिकार मानते हैं तो किसानों ने क्या कसूर किया है। एक किसान जो सुबह से शाम तक गर्मी, सर्दी, बरसात में अपनी मेहनत करके, परिश्रम

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

करके धान का उत्पादन करता है, धान पैदा करके देता है आपको। आप उसके साथ क्यों अन्याय करते हैं...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप सम्पत्ति की सीमा कितनी चाहते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : आप क्या करना चाहते हैं मैं भी समझ रहा हूं। श्री गोटेवालाजी ...

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं पूछ रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढा : मैं भी बता रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि शहरी सम्पत्ति के इस बिल के अन्दर जो यह तीन लाख का प्रावधान रखा गया है, हमारी मान्यता है कि दो लाख और एक हजार स्क्वायर गज जमीन हो। आज जमीन की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमत होती है इसलिए कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन और उसकी सीमा दो लाख हो और एक हजार स्क्वायर जमीन अलग हो।

दूसरी बात हमने यह कही कि इस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं करना चाहिये। मैं इसके बारे में दो शब्द अर्ज करना चाहूंगा कि क्यों रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं करना चाहिये। यह तर्क हो सकता है कि आज कम्यूनिस्ट सदस्य चूंकि हमने संशोधन रखा है वे इसका विरोध करें लेकिन इस समय राजा महाराजाओं से भी अगर किसी गरीब व्यक्ति ने बोनाफाइडी परचेज कर ली है तो उसने क्या कसूर किया है। जिस समय ये बेचान किये गए उस समय कानून में किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं थी, किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं था और उस हालत में अगर उसने परचेज किया तो क्या कसूर किया। एक विधवा ने अपने सारे जीवन का पैसा इकट्ठा कर के दस हजार, पांच हजार का प्लाट खरीद लिया और उस समय कानून में उसको खरीदने की कोई पाबन्दी नहीं थी तो उस बेचारी ने क्या कसूर किया, उसके बालक ने क्या कसूर किया है जिसके लिए उसने जमीन खरीदी है। क्यों आप अब तक भाषण ही देते रहे, नारे ही देते रहे और कानून नहीं लाए? आपने दो साल पहले इस कानून को क्यों नहीं बनाया लेकिन उस समय नहीं बना सके, क्योंकि उस समय आप अपने स्वार्थों के अन्दर चक्कर खा रहे थे, बिजनेसमैनों के हाथों में खेलते रहे। क्यों आप आपस में ही एक दूसरे को झकझोरते रहे और क्यों नहीं कानून बना सके? पाप आपका और भुगतना पड़े उस गरीब विधवा को, उस बालिक को, उस अनाथ को, यह कौनसा तर्क है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने कहा कि इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जाय।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम कोन्फीस्केशन में विश्वास नहीं करते। जो लोग रूस और चीन के आदर्श को ....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : ये तो बड़े बड़ों की वकालत करना जानते हैं जिन्होंने बेची हैं जमीनें।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : मैं उन लोगों की वकालत करता हूं जिन्होंने जमीनें खरीद ली हैं। अपने सारे जीवन का पैसा उसमें लगाकर अपना सिर छुपाने के लिए जिन्होंने जमीनें ली हैं उनकी वकालत करता हूं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : छः महीने बाद की बात क्यों करते हैं।

श्री **गुमान मल लोढा** : आप बैठ जाइए। छः महीने का इसलिए रखा है कि हम हर विषय मे कन्फेक्शन में विश्वास नहीं करते। आज आपने सीलिंग पद्धति को अपनाया है, मकानों के अन्दर सीलिंग. और इस प्रकार आप सारे जमीनों के रिसोर्सेज का नेशनलाईजेशन करते जा रहे हैं। सरकारीकरण करने की ओर जा रहे हैं जब कि हम आजाद भाव की व्यवस्था में विश्वास करते हैं। इसीलिए हमने संशोधन दिया है कि अगर आप सीलिंग करना चाहते हैं तो जरूर करिये लेकिन जिसके पास सम्पति हैं उस पर आप छः महीने बाद से लागू करिये ताकि वह अपनी सम्पति को एडजस्ट कर सके। आखिर वह एक सीमा से अधिक सम्पत्ति अपने पास नहीं रख सकेगा तो बाकी सम्पत्ति को लेकर जायगा कहां ? इसी दृष्टिकोण से, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार दिया जाय कि वह अपनी सम्पत्ति एडजस्ट कर ले सीमा के अन्दर और बाद में सम्पत्ति नहीं बढ़ सके। इसके बाद आपके पास एक्वीजिशन का प्रोविजन है, कन्फेक्शन का प्रोविजन है, वह हमारे विचार से अन्याय पूर्ण है न्याय पूर्ण नहीं है। ठीक है, नारे के लिए ठीक हो सकता है मैं आपसे कहता हूं कि आपने एग्रीकल्चर सीलिंग का एक्ट आठ दस साल पहले पास किया लेकिन आज तक क्या किया। हजारों,लाखों व्यक्ति इस प्रकार जो अपनी सम्प्रत्ति इसके द्वारा बढ़ाते रहे वह नहीं बढ़ सकती थी अगर आपने इस ओर कुछ किया होता। आज फिर आप इस कानून को जल्दी में और सबसे पहले लाना चाहते हैं। किसी दूसरे प्रान्त ने अभी तक इस बारे में कुछ किया नहीं। केन्द्रीय कानून अभी तक बना नहीं। एक व्यक्ति बम्बई में जाकर सम्पत्ति बनाता है, एक कलकत्ता और दिल्ली में खरीद लेता है और कोई मध्य प्रदेश में सम्पत्ति ले लेता है। उसके लिए आपके पास क्या प्राविजन है। आप क्यों नहीं केन्द्रीय कानून के लिए सरकार को बाध्य करते जिन इन्दिरा गांधी जी के द्वारा इस बात की घोषणा की गई उन्होंने क्यों नहीं अभी तक केन्द्रीय कानून बनवाया। इन्दिराजी के नाम पर बहुत बड़े 2 नारे दिए। नई रोशनी आई है, नई हवा-आयेगी। लेकिन कौन सी हवा आई है ? सांगरिया में किसानों पर लाठी चार्ज हुआ, गंगानगर के पन्द्रह पन्द्रह हजार किसान आन्दोलन करते रहे, सांगरिया और भादरा और चूरू में किसानों पर गोलियों से और लाठियों से प्रहार किया गया। केकड़ी के अन्दर लाठी चार्ज हुआ, जयपुर में गोलीकाण्ड हुआ।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : आपको सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप हमेशा सरकारी कर्मचारियों को कोसते रहते हैं, आप सरकारी अधिकारियों को गालियां देते रहते हैं और सबको बुरा भला कहते रहते हैं लेकिन सबसे अधिक कसूरवार राज के नेता हैं, राजनैतिक नेताओं का सबसे अधिक कसूर है। मैं एक दो उदाहरण देता हूं

श्री मुंशीलाल महावर : आप ही सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देते हैं और गलत काम करवाते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : उनकी वकालत भी करते हैं और उनके वकील भी रहते हैं।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढा : अभी कुछ दिनों पहले यहां पर माननीय श्री आचार्यजी ने चलचित्रों के बारे में विधान सभा के अन्दर प्रश्न उठाया था और उस समय कहा गया था कि माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री मथुरादासजी माथुर ने यह घोषणा इस सदन में कर दी थी कि किसी भी चलचित्र को एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा जब तक यहां की कमेटी, मेम्बरों की कमेटी अप्रूव नहीं करती लेकिन उसके बाद में रेशमा और शेरा को एग्जम्प्शन किस आधार पर दिया गया ? मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसका इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री गुमानमल लोढा : राजस्थान का मुख्य मंत्री कौन है। न खां है, उ-खां है या ब-खां है। वे कहते हैं कि किसी को एग्जेम्पशन नहीं देंगे और मैं आपको बताता हूं कि नर्गिसखां आई, मुख्य मंत्रीजी के चेम्बर में गई, कांग्रेस के विधायक बाहर बैठे रहे, ब-खां से मिलने के लिए बैठे रहे लेकिन उनसे मिलना नहीं हो सका। उ-खां और न-खां न मिलकर डिस्कशन किया और इसका निर्णय कर लिया तो क्या राजस्थान का मुख्य मंत्री उषीखां है, बरकत खां है या नर्गिस खां है ?

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : यह आज का विषय नहीं है। यह परसनल एक्सप्रेशन है अगर कोई इस तरह का मामला रखना चाहते हैं तो सदन की टेबल पर सारे फैक्ट्स रखिए और पहले नोटिस दीजिए। यह गलत बात है आप इस प्रकार विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने मजबूरी यह है कि यहां पर दो अध्यक्ष हो गए हैं, मैं किनकी आज्ञा मानूं ? मैं उन अध्यक्ष महोदय की आज्ञा मान कर बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुंशीलाल।

श्री मुंशीलाल महावर (बस्सी) : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक,

(श्री मुंशीलाल महावर)

1972 जो सदन में जनमत जानने के लिए रखा गया है, मैं उसमें निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जनसंघ के माननीय सदस्यों ने जो भी कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगाए हैं वे नितान्त झूठे और बिल्कुल व्यर्थ के हैं।

(म.प. 4.19 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

हमारे यहां की इकोनोमी, जो अर्थव्यवस्था है और शहरों में जो इण्डीजुअल प्रोपर्टी है. उसके अन्दर राजा महाराजाओं, पूंजीपतियों ने बड़े 2 फार्म और जमीनें टोप की दबा रखी हैं और उनका एक्सप्लायटेशन करते हैं, उसमें मजदूरों का शोषण करते हैं और उन्हीं के लिए आज जन संघ पार्टी उनकी वकालत कर रही है। जनसंघ पार्टी तो हमेशा ही साम्प्रदायिक दंगों में विश्वास करती है और जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें ही बहुत कुछ विश्वास करते हैं लेकिन आज समाजवाद की बात करके नया चेहरा लगाकर जनता के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं....

श्री भानुकुमार शास्त्री : साम्प्रदायिक दंगों में विश्वास करते हैं यह कहीं कहा है।

श्री मुंशीलाल महावर : खां पर आप आक्षेप करके यही कर रहे थे।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मुन्शीलाल महावर : मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप जाकर देख सकते हैं...

श्री मुंशीलाल महावर : इसका अगर सम्पत्ति का कम्पन्सेशन किया गया... (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

...प्रावधान करके जो सीलिंग की बात करते हैं तो वह अधिकार के साथ कहते हैं...

श्री राजेन्द्रसिंह : संयुक्त मोर्चा बनाया और सामने आये ..

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। इन्टरप्ट किया जा रहा है बारबार।

श्री मुंशीलाल महावर: उपाध्यक्ष महोदय, पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के लोग मैं समझता हूं कि कोई न कोई बहाना डालकर सीलिंग में रुकावट करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी समाजवाद की तरफ बढ़ रही है और जो उनकी प्रापर्टी थी, आनरशिप थी उसका राष्ट्रीयकरण कर रही है और इसके लिये यह कदम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी कमजोरी जरूर रही है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सहयोग नहीं दिया। पहले एक स्कीम आई थी राजा महाराजाओं की हजारों बीघा जमीन थी उन्होंने जो

(श्री मुंशीलाल महावर)

माननीय सदस्य अच्छे पुरजोर वकील भी रहे हैं उनकी राय से फर्जी पट्टे बनाये और हजारों बीघा जमीन के फर्जी पट्टे इश्यू किये गये ।

श्री गुमानमल लोढा : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री मुंशीलाल महावर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग डायरैक्ट रूप में जो समाजवाद के रास्ते में रुकावटें डालते है वह स्वतः ही रास्ते से हट जायेंगे । वह समय आने वाला है ।

तो मैं सीलिंग के मामले में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार सीलिंग के बारे में जो विधेयक लाई है उसमें परिवार के लिए तीन लाख की सम्पत्ति रखी है। नगरीय सम्पत्ति तीन लाख रुपये की होनी चाहिए लेकिन मेरा सुझाव है कि जो माइनर चिल्ड्रेन की बात कही है और दूसरे मेजर चिल्ड्रेन को छोड़ दिया गया है। यह एक परिवार के लिए 3 लाख बहुत है । मैं यह मानता हूं कि जिस मजदूर ने सर पर टोकरी रखकर महल तैयार किये हैं और उसके परिश्रम से महल खड़ा हुआ है मैं यह कहना चाहता हूं कि एक परिवार के लिए तीन लाख की प्रापर्टी रखना यह न्याय संगत नहीं है । यह क्या होना चाहिए ? हम यह कहते हैं कि जिस तरह से हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर, एक तरफ 4 हजार शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देकर एक मकान बनवाना चाहते हैं तो एक तरफ तो 3 लाख की लिमिट कायम करना चाहते हैं तो यह न्यायसंगत बात नहीं है । मेरा निवेदन है कि लिमिट को कम करना चाहिए यानी जो परिवार की परिभाषा की गई है माईनर और मेजर उसमें इन्क्लूड किये जाने चाहिए ताकि एक लाख से ज्यादा संपत्ति न रहे ।

दूसरी तरफ जो इन्डस्ट्रियल हाउसेज वगैरह हैं और जो आपके होटल वगैरह हैं उनके लिए एक्जम्पशन किया है, मैं मानता हूँ कि यह सार्वजनिक लोगों के काम में आते हैं, लेकिन इस कानून के अन्तर्गत इनका बहुत से लोग नाजायज फायदा उठायेंगे और वह अपनी प्रापर्टी को होटल के नाम लिख देंगे और जो प्रापर्टी पर सीलिंग लागू करना चाहते हैं उससे बचने की कोशिश करेंगे। उनको होटल वगैरह की तारीफ लगाकर कुछ छूट दी जाय, और जो बड़े बन गये हैं उन्हें कानून के दायरे से नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

दूसरी ओर जो संपत्ति के लिए जो सीलिंग का कानून आया है उसके साथ-साथ काश्तकार भाइयों की जो जमीन है, जो भूमि है वह सीलिंग के अन्तर्गत बहुत कम आती है मैं यह समझता हूं कि 2–3 पर्सेन्ट के ऊपर भूमि-सीलिंग राजा महाराजाओं की जमीन है नवाबों के पास, जागीरदारों के पास हैं जो जमीन है उस पर वह सीलिंग लागू नहीं होगा। . . .

श्री मूलचन्द सामरिया : नये राजा-महाराजाओं की बात करें ।

श्री मुन्शीलाल महावर : सीलिंग का असर आम काश्तकार पर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उन लोगों के ऊपर पड़ने वाला है जो

(श्री मुंशीलाल महावर)

कि बड़े जमींदार हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 18 सिंचित एकड़ भूमि एक काश्तकार परिवार के लिए पर्याप्त है। इसके साथ साथ हर परिवार में मेम्बर बढ़ता है तो 5-5 एकड कर रखा है।

मैं इतना ही कहने के बाद यह जरूर कहूंगा कि शेड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं और जिनके परिश्रम से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं उनके लिए इस विधेयक में यह होना चाहिए कि जो भी संपत्ति ली जाय वह सम्पत्ति शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मजदूर वर्ग के लोग हैं जो श्रमिक हैं उनके लिए वह सम्पत्ति दी जाय और उसी मूल्य पर दी जाय जितने का मुआवजा देकर उसको अधिगृहीत करेंगे।

इसके साथ-साथ इसमें जो उद्योग के बारे में कहा गया है तो यह ठीक है कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में हम सीलिंग लागू कर रहे हैं तो इसके साथ साथ महत्वपूर्ण कदम यह भी होगा कि सीलिंग के साथ साथ इसमें बहुत कुछ छूट दे रखी है। पूंजीपति लोग जो हमेशा विरोध करते रहे हैं और देश का एक्स्प्लायटेशन करते रहे हैं उनके साथ रियायत करते हैं। हमें उत्पादन के साधनों का नेशनेलाइजेशन करना पड़ेगा इन इन्डस्ट्रीज में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं वे हमारी सरकार से ही पैसा लेकर उसमें इन्वेस्ट करके फायदा उठा रहे हैं और देश में जनता का एक्स्प्लायटेशन कर रहे हैं। इन्डस्ट्रीज का भी हमें नेशनेलाइजेशन करना पड़ेगा, और मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार हमारे यहां भूमि सीलिंग, और नगरीय संपत्ति का सिलिंग ला रही है तो उसके साथ साथ रोजगार पर भी सीलिंग कर देना चाहिए। आज एक वकील है वह वकालत भी करता है, जमीन भी रखता है, दूकान भी करता है, और इसके साथ-साथ कई धन्धे करता है। व्यापारी हैं वह काले धन को व्हाइट करने के लिए गांवों में जा कर गरीबों से जमीनें खरीदते हैं। मैं मेरे इलाके के कई इस तरह के उदाहरण दे सकता हूं जहां पर दिल्ली से या बड़े शहरों से लोगों ने जमीनें जाकर हड़पी हैं, और गरीब जो हैं वह बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। आप देखिये दिल्ली के अन्दर कि वहां पर राजस्थान के 3 लाख मजदूर काम कर रहे हैं और वे किस प्रकार से वहां पर झोंपड़ियों में पड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार ने उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था नहीं की। हमारे सामने बड़ी भारी विषमता है। इस विषमता को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है तो रोजगार पर भी सीलिंग लागू कर दें तो जो हम बेरोजगारी मिटाने का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, वह पूर्ण होगा।

इस बिल का पूर्णतया समर्थन करते हुए इतना निवेदन करूंगा कि जो सीमा 3 लाख की रखी गई है उसको कम किया जाय। इसमें जो आर्थिक विषमता नजर आती है उसको दूर किया जाना चाहिए और मजदूरों को जो सम्पत्ति मिले वह मुआवजे के आधार पर दी जाय, बल्कि उससे भी कम रेट पर उनको दी जानी चाहिए, तब तो मैं कहूंगा कि पूर्ण समाजवाद ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री नत्था सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों के लिए सदन में बोलने के लिए टाइम नहीं देते हैं जब कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं उनको टाइम नहीं देते हैं, अन्य लोगों के लिए टाइम मिल जाता है, और हमारे लिए टाइम नहीं मिलता है।

एक माननीय सदस्य : यहां भी विषमता है क्या ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश यह करूंगा कि मैंने एमेंडमेंट दिये थे उनका तर्जुमा भी रामानन्दजी ने दिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मेरा नाम इन्क्लूड नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : किस संबंध में।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसी विधेयक के संबंध में।

श्री उपाध्यक्ष : आपका एमेंडमेंट रिजेक्ट हो चुका है। हिन्दी अनुवाद पेश नहीं किया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हिन्दी अनुवाद रामानन्दजी ने भेज दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि एमेंडमेंट दिये थे वह क्लाज पर थे, यह तो जनमत जानने हेतु या प्रवर समिति में भेजने हेतु पर बहस चल रही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ऐसा था कि उसका तर्जुमा भी भेज दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज बाई क्लॉज पर आयेंगे तब आपके सामने आयेगा। यह तो डिबेट जनमत जानने हेतु प्रसारित करने या प्रवर समिति में भेजने में प्रस्तुत किये जाने के बारे में प्रस्ताव है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एमेंडमेंट भी साथ में चल रहे हैं, डिबेट में। रामानन्द साहब ने एमेंडमेंट रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आपका एमेंडमेंट नहीं है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस संबंध में यह प्रस्ताव रखा है कि हम जिनके पास निवास स्थान अधिक हैं वह लेंगे और जिनके पास निवास स्थान नहीं हैं उनके निवास की व्यवस्था की जायगी। परन्तु इसके पूर्व जो भी घोषणाएं थीं और जो भी आशा जनता को थी वह यही थी कि एक तरफ एक व्यक्ति सुबह से लगाकर शाम तक कोई तरह का श्रम नहीं करता है, जो मौज करता है उसको चढ़ने के लिए गाड़ी चाहिए, रहने को अच्छा मकान चाहिए। वह श्रम नहीं करता है, परन्तु आराम से रहता है, और एक तरफ वह आदमी है जो सुबह से शाम तक श्रम करता है उसे हर तरह से मजबूरी में दिन गुजारने पड़ते हैं। जब शहरी सम्पत्ति की सीमा का सवाल था तो लोगों को यह आशा थी कि न केवल मकान पर सीमा लगाई जायेगी, बल्कि धन की सीमा भी बान्धी जायगी। हम नहीं कह सकते हैं कि यह केवल मकान की सीमा का ही

(श्री दीपंकर)

कैसे बिल आया है, और वहां तक चलने में क्या दिक्कत रही है, परन्तु सरकार ने जो भी कदम उठाया है वह प्रगतिशील है। जो भी बिल आया है इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।

एक तरफ हमें यह देखना है कि जो कुछ भी भूमि या जो कुछ भी मकानात हम ले रहे हैं उन मकानात को लेने के पीछे जिस तरह से एक सवाल खड़ा हुआ इसके साथ-साथ जो भी एरिया बांधा गया है, उसमें कृषि भूमि भी शामिल है उसको लेने का क्या अर्थ है मैं जहां तक समझ पाया हूं, उसको लेने का यह अर्थ है, नजदीक जितनी भूमि है चाहे कृषि भूमि हो जिनमें बड़े-बड़े आदमियों ने, बड़े-बड़े लोगों ने अंगूर के खेत लगा रखे हैं, और तरह के खेत लगा रखे हैं उसका आबादी में कन्वर्शन करके लोगों को रहने के लिए दी जाय। यह बिल का उद्देश्य है और इसलिए इसमें शामिल किया गया है। इसका सम्बन्ध जो कृषि भूमि की सीलिंग का बिल था, उससे नहीं जोड़ा जाना चाहिये और न किसी तरह की शंका उत्पन्न होनी चाहिए। जहां तक सम्बन्ध बड़े लोगों का है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है, चाहे गोदाम की जगह हो, चाहे उद्योग का स्थान हो, मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े सेठ आज कल रहते हैं, वे कहां रहते हैं उन्होंने लिमिटेड उद्योग के नाम से बड़े बड़े भवन बना रखे हैं, उनमें वह निवास करते हैं, उनके नाम से बड़ी बड़ी कारें खरीद रखी हैं, उनमें घूमते देखते हैं, समाज के लोग देखते हैं कि बड़ी कारों में घूमने वाले लोग हैं समाज में उनका जादू चलता है। इसलिए जिन लोगों की भूमि होती है उसके बारे में तय होना चाहिए और बड़ी बड़ी कारें हैं उन पर नेम प्लेट होना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि सेठ की है या नहीं या अमुक कम्पनी की है जो कार बड़े बड़े उद्योगों के नाम रहती है उसके बजाय सेठ अपना नाम लिखा देते हैं, इससे समाज को भ्रम होता है कि सेठ जी की बड़ी भारी कोठी है, कार है। इस तरह मजे करने का तरीका बड़े बड़े सेठों का है। इसलिए इस सम्बन्ध में सीलिंग कानून में व्यवस्था होनी चाहिए।

जहां तक इस सीलिंग कानून का सवाल है, मैं इसका समर्थन करता हूं हर तरह से हमें जो भी सम्पत्ति इससे प्राप्त होगी हालांकि बहुत कम लोगों पर इसका असर पड़ेगा परन्तु जिन लोगों पर भी असर पड़ेगा उससे एक कदम तो हम आगे बढ़ेंगे। समाजवाद की तरफ और यह एक नया काम शुरु होगा यह हम कह सकते हैं। यह सवाल भी है कि बहुत से लोग ऐसे मकानों में रहते हैं क्या उन्हें हटा दिया जायेगा? उनकी जगहों पर दूसरे आदमियों को रख दिया जायेगा? सवाल यह है कि समाजवाद लाने की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में विचार करना चाहिए जो बेघरबार हैं किराया देकर रहते हैं। वह दूसरे मकान में किराया देकर रहते हैं। उनके जीवन पर इससे असर नहीं पड़ता है। उनको रहने देंगे तो भी उनके

(श्री दीपंकर)

जीवन पर असर नहीं पड़ता है। इसलिये उनको रहने दीजिये, यह अच्छी बात है। आज जो सड़कों पर सोते हैं, जिनके नाम पर कतई जमीन नहीं है। ऐसे लोगों का भला हो तो देखेंगे कि नया जमाना आया है, समाजवाद आया है और मिनख की पूजा हुई है और जो लोग श्रम करते हैं उनकी प्रतिष्ठा होगी। आज समाज में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है, जिसके पास बड़ा मकान है, काफी धन है। उसका रिश्ता होता है तो समाज में इस बात को चर्चा होती है, ऐसे आदमी के साथ रिश्ता क्या किया जाय, जिसके पास मकान नहीं हैं, जिस आदमी के पास जेवर नहीं हो सकते। मतलब यह है इन्सान में चाहे कितने ही गुण हों, अच्छे चरित्र का हो, अच्छे विचारों का हो, पढ़ा लिखा हो—मगर उसके पास पूंजी नहीं है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। जिसके पास पूंजी है, जो पूंजीपति है, भले ही उसके अन्दर किसी तरह का गुण नहीं हो फिर भी दस बीस लोग उसकी हाजिरी में रहते हैं, और सोचते हैं, यह आदमी बड़ा है। सवाल आज यह है कि आज के जमाने में पूंजी बड़ी है या इन्सान बड़ा है? समाजवाद के द्वारा, आज के दिन यह फैसला होना है कि इन्सान बड़ा है, पूंजी बड़ी नहीं है। यह तभी हो सकता है जब भवनों पर सीलिंग लगायें और आमदनी पर भी सीलिंग लगायें और सीमित साधन रखें तो पता चलेगा कि हिन्दुस्तान की प्रगति कैसे होती है। आज दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं, वह देखते हैं, भिखमंगे लाखों की तादाद में हैं, जिनके पास में मकान नहीं हैं, न कोई काम है। जहां ठहर गये वहीं डेरा है। उनका वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है। ऐसे लोगों के लिये एक जगह रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे लोगों को मकान देने चाहिए, ऐसे लोगों को रोजी देनी चाहिए। हमें सीलिंग लागू करने के वक्त अच्छी तरह देखना पड़ेगा कि अधिक से अधिक लोगों को मकानों में ठहरा सकें, अधिक से अधिक लोगों का जीवन उपयोगी, बना सकें। इसलिए आवश्यक है कि हम सीमा बांधें आमदनी की, सीमाबन्दी केवल भवनों की करने से काम चलने वाला नहीं है। पुराने जमाने में जब सस्ते भाव थे जमीनों के तब बड़े बड़े मकान बना लिये। उनको ले लेते हैं तो वह उनको छोड़ देंगे और आपको दे देंगे। उनके पास जो पूंजी है, काला धन है वह हिन्दुस्तान में बसे हुए हैं, उनसे सम्पत्ति लेकर आप समाज का विकास नहीं कर सकते, देश का विकास नहीं कर सकते हैं, समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इससे यह शहरी सम्पत्ति की सीमा का कानून है यह अधूरा रहेगा। मुझे एक और निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर ट्रस्ट बने हुए हैं उनमें हवेली, नोहरे, बेरे—सब डाल रखे हैं। घर घर के सब आदमी और ट्रस्ट बने हुए हैं। उनकी हवेलियों को देखा जाय तो वह पांच लाख, दस लाख की हैं, जो लोग इस तरह से पहले हो समझे हुए बैठे हुए हैं उन्होंने ऐसे ट्रस्ट बनाये हुए हैं। वह इससे छूट जायेंगे। इसलिए समझदारी के साथ इन बातों को देखना चाहिए ताकि जो लोग ऐसे ट्रस्ट बना कर के छूट चाहते हैं वह छूट लेकर नहीं रह सकें। इससे आवास की समस्या भी हल हो सकती है और सम्पत्ति को लेकर समाज के लिए भी उसका उपयोग

(श्री दीपंकर)

हो सकता है । इसलिए यह आवश्यक है कि इसमें और संशोधन हों । जहां तक जो सीमा बांधी गई है, मैं समझता हूं, आज हिन्दुस्तान की जो हालत है उसमें गरीब जो शहरों में हैं और गांवों में बेकारी की हालत में हैं उनकी हालत को हम देखते हैं, दूसरी तरफ जो करोड़पति हैं, उनको तीन लाख की सम्पत्ति की छूट देकर उनको जीने लायक राहत आप दे रहे है । लेकिन इससे एक भेद पैदा होता है । आज गरीब का बच्चा पढ़ने स्कूल जाता है और सेठ का लड़का भी पढ़ने जाता है, सेठ का लड़का कार में आता जाता है जब कि गरीब का लड़का पैदल जाता है । इससे गरीब के लड़के के दिमाग में एक भेद पैदा होता है कि यह पैसा वाला है और मैं गरीब हूं । हमारा हिन्दुस्तान आजाद है, हम चाहते हैं कि हमारे यहां का हर नागरिक सशक्त तरीके से देश को मजबूत बनाये, उसकी शक्ति, श्रम और शरीर देश को मजबूत बनाने के काम में आये, इसलिए उनके दिमाग में से यह चीज दूर होनी चाहिए कि मैं साधनविहीन क्यों हूं और यह साधन-सम्पन्न क्यों है । जब तक यह भेद दूर नहीं हो सकता तब तक यह सीलिंग का कानून है, यह सहरी सम्पत्ति की सीलिंग का कानून है, यह अधूरा है । इसको पूरा करने के लिए हमें आगे जाना है । हो सकता है कि मंत्री महोदय का यह प्रथम कदम है, जिस तरह से टेनेन्सी एक्ट में बराबर संशोधन आते रहे हैं, इसी तरह से इसमें भी संशोधन आयें जिसमें सम्पत्ति को और घटाने के बारे में सोचा जायेगा । वैसे यह कदम प्रगतिशील कदम है और यह बिल आज ही पास होना चाहिए । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जनसंघ के माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मे विभेद है । कल मुख्य मंत्रीजी, खेती की जमीन के बारे में सीलिंग का कानून था, उसको बीच में रोक कर चले गये । हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए । कोई पार्टी में भेद नहीं है, मतभेद नहीं है । जो विचार हमारे हैं उनको उन्होंने सुना है, मुख्य मंत्रीजी इस सदन के नेता है, वह भारत की जो कमेटी हैं उसके सदस्य भी हैं, उस कमेटी की मीटिंग होने वाली है, वह राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के विचारों को वहां रखेंगे और रखने के बाद जो निर्णय होगा उसके अनुसार आर्डिनेन्स के रूप में इस बिल को लायेंगे । मैं समझता हूं कि इस कानून में खामियां रह गई हैं उनको दूर करते हुए इसको लागू करेंगे तो राजस्थान का हित होगा । वह यह न समझें कि इतनी बड़ी पार्टी मे मतभेद है । जनसंघ को इतना मखौल बनाने का मौका नहीं मिलने वाला है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह भ्रम वह दूर कर दें । मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन जो सीमा बांधी गई है वह ज्यादा है, क्योंकि किसी प्रान्त ने दो लाख की बांधी है, किसी ने ढाई लाख की बांधी है, यहां पर तीन लाख की सीमा बांधी है, किसी ने ढाई लाख बांधी है, जब कि हमारे यहां स्टेन्डर्ड आफ लिविंग दूसरों के मुकाबले में ऊंचा नहीं है, इसलिए हमें तीन लाख नहीं

(श्री दीपंकर)

रखनी चाहिए, यह घटा सकें तो अच्छा है। इसको लागू करने के लिए जो पहले तारीख दे दी गई है, मंत्री महोदय ने इस सदन के सदस्यों के विचार सुन कर तारीख को बदला है। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जो सीमा बांधी है, इसके ऊपर सब माननीय सदस्यों के विचार सुन कर बदल दें तो अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए आभारी हूं।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 पर विचार हो रहा है···

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह फ्री स्टाइल डिबेट कब तक चलती रहेगी और कब यह अमेंडमेंट लिये जायेंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : फ्री स्टाइल ही चलती रही है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह फ्री स्टाइल डिबेट कब तक चलती रहेगी।

श्री **नत्था सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि कृषि भूमि की सीमा निर्धारित करने का कानून कल आया था, आज नगरीय सम्पत्ति विधेयक के ऊपर इस सदन के अन्दर चर्चा चल रही है। मैं यह बताऊंगा, यह तीन लाख की सम्पत्ति का बिल आया है, यह शहरों के लिए है इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज राजस्थान सरकार यह कानून बनाना चाहती है कि शहरी सम्पत्ति तीन लाख तक होनी चाहिए। लेकिन एक आदमी की सम्पत्ति जयपुर के अन्दर है, जोधपुर के अन्दर है, बीकानेर के अन्दर है, बम्बई के अन्दर है, कलकत्ता के अन्दर है, और और जगह पर है, इसलिए राजस्थान सरकार को मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव देना चाहता हूं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने यह प्रश्न रखा जाये कि एक आदमी की सम्पति एक जगह ही होनी चाहिए, चाहे राजस्थान में हो या चाहे और किसी प्रान्त में हो, या राजस्थान में एक ही कस्बे में होनी चाहिए। बहुत से ऐसे आदमी हैं, हमारे जैसे गुमानमल लोढ़ा बैठे हुए हैं, उनकी कोठी है, आप नाराज मत होना, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक कोठी जोधपुर में भी है, एक कोठी जयपुर में भी हो सकती है, एक कोठी और जगह भी हो सकती है

श्री गुमानमल लोढ़ा : अभी नहीं है।

श्री नत्थासिंह : मैं मिसाल दे रहा हूं। मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं है कहां कहां आपकी कोठी हैं।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, शहरी सम्पत्ति की सीमा तीन लाख होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि तीन लाख की सीमा निर्धारित कर देंगे, तो वह प्रथम श्रेणी के लोग हो जायेंगे, दूसरी श्रेणी के वह होंगे, जो आपने अठारह एकड़ भूमि जिनके पास छोड़ रखी है, जिसका

(श्री नत्थासिंह)

कल बिल आया था। वह सैकिण्ड कैटेगरी में हो गए और थर्ड कैटेगरी में मजदूर हैं, किसान हैं-वह गरीब हो गए। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है, यह बिल, आज ही जरूर पास होना चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन सरकारी सेवाओं में एक क्लास के लोग हैं, फर्स्ट क्लास के लोग जिनके पास तीन लाख की सम्पत्ति छोडी जा रही है, ऐसे लोगों को भारत सरकार की सेवा में और राजस्थान प्रान्त की सरकारी सेवा में कोई मान्यता नहीं देनी चाहिए। दूसरे 18 स्टेण्डर्ड एकड़ की सीलिंग करने का बिल आया था, उसमें भी मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं उनके पास चार पांच बीघा जमीन होती है, उनके पास न अठारह एकड़ जमीन है और न तीन लाख की सम्पत्ती है, इसलिए सरकारी नौकरी में जो थर्ड क्लास के लोग हैं उनके बच्चों को ही लिया जाय।

इसके अलावा मैं कहूंगा कि आप बिल तो बाद में लाते हैं, उससे पहले ढिंढोरा काफी पीटते हैं। आप टैनेन्सी एक्ट के सम्बन्ध में आर्डिनेन्स बाद में लाये लेकिन पहले ढिंढोरा पीटा है। पिछले तीन चार साल से इसकी चर्चा शुरू कर दी और कानून बाद में लाये। यह उस तरह से है जिस तरह मकान में सैंध लगा कर कोई चोरी करके ले जाता है, बाद में उस मकान की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि पहले वास्तव में गांव का जो किसान था वह सबका काम करने वाला था। जब टैनेन्सी एक्ट बना तो उसके कारण वह खेत किसान के पास में नहीं रहा। वह क्यों नहीं रहा। क्योंकि चालाक आदमी को मालूम पड़ गया कि ऐसा कानून बन रहा है, इसलिए जिनके खेत में छोटे काश्तकार काम करते थे, जो वास्तव में किसान थे और सब काम करना जानते थे, उनके पास में जमीन नहीं चली जाय इसलिए चालाक लोग जो थे, उन्होंने जमीन अपने नाम पर करवा ली, अपने नाम में दर्ज करा ली। इससे वह किसान रह गया। मैं सुझाव दूंगा कि आप शहरी सम्पत्ति का बिल ला रहे हैं और इस सीलिंग के कानून से तुरन्त जनता का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए जो चोरी करने वाले लोग हैं किसी तरह से चोरी करने का उनका रास्ता बन्द हो जाय इस तरह की व्यवस्था करें।

इसके साथ साथ एक बात और कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कहा कि भूमिहीन किसानों को जमीन मिलेगी, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिली है। आपने शहरी सम्पत्ति के ऊपर सीलिंग करने का बिल बनाया है, कल बिल आया वह खेती की जमीन पर सीमा का आया था, उससे जमीन निकलेगी राजस्थान में····

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री नत्थासिंह : मैं शहरी सम्पति पर आ रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, इस तरह से गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह जो सीलिंग का कानून बना रहे हैं, कल खेती की जमीन का सीलिंग

(श्री नत्थासिंह)

का कानून लाये थे मैं यह बताऊंगा, भरतपुर जिले में अठारह एकड़ का कानून बनाया है, तो वहां से एक बीघा जमीन भी नहीं निकलेगी। भरतपुर से मुश्किल से एक हजार एकड़ निकल आये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज विषय दूसरा है।

श्री नत्थासिंह : मैं शहरी सम्पत्ति के लिए बता रहा हूँ। मुझे कल टाइम नहीं मिला था....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : टाइम लैस है।

एक माननीय सदस्य : शहरी सम्पत्ति कहां है, वह बतावें।

श्री नत्थासिंह : मैं निवेदन करूंगा, बड़े बड़े आदमी जो हैं, जैसे बिड़ला, उनकी सम्पत्ति दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता हिन्दुस्तान के कोने कोने में है। तो आपको इस तरह का कानून बनाना चाहिए कि चाहे बिड़ला हो, चाहे टाटा हो, चाहे डालमिया हो, चाहे गुमान मल लोढ़ा हो—कोई भी हो या नत्था सिंह हो—सबके लिए समान कानून बनाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय मैं तो इस बिल का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ साथ जो सुझाव रखा है, 'ए' केटेगरी के लोग, 'बी' केटेगरी के लोगों को सरकारी सेवा में मान्यता न देकर 'सी' केटेगरी के लोग हैं उनको सरकारी सेवा में मान्यता दें (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसके साथ मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया है हम शिड्यूल्ड कास्ट्स के इतने लोग आये हैं, लेकिन दूसरे लोग जो आते हैं सदन के अन्दर, उनको रोज समय मिलता है, समय उन लोगों को ज्यादा मिलता है जो पुराने हैं, लीडर हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में इतने जीत कर आये हैं, हमारी पार्टी जीत कर आई है—हमें टाइम नहीं मिलता है। मेरा निवेदन यह है कि हमें थोड़ा थोड़ा समय, पृथक् पृथक् सदस्यों को देते रहें ताकि सुझाव हम देते रहें (समय—समाप्ति—सूचक घंटी) इतना कह कर मैं स्थान ग्रहण करता हूं, मैंने एक दो मिनट ओवर ले लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबर मल।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शहरी सम्पत्ति का बिल आया है—इसका मैं स्वागत करता हूं। इसलिए नहीं कि यह बिल उत्साहवर्द्धक है, इससे नतीजा हासिल होगा बल्कि इसलिए कि वचन-बद्धता की बात है, कृत संकल्प रहने की बात है और समाजवाद लाने की चर्चा जो बहुत समय से चली आ रही थी—उसको असली जामा देखने को मिला। जब राम रावण से लड़ने गये थे, लक्ष्मण को मूर्छा आ गई थी, राम तकलीफ में थे, इसके अलावा निराशा चारों तरफ दीख रही थी—उस समय का एक छन्द कहता हूँ :

मात को मोही द्रोही विमात को,
न मोय सोच तात के गात दहे को।
राज को मोह न वन्धु विछोह न,
न मोय सोच सिया के वियोग भयेको।

(श्री झाबरमल सुन्डा)

शीतल धाम न, तन विश्राम न,
यो मन सोच बनवास भये को।
आर्य न भूमि में राम कह्यो,
एक सोच भयो विभीषण लंकेश
कहे को।

विभीषण को लंकेश कह दिया, जिन परिस्थितियों में लंकेश कह दिया, वह इन परिस्थितियों में अधूरा ही रहता तो फिर जीवन भर मुंह दिखाने लायक न रहता। वचनबद्धता के लिए मैं बात कह रहा हूं, मैं साथ ही इसकी असलियत दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं, परन्तु फिर भी इस बिल को यदि चलनी का रूप दिया जाय, जिस प्रकार चलनी में छानने लगें तो सारा का सारा निकल जायगा, बचना कुछ भी नहीं है - यह बिल ढांचा मात्र है, लेकिन फिर भी इसको मैं अच्छा और शुभ मानता हूं, वह इसलिए कि एक बिजनेस क्लास का आदमी सोया हुआ था, उसके सीने पर से मकोड़ा निकल गया था, वह रोया और चिल्लाया—बड़ा गजब हो गया, मेरे सीने पर से एक कीड़ा निकल गया, मकोड़ा निकल गया। उसको कहा, इसमें अफसोस की बात क्या है। उसने कहा, अफसोस की बात इसलिए है कि सिलसिला शुरू हो गया है, रास्ता निकल गया है, हो सकता है मेरे सीने पर से हाथी निकल जायगा। मैं इस बिल से ज्यादा खुश नहीं हूं, लेकिन मैं सोचता हूं इस सिलसिले में कुछ अमेण्डमेण्ट आयेंगे, कुछ नई बातें विद्वान सदस्य रखेंगे, ऐसी बातें आयेंगी, जो हमारी बात को पूरा करेंगी···

जिस समाजवाद की हम दुहाई देते हैं, सोसाइटी में इम्बैलेन्स को कम करने की जो चेष्टा करते हैं, इससे इसमें कुछ मदद मिलेगी। इस समय तो यह बिल ऐसा लाया गया है कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी भी इसमें हो जाए। वह इसलिए कि जो भेदभाव हैं जो देश का शासन प्रच्छन्न रूप से करते हैं, जिनके पीछे वे काम करते हैं, जो उनको गिरवी रखते हैं, उन्होंने किसी ढंग से इस बिल में मदद की है या करते रहे हैं। इसलिए मुझे वह बात याद आती है 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा' हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि बिल को इस ढंग से पेश करें जिससे सीलिंग खटाई में पड़ जाए। इससे ऐसी इम्पलीकेशन्स पैदा करें जिससे लोगों के लिए यह कानून कारगर नहीं होगा, बात गौण हो जायगी और उलझ जाएगी। आज पूंजी को बराबर महत्व दिया जाता है, काले धन निकालने की कोई चेष्टा नहीं। मोनोपोली कमीशन बैठा लेकिन मोनोपोलिस्ट पर कोई पाबन्दी नहीं लागू की है जिससे आगे उन लोगों को सिंचित करने का मौका नहीं मिले। फिर लाईसेंस दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े घरानों में कितना पैसा है? आज टाटा, बिरला जैसे धनी लोग 25 लाख तक इन्कम टैक्स की ग्रिप में नहीं आ सकते तो मैं कैसे विश्वास करूं कि इस बिल से शहरी सम्पत्ति को निकालकर आप समाज को दे सकेंगे? मुझे शक है जैसे अभी हांडाजी ने कहा गंगानगर में आशा थी सीलिंग कानून से कुछ भूमि मिलेगी लेकिन कुल 90 एकड़ भूमि मिली। इतने बड़े कानून के बाद, इतनी बड़ी आशा के बाद रिजल्ट निल मिलता है। तो ऐसा लगता है कि इस बिल में होटेल छोड़ दिए,

Page No. 120

(श्री झाबरमल सुन्डा)

बिजनेस हाऊसिज छोड़ दिए। ऐसी बातों का इसमें समावेश कर दिया गया है जिससे बिल के लागू करने के बाद चाहे रिट्रास्पेक्टिव हो अगर 100 साल पहले से भी लागू करें तो भी कुछ नहीं आएगा। अगर कारगर संशोधन किए जायेंगे जिससे समाज को कुछ दे सकें तो फिर आप कुछ दे सकेंगे।

जहां तक सीलिंग का सवाल है कितने लाख की हो, यह एक ऐसा सवाल है जिसमें सीधा सा जवाब नहीं दिया जा सकता लेकिन जवाब देने की हम चेष्टा करते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैल्यूएशन होता है। एक आदमी आसानी से कितनी जगह खड़ी कर रह सकते हैं, उसके बाद जो बच जाती है, उसकी स्पेस को देखना पड़ेगा, इस हिसाब से सीलिंग करते हैं तो बात सामने आती है लेकिन सीलिंग किसके कारण है? जैसे ट्रेजरी बेंचिज से एक माननीय सदस्य ने कहा था कि अर्बन सीलिंग कैश में, दूसरे धंधों में भी आएगा। यदि इससे कुछ नहीं मिला और हो सकता है कि इस बिल से काम नहीं चले। हम वेतन पर, वकीलों की फीज़ पर, डाक्टरों की फीज़ पर उद्योगों पर, दुकानों की आमदनी पर भी सीलिंग लगाना पड़ेगा। जब सब पर सीलिंग लागू करेंगे तो हो सकता है कि इसका हमें नतीजा मिले। इसके अतिरिक्त इतने जो धनी लोग हैं, जो शहरों की ज्यादा जमीन घेर लेते हैं और गरीबों को झोपड़ा बनाने का मौका नहीं मिले तो हो सकता है उसको भी कुछ स्पेस मिल सके। जितने एरिया शहरों में हैं, बाकी से गरीबों के आवास की व्यवस्था कर सकेंगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है।

फिर भी मुझे संशोधन रखने का ज्ञान नहीं। क्या कहूं? लेकिन प्रार्थना करूंगा कि ऐसे संशोधन पेश करें जिनसे वास्तविकता के नजदीक पहुंचे और गरीब लोगों को शहरों में बसाने के लिए। जैसे दिल्ली या जयपुर में झुग्गी झोंपड़ी तो नष्ट हो गई लेकिन 10 मंजिले मकान बन गए, ऐसी परिस्थितियां इससे काबू में आएगी। इतना संशोधन है। फिर भी मैं प्रवर समिति को सौंपने में विश्वास नहीं रखता। मैं कहता हूं आज ही लागू कर दें और अच्छे से अच्छे संशोधनों का इसमें समावेश करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चतुर्भुज।

कई माननीय सदस्य: बोल लिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सज्जनसिंह।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, शहरी सम्पत्ति की हद हो गई और हमारे मन्त्री महोदय ने परिश्रम किया, उसके लिए तो मैं उनको मुबारकबाद दिये बिना नहीं रह सकता लेकिन मैं यह सोचता हूं कि मन्त्री महोदय के परिश्रम से एक मुर्दा बच्चा जन्मा है। आपने जो कुछ किया, वह इस हाथ आपने जन्म दिया, उस हाथ से मौत दे दो। एक तरफ आपने कहा सम्पत्ति की सीमा शहरों के अन्दर 3 लाख से अधिक नहीं होगी दूसरी तरफ आपने सैक्शन (बी) (2) में सारे दुनियां भर के एग्जेम्पशन्स दे दिए।

श्री चेतराम : सदन का समय समाप्त होने वाला है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक इस विधेयक पर विचार विमर्श पूरा हो जाए तब तक समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से विधेयक के पारित होने तक समय बढ़ाया जाता है।

श्री सज्जनसिंह : सैक्शन 4 (बी) (2) के अन्दर इस बिल के सारे पर्पज फस्ट्रेट हो गए। एक तरफ आपने बताया है कि अगर कोई डिक्लेयर नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना होगा। दूसरी तरफ सदन के माननीय सदस्य श्री पुखराज कालानी जो चार्टर्ड अकाऊंटेन्ट हैं, बता रहे थे कि जयपुर शहर के अन्दर वेल्थ टैक्स के एसेसिज केवल 5 आदमी हैं। जो कुछ आपने प्रोग्राम बनाया, उसके परिणामस्वरूप समाज को क्या समानता दी? एक तरफ हम अपेक्षा करते थे कि गांव की उत्पादन क्षमता प्रोत्साहन के पश्चात् आपने जो सीमा कायम की है, जो हमने मैनीफेस्टो के अन्दर प्लेजिज एक्सेप्ट किए हैं उनके साथ साथ हम आपसे यही अपेक्षा करते थे कि शहर के अन्दर सम्पत्ति के उपार्जन के साधनों पर भी सीमा लायेंगे लेकिन खेद है कि वह सीमा नहीं ला सके हैं। जैसा एक माननीय सदस्य बता रहे थे, आपने शहरी जनता के सीने पर एक कोड़ी जरूरी डाल दी। यह जो आश्वासन दिया है कि शायद आपके इरादे हैं भविष्य के लिए। न मालूम कब आप ईमानदारी के साथ सम्पत्ति का सीलिंग करने जा रहे हैं। जब सम्पत्ति की हदबन्दी करने जा रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में कब उत्पादन के साधना की हदबन्दी करने जा रहे हैं। आपने समाजवाद की विशेष तौर से भारतीय समाजवाद के बुनियादी सिद्धान्त की उपेक्षा की। हम चाहते हैं कि गांव की जनता और शहर की जनता को एक साथ बिठायें। भारत के संविधान में जो अधिकार हमको मिले हैं उनकी सुरक्षा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हम आपसे आशा करते थे कि आप गांवों और शहरों में किसी प्रकार का भेदभाव न रखकर सबको समान जगह पर लाकर खड़ा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत का प्रत्येक नागरिक और खास तौर से राजस्थान के देहात में रहने वाले नागरिक यह महसूस करते हैं कि सरकार लगातार टैक्स बढ़ाती जा रही है। इन टैक्सों के लगने से उत्पादन के मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। आज सरकार शहरी सम्पति पर सीलिंग लगा रही है पर यह जब लगाने का प्रश्न पैदा हुआ कि जब देहात में आपने सीलिंग 30 एकड़ से घटा कर 18 एकड़ कर दी। आज आप गांव में रहने वाली जनता के साथ काश्तकारों के साथ भारी अन्याय कर रहे हैं। वैसे तो भारत सरकार द्वारा कई टैक्स वसूल किये जाते हैं जैसे वैल्थ टैक्स, इनकमटैक्स, एस्टेट ड्यूटी, प्रोपर्टी टैक्स और सेल्स टैक्स राजस्थान सरकार द्वारा भी लगाया जा रहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इन टैक्सों का भारी इवेजन शहर के बड़े बड़े सेठ, साहूकारों, और दूसरे लोगों द्वारा किया जाता है। पर उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके पास तो टैक्स इवेजन के रास्ते हैं इसलिये टैक्स इवेजन भी वही करते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, गांव के काश्तकारों के ऊपर आपने जो यह

(श्री सज्जन सिंह)

टैक्स लगाये हैं वह गरीब किसान करे टैक्स इवेजन करेगा। क्योंकि आज आपने काश्तकार की फसल हो या नहीं हो पटवारी उसकी छाती पर सवार होकर रेवेन्यू रेकार्ड में जो लगान फिक्स है वह आकर ले जायगा रेवेन्यू रेकार्ड में पूरा एकाउन्ट दिया हुआ होता है, उसे तो लगान देना पड़ेगा ही। उस काश्तकार के ऊपर आपका पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सब डिवीजनल अधिकारी और सबसे ऊपर आपने जिलाधीश को लाकर बैठा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह धीश कहां से आया? ये किसका धीश आपने हमारे ऊपर लाकर बैठाया है? तो किसान के लिये तो आपने रास्ते बन्द कर दिये हैं। आज इवेजन भी टैक्स का शहर वाले करते हैं पर गांव का काश्तकार तो फसल पैदा हो या नहीं हो आप उससे जबरदस्ती लगान वसूल कर लेंगे नहीं तो उसके ऊपर आप कुर्की डाल देंगे। पर जो टैक्स का करोड़ों रुपये का इवेजन करते हैं, उत्पादन में कमी बताते हैं, उनके ऊपर आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। वो चाहे जितना भी अपना उत्पादन बतादें चाहे जैसे हिसाब किताब पैसे का कर दे आप मान लेते हैं। लेकिन काश्तकार के लिये तो आपने ऐसे रास्ते बना दिये हैं कि वह अपना उत्पादन भी नहीं छिपा सकता, आपने उसके लिये कृषि मन्डी और मार्केटिंग सोसाइटीज वगैरह बना रखी हैं जिसमें उसका सब उत्पादन रेकार्ड होता है कि उस काश्तकार के इतना गेहूं हुआ, इतना कपास हुआ। उस पर आप टैक्स ले लेते हैं। मैं तो आपको निवेदन करूंगा कि यह सभी टैक्स आपको शहर के नागरिकों से लेने चाहिये जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगज बनाली, आप उन लक्ष्मी के लाडलों से टैक्स वसूल करो जिन्होंने टैक्स का इवेजन कर करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगज, बड़ी फैक्ट्री, बड़े शहरी लोगों ने मेकेनाइज्ड फार्म बना लिये हैं। आप पूछिये उनसे कहां से आया इतना पैसा तुम्हारे पास में। इन्हीं लोगों ने, उपाध्यक्ष महोदय, हर चीज में एडलट्रेशन करके रुपया कमाया है। आज आप देखिये, दूध में एडलट्रेशन करके लाखों करोड़ों रुपये कमाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों का धन्धा ही एडलट्रेशन करने का है। मैं तो यह जानता हूं गांव का काश्तकार किसमें एडलट्रेशन करेगा? क्या वह गेहूं में एडलट्रेशन करेगा, मूंगफली में एडलट्रेशन करेगा, कपास मे एडलट्रेशन करेगा? किसमें एडलट्रेशन करेगा? वह तो एडलट्रेशन करेगा नहीं। किसान की तो हालत यह है कि उसे समय पर बीज नहीं मिलता। अकाल में तकाबी भी नहीं मिलती, जिससे कि वह बैल वगैरह खरीद सके। गांव वाले काश्तकार अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लाकर बेचते हैं उसके लिये किसान को अपनी खून पसीने की कमाई के आप रिजनेबल प्राइस भी नहीं देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज शहर में यह हालत है कि इन पूंजीपति लोगों ने तेल की मिलें लगा रखी हैं। गांव के काश्तकार के यहां से मूंगफली बिना एडलट्रेशन आती है लेकिन आप देखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, कि मूंगफली के तेल में एडलट्रेशन है। तो मेरा निवेदन है कि आप इन बड़े बड़े पूंजीपतियों पर टैक्स लगाइये और जिन्होंने इतने टैक्स इवेजन करते हैं। कानून में इस प्रकार का प्रावधान कीजिये कि टैक्स का इवेजन नहीं

(श्री सज्जन सिंह)

हो सके । इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इन्डस्ट्रियल पोलिसी है वह गलत है आज बड़े बड़े पूंजीपति लोग इम्पोर्ट का लाइसेन्स ले लेते हैं । करोड़ों रुपये का ब्लेक कमा रहे हैं । तो मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार को चाहिये सीलिंग प्रोडेक्शन पर लगाये। दूसरा मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपका इसमें सेक्शन 4 (बी) 2 है उसको डिलीट किया जाना चाहिये। यह मेरा एमेन्डमेन्ट स्वीकार किया जाना चाहिये। इसके अलावा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने इतना लम्बा चौड़ा स्टाफ इसके लिये मांगा है वह बिल्कुल बेकार है। क्योंकि यह स्टाफ वाले कोई काम नहीं करते और सिर्फ खर्चा ही बढ़ायेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने वेल्थ टैक्स लगा रक्खा है। आज मेरी अपने विधान सभा के माननीय सदस्य श्री पुखराज कालानी से बात हुई । उन्होंने मुझे बताया कि आज जयपुर में कुल पांच आदमी वैल्थ टैक्स देने वाले हैं । उपाध्यक्ष महोदय जब जयपुर जैसे बड़े शहर जहां इतने बड़े बड़े लोग बसते हैं जिनकी करोड़ों रुपये की फैक्ट्रीज और बिल्डिंगज बनी हुई है उनमें से सिर्फ पांच आदमी ही वैल्थ टैक्स देते हैं तो आपको पाली, जोधपुर वगैरहा दूसरे राजस्थान के शहरों से तो शायद एक भी व्यक्ति वेल्थ टैक्स देने वाला नहीं मिलेगा। तो मेरा निवेदन है कि किस प्रकार आज टैक्स का इवेजन किया जाता है। तो फिर इतने बड़े स्टाफ के ताम-झाम का खर्चा राज्य सरकार ने राजस्थान की जनता पर क्यों मंढ रखा है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं सही मायने में तो आप प्रोडक्शन पर सीलिंग लगाइये। दूसरा मेरा यही निवेदन है कि आप इस सेक्शन 4 (बी) 2 को डिलीट कराइये। बस यही मेरा निवेदन है ।

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आवे जब बोलें । श्री अमृतलाल गहलोत ।

श्री अमृतलाल गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह अपने यहां की जनता को पांच सुविधाएं जरूर उपलब्ध कराये। पहला भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा आवास, चौथा शिक्षा और पांचवा स्वास्थ्य सेवाएं । उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की जन संख्या 55 करोड़ है और प्रत्येक पांच व्यक्ति के परिवार के हिसाब से 11 करोड़ परिवार बनते हैं। अतः 11 करोड़ निवास स्थान चाहिये परन्तु दुर्भाग्य से जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार सिर्फ दो करोड़ पक्के मकान हैं जिसमें से अधिकतर एक पक्का कमरा है अर्थात् सिंगल रूम टोनेमेन्ट भी उपलब्ध नहीं है। इस समय हमारी जनसंख्या एक वर्ष में 1 करोड़ और 20 लाख में बढ़ रही है। उनके लिए हमारे को 24 लाख मकान प्रतिवर्ष चाहिये। परन्तु उसके अनुपात में हम सिर्फ 3 लाख मकान ही बना पाते हैं। अर्थात् प्रतिवर्ष 20 लाख परिवार बिना पक्के मकान के रह जाते हैं। आज

(श्री अमृतलाल गहलोत)

देहली की झुग्गी झोंपड़ियों और बम्बई की झोंपड़ी पाटन, मद्रास की चेरिज और कलकत्ते की कच्ची बस्ती इस भयंकर परिस्थिति का ज्वलन्त उदाहरण है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी 5 वर्ष पहले देश की सबसे मंहगी जमीन बिकी थी वह थी बम्बई में नारीमन पोइन्ट के पास बैंक बे रिक्लेमेशन स्कीम के पास, उसका मूल्य 5 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और उस पर लीज 6 प्रतिशत और आज इस पर कोई 25–30 मन्जिल की इमारत खड़ी है। एक तरफ तो आज वहां गगन चुम्बी अट्टालिकायें खड़ी हैं। ये स्कायी स्क्रेपर्स खड़ी हैं जिनमें 10 बाई 10 फीट के एक एक कमरे का 250 रुपये प्रति माह किराया बैठता है। उसके बनने में 250 रुपये प्रति वर्ग फुट मूल्य लगता है। इन्हीं अट्टालिकाओं के सामने गरीब लोग खुले आसमान की छत के नीचे ही पड़े हैं जहां 100 इन्च वर्षा का रेकार्ड है। अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में निवास करते हैं। जब रात को लोग इन्हीं गगन चुम्बी अट्टालिकाओं में शैम्पेन और स्कॉच विस्की पीते हुए कह कहा करते हैं, तो उन अट्टालिकाओं के सामने रहने वाले गरीब लोग इसका अभाव अनुभव करते हैं। आज इन दोनों के बीच एक ही बात सामान्य पायी जाती है और वह है एक दूसरे के लिए नफरत।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मेरा निवेदन है कि जनता के लिए आवास समस्या का हल होना चाहिए। आज हम हमारे गांवों के आंकड़े देखें तो पक्के मकान सिर्फ 2 प्रतिशत मिलेंगे और 75 प्रतिशत मिलेंगे कच्चे मकान और 23 प्रतिशत ऐसे मकान मिलेंगे जो पार्ट कच्चे और पार्ट पक्के हैं। आज हमारी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति काफी ठीक है और खास तौर से हमारे जोधपुर में जहां कि अच्छा पत्थर निकलता है और सस्ता भी रहता है, जिनका हम मकान बनाने के लिये यूटीलाइजेशन करें तो काफी मकान बन सकते है। इसी प्रकार आज जयपुर, कोटा, उदयपुर में पत्थर काफी मात्रा में होने से हमारे यहां अच्छे पक्के मकान सस्ते बन सकते हैं। आज विकास होने के कारण जयपुर, जोधपुर और खास तौर से कोटा में जमीनों की कीमतें इन पिछले सालों में बढ़ी है। सौ गुनी बढ़ गयी। कहते हैं मिर्जा इस्माइल रोड पर भूमि का मूल्य 100 रुपया प्रति वर्ग गज है। खेती की एक बीघा जमीन का पचास हजार रुपया लगता है। दिन ब दिन गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। और मौजूदा योजना में आवास समस्या सुलझाने का कोई हल नहीं हुआ है। सोवियत रूस में 4 महीने में 6 मंजिला मकान बना कर पूरा रख सकते हैं। ये बिल ला रहे हैं और पास कर रहे हैं उन लोगों ने जमीनें कुछ पैसों में खरीदी थीं और आज उनकी कीमत सौ गुना हो चुकी है। उन पर रोक लगायेंगे। इसके कई खतरे हैं वह बताना चाहूंगा। वास्तव में तीन लाख की लिमिट रखी है वह छ: लाख तक पहुँचेगी। जोधपुर में कई लोगों से पूछा कितने में खरीदा यह मकान ? कहते हैं दो लाख में खरीदा। 1 लाख की रजिस्ट्री करवायी और एक लाख ऊपर से दिया गया। जोधपुर नगर में सबसे बड़ा परिवार, महाराजा का है, उन्होंने 6 महीने पहले लाखों रुपये

(श्री अमृतलाल गहलोत)

जमीन बेची। 5 रुपये में 4 वर्ग फीट जमीन बेची परन्तु रजिस्ट्रेशन 2½ रुपये से किया गया व 2½ रुपये ऊपर से लिए गए। इसलिये बाजार के मूल्य का आप मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। कौन से फरिश्ते आजावेंगे? वास्तव में यह 6 लाख पर सीलिंग होगी तीन लाख पर नहीं होगी।

दूसरा खतरा यह नजर आया कि इसमें होटल, सिनेमा, कमर्शियल हाउसेज का मेन्शन किया है। इसमें डेट मेन्शन नहीं की कि इस तारीख तो कमर्शियल हो जावेंगे वरना कई मकान कमर्शियल हो जावेंगे। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन किये गये तो भविष्य में कोई तब्दीली नहीं आवेगी, इसलिये इसकी लिमिट कम की जाय और न की जाय तो भविष्य में करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह आवास की समस्या बड़ी गम्भीर होगी। देहाती इलाके में 2 परसेन्ट आदमियों के पास पक्के मकान हैं। 75 परसेन्ट कच्चे हैं और बाकी पार्ट पक्के और पार्ट कच्चे हैं। अमीरों के पास कोठियां हैं और गरीबों के हाथ जमीन नहीं आती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अमीरों के बहुत मकान हैं। एक एक रसोई में पन्द्रह पन्द्रह हजार के संगमरमर लगे हुए हैं, दीवारों पर नोटों को चिपका रखा है। करें क्या ? जब तक पूरी तरह मूल्यांकन नहीं होगा तब तक जो नरपज है वह पूरी तरह सर्व नहीं हो पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चेतराम।

श्री चेतराम (टोड़ा भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शहरी सम्पत्ति पर सीमा निर्धारण का यह विधेयक चल रहा है। यह बड़ा जटिल विधेयक है। जब से भारत स्वतन्त्र हुआ तब से समाजवाद का नारा लगाया जाता रहा है। विधान सभाओं और संसद् में, अन्दर और बाहर पत्र पत्रकारों में समाजवाद के सम्बन्ध में तरह तरह के वक्तव्य दिये जाते रहे हैं। मैं निवेदन करूं कि समाजवाद के नारे में सम्पत्ति पर सीमा हो या आय पर सीमा हो क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिस धन को ब्लेक मनी कहा जाता है उसको प्रापर्टी आदि पर लगा कर वाइट बना दिया जाता है और निरन्तर यह क्रम चल रहा है। ब्लेक मनी ने समाजवाद की धारा को, उसके मार्च को रोकने का प्रयास किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने, जमींदार और जागीरदारों ने इस ब्लेक मनी का प्रसार किया है। ऐसे स्थानों को चुना है, ऐसे व्योपार को चुना जिसमें टैक्स नहीं देना पड़े। ऐसी जगह प्राप्त की है कि जहां टैक्स से वर्जित हो गये हैं। सबसे बड़ा मार बढ़ाया वह यह था कि अच्छी 2 जमीनें, कीमती जमीनें जो शहरों के पास थीं उनको पूंजीपतियों ने खरीद लिया लेकिन गरीबों को जो एक तरह से असहाय थे उनको अपनी जमीन से भी वंचित कर दिया। हम देखते हैं कि उन गरीबों को बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बेघर और बेजमीन कर दिया। उसका नुकसान यह हुआ है कि कृषि पर लागत थी उसको झूंठा बतलाया है। ब्लेक मनी को वाइट मनी करके टैक्स से बचाना और काला धन को छिपाना उसको लागत बता दिया जिस पर टैक्स लगना चाहिये था। नेताओं ने सोच,

(श्री चेतराम)

कि कृषि पर अधिक लाभ हो रहा है तो तीस स्टेन्डर्ड एकड़ कायम की। उससे यह सोचने का मौका मिला कि कृषि पर लाभांश हो रहा है इसलिये इस सीमा को घटा दिया। इसके साथ ही निवेदन करूं कि यह जो विधेयक है, जिसकी परिभाषा अरबन प्रोपर्टी है, इस ओर मंत्री महोदए का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, मैं यह कहूंगा कि इस अरबन प्रोपर्टी बिल में लैंड सीलिंग बिल है उसका एक मात्र उद्देश्य सिद्ध हो गया है। एग्रीकल्चर लैंड को इन्क्लूड किया गया है और इसके साथ ही सेक्शन 2 में इन्क्लूडेड है किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड या उप खण्ड (क) में निर्दिष्ट टाउनशिप की स्थानीय सीमाओं से 4, 6 या 8 किलोमीटर के भीतर के किसी क्षेत्र में स्थित मकान। इसका जो असर पड़ेगा उस ओर सरकार का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं। सीमा के बढ़ जाने से एक तरफ एग्रीकल्चर लैंड अरबन प्रोपर्टी में आ जावेगी, बड़े-बड़े जागीरदार और पूंजीपतियों ने खरीदी हैं सीलिंग से बचने के लिये उसको अरबन प्रोपर्टी में कोर्ट आदि में लेजा कर मनवाने की कोशिश करेंगे। इसके लिये इसमें से हटा दिया जाय वरना लैंड सीलिंग का परपज डिफीट हो जावेगा।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी सरकार समाजवादी है और गरीबों के हित के लिये सोच रही है। 18 स्टेण्डर्ड एकड़ सीमा रखी है। 6 हजार से अधिक प्रोडक्शन नहीं होता। वहां 3 लाख की शहरी सम्पत्ति की सीमा रखी है। एग्रीकल्चर सीलिंग में तो आप इनकम रख रहे हैं, एन्यूअल एनकम रख रहे हैं और अरबन सम्पत्ति में नहीं। इसलिए शहरी सम्पत्ति की सीमा भी एन्यूअल इनकम पर रखनी चाहिये। वरना लैंड सीलिंग का कोई 'औचित्य नहीं होगा। तीन लाख की सीमा रख रहे है, एन्यूअल इनकम क्या होगी उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। राजा महराजाओं के महल, तीन लाख से ऊपर के हो जायं तो उनका क्या होगा? गरीबों को दे दिये गये तो भूखों मरेंगे और उसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। तीन लाख का जो फर्मुला रखा है उसको बदल कर एन्यूअल रिटंन क्या होता है वह रखा जाय वरना तीन लाख की सीमा का कोई औचित्य नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड की इनकम 6 हजार रुपया सालाना आंक रहे हैं। शहरों को देखते हुए जहां अधिक स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग है उसके लिये सीमा 15 हजार कर दी जाय और वह सीमा ग्रास इनकम होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इन्होंने 5 आदमियों की फैमिली के अलावा हर एक के लिए सीमा रखी है 25,000 की इसको निरस्त करके 1000 रुपया एक्सट्रा रखा जाये और मैक्सिमम 25 हजार से ज्यादा नहीं रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ समाजवाद लाने की बातें करते हैं, तो जब लैण्ड के ऊपर सीलिंग आया और अर्बन प्रापर्टी के ऊपर सीलिंग लाने की सोच रहे हैं तो हमें आर्थिक विषमताओं की तरफ भी ध्यान रखना होगा। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नियम बन गये. जमीनों का नियम अलग है और अर्बन

(श्री चेतराम)

प्रापर्टी का अलग है तो एक दूसरे में विरोधाभास हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि दोनों बिल एक साथ ही रखें जायें जिसमें कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह वेलुएशन नहीं बल्कि अनुग्रल रिटर्न होना चाहिये और इसके लिये जैसे एक शहर है, एक प्रांत है, उनके अन्दर अलग अलग प्रापर्टी की वेल्यू हो सकती है। तो समाजवाद लाने के लिये मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में इनकम को ध्यान में रखा जाये। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बिल पर 17–18 माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। यहां पर यह बात कही गयी कि एग्रीकल्चरल लैण्ड को इस कानून की परव्यू में क्यों लाया गया, इससे जो लेण्ड सीलिंग का उद्देश्य है वह समाप्त हो जायेगा। यहां पर यह भी कहा गया कि लेण्ड पर सीलिंग नहीं लगाया गया है तो सम्पति के ऊपर सीलिंग क्यों लगाया है। यहां पर यह भी कहा गया कि जो ट्रांस्फर्स रेस्ट्रिक्ट किये हैं वह 1–1–72 से क्यों किये। यहां पर इस बात को भी कहा गया कि जो वेलुएशन का तरीका आपने मार्केट प्राइस का रखा है वह न रख कर आपको स्टेन्डर्ड वेल्यू के आधार पर इसका वेलुएशन कराना चाहिये। यहां पर यह भी कहा गया कि भूमि सीलिंग में लेने के बाद में जमीन की कीमत बढ़ती है उसमें और नगरीय सम्पत्ति की सीमा की जो अधिकतम सीमा 3 लाख रखी गयी है इसमें डिस्क्रीमिनेशन किया गया है। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि काफी परिश्रम के बाद में इस बिल को इस सदन में लाया गया और लाने के बाद में बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मेरी मेहनत के ऊपर तो उनको धन्यवाद लेकिन जो कुछ भी बच्चा है वह मेरा नहीं है, यह बिल इस सदन का बच्चा है। इसी तरह यहां पर एक बात और कही गयी कि राजाओं की जो सम्पत्ति है, चाहे आज हमने ऐरिया निर्धारित किया है म्युनिसिपल लिमिट के बाहर कहीं भी जमीन है तो राजाओं की जमीन इस सीलिंग के परव्यू में आनी चाहिये और अर्बन प्रापर्टी के विधेयक को सीलिंग के परव्यू में आनी चाहिये और अन्त में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने गाजियाबाद की पार्टी के अधिवेशन के बारे में भी यहां एक बात कही।

मैं सबसे पहले गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने फ्लर्स के प्लाट्स के बारे में बात की थी, उस पर कुछ कहूं। सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने विधान सभा के चुनावों में घोषणा-पत्र के जरिये राजस्थान की जनता के सामने यह वादा किया था कि हम प्रापर्टी का जो कन्सन्ट्रेशन होता जा रहा है और वेल्थ का कन्सन्ट्रेशन होता जा रहा है उस पर हम सीलिंग लगायेंगे, वेल्थ का फंकशन है उसको कम करेंगे। हमने यह भी अपने घोषणा-पत्र में कहा है

(श्री परसराम मदेरणा)

कि लैण्ड के ऊपर भी हम सीलिंग लायेंगे और लैण्ड सीलिंग को रिड्यूस करेंगे। और भी बातें घोषणा-पत्र में कहीं लेकिन चूंकि अर्बन प्रापर्टी को सीलिंग के सबंध में हमने जनता के सामने वादा किया था इसलिए यह जो बिल सदन के सा ने है, राज्य सरकार ने जो महत्वपूर्ण वादा किया है जनता को, उसकी पूर्ति के लिए यह कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इसलिए भी कदम उठाया है कि समाज के लोगों को जिनके पास में सम्पत्ति नहीं है, समाज के लोगों की जो आज आवास की समस्या है गरीबों की, उनकी आवास की समस्या को भी हल करना है। पब्लिक परपज के लिए जो प्रापर्टी आयेगी वह हम पब्लिक परपजेज के लिए लेंगे। इसलिए यह जो बिल आज सदन के सामने प्रस्तुत है यह बिल के रूप में है और माननीय सदस्यों को इसे एक कानून का रूप देना है और आज ही देना है। कल विधान सभा का यह सत्र समाप्त होने जा रहा है और इसलिए यह आवश्यक है कि इस बिल को आज ही पास किया जाये।

यहां पर यह भी कहा गया कि लैण्ड सीलिंग के कानून में मुख्य मंत्री जी ने इन्टरवीन किया वह इसलिए किया कि पार्टी में कोई भ्रांतियां चल रही थीं। मैं कहूंगा कि यह उनके इमेजनेरी ख्यालात है। अगर मुख्य मंत्री जी ने सीलिंग के बिल को डेफर कराया है, सदन में वह भी किसी से छिपाकर नहीं बल्कि स्पष्ट बात कह कर कि हम जल्दी से जल्दी इस कानून को लायेंगे, और सैण्ट्रल लैण्ड रिफार्म्स कमेटी इसके ऊपर विचार कर रही है, और कुछ मुद्दों के ऊपर निर्णय लेना है और निर्णय लेने के बाद में ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक अगर इसको लागू करना है और इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे और मुख्य मन्त्री जी इस सदन मे कोई आर्डिनेन्स लाने की बात करते हैं तो उन्होंने आर्डिनेन्स आज लाने की बात नहीं कही है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब भी आर्डीनेन्सेज आये हैं पार्लियामेन्ट के अन्दर, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि सन् 53 में जब काटजू स्टेट मिनिस्टर थे पार्लियामेन्ट के, तो पार्लियामेन्ट 23 तारीख को समाप्त हुई और 24 तारीख को टोल टैक्स यू. पी. के ऊपर आर्डीनेन्स उनको लाना पड़ा। ऐसे हालात थे उस समय में कि 22 तारीख को नहीं ला सकते थे और 22 की रात को मेरे पास पूरी सूचना आती है तो इतना अर्जेन्ट था गवर्नर कि और प्रेसीडेन्ट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसको इनवोक किया जाये। उन्होंने यह बात कही थी कि मेरा मीटिंग हो रही है 29 तारीख को और सेशन नहीं चलेगा उस स्थिति मे आर्डीनेन्स लाने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही थी तो वह उचित ही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के आने के बाद में पूरी समानता और गरीबी को मिटाने का वादा नहीं करता हूं। एक हमारा सिन्सियर एफर्ट है। सिन्सियर एफर्ट इसलिए किया है कि हम मौलिक तौर पर और इन प्रिन्सिपल इस बात को मानते हैं कि जो सम्पत्ति है इस सम्पत्ति के स्वामित्व और नियन्त्रण का बंटवारा होना चाहिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर

(श्री परसराम मदेरणा)

ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके एक नहीं बीसियों मकान हैं और उनकी आमदनी हजारों रुपयों महीने की होती है। हम अच्छी तरह से इस बात को भी जानते हैं कि पाली और दूसरे जिलों में, पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यहां पर भी तीन लाख की सम्पति रखी है और यहां पर जो सम्पत्ति रखी है उसको भी तीन लाख रखा है। यहां पर जो तीन लाख को सम्पत्ति रखी है वह थोड़ी सी सम्पत्ति भी तीन लाख की हो सकती है। इसीलिए हमने फिजिकल असेट्स नहीं रख कर फाइनेंशियल असेट्स रखा है। मैं कल रात का अखबार पढ़ रहा था इकोनोमिक रिव्यू, इसमें एक आर्टिकल आया है टेक्सेशन आफ प्रोपर्टी इन इण्डिया। इस पर उन्होंने कम्पेरिजन दिया है यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका और इण्डिया का। इसके अन्दर फिजिकल असेट्स और फाइनेंशियल असेट्स का कम्पेरिजन दिया है। इसके अन्दर फिजिकल असेट्स यू. के. का आता है 31.3 परसेंट, यू. एस. ए. के अन्दर है 50.2 परसेंट और इण्डिया के अन्दर रूरल सेक्टर में हैं 98 परसेंट और अरबन सेक्टर में है 93.9 परसेंट जबकि फाइनेंशियल असेट्स इन स्टेट के अन्दर हैं-यू. के 68.7 परसेंट, यू. एस. ए. में 49.2 परसेंट और इण्डिया में रूरल सेक्टर में है केवल 2 परसेंट और अरबन सेक्टर में है केवल 6.01 परसेंट। इसका मतलब यह है कि आज कैपिटल असेट्स हैं कण्ट्री के अन्दर।

अभी टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने एक बात कही कि शहरों की जो सम्पत्ति है वह ब्लेकमनी के द्वारा बनाई गई है। राज्य सरकार को भी इस बात का ज्ञान है और हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि सम्पत्ति जो शहरों में बनाई गई है, केवल मकान और मकानात के रूप में, बिल्डिंग के रूप में नहीं, लेकिन कुछ ब्लेकमनी जो इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को लेकर, शहरों के अन्दर लेकर, इसको प्युरीफाई न कर लें इसलिए एग्रीकल्चर लैंड को मैंने इस परव्यू में लिया है, यही एक उद्देश्य है। वे इस बात को भूल गए कि इन्कम टेक्स और वेल्थ टेक्स के स्टेटमेंट वे इनके आफिसर्स के सामने देते हैं तो किसी फार्म में पांच लाख की इन्कम बता रहे हैं, किसी फाम में आठ लाख की इन्कम बता रहे हैं और इसमें आल्ट्रेशन नहीं हो सकता, जैसा कि सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, जो अभी चले गये हैं, यहां पर मौजूद नहीं हैं। मैं यह निवेदन कर रहा कि एग्रोकल्चर लैंड के ऊपर सीलिंग अलग से लग रही है और अलग से सीलिंग लगाने का मतलब यही है कि हमने देखा है कि सिविल लाइन्स तक में, जहां मेरा मकान है, मेरे मकान के पास में जो एग्रीकल्चर की जमीन थी और जिस पर लोग काश्त कर रहे थे, धीरे धीरे लोगों ने दो साल पहले ही उन जमीनों को बेच दिया। जमीनें खरीदी गई हैं और खरीदने के बाद उसको 25 रुपये गज में बेच रहे हैं हालांकि अभी तक उन जमीनों का कन्वर्शन नहीं हुआ है। ये जमीनें ब्लैक मनी वालों ने खरीदी हैं और खरीदने के बाद में उसको बेच रहे हैं इतनी

(श्री परसराम मदेरणा)

कीमत के अन्दर कि गरीब आदमी के साधन के परे की चीज है कि वह प्लाट खरीद सके, एक बात। दूसरी बात ब्लैकमनी को वाइटमनी करने के अन्दर ब्लैकमनी तो क्रियेट करता है कलकत्ता में और वाइट कर रहा है यहां पर अजमेर रोड पर। जो उनको इस कानून के दायरे से और शिकंजे से छुड़ाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक बात रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं की एग्रीकल्चर लैंड से इन्कम दस हजार रुपये साल की होगी और यहां तीन लाख की प्रोपर्टी रख रहे हैं। और इस तीन लाख की प्रोपर्टी से तीस हजार पर एनम तक इन्कम हो सकती है। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मेरा यही निवेदन है कि एग्रीकल्चर लैंड में जब प्रोडक्शन आ गया और लैंड जितनी है उसको देख भाल आप करते रहेंगे और जितने उसके साधन बनायेंगे और जितना परसनल सुपरवीजन करेंगे उतना ही उस जमीन के अन्दर से बराबर आप इन्कम लेते रहेंगे। आपकी इन्कम टैक्सेबल नहीं है चाहे चालीस हजार की इन्कम हो। इन्कम टैक्स पांच हजार की इन्कम पर ही टैक्सेबल है। और इसलिए जिन लोगों को एग्जेम्पशन दिया हैं, एग्जेम्पशन देने की यह कोई नीति राज्य सरकार की नहीं, बल्कि भारत सरकार की नीति है। भारत सरकार ने जो मोडल बिल बनाया और शहरी सम्पत्ति की अधिकतम जो गाइडलाइन दी वह पांच लाख से साढ़े सात लाख की थी, हमने उसको भी नहीं माना और केवल तीन चार लाख की सीलिंग रखी है। दूसरे प्रान्तों में सीलिंग की सीमा के बारे में जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ढाई लाख रखी है, ऐसा मैंने अखबारों में कहीं नहीं पढ़ा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिहार में दो लाख है।

श्री परसराम मदेरणा : बिहार में दो लाख कब रखी मुझे मालूम नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार में अभी कोई सीमा नहीं रखी गई है। वहां की गवर्नमेंट ने जाते जाते एक आर्डीनेंस को बिल की शक्ल देकर प्रेसीडेंट के पास असेंट के लिए भेजा था। प्रेसीडेंट ने अपनी असेंट नहीं दी इसलिए वह बिल्कुल वेस्ट पेपर है अभी। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी तक सीलिंग का कानून हिन्दुस्तान के अन्दर मध्यप्रदेश की सरकार ने बनाया है और उन्होंने भी इसकी सीमा चार लाख रखी है और हमने उसको तीन लाख रखा है।..

श्री श्रीराम गोटेवाला : कश्मीर में बना है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात ठीक है। कश्मीर में बना है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो एग्जेम्पशन किए गए हैं उन एग्जेम्पशन्स में चाहे इण्डस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स हो, ट्रेड हो, उसस जो इन्कम होने वाली है वह इन्कम कई मायने में टैक्सेबल है और कई मायने में टैक्सेबल नहीं है। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि आपने इण्डस्ट्रीज को एग्जेम्पट कर दिया है और उनको एग्जेम्पट् नहीं कम करना चाहिए। छबड़ा से आने वाले

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य ने एक संशोधन मूव किया है कि इण्डस्ट्रीज की और कुल मिला कर उनकी प्रोपर्टी मकान वगैरा सब मिला कर पचास हजार और ज्यादा से ज्यादा 75 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पचास हजार रुपये रखिए आप और अगर एग्जेम्पशन देना है तो 75 हजार तक देना चाहिए। आप जानते हैं कि इण्डस्ट्रीज में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी कीमत आज कहीं पर एक करोड़ रुपया है तो कहीं डेढ़ करोड़ रुपये हैं, कहीं पर पचास लाख है, तो यह सब अगर ले लें तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह बिल इण्डस्ट्रीज को नेशनलाइज करने का बिल नहीं लाया हूं। आप बिल की स्कीम आफ थीम को समझें। नेशनलाइजेशन का इस प्रकार का कोई बिल होता और उसके अन्दर इस प्रकार के कोई सुझाव होते तो मैं समझ सकता कि आप स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के लिए चाहते हैं कि ये प्रोपर्टी उसमें आनी चाहिए। यह रेलेवेन्ट होता। लेकिन यह जो बिल लाया गया है यह केवल जो अरबन एरिया के अन्दर नागरिक क्षेत्रों में जो इम्मूवेबल प्रोपर्टी है उस पर लाया गया है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि आप जो अचल सम्पत्ति पर बिल लाये हैं तो चल सम्पत्ति पर क्यों नहीं लाये। उनका शायद मतलब होगा कि जो कार रखते हैं. कइयों के पास में ट्रक्स होंगे, कइयों के पास में जवाहरात होंगे, कइयों के पास बुल्डोजर भी होंगे···

एक तो आपके ही पास में होगा या की एग्रो-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के पास में है सारे राजस्थान में। मैं यह निवेदन कर रहा था कि और करेन्सी नोट पर भी लगाने की बात कही है तो करेन्सी नोट नं. 1 या नं. 2 के हैं वह एज ए मेटर आफ फेक्ट आप जानते हैं। भारत के वित्त मंत्री जी ने राज्यसभा और लोक सभा में ब्लेक मनी के बारे में वांचू कमेटी की बातों को मानने के बारे में सदन में आश्वासन दिया है···

एक माननीय सदस्य : कुछ कम स्पष्ट लगता है।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ कम स्पष्ट लगे या न लगे, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा है वह इस तरह का है। भारत सरकार इस बारे में सोच रही है कि इनकम टैक्स ही नहीं है, सरचार्ज भी है और सरचार्ज के साथ वैल्थ टैक्स लगायें उससे बाद में डेथ ड्यूटी भी है। तो चल संपत्ति पर किसी प्रकार का टैक्स लगायें उससे पहले भारत सरकार से कन्करेन्स की आवश्यकता है, उसके बिना नहीं लगा सकते। इसलिये यह देश की नीति है और राजस्थान सरकार को अपनी नीति उसके संदर्भ में बनाकर कोआर्डिनेशन से चलना पड़ेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने तारीख के सम्बन्ध में बात कही है कि यह जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं यह रैस्ट्रिक्शन 1-1-72 से नहीं लगना चाहिये। मैंने उसमें संशोधन मूव किया है। जब हम क्लाज बाई क्लाज पर विचार करेंगे तो उसके संबंध में अपने विचार रखूंगा। वह संशोधन माननीय सदस्यों को मिल गया होगा। यहां पर कई माननीय सदस्यों

(श्री परसराम मदेरणा)

ने कई सुझाव और मुद्दे यहां पर उठाये हैं यह ठीक होता कि जब इलाज बाई क्लाज पर विचार करते तब उठाते। फेमिली की डेफिनिशन के बारे में इसमें जो फेमिली की डिफेनिशन लिखी है उसके बारे में कहा है। यह बात अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है। उनका एक संशोधन भी है इस क्लाज पर। इसी तरह से उन्होंने स्टेन्डर्ड वेल्यू के आधार पर कहा है कि जो 1-1-73 को कीमत हो उसको उन्होंने इन्सर्ट करने की बात कही है। अगर स्टैण्डर्ड वेल्यू को इस तरह से मानकर ले लेते हैं तो उसके बाद में जो कुछ भी मनी एक्वायर करते रहे हैं या वेल्यू बढ़ती जाती है तो जिस प्रोपर्टी की कीमत 1-1-71 को अगर 2 लाख है और 78 के अन्दर उसकी मार्केट वेल्यू 7 लाख रुपये हो जाती है तो दो लाख की ही समझी जायगी। इस बात से स्पष्ट मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सोच तो शायद यह रहे होंगे कि स्टेण्डर्ड वेल्यू लेने से लोग बच जायेंगे शायद यह उनका भ्रम है। इसी प्रकार से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि मार्केट वैल्यू आप इसलिए तय नहीं कर सकते कि यह लोग रजिस्ट्री दूसरी चीजों की करवाते हैं जिसको आधार समझा जायगा उसमें जो वैल्यू को अण्डरएस्टीमेट करके प्रापर्टी को रजिस्टर्ड करवायें तो इसकी स्कीम आफ थीम के अन्दर यह कहीं पर नहीं किया गया है। यह कम्पीटेन्ट आथोरिटी पर छोड़ा है कि जो मार्केट प्राइस वह प्रापर्टी फेच कर सकती है उसको कैसे करना होगा और कैसे निर्धारित करेंगे उसका जो प्रोसिजर है उसको हम प्रेस्काइब करने जा रहे हैं। इसलिए रजिस्ट्री के बेसिस पर मार्केट प्राइस का वैल्यूएशन आयेगा हम ऐसा नहीं करने वाले हैं और रजिस्ट्री के आधार पर अन्डर-वैल्यूएशन करके तीन लाख की प्रापर्टी है उसको एक लाख की प्रापर्टी बता दें, और 6 लाख की प्रापर्टी है उसको 2 लाख की प्रापर्टी बताकर उससे इनकम का रिडक्शन करते रहे, मैं समझता हूं कि आपका जो भ्रम है, आपकी जो शंका है, निराधार है और जो भी सोच रहे हैं वह हेल्यूसिनेशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी, आपने अभी फर्माया है कि रजिस्ट्री के बेसिस पर नहीं होगा तो जब तक आप कानून में कोई प्रावधान नहीं करेंगे तो किसी भी कोर्ट के लिए एक रजिस्टर्ड डीड में भरे जो फीगर्स होते हैं उनको कोर्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है एवीडेन्स एक्ट के तहत। जब तक केवल आप इसका प्रावीजन एक्ट में नहीं करेंगे तब तक केवल आपके यहां कहने से, बिना एक्ट के अन्दर आये, उनकी जो अहमियत है वह खत्म नहीं हो जाती है।

श्री परसराम मदेरणा : 'value' in reference to any urban property means the price which it would fetch, if sold in the open market at the commencement of this Act and in reference to any urban property which comes into existence after the commencement of this, Act, the price, which it would fetch at the time of its coming into existence.

जैसा कि आप कह रहे थे और जैसा कि आपने एमेंडमेंट मूव किया है एक्वीजिशन के

(श्री परसराम मदेरणा)

बारे में रिडम्पशन वाला वह जो प्रापर्टी बाद में आने वाली हैं और अगर हम स्टेण्डर्ड वेल्यू तय कर देते हैं तो मार्केट प्राइस बढ़ती हुई चली जा रही है। 11 करोड़ मकानों की आवश्यकता है और दो करोड़ मकान हैं। जैसा कि सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 20 हजार मकान प्रति वर्ष बन रहे हैं तो वेल्यू एप्रिशियेट होती चली जायगी। वेल्यू डिटरमिन जो करेगी कम्पीटेन्ट ओथोरिटी वह सेक्शन 9 में वेल्यू डिटरमिन करेगा, और उसमें लिखा है :

"If the competent authority is of opinion that the value of the urban properties estimated by the person who has filed the statement has not been estimated correctly, the competent authority may determine in such manner and by such means as may be prescibed.

और हम जो प्रेस्क्राइब करने जा रहे हैं वह यह है कि प्राइस जो रजिस्ट्री के अन्दर है वह हमारे समाने एवीडेन्स नहीं होगी। इट विल नाट बी बाइंडिंग फार दी कम्पीटेन्ट आथोरिटी। इसलिए मैं यही निवेदन कर रहा था कि यह भ्रम है कि अन्डर-स्टीमेशन हो जायगा। हम इस बात का आवधान करेंगे कि मार्केट प्राइस फेच कर सकती है प्रापर्टी वही उसकी वैल्यू होगी।

अन्त में जोधपुर से आने माननीय सदस्य ने एक बात यहां पर कही कि भारतीय जनसंघ का अधिवेशन गाजियाबाद में हुआ था तो गाजियाबाद के अधिवेशन के वक्त जो निर्णय लिये गये हैं उस निर्णय की यह पूर्ति है। मुझे तो याद नहीं। मैं तो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा-पत्र राजस्थान की जनता के सामने रखा था और उस घोषणा-पत्र में जो वायदे थे उस वायदे को हमने उपेक्षित नहीं किया है। उसके अनुसार कदम उठाये हैं अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग लागू करने का। उन्होंने प्रगतिशीलता के बारे में भी एक लम्बा-चौड़ा भाषण यहां पर दिया। उस प्रगतिशीलता की साफ झलक उनके एमेन्डमेंट में आ रही है। जब क्लाज बाई क्लाज पर जायेंगे तो जिस प्रगतिशीलता का वह दावा कर रहे हैं उसका में पर्दाफाश करूंगा। उन्होंने मुख्य मंत्री जी को चेलेंज दिया है कि वे आजायें जोधपुर में तो हम भी जोधपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान विधान सभा में जोधपुर जिले के 8 सदस्य आज इस सदन में बैठे हैं, उनमें से एक तो माननीय सदस्य गये हैं और 7 आये हैं जोधपुर के अन्दर वह जो कांग्रेस के केन्डीडेट्स थे।

श्री गुमानमल लोढा : इसका जबाव तो माननीय मंत्रीजी देंगे। वे भी कांग्रेस के केन्डीडेट थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढा : दो तारीख को आप नौ चौकियों पर 2 बजे उपस्थित थे और केस देखकर आगये थे और यह भी आपको बताया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपको अधिकार है तो···

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको भी अधिकार है जैसा हम को अधिकार है मुख्य मंत्री जी का जवाब परसरामजी मदेरणा दें तो इसका जवाब मुख्य मंत्रीजी देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी तो इस सदन के सदस्य हैं और आप भी सदस्य हैं. इसलिए मैं दोनों को इस सदन में बैठे देखता रहना चाहता हूँ, आपके द्वारा सीट खाली करने से क्या मतलब फिर भी जोधपुर से कांग्रेस के साथी आये हैं, वह भारी बहुमत से आये हैं. तीन चार साथी तो बीस हजार वोट से जीते हैं, दो कांग्रेस के साथी आये हैं, माननीय सदस्य भी दस, साढ़े दस हजार वोट से जीते हैं, एक माननीय सदस्य ने आपसे कुछ ज्यादा वोट प्राप्त किये, आप भी कुछ फासले से ही निकले हैं, भगवान की मर्जी आप पर हो गई, इसलिए आप आ गये, लेकिन कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस थम्पिग मेजोरिटी से आई है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : गलत कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर में जाने का आप चेलेंज मत कीजिये, यह बात कोई वेट नहीं रखती है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मोटे तोर पर जो थोड़े बहुत से मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, मैंने उनका जिक्र किया है। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, राजाओं की प्रापर्टी जहां कहीं भी है उस सबको ले लीजिये। मेरे दिमाग में भी आया कि राजाओं की प्रापर्टी जल्दी छीन लो जाय। मैं समझता हूं, यह सारी प्रापर्टी के लिए चाहे, धन्ना सेठ की हो, अरबपति की हो, करोड़पति की हो, पैसे वाले की हो, सीलिंग से ज्यादा प्रापर्टी है उसके लिए सीमा है। राजाओं के कहीं मकान दूर हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादा हवेलियां या प्रापर्टी नहीं होगी, 90 पर्सेन्ट प्रापर्टी जो मैंने रखा है, अर्बन एरिया में, अर्बन प्रापर्टी को सीलिंग के परव्यू में लाने के लिए, म्युनिसिपल एरिया, म्युनिसिपल बोर्डर फाम द म्यूनीसिपल बोर्डर है, जीरो पाइन्ट से नहीं है, म्युनिसिपल बोर्ड के पेरीफेरी में आते हैं, . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : म्यूनोसिपल बोर्डर से या जीरो पाइन्ट से।

श्री परसराम मदेरणा : बोर्डर से, नाट फ्राम जीरो पाइन्ट।

श्री गुमानमल लोढा : हरिदेव जोशी का फार्म आ जायगा?

श्री परसराम मदेरणा : वगरू से थोड़ा उरली तरफ रह जायगा। मैं निवेदन कर रहा था। प्रापर्टी बाहर है तो ऐसी प्रापर्टी ज्यादा नहो होगी, किला विला बना हुआ हो तो मालूम नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रापर्टी नहीं है . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात नहीं है, माननीय मंत्री जी, अलवर में विजय मन्दिर पैलेस सिरस्का कोठी दूर पड़ेगी।

श्री परसराम मदेरणा : अलवर में पैलेस वेलेस जरूर है, मैं आया था एक बार तब देखा था।

श्री केसरी मल : उदयपुर में बड़े बड़े महल हैं वह बाहर बने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मै निवेदन करूंगा, आप शांतिपूर्वक सुनें।

श्री परसराम मदेरणा : यह संशोधन इस कानून में मान लिया जाय तो एक प्रकार से यह संशोधन डिस्क्रिमिनेट्री होगा, जो आर्टिकल 14ए के अन्दर है, हम डिस्क्रिमिनेट्री कानून नहीं बना सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार का यह कदम और प्रयास हैं समाजवाद की तरफ जाने का और वेल्थ के कन्सेन्ट्रेशन को कम करने का है। इसके साथ ही भारत सरकार एक यूनीफार्म कानून बनाने की बात कर रही है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया था कि इस देश के अन्दर इस मुतल्लिक एक कानून होना चाहिए, जिससे जिन लोगों की प्रापर्टी दूसरे राज्यों के अन्दर है, दूसरे राज्य में लोगों की जो प्रापर्टी है वह वहां बेच न दी जाय। राजस्थान राज्य के अन्दर कानून वही बनाया जा सकता है जो राज्य की सीमा में हो लागू हो। ठीक बात है, अगर भारत सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है तो राज्य सरकार की ओर से मैं सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान का कोई कानून बन जाय तो उस वक्त हम हमारे एक्ट को रिपील करने की तैयारी रखते हैं। लेकिन जब तक कोई कानून नहीं बनता है तब तक हम अर्बन प्रापर्टी को सीलिंग के परव्यू में लेंगे और सीलिंग के परव्यू में लेने के बाद इसका उपयोग जनहित में ऐसे लोगों के लिए लेंगे जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, आर्थिक तौर पर मजबूर लोग हैं। इसके साथ साथ जहां आवश्यकता है, जैसा सुबह प्रश्न पूछा जा रहा था, कई लोगों का किराये का मकान क्यों लिया है सरकारी कार्यालयों के लिए। कई स्कूल भी किराये के मकानों में चल रहे हैं। जोधपुर में जो सरकारी स्कूल हैं, यह करीब पचास परसेन्ट किराये के मकानों में चल रहे हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे, बड़े बड़े बंगलों क्यों किराये पर लिये गये हैं? तो कई स्कूल एक साथ खोले जा सकते हैं उस प्रापर्टी में जो सीलिंग में आ रही है।

यह भी यहां पर कहा कि एक्जेम्प्शन क्यों दिया गया है? देश के अन्दर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिटार्ड नहीं हो—यह अखिल भारतीय नीति है, उसके आधार पर बहुत लोग एम्प्लायड हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग उनमें काम करते हैं, बहुत से मजदूर वहां काम करते हैं, अगर वह बेकार होते हैं तो यह कहते हैं कि यह कानून रिट्रोग्रेसिव है। भारत सरकार की इस प्रकार की थिंकिंग है इसलिए इस प्रकार की इंडस्ट्रीज कामर्स और बिजनेस हाउसेज के लिए एक्जेम्प्शन दिया जा रहा है, वह इसलिए दिया जा रहा है उनमें लाखों लोग मजदूर और दूसरे लोग लगे हुए हैं वह लगे रहें और देश में कहीं भी इंडस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं रुके। आज चाहे लेवर अनरेस्ट से, चाहे मालिक की हठधर्मी से या किसी वजह से तालाबन्दी हो जाती है तो लोग बेकार हो जाते हैं और प्रोडक्शन भी कम होता है, और मैनडेज भी बेकार जाते हैं। मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक साल में दो सौ मैनडेज बेकार गये हैं। तो जो कुछ भी एक्जेम्प्शन दिये हैं वह दूसरे राज्यों के मोडल बिल थे वह हमारे सामने

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं। आर्डिनेन्स के रूप में जो कुछ तैयार किये हैं वह हमारे सामने हैं। दूसरी सरकारों के कानून हमारे सामने है। मध्य प्रदेश का कानून हमारे सामने है उनमें जो लूप-होल्स थे, उनको दूर करने की कोशिश काफी की है, वह इस तरह कोशिश की है कि कन्सीलमेंट किसी प्रापर्टी का कोई आदमी करेगा, जो सेक्शन 21 में, 23 में लेने वाले हैं उसमें जितनी प्रापर्टी कन्सील की है उसके लिए सजा दी जा सकती है प्रापर्टी की वेल्यू, एस्टीमेटेड वेल्यू के हिसाब से और पेनल्टी की जा सकती है। कन्सीलमेंट करता हैं, फाल्स स्टेटमेंट देता है तो दो साल की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना रखा गया है, यह इसके अन्दर रखा गया है। इसके बाद कोई व्यक्ति बचने की कोशिश करेगा तो उस बचने के मामले में मशीनरी इवाल्व करने की हैं ताकि वह कन्सीलमेंट का ध्यान रखे और इस तरह के मामले की इन्फार्मेशन मिलती रहे। इस प्रकार की मशीनरी इवाल्व करने की राज्य सरकार सोच रही है। क्लाज 5 के सम्बन्ध में कहा, क्लाज 5 में रेस्ट्रिक्शन आन एक्वीजीशन वाली बात है, वह रेस्ट्रिक्शन लगाने वाली बात है। पीनल आफेन्स का क्लाज है 22, वह इसलिए रखा है कि कोई आदमी इनहेरेट करता है प्रापर्टी को तो उसकी ड्यूटी है, क्लाज 18 के अन्दर उसको वह नामजद करे, एक स्टेटमेंट दे और अगर नहीं करता है तो वह कन्सीलमेंट समझा जायगा और इसके लिए 21 में पेनल्टी है और 22 (5) में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना है, यह दोनों सजा एक साथ चल सकती हैं, एक स्ट्रिन्जेन्ट मेजर लिया गया है क्योंकि यह नया कानून है, और हमने दूसरे कानून देखे हैं मध्य प्रदेश वगैरह के, उनके अन्दर जो लूप-होल्स है उनको दूर करने की कोशिश की है काफी हद तक। इसी के साथ मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार, क्या मंत्री महोदय के उत्तर के बाद इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को वापिस ले रहे हैं?

श्री केदारनाथ : कुछ न कुछ कन्विंसिग है मंत्री महोदय का उत्तर, इसलिए मेरे प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय तो मैं वापिस ले लूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति हैं कि जो प्रस्ताव श्री केदार नाथ ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री केदार नाथ : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसरीमल ! क्या आप इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं?

श्री खेत सिंह : ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज हिअर।

श्री केसरी मल : मैं वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि श्री केसरीमल ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री केसरी मल: मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। खण्ड 2। श्री जगमोहन सिंह, आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात्?

श्री जगमोहन सिंह: मैंने इसमें 4 संशोधन दिये थे। मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात् मैं इन शब्दों के साथ संशोधन को वापस लेना चाहता हूं कि जिस रूप में यह बिल पास किया जा रहा है। यह केवल आंसू पोंछने वाली बात है समाजवाद की दिशा में, समानता की दिशा में। शहरी सम्पत्ति के बारे में कोई प्रगतिशील स्टेप नहीं है और केवल मात्र रहने के मकान 3 लाख के देकर बाकी सारी सम्पत्ति पर सीलिंग नहीं लगाने से, यह बिल प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। जैसे मंत्री महोदय ने कहा है कि यह पहला कदम है और भविष्य में भारत सरकार की नीति के अनुसार और आगे इस पर दूसरा संशोधन लाने का राज्य सरकार प्रयास करेगी, इस आश्वासन के साथ मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मूव नहीं करना चाहते हैं

श्री जगमोहन सिंह: जी हां।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चेतराम।

श्री चेतराम: इस बिल में जो क्लाज 2 (एफ) (बी) में 4, 6 व 8 किलोमीटर्स बाउंडरी एरिया का रखा है और उसमें जो खेती की भूमि होगी उसको लेकर और जो शहरी सम्पत्ति को लेकर 18 स्टैंडर्ड एकड़ का जो एरिया होगा उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पायेंगे इसकी आड़ लेकर, दोनों एक्ट्स में यह एक दूसरे का विरोधाभास नहीं होगा? मैंने स्पष्टीकरण के लिए रखा था जो मंत्री महोदय ने नहीं दिया। फिर भी मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं

श्री उपाध्यक्ष: मूव ही नहीं किया?

श्री चेतराम: जी हां।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा: खंड 2 में मैंने भाग (3) में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया है:-

"भाग (घ) निम्नलिखित रूप में प्रस्थापित किया जाये, अर्थात्

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

"(घ) 'कुटम्ब' से अभिप्रेत है पति, पत्नी व उनके तीन नाबालिग पुत्र" वह कुटुम्ब को सीमित करने के लिए किया है। मूल विधेयक में कुटुम्ब से अभिप्रेत है पति, पत्नी, उनके अवयस्क धर्मज या दत्तक बच्चे, यदि कोई हों अथवा अविवाहित पुत्रियां। इनमें मैंने जो संशोधन रखा है वह है कुटुम्ब से अभिप्रेत है पति पत्नी व उनके तीन नाबालिग बच्चे। मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि कुटुम्ब को असीमित न समझा जाय। और इस विधेयक के लिए परिवार की सीमा निर्धारित की जाए उस दृष्टि से हमने 5 व्यक्तियों के परिवार को निर्धारित किया हैं और उसी भावना से यह संशोधन पति, पत्नी व उनके तीन नाबालिग बच्चे रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सब संशोधन मूव करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वही है जो गुमानमल जी ने कहा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंत सिंह नाहर।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री **रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : खंड दो में मेरा जो संशोधन है वह यह कि भाग (घ) में प्रयुक्त शब्द 'अविवाहित' के पश्चात् शब्द 'वयस्क पुत्र अथवा' निविष्ट किये जायें। दूसरा है, भाग (च) के उपभाग (2) में शब्द 'अथवा' जोड़ा जाए और यथा संशोधित उपभाग (2) के पश्चात् निम्नांकित उपभाग (3) जोड़ा जाए –

"(3) ऐसी सम्पत्ति, जो भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज है, वह कहीं भी स्थित हो"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला जो संशोधन है उससे यह मन्शा है कि परिवार में आम तौर से जो अविवाहित लड़के होते है वे संयुक्त परिवार के अंदर ही सम्मिलित रहते हैं और इस रूप में लड़के अगर बालिग भी हैं तो उनको भी इस परिवार का अंग मानना चाहिये और यही वास्तविकता है। जो भी शादीशुदा लड़के हैं उनका परिवार अलग हो, वह वास्तविकता होती भी है और वह बात जस्टीफाइड भी है लेकिन बालिग लड़का बगैर शादी शुदा उसी परिवार का हो, उसको नहीं मानने का मतलब यह होगा कि उसके अकेले का अलग परिवार बन जायेगा और तीन लाख की सम्पत्ति सीलिंग के अंदर लेने का उसको और अधिकार मिल जाएगा। जहां पूरे परिवार को 5 के परिवार को जिनमें बालिग लड़कियां भी हैं उनको तीन लाख का दे रहे है और एक यह लूपहोल छोड़ रहे हैं 3 लाख रुपए और देने का। इसलिए यह वास्तविकताओं के विपरीत है। इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है। दूसरा मैंने जो भूतपूर्व नरेशों की सम्पति के बारे में...

श्री मनोहरलाल गुप्ता : आपने मूव किया है कि बालिग लड़के को भी परिवार

(श्री मनोहरलाल गुप्ता)
में शामिल किया जाए। अगर वह शादी नहीं करता तो....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हिन्दू संस्कृति की बात है ऊंचे दर्जे की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रीजी ने जो जनरल बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि राजाओं की सम्पत्ति कहीं भी हो अगर उसके इस डेफीनेशन को मान लें तो यह डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। मैं समझता हूं, वह पुन:विचार करें, यह कैटेगरी अपने आप में अलग है। हर आदमी की इन्वेंटरी बनी हुई नहीं है। ऐसे लोग जिनकी इन्वेंटरी को इसकी वजह से निजी सम्पत्ति उनकी कही जाती है तो उसमें यह अपने आप में एक डीमारकेटेड संक्शन आफ पर्सन्स है और इस नाते अपने आप डिमारकेटेड तरीका उनके डेफीनेशन में रख दिया जाए तो यह डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा। आप इस बात का भी ख्याल करें कि जब भी राजाओं की सम्पत्ति अधिग्रहण करने की बात इस सदन में आई तो इस बात को यही कह कर टाला गया कि कोई जल्दी नहीं है और हम जल्दी ही अर्बन प्रोपर्टी पर सीलिंग लगा रहे हैं और आप देखेंगे कि इस डेफीनेशन के जरिए बड़ी प्रापर्टी जो रूलर्स की थी, वह सूची अब इन्वेलिड हो गई, इसकी कोई लीगल वेलिडिटी नहीं रह गई है और स्टेट की प्रोपर्टी वैसी ही हो जानी चाहिए जैसे खुद सरकार ने माना है और रैफरेंस भी किया है फिर भी आप जैसे मानकर चलते हैं उसके हिसाब से बहुत बड़ी प्रापर्टी आप छोड़ देंगे क्योंकि राजा लोगों ने सैरगाह शिकारगाह, शिकार के लिए महल बनवाए हैं, वे सूची में दर्ज हैं, शहर से दूर रहने के लिए मकान बनाए हैं, वे सारे के सारे निकल जायेंगे तो करोड़ों की सम्पत्ति एक एक रूलर की अभी बाहर रह जाएगी।

जैसे अलवर में विजय मंदिर पैलेस जहां रूलर खुद रहते हैं और जिस प्रापर्टी की वैल्यू कम से कम 20–25 लाख रुपया होगी और वह इससे बाहर हो जाएगी यह 8 किलोमीटर के अन्दर नहीं आएगी। इसी तरह से सिरिस्का पैलेस जो सिरिस्का सेंक्चूएरी में हैं, इस समय सफेदी न होने से खराब है, वह भी जिस समय तैयार किया गया था, कितने लाख रुपए लगाए थे जब कि बेगार के जरिए उसको बनाया गया था तो इस प्रकार की जो वैल्यूएबल प्रोपर्टीज हैं वह उनकी कई जगहों पर है। उसका पता हमें इन्वेन्ट्रीज से लग जायेगा। इन इन्वेन्ट्रीज में हमें यह भी पता लग जायेगा कि इनकी कितनी कितनी प्रोपर्टीज कहां कहां पर है और चूंकि इसमें आपने कुछ राजा महाराजाओं की प्रोपर्टीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि बाद में कोई ऐसी खामी नहीं रह जाय जिससे कि आगे चल कर कोई कानूनी अड़चन पैदा हो जावे तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में पहले से ला डिपार्टमेन्ट से विचार विमर्श कर लिया जावे। क्योंकि हो सकता है कि उन इन्वेन्ट्रीज के अरवन के सिवा उनको प्रोपर्टीज कहीं दूसरी जगह हो, हो सकता है कि कोई फौरिन में हो या दूसरी स्टेट्स में हो। कई बार ऐसी कमियां रह जाने से जो मेन आबजेक्ट होता है कानून बनाने का वह पूरा नहीं होता इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें अच्छी तरह से सोच लिया जाय। मेरा आपसे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इस बारे में यह निवेदन है कि क्या इसके क्लाज इस चीज को कवर करते हैं ? उसको अपनी प्रोपर्टीज के रिटर्न सभी के देने होंगे चाहे वह प्रोपर्टी कहीं भी हो। हो सकता है कि उनकी प्रोपर्टी कहीं रूरल ऐरिया में हो तो यह सभी प्रोपर्टी उसमें आसकती है क्या ? दूसरे आपने स्कीम आफ थिंग्ज के बारे में जो कहा है तो उसके बारे में यह है कि अगर उसकी प्रोपर्टी अरबन एरिया में है और उसके अलावा कहीं प्रोपर्टी है और दूसरे रूरल क्षेत्र में हो तो उसका भी इसमें व्यू लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : ये खण्ड दो पर जो अमेन्डमेन्ट दिये हैं उसके बारे में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माफ करेंगे यह तीसरा अमेन्डमेन्ट जो अमेन्डमेन्ट नं. 18 पार्ट (iii) में जो है वह "भाग" के स्थान पर निम्नांकित भाग (छ) प्रतिस्थापित किया जावे।

"स्टेण्डर्ड मूल्य से किसी नगरीय सम्पत्ति के प्रति निर्देश से अभिप्रेत है उक्त समिति की एक जनवरी, 1971 को खुले बाजार की कीमत, तथा किसी ऐसी नगरीय सम्पत्ति के प्रति निर्देश से जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अस्तित्व में आये वह खुले बाजार की कीमत, जो इसी प्रकार की सम्पत्ति की यदि वह एक जनवरी, 1971 को अस्तित्व में होती, होगी।

इससे मेरा मतलब यह है कि जो सम्पत्ति स्टेबल हो। ऐसा नहीं इसमें, कि वेरिएबल अमाउन्ट हो। इसमें तो फिक्सड वेल्यू ही आनी चाहिये। वेल्यू अगर वेराई की गई तो काफी दिक्कत हो जायेगी। जैसे एक परिवार की सम्पत्ति है और वह पास की कोई प्रोपर्टी खरीदता है तो उसे रिजनेबल प्राइस देनी चाहिए नहीं तो लोग मन चाहे पैसे ले लेंगे तो इसमें नियन्त्रण रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें जो पैसे दिये जावें वो ऐसे दिये जावें कि उस सम्पत्ति की ज्यादा कीमत नहीं हो।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड दो में जो संशोधन पेश किये गये हैं उसमें जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किये हैं उसमें उन्होंने भाग दो में अमेन्डमेन्ट दिया है उसमें उन्होंने कुटुम्ब शब्द की परिभाषा के अन्दर श्री रामानन्द जी ने व्यस्क पुत्र और जोड़े। इसमें मेरा निवेदन यह है कि हमने खण्ड दो के भाग (घ) में कुटुम्ब से अभिप्रेत है पति, पत्नी, उसके अवयस्क धर्मज या दत्तक बच्चे यदि कोई हों अथवा अविवाहित पुत्रियां ही ली गई हैं। और ज्योंही बच्चे बड़े होते हैं वह उन्हें इन्क्लूड इसमें नहीं किया गया है। आज फेमिली में पति और पत्नी और उसके तीन बच्चों को लिया है चाहे वह लड़के लड़की कोई हों और आगे इसमें हमने कुल 9 मैम्बर्स फेमिली तक के लिये छूट दे रखी है। पति पत्नी और पहले तीन बच्चों तक तीन लाख की सम्पत्ति और आगे चार बच्चों तक प्रत्येक बच्चे की 25 हजार रुपये की सम्पत्ति को और ले लिया है। इस प्रकार चार बच्चों की एक लाख रुपये की सम्पत्ति। तो हमने कुल चार लाख

(श्री परसराम मदेरणा)

रुपये की प्रोपर्टी तक ही छूट रखी है। आगे कोई एग्जेम्पशन नहीं रखा है। उसे मैं ठीक समझता हूं। माननीय सदस्य ने जो अलवर से आये हैं उन्होंने जो इस संशोधन को कि प्रयुक्त शब्द अविवाहित के पश्चात् शब्द व्यस्क पुत्र अथवा पुत्री निविष्ट किये जायं वह मैं···

श्री रामानन्द अग्रवाल : अविवाहित सन्।

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिये मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था उसमें यू. एस. ए. के बच्चों के बारे में था। वहां पर छोटी उम्र में शादी नहीं होती है और काफी बड़ा होने पर शादी होती है। इस प्रकार वो अपना हक मांगते रहते हैं। हमारे यहां, चूकि शादी जल्दी ही हो जाती है फैमिली प्लानिंग नहीं है दस दस बच्चे हो जाते हैं। हमने उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। लेकिन हां टिनेन्सी एक्ट में जो सैक्शन 30 जोड़ी है उसमें अमेन्डमेन्ट कर दिया गया है। उसमें मेजर बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है 'वयस्क अथवा' है वह नेचूरल फैमिली में नहीं आयेगा। और उनका संशोधन जो उन्होंने दिया है उसे मैं मानने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो राजा महाराजाओं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में संशोधन दिया है उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया।

श्री परसराम मदेरणा : राजाओं के सम्बन्ध में जो बात कही है उनका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। जो खण्ड दो में है उसके भाग दो में बिलकुल क्लीयर है कि क्रमशः 10 हजार या उससे अधिक किन्तु 50 हजार से कम, या 50 हजार से अधिक या उससे अधिक किन्तु एक लाख से कम या 1 लाख की जन संख्या से अधिक वाली किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड या उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट टाउनशिप की स्थानीय सीमाओं से 4, 6 या 8 किलोमीटर के भीतर के किसी क्षेत्र में अगर राजाओं की कोई सम्पत्ति है तो वह अरबन सीलिंग के तहत आ जायेगी। चूंकि यह अरबन सीलिंग का बिल ही है इस लिये सीलिंग अरबन पोपर्टी पर ही लगाया जा रहा है। अरबन एरिया क्या होगा, यह हमने डिफाइन कर दिया है। ए क्लास में जहां कहीं प्रोपर्टी है, जहां टाउनशिप भी नहीं है, आनी चाहिये। नहीं आने से यह भेदभाव पूर्ण नीति होगी। माननीय सदस्य कह रहे थे जिस वक्त मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन की बात कही, एक बात मेरे दिमाग में आयी और उस वक्त इस प्रकार लॉ डिपार्टमेंट से राय दी गई थी कि क्लीयरकट डिस्क्रिमिनेशन होगा अरबन एरियाज में लगाने जा रहे हैं यह सीमा रहेगी, उसके बाद दूसरी प्रोपर्टी भी है, विधान सभा का अगला सत्र होगा, सुझाव आते रहेंगे ला डिपार्टमेंट की राय बिल्कुल स्पष्ट है। डिस्क्रिमिमिनेटरी है, स्वीकार करने मैं असमर्थ हूं। 2 (6) में जो संशोधन रखा है उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में बनने वाली सम्पत्ति है स्टेन्डर्ड वेल्यू रख देते हैं तो इसको लागू करने में बड़ी कठिनाई हो जावेगी और पुरानी तारीख की कीमत 1-1-71 से

(श्री परसराम मदेरणा)

लगाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लगायें तो स्टेन्डर्ड वेल्यू स्ट्रिन्जेन्ट बना दें, मेरी ऐसी राय है स्ट्रिन्जेन्ट होकर रिट्रोस्पेक्टिव हो जावेगी, हमने मार्केट वेल्यू रख दी है, जिस मुल्क की आबादी दूसरे नम्बर पर है 1।। करोड़ पापूलेशन हर साल बढ़ती है आवास की समस्या है, मकानों की कमी है वहां केपिटल वेल्यूएशन होने वाली नहीं है। कई फैक्टर्स काम कर रहे है। इनकम मैटर्स में नहीं जाना चाहता और न मेरी समाअत में है। वित्त मन्त्री जी का मामला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I don't press for it तीसरी को मैं विथड्रो करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : दो के बारे में जवाब दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी के उत्तर के बाद प्रेस करना चाहेंगे ?

श्री गुमानमल लोढा : प्रेस नहीं करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री गुमानमल लोढा : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 2 पर जो संशोधन माननीय श्री रामानन्द जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड—3

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 में मेरा संशोधन इस प्रकार है : (1) उप खण्ड (1)(ख) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :—

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, कुटुम्ब के विभिन्न सदस्यों के स्वामित्व की और कुटुम्ब की नगरीय सम्पत्ति होना समझी जायेगी।

(2) "उप खण्ड (2) में शब्द "तारीख 1-1-72" के स्थान पर शब्द "तारीख 16 अगस्त, 1971" प्रतिस्थापित किये जायेंगे। एवं

(3) उप-खण्ड (3) में शब्द "तारीख 1-1-72" के स्थान पर शब्द "तारीख 16, अगस्त, 1971" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

संशोधन इसलिये रखा है कि क्लाज 3 में पांच के कुटुम्ब के सम्बन्ध में संपत्ति 3 लाख रखा है उसमें राज्य सरकार ने ऐसा महसूस किया है कि अगर इसको फरदर क्लेरीफाई नहीं करते हैं तो हो सकता है

(श्री परसराम मदेरणा)
लोग फायदा उठाएं इसलिये परिवार जोइन्ट या सेपरेट अगर उनके पास दोनों प्रकार की प्रोपर्टी है तो वह अप्रेस होगी। ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिये यह संशोधन लाया गया है।

दूसरा, तारीख ट्रान्सफर पर 1-1-72 को लगाने की थी वह 1-1-72 से नहीं लगा कर 16 अगस्त, 1971 को रखी है। यह इसलिये रखी है कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने प्रेस कांफ्रेन्स में और अखबारों में 16 अगस्त, 71 को इस बात का ऐलान किया था कि हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग लायें। वे सीलिंग नहीं लावेंगे तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कानून लावेगी और अरबन प्रोपर्टी पर नगरीय सम्पत्ति पर सीमा निर्धारित करेगी। कोई भी डेट रखी जाय वह इन्डिस्क्रिमिनेट नहीं रखी जाय किन्तु उसका किसी घोषणा-पत्र या अनाउन्समेन्ट से सम्बन्ध हो। चूंकि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने पहली दफा ऐसा कानून लाने का 16-8-71 को ऐलान किया था इसलिये यह संशोधन लाने का प्रयत्न किया है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि दोनों संशोधन स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह।

श्री जगमोहन सिंह : मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चेतराम।

श्री चेतराम : मूव नहीं करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 के अन्दर मैंने कुछ संशोधन निम्न प्रकार प्रस्तुत किये हैं।

खण्ड-3

उप-खण्ड (1)

भाग (क) में "शब्द तीन लाख रुपये के मूल्य से अधिक नहीं हो" के स्थान पर अंक व "शब्द 1000 वर्ग गज भूमि व मकान जिसके बनाने में दो लाख रुपये तक लगे हों" प्रतिस्थापित किये जायं।

भाग (ख) में शब्द "जो मूल्य में तीन लाख से अधिक नहीं हो" के स्थान पर अंक शब्द "1000 वर्ग गज भूमि व मकान जिसके निर्माण में दो लाख रुपये तक की राशि लगी हो" प्रतिस्थापित किये जायें।

भाग (ख) में शब्द "मूल्य में पच्चीस हजार से अधिक न हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो साधारण कुटुम्ब के लिये निर्धारित सीमा के 10 प्रतिशत हो" प्रतिस्थापित की जायें।

भाग (ख) में शब्द "तथापित उस कुटुम्ब···मूल्य, किसी भी दशा में, चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।" विलोपित किये जायें।

उप-खण्ड (2) में अभिव्यक्ति "तारीख 1 जनवरी, 1972 को या" उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "इस एक्ट के लागू होने के 6 माह के" प्रतिस्थापित की जाये।

उप-खण्ड (3) में अभिव्यक्ति "तारीख 1-1-72 को या उसके पश्चात् किसी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

समय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस एक्ट के लागू होने के 6 माह के पश्चात्" प्रतिस्थापित की जायें।

उप-खण्ड (4) में शब्द "का मूल्य" के स्थान पर शब्द "की निर्माण की कीमत" प्रतिस्थापित किये जायें।

उप-खण्ड (5) में शब्द "का मूल्य" के स्थान पर शब्द "के निर्माण की कीमत" प्रतिस्थापित किये जायें।

उप-खण्ड (6) में शब्द "का मूल्य" के स्थान पर शब्द "के निर्माण की कीमत' प्रतिस्थापित किये जाय।

उप-खण्ड (7) में शब्द "तीन लाख रुपया" के स्थान पर शब्द "निर्माण की लागत दो लाख रुपया" प्रतिस्थापित किये जायें।

और वह संशोधन भारतीय जनसंघ द्वारा गाजियाबाद अधिवेशन के अन्दर शहरी सम्पत्ति की सीमाबन्दी के बारे में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके अनुकूल है। हमने यह कहा है कि 1 हजार वर्ग गज भूमि व मकान जिसके बनाने में दो लाख रुपये तक लगे हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की यह इच्छा है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो अधिकतम सीमा निश्चित कर रहे हैं उसमें उस मकान की कीमत 2 लाख रुपया हमने रखी है और उस 2 लाख रु. के मकान के साथ ही 1 हजार वर्ग गज जमीन रखी है जिसकी कीमत स्थान की इम्पारटेंन्स के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का यह अभिप्राय है कि स्थान के ऊपर अलग अलग कीमतें होती हैं, कन्स्ट्रक्शन कास्ट हमेशा साधारणतया एक रहता है। इसलिएं वेलुएशन के स्थानों पर कन्स्ट्रक्शन कास्ट हमने रखा है और जमीन अलग अलग स्थान पर होने के कारण से हमने उसको 1 हजार वर्ग गज रखा है ताकि कहीं पर यदि मान लीजिये कि ऐसे स्थान पर जमीन आई हुई है जहां उसकी कीमत कम होती है तो वह 1 हजार वर्ग गज भूमि में बिल्डिंग के साथ पर्याप्त होता है। यह हमारी मान्यता है और 1 हजार वर्ग गज से अधिक भूमि किसी को हमारी मान्यता है कि, नहीं रखनी चाहिये, उसके ऊपर सीलिंग होनी चाहिये और इस दृष्टि से यह संशोधन मैंने भाग (क) और (ख) दोनों में रखा है। उसी के अनुकूल जो कुटुम्ब के सदस्य के अन्दर 25 हजार का प्रावधान है जिस प्रकार हमने इसका वेलुएशन किया है वह 10 परसेंट किया है क्योंकि हमने 3 लाख के स्थान पर अभी जैसा मैंने बताया कि 2 लाख और 1 हजार वर्ग गज रखा है और इसके पश्चात् भाग (ख) में शब्द तथापि उस कुटुम्ब मूल्य किसी दशा में, चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगा को विलोपित करने का कहा है। इसके अतिरिक्त इस खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) में तारीख 1 जनवरी, 1972 को या उसके स्थान पर इस एक्ट के लागू होने के 6 माह के रखने का कहा है और इसी प्रकार से खण्ड 3 में यही बात फिर से दोहराई है। उपखण्ड (4) में 'का मूल्य' के स्थान पर 'निर्माण की कीमत' हमारे वर्तमान अमेन्डमेंट के अनुसार जो उसका कान्सीक्वेन्स है उसके अनुसार रखा है और यही उप-खण्ड (5) (6) और (7) में दोहराया है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पैदा होता है वह यह है कि किस दिन से इस सीमा को लागू किया जाये और इसके ऊपर माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि जब मैं इसके ऊपर अपने विचार रखूंगा उस समय बताऊंगा कि वास्तव में कितने प्रगतिवादी इस अमेन्डमेंट को रखने वालों में हैं। मैं उनका पर्दाफाश करूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि वह पर्दाफाश करने का संकल्प लेकर अपने विचार रखेंगे लेकिन पर्दाफाश करने के पहले वे आइने में अपना मुंह देखने का कष्ट करें और इसका मुझे उत्तर दें कि 25 साल तक लगातार शासन करने के पश्चात्, एक छत्र उनका शासन रहा, अल्पमत में आये तो भी उन्होंने हर प्रकार के काण्ड करके अपना शासन बनाया और बहुमत में आये-वह कौनसी रुकावट थी, किसने उनके हाथों को, उनकी गति को, उनकी वाणी को, उनकी लेखनी को अवरुद्ध किया था कि उन्होंने इस कानून को नहीं बनाया। आज मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि 16-8-71 को घोषणा की और घोषणा करने के पश्चात् यह उनको अगर इस प्रकार का कानून बनाना था–कौनसी रुकावट थी? क्या कोई रुकावट थी? यदि कोई रुकावट नहीं थी तो आन वेरी परचेजर बोनाफाइड परचेजर फार वेल्यू–क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा करदी थी कि 16-8-71 को आज के पश्चात् इस प्रकार का कानून बनाने जा रहे हैं कि जो भी शहरी सम्पत्ति की सीमा रखेंगे उसके बाद इस प्रकार का ट्रांसफर होगा वह इनवेलिड होगा? क्या उन्होंने यह घोषणा कर दी कि हम 3 लाख की सीमा रखेंगे? मैं समझता हूं कि जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने स्वयं ने कहा कि उनका विचार पहले 5 लाख का था, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे प्रान्तों से होड़ लगी और दूसरे प्रान्त जब 4 लाख का बिल लाये तो ज्यादा प्रगतिशील होने की होड़ में वह 3 लाख पर आये। होड़ वह करें अच्छा है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक्ट बनाने से यदि आपका यह अभिप्राय है कि रैवोल्यूशनरी प्रोसेस से हम शहरों के अन्दर सम्पत्ति की सीमाबन्दी करके एक विशेष सीमा तक जनता को सीमित कर दें तब तो मैं समझता हूं कि जो मैंने अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि उसमें भावना यह है जैसा कि मैंने अभी प्रारम्भ में उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति नगर में बैठा है, एक छोटा सा कर्मचारी है, जीवन भर की पैन्शन आती है, कठोर परिश्रम के साथ में वह अपने बच्चों का पेट काट कर पैसा इकट्ठा करते हैं और जीवन की संध्या की वेला में 8–10 हजार रुपया से प्लाट खरीदता है और बेचने वाला व्यक्ति प्लाट उनको पैसा लेकर बेचता है और उसकी रजिस्ट्री इसी सरकार का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता है। मैं जानना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय उसने क्या अपराध किया? आप इस रिट्रोस्पेक्टिव आपरेशन के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर चोट लगा रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, उसको हमेशा के लिये समाप्त कर रहे हैं जिसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि इस प्रकार से ऐसा कानून बनेगा अन्यायपूर्ण जिसमें एक वर्ष या दो वर्ष पहले से जितने बेचान हुए हैं या ट्रान्सफर्स हुए हैं रद्द कर दिये जायेंगे। न्याय पद्धति का

Page No. 146

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

तकाजा है इन्साफ की यह मांग है कि आप कानून बनाने के बाद हर व्यक्ति को कहें कि यह हमने कानून बनाया है। हम चाहते हैं कि इस सीमा के अन्दर सम्पत्ति रहे और सम्पत्ति का रि-डिस्ट्रीब्यूशन करो और अन्त में जो सम्पत्ति सीमा से अधिक होगी उस सम्पत्ति को राज्य सरकार लेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने बताया और जैसा उन्होंने कहा ...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें। सशोधन तक ही सीमित रहें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसी के बारे में बोल रहा हूं। मैं इसलिये इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को मैं इस बात का भान करवाना चाहता हूं कि किस इरादे से हमने यह संशोधन रखा है। जैसा कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने कहा कि इस कानून के द्वारा बहुत कम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है लेकिन जिन लोगों ने जमीन खरीदी हैं पिछले एक साल के अन्दर प्लाट्स खरीदे हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके लिये तो वह 1 हजार ही जीवन भर का संकल्प है, उनकी वही पूंजी है और इस दृष्टि से हमने यह संशोधन रक्खा है कि एक्ट बनने के बाद शहरी सीमाबन्दी को करके हमेशा के लिये एक सीमा निर्धारित कर दीजिये। भूतकाल का जहां तक सवाल है, रिट्रोस्पेक्टिव का सवाल है यह न्याय का सिद्धांत है, हर एक व्यक्ति जानता है कि रिट्रोस्पेक्टिव आपरेशन देने के लिये उस समाज में जिसमें फिस्कल इम्लीकेशन्स हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना चाहिये। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने इसमें यह प्रावधान रखने के लिये निवेदन किया है कि इस एक्ट को प्रोस्पेक्टिव रखिये और इवाल्यूशनरी प्रासेस से इसको लागू कीजिये यदि आपको कन्फेस्केटिंग मेजर्स लेने हैं, एक्वीजिशन आफ प्रोपर्टी करना है तो भी इस धारा की जरूरत नहीं है जिनके पास प्रोपर्टी है उनसे लेने के दूसरे तरीके भी हैं। हम उनसे सहमत नहीं हैं सैद्धान्तिक रूप से और इस कारण से हमारी यह मान्यता है कि संविधान की परम्परा के अन्दर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अन्दर, जहां हम यह चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, प्रगति हो, वहां पर हम यह भी चाहते हैं कि किसी भी समाज और वर्ग के साथ जो गरीब हैं, जिनमें निर्धनता है, जो साधारण कर्मचारी हैं, साधारण व्यापारी और मजदूर हैं, उनके साथ इस प्रकार का अन्याय न हो, इस कारण से हमने इस प्रावधान को रखा है। यदि माननीय मंत्रीजी इसके लिए यह समझें या अन्य कोई सदस्य जैसा कि उन्होंने इसका अर्थ लिया है कि हम छूट देना चाहते हैं उन व्यक्तियों को जो कि अपनी प्रोपर्टी ट्रांसफर करें, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि प्रोपर्टी ट्रांसफर करने की छूट हमेशा से कानून में रही है और प्रोपर्टी को ट्रांसफर करने की सीमा जो आप निर्धारित करना चाहते हैं, उस प्रावधान पर असर नहीं पड़ता। कन्फेक्शन और एक्वीजिशन की बात दूसरी है और इस कारण मैं निवेदन करूंगा कि जिस दिन से एक्ट लागू हो उसको लागू करें। इसको प्रोस्पेक्टिव बनायें और रिट्रोस्पेक्टिव नहीं बनावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानु कुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा भी संशोधन यही है लेकिन इस बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि··

श्री दीपंकर : दोनों ही पूंजीपतियों के पोषक हैं साहब।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपको क्यों दर्द होता है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : बड़े बड़े सेठों से, साहू जैन से करोड़ों रुपये लेकर बैठे हो। चार लाख के पोस्टर कलकत्ता के सेठ से छपवा लिए और पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाया तो आपकी इन्दिराजी मुस्कराती रहीं··

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री दीपंकर : झूठ बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सच्चाई का तो ठेका आपने ही ले रखा है, सत्यवादी हरिश्चन्द्र महाशय··

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : पार्लियामेंट के अन्दर अभी 2 पोस्टर काण्ड हुआ है लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। साहू जैन की बैलेंस शीट के अन्दर लाखों रुपये लिखे हैं आपके नाम··

(अनवरत शोरगुल-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इस क्लाज (3) के अन्दर लिखा हुआ है कि :

"3. Ceiling limit.-(1) (a) In the case of every person not being a family and in the case of every family consisting for not more than five members the ceiling limit shall be so much urban property as does not exceed in value three lakhs of rupees.

इसमें वेल्यू शब्द से आप निर्णय कैसे करेंगे। मैं आपको कह सकता हूं कि वेल्यू का निर्णायक कौन? एक ही प्रकार का बना हुआ मकान किसी एक स्थान पर एक लाख का हो सकता है, वैसा ही, उतने ही खर्चे से उतनी ही जमीन पर, उतने ही एरिया के अन्दर बना हुआ किसी दूसरे हिस्से में उसकी आधी कीमत रख सकते हैं। फिर वेल्यू का यह मानदण्ड नहीं कि आफमेट वेल्यू क्या होगी, वेल्यू का निर्णायक कौन होगा। इसलिए हमने यह सुझाव दिया है, यह संशोधन अमेंडमेंट दिया है कि वेल्यू को हटा कर कोस्ट आफ कंस्ट्रक्शन इसमें किया जाय। कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन यह सब जगह समान होगी। वेल्यू साइट की है, मकान की नहीं। साइट पर उस मकान की वेल्यू 36 हजार से लेकर एक डेढ लाख हो सकती है। उस साईट पर न हो तो वेल्यू कम हो जाती है। इसलिए मेरा यह संशोधन है कि इसे कोस्ट आफ कंस्ट्रक्शन कर दिया जाय। कोस्ट आफ कंस्ट्रक्शन सब जगह समान होगी और यह इससे दो लाख से एक्सेस न हो और जमीन एक हजार वर्ग गज से अधिक न हो।

दूसरा जैसा माननीय सदस्यों का कहना है कि छः महीने की अवधि देते हैं

Page No. 148

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
तो वह अपनी प्रोपर्टी को बेच देंगे, तो बेचेंगे किसको । आपने अरबन प्रोपर्टी तय कर दी कि इस सीमा से ज्यादा नहीं रख सकते ...

श्री दीपंकर : यह जमीन को हड़पना चाहते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : आपने तो हड़पने का ही काम किया है और किया ही क्या हैं। हड़पने वाले मिनिस्टरों की कतार लगी हुई है।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री दीपंकर : चिल्ला क्यों रहे हो..

श्री भानुकुमार शास्त्री : मर्यादा रखें, यह सारे देश की समस्या है ...

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री दीपंकर : वैल्यू से आपका मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह आपकी समझ के बाहर है। जब आपकी समझ में आ जावे और आपको बोलने का अधिकार मिले तब बोल लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बिल के अन्दर जल्दी में शाब्दिक रचना में ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए । हम चाहते हैं कि सीलिंग हो, हम चाहते हैं कि दो लाख से ज्यादा की सम्पत्ति न हो लेकिन वह भूमि जिस भूमि पर वह अपने आवास की समस्या हल करता है, वह भूमि एक हजार स्क्वायर गज से अधिक न हो। एक व्यक्ति के पास मकान है, वह तीन लाख के प्रावधान के कारण अपने मकान का ऊपर का पोरशन छोड़ता हैं और नीचे वाला पोरशन अपने पास रखता है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वह सरकार को देता है और कहता है कि इसको बेचिए। बजाय इसके आपने निर्णय कर लिया कि एक व्यक्ति के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं रह सकती तो फिर अगर वह देगा भी तो भी उस व्यक्ति का नहीं होगा या उससे कम उसके पास अपनी अरबन प्रोपर्टी होगी उस सीमा के अन्दर वह अपनी जमीन रख सकता है। सरकार इन कोम्प्लीकेशंस से जो कि उनके सामने आने वाली हैं, बच सकती है। एक पोरशन जो ऊपर का है उसको कौन लेगा, किसको बेचेंगे, कौन लेगा ? आज तक सरकार ने लैंडलेस कितने हैं, होमलेस कितने हैं, होमलेस कौन हैं, इसकी डेफिनेशन तय नहीं की। किसको देंगे ये मकान ? कहीं पर तो ऐसा भी हो रहा है कि एक करोड़पति है जो अपना बिजनेस करता है लेकिन किराये के मकान में रहता है, क्या हम उसको होमलेस मानेंगे। हमने होमलेस की डेफिनेशन तय नहीं की, लैंडलेस का हमें ज्ञान नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में मेरा सुझाव है कि वेल्यू के स्थान पर हम घपाल न करके कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन मान लें तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, खंड (3) में मेरे संशोधन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
निम्न प्रकार हैं :

खण्ड 3

(1) उप खण्ड (1) निम्नांकित रूप में प्रतिस्थापित किया जावे :—

(1) प्रत्येक व्यक्ति की दशा में जबकि वह कुटुम्ब नहीं है तथा प्रत्येक कुटुम्ब की दशा में, अधिकतम सीमा उतनी नगरीय सम्पत्ति होगी जिसका स्टेन्डर्ड मूल्य :—

(i) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो कारपोरेट व्यक्ति हो 2 लाख रुपये ;

(ii) एक व्यक्ति के परिवार की दशा में एक लाख रुपये ;

(iii) ऐसे परिवार की दशा में जो एक व्यक्ति म अधिक और पांच व्यक्तियों तक का हो प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिये एक लाख रुपये में 25 हजार रुपये और जोड़े जायेंगे ताकि पांच व्यक्तियों के परिवार के लिये दो लाख रुपये ;

(iv) ऐसे परिवार की दशा में जो पांच व्यक्तियों मे अधिक का हो, प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए दो लाख रुपये में 20 हजार रुपये और जोड़े जायेंगे ताकि ऐसे परिवार के लिए अधिकतम तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण:—किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय उक्त व्यक्ति अथवा परिवार की समस्त नगरीय सम्पत्ति, जैसा कि धारा (2) के भाग (च) में परिभाषित की गई है, जो एक स्थान या अनेक स्थानों पर स्थित हों सम्मिलित करके जोड़ी जायेगी ''

(iii) उप-खण्ड (2) में अभिव्यक्ति ''तारीख 1-1-72 के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तारीख 1-1-71 प्रतिस्थापित की जाय ।

इस खण्ड (3) में संशोधन एक तो इस सोमा के बारे में है कि जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट के बिल में है उसमें फ्लेट रेट पांच आदमियों के लिए बिल में तीन लाख रुपये रखा गया है और जिस तरह की हमारी फैमिलीज हैं, जो फैमिली की डेफिनेशन है उसमें एक फैमिली की कई फैमिलीज बनेंगी । जितने भी मेजर लड़के हैं उनको अलग-अलग फैमिली बन जाएगी । अविवाहित की भी फैमिली बन जायगी तो उसमें.. • • •

श्री उपाध्यक्ष : फैमिली तो आ चुकी है। खण्ड (2) को पारित कर चुके हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए जो उसमें प्रत्येक फैमिली के पीछे तीन लाख रखा है उसको बजाय आल्टरनेटिव प्रपोज़ल जो मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत कर रखा है वह यह है कि एक व्यक्ति का परिवार हो तो एक लाख रुपया । दो का परिवार हो तो एक लाख 25 हजार रुपया। तीन का परिवार हो तो डेढ़ लाख रुपया, चार का हो तो पौने दो लाख और पांच का हो तो दो लाख । और इसी तरह से छः का हो तो बीस हजार बढ़ाते हुए मैक्जीमम तीन लाख तय किया जाना चाहिए । इस तरीके का एक यह सुझाव है जो मैं समझता हूं कि अगर हमारा मकसद ऐसे होमलैस,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
प्रोपर्टी लेंस और उन लोगों को मदद देकर ज्यादा से ज्यादा से प्रोपर्टी निकाल सकें, यही मकसद है कि दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो तो इस स्कीम के जरिए हम ज्यादा ऐसी प्रोपर्टी हासिल कर सकेंगे और यह अनजस्टीफाइड भी नहीं होगा। एक आदमी का परिवार हुआ तो भी तीन लाख दे दिया और पांच आदमियों का परिवार हुआ तो उसको भी तीन लाख दिया, उसके लिए भी यही अधिकतम सीमा रही, यह अनसाइन्टिफिक और अनजस्टीफाइड लगता है।

दूसरी इसके अन्दर जो बात मैंने रखी है वह जो इसमें माननीय मंत्रीजी ने संशोधन मूव किया कि 16 अगस्त, 1971 से इसको रैट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। यह उनका संशोधन आने के बाद इसमें जो मैंने अपना संशोधन रखा था मैं उसको मूव नहीं करना चाहता हूं। मैं उससे सेटिस्फाइड हूं।

इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन दूसरे माननीय सदस्यों ने दिए हैं, मुझे उन पर बोलने का अधिकार है। जो संशोधन माननीय जन संघ के नेता की ओर से रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि उससे छः महीने और आगे बाद यह लागू हो, उसके बाद छः महीने तक लोगों को अपनी प्रोपर्टी ट्रांसफर करने का अधिकार रहे ऐसा उनका संशोधन का मकसद है। तो इसका साफ मतलब यह हुआ कि वह यह चाहते हैं कि समय पोस्टडेटेड मुकर्रर कर दें और लोग अपने आप अपनी प्रापर्टी का ट्रान्सफर करते रहें और उससे अपने आप बंटवारा हो जायगा। तो इसमें बंटवारा उसी वर्ग में होगा और जो सबसे ज्यादा अन्डरडाग हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं उस तक यह बात नहीं पहुँचेगी, और मैं समझता हूं कि यह एक इन्डीकेशन है इनके मकसद का, इनके परपज का। तो इन बातों के साथ मैं अपना एमेन्डमेंट मूव करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री विद्यासागर (अनुपस्थित)।

माननीय मंत्रीजी।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्षजी, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने खण्ड 3 में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) को पूरे के पूरे को सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं उन्होंने सबसे पहले ऐसे व्यक्ति की दशा में जो कार्पोरेट व्यक्ति हो 2 लाख रुपये, लेकिन एक व्यक्ति के परिवार की दशा में उन्होंने एक लाख माना है और कार्पोरेट है तो 2 लाख माना है। कार्पोरेट के कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? वहां तो 70–80 परसेन्ट कार्पोरेशन को बोडी के सदस्य होते हैं तो यह ठीक नहीं होगा कि युनिफार्मिटी इर्रेस्पेक्टिव आफ मेम्बर्स फिक्स्ड की जाय। इसलिए माननीय सदस्य ने तीन लाख को अधिकतम सीमा रखो है। एक व्यक्ति है तो 1 लाख और एक व्यक्ति के बाद में अगर 1 से 5 तक के व्यक्तियों का जो परिवार होगा तो उसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपये तक रखे हैं, और उसके आगे 5 व्यक्तियों से अधिक का परिवार होगा तो 1 लाख और रखा है। कुल मिलाकर 10 व्यक्तियों की एक फेमिली मानी है और अधिक सीमा 3 लाख रखी है। जैसा कि

(श्री परसराम मदेरणा)

पूर्व में जब मैं अपने विचार रख रहा था सदन में तो मैंने यह निवेदन किया था कि सीलिंग को फिक्स्ड करने के सम्बन्ध में रूलिंग स्टेज पर उसकी प्राइस जो अरबन एरिया में है उसको देखते हुए अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग निर्धारित की गई है, एक बात।

और दूसरी बात जो इस एक्ट की धारा में दिया गया है फेमिली को सीलिंग के लिए माना है। एक आदमी को फेमिली नहीं माना गया है। एक व्यक्ति से शुरू किया है या किया था और 5 जब फेमिली के मेम्बर होंगे तो दो लाख की आपने सीमा मानी है और अगर वह 10 तक की हो जायगी तो 3 लाख माना है। अगर कार्पोरेट बोडी है तो 2 लाख माना है। मैं माननीय सदस्य के इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं, क्योंकि जो इसकी गाइडलाइन्स मिली है सीलिंग परपज के लिए वह फेमली पर लगाई गई है।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह उन्होंने रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जब कि वह कुटुम्ब नहीं है, तथा पांच से अधिक सदस्यों वाले प्रत्येक कुटुम्ब की दशा में, अधिकतम सीमा उतनी नागरीय सम्पत्ति होगी जो कि तीन लाख रुपये के मूल्य से अधिक न हो। तो "तीन लाख रुपये के मूल्य से अधिक नहीं हो इसकी जगह वह सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं 1000 वर्ग गज भूमि व मकान जिसके बनाने में दो लाख रुपये तक लगे हों।" माननीय सदस्य के इस संशोधन को मैं इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता कि जो डेफिनिशन अरबन प्रोपर्टी की दी है उसमें भूमि, मकान और उसके पर्टीनेन्ट लैंड है वह शामिल है। एक हजार गज भूमि अलग रखना चाहते हैं और मकान जिसके बनाने में 2 लाख लगा है तो इसका मतलब है कि आज से 20 साल पहले जो निर्माण हुआ है और उस समय उसमें 2 लाख रुपये लगे हों तो उसकी कीमत आज 20 लाख है। वह उस वक्त जो लगा है वह रखना चाहते हैं और जमीन यों ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य की प्रगतिशीलता के बारे में दाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि आप कोशिश कर रहे हैं कि 25 साल पहले वाली कीमत इस बिल में रखी जाय। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी का विश्वास करती आई है और कांग्रेस को आदेश देती रही है कि सत्ता की कुर्सियों पर जाकर बैठो। यहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी के खाते का लेकर उन्होंने एक बात कही कि 16 8-71 को चीफ मिनिस्टर ने एक घोषणा की थी कि 3 लाख की सीमा निर्धारित करने वाले हैं। तीन लाख की सीमा निर्धारित करने वाले हैं इस प्रकार की घोषणा नहीं की है, और इस प्रकार की घोषणा नहीं की कि उन लोगों को जिन्होंने जिनुआइन्ली ट्रान्सफर्स किये हैं उनको वह किया जाय। हमने यह बात रखी है और मैंने अमेंडमेंट मूव किया है और 1-1-72 की तारीख को मैंने सब्स्टीट्यूट किया है 16-8-71 से इस कारण से कि वह को रिलेशन हो। वह बात मैं मानकर चलता हूं कि चीफ मिनिस्टर के प्रोनाउन्समेंट से उसका सम्बन्ध है तो इतना ही है कि हम रिट्रोस्पेक्टिवली इसको रखना चाहते हैं और आप प्रोस्पेक्टिवली उसको रखना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहते है। रिट्रास्पेक्टिवली रखने की बात है इस क्लाज में वह यह है कि इस क्लाज की जो मन्शा है कि ट्रान्सफर इस एक्ट के प्रोवीजन को डिफीट करने के लिए अगर कोई ट्रान्सफर हो तो वह ट्रान्सफर नहीं हो सकता है, और जब एक दफा एनाउन्समेंट हुआ है और अगर जेनुइन आदमी जिसने एक लाख की प्रापर्टी बेची है, 50 हजार की प्रोपर्टी बेची है, 2 लाख की प्रोपर्टी बेची है या कोई लाख के करीब की प्रापर्टी बेची है तो इस एक्ट के प्रोवीजन को डिफीट करने का प्रयास नही है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जिस किसी ने प्रापर्टी को फरोख्त किया है, किसी को ट्रान्सफर किया है तो उसका कोई दूसरा इन्फरेन्स नहीं निकलता है सिवाय इसके कि इस बिल के प्रोवीजन को डिफीट करने के लिए प्रयास किया गया है, और उस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे।

यहां पर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस एक्ट के लागू होने के 6 मास में इस प्रकार की हरकत हो तो मैंने किसी कारसपोन्डिंग ला में नहीं देखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने रेफरेन्स देकर कहा है। मेरा एमेंडमेंट नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर से···

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने अलवर कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : सॉरी, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य इसको प्रोस्पेक्टिव रखना चाहते हैं, लेकिन हम इसको रिट्रास्पेक्टिवली लागू कर रहे हैं तो रिट्रास्पेक्टिवली लागू करने के बजाय वह यह चाहते हैं कि इस एक्ट के लागू होने के 6 माह बाद वह फोर्स में आयेगा। वह चाहते हैं कि 6 माह के बाद का वह ठर्रे करके हमारे हाथ में तूम्बी रह जाय और यह कानून बन जाय। इसलिए मैं ऐसे प्रोवीजन को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं। जो उपखण्ड ( ) में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था उसमें परचेजर की क्या स्थिति होगी आपने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया। मेरे ख्याल से जो आपका उप-खण्ड (2) है उसमें यह कहा गया है, यदि तारीख 1-1-72 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति ने उसके स्वामित्व मे को कोई नगरीय सम्पत्ति अन्तरित कर दी है तो ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के उपबंधों को विफल करने वाला समझा जायगा और इस प्रकार अन्तरित सम्पत्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति के स्वामित्व की समझी जायगी। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि जहां तक बेचने वाले का सम्बन्ध है उसकी सीलिंग में यह आजायेगी कि इतनी ज्यादा सम्पत्ति उनकी सीलिंग में है, लेकिन जहां तक परचेजर का सवाल है परचेजर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आपने कहा है कि इस बिल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति के स्वामित्व की समझी जायगी, तो आपका दृष्टिकोण यह हो सकता है कि कल सीलिंग 3 लाख की छोड़ी है और जो बेची हुई है वह भी उसमें मान ली जायगी, और बाकी उससे ले ली जायगी।

श्री गुमानमल लोढा : पूरी बेच दे तो क्या लेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके बिल के प्रयोजनार्थ उस वक्त के स्वामित्व को समझा जायगा। फिर पर्चेजर है उस पर क्या असर पड़ेगा ? जेनुइन पर्चेजर है, जिसको आप मदद करना चाहते हैं जिसको आप ट्रान्सफर करना चाहते हैं—उसको प्राटेक्शन होना चाहिए। इसलिए ही मैंने इसके अन्दर अमेंडमेंट नहीं दिया है। मेरा इन्टरप्रिटेशन यह है, आपका मकसद यह है कि जो सीलिंग से ज्यादा जमीन है, आपका दृष्टिकोण है जो बेच दी है वह उसको प्रापर्टी मान लेंगे और मान लीजिये कि पांच लाख की प्रापर्टी है, तीन लाख को रखनी है और एक लाख की उसने बेच दी है तो बाकी है वह ले लेंगे। इस प्रकार तो खरीददार पर असर नहीं पड़ेगा। इसका असर बेचने वाले पर आ जाय—इस प्रकार का प्राविजन होना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : इसका अर्थ यह भी होगा, जो बेचने वाला है उसको कान्सीक्यूएन्सेज भुगतने पड़ेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका इन्टरप्रिटेशन क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैं समझा हूं, क्लाज 3 (2) में है :

"If on or after the 1st day of January, 1972 any person has transferred any urban property owned by such person' such transfer shall be deemed to be a transfer made to defeat the provisions of this Act and the property so transferred shall for the purposes of this Act be deemed to be owned by such person."

माननीय सदस्य को शंका यह है कि किसी व्यक्ति ने, जिसके पास चार लाख की प्रापर्टी थी, उसने उसको सीलिंग लिमिट में रखने के लिए तीन लाख तो रखी, पौने तीन लाख तो रखी और सवा लाख की प्रापर्टी उसने किसी आदमी को बेच दी। उसको बेचने के बाद जब ट्रान्सफर को लीगल नहीं मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि यह ट्रान्सफर इस एक्ट के प्राविजन्स को डिफीट करने के लिए है, या पर्चेजेज जेनुइन पर्चेजेज है तो उसका क्या पोजीशन रहेगी··

श्री गुमानमल लोढा : That is the point.

श्री भानुकुमार शास्त्री : That is the main point.

श्री परसराम मदेरणा : उसमें मैं निवेदन कर सकता हूं, गरीब व्यक्ति ने हमारे एक्ट के प्राविजन को डिफीट करने के लिए कुछ नहीं किया है, जिसने किया है उसका ट्रान्सफर नहीं मानते हैं। लेकिन जेनुइन केसेज में जो भी सम्पत्ति हमारे पास में आयेगी उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसको क्या रिलीफ दे सकते हैं, किस अमाउन्ट का दे सकते हैं-इसका राज्य सरकार ध्यान रखेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें आपने वोइड शब्द इस्तेमाल नहीं किया है :

'Sale will be void'

यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, इसका भी मकसद है, आपने कहा है, फार दी परपज आफ दिस, मैं इसका इन्टर–प्रिटेशन कर रहा था, यह इन्टरप्रिटेशन नहीं है तो आप एक्सप्लेनेशन देकर क्लीअर कर दें। जहां तक सेलर है उस तक नहीं माना जायेगा और जहां तक पर्चेजर है उस तक माना जायगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : This should be in this bill.

श्री गुमानमल लोढा : कान्ट्रेक्ट एक्ट के सेक्शन 71–72 में प्रावधान है, को ट्रान्जेक्शन एक्ट को डिफीट करने के लिए होता है, वह वोइड होता है, अगेन्स्ट ला होता है, अगेन्स्ट पब्लिक पालिसी है। इसमें पर्चेजर को बचाने के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं रखा है। आपके दिमाग में कल्पना है, ठीक है, गरीब होगा, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन कानून के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, यह डिस्टिंक्शन ड्रा नहीं कर सकते हैं कि धनवान को बेचने ... फ्राडुलेंट है और गरीब को बेचो है तो बोनाफाइड है। बोनाफाइड पर्चेजेज और सेल करने का है तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। यदि आप समझते हैं कि जितना हुआ है वह इसके हिसाब से खत्म होना चाहिए तो फिर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है।

श्री परसराम मदेरणा : लैण्ड सीलिंग के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रावधान है, सीलिंग के कानून को डिफीट करने के लिए लैण्ड सीलिंग को डिफीट करने के लिए किस व्यक्ति ने जमीन खरीद ली तो वह खरीद वैलिड नहीं मानी जायगी वोइड मानी जाएगी—वह उसमें रखा है, और उसका कम्पेन्सेशन भी मिलेगा तो वह उस आदमी को नहीं मिलने वाला है वह सूट करे सेलर पर। यह लैंड सीलिंग में प्रावधान है। इस प्रकार का प्रावधान लैंड सीलिंग में है तो ठीक बात है, कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर हो सकते हैं। आप कहें कि गवर्नमेंट को उस प्रापर्टी को एक्वायर करना चाहिए, तो यह गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर है, वह एक्वायर करे या न करे। गवर्नमेंट को अधिकार है, वह एक्वायर करेगी तो पर्चेजर पर कानून लागू करेगी, अगर एक्वायर नहीं करती है तो पर्चेजर पर नहीं होगा।

श्री गुमानमल लोढा : यह आफिसर कन्सर्न का डिस्क्रिशन हो जायगा, आप रूल्स में प्रावधान कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : डिस्क्रिशन का सवाल नहीं है, उस प्रापर्टी का क्या यूज होगा, उसके हम रूल्स बना रहे हैं। आपने स्कीम आफ थिंग्स में देखा होगा, क्लाज 15 देखिए रूल्स के लिए कहा है, रूल्स बनायेंगे प्रापर्टी के।

श्री गुमान मल लोढा : डिस्पोजल के लिए।

श्री परसराम मदेरणा : All urban property in excess of the ceiling limit as acquired under the provisions of this Act shall be used by the State Government in accordance with the rules for orderly development of urban areas, for allotment...

(श्री परसराम मदेरणा)

आल्टरनेटिव के रूल्स बनाना चाहते हैं, किस किस पर्पज के लिए यूज होगा। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, प्रोपर्टी लें उसके सम्बन्ध में कहने से मतलब नहीं है, आपको रूल्स बनाने चाहिए और इन रूल्स में प्रावधान हो। क्लाज 15 में हम रूल्स बना रहे हैं। गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है और एक्वायर नहीं करनी है तो पर्चेजर के पास रहेगी, अगर करनी है तो वहां लागू करेंगे। इसमें जेनुइन केसेज हो सकते हैं। यह करते वक्त हम ध्यान में रखेंगे, जो जेनुइन केसेज हैं उनमें शिकायत न हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सेक्शन 9 का मुलाहिजा करें, जो रूल्स....

श्री उपाध्यक्ष : सेक्शन 9 पर आयें तब कहें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इससे सम्बन्धित है, यह एक्वीजीशन तो मेण्डेटरी है, आपने कहा है एक्वायर करेंगे या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कान्ट्रेक्ट एक्ट में प्रावधान है जिस प्रापर्टी का कान्ट्रेक्ट एबनिशियो इल्लिगल है तो वह वोइड है That is void गवर्नमेंट चाहे तो वोइड हो सकता है, गवर्नमेंट उस कान्ट्रेक्ट को चैलेन्ज करना नहीं चाहे तो That is not void.

श्री गुमानमल लोढ़ा : Sec. 9 says- "the competent authority shall make necessary alterations in the draft statement in accordance with the orders passed on the objections aforesaid and shall declare the urban property owned by the person concerned in excess of the ceiling limit..

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, सेक्शन नौ पर आयें तब कहें।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

आप (श्री गुमान मल लोढ़ा से) अपना अमेंडमेंट विथड्रा कर रहे हैं?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं अपना अमेंडमेंट प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं भी प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर जो संशोधन श्री गुमान मल लोढ़ा और श्री रामानन्द अग्रवाल.. ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलग अलग रखें, दोनों अलग अलग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अलग अलग चाहते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलग हैं, बिल्कुल कान्ट्रेडिक्ट्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर जो संशोधन श्री गुमानमल लोढ़ा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर जो संशोधन माननीय सदस्य श्री रामानन्द

Page No. 156

(श्री उपाध्यक्ष)

अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 यथासंशोधित स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : देट मीन्स सीलिंग के खिलाफ है जनसंघ तभी खण्ड 3 जो सीलिंग मुकर्रर करता है उस पर ना कह रहे हैं।

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : आपने गलत सुना है फिर करवा लीजिये।

श्री **उपाध्यक्ष** : खण्ड 4, श्री जगमोहन सिंह।

(अनुपस्थित)

खण्ड 4, श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, खंड 4 में एग्जेम्पशन्स के प्रावधान हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इसमें मैंने जो संशोधन किये है उनमें एक तो उप-खंड (1) के भाग (क) के उप-भाग (ii) में 'न्यास' शब्द के पश्चात् निम्नांकित शब्द निविष्ट किये जायं—

"जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत 1-1-72 से पूर्व रजिस्टर्ड हों"

इसकी मंशा है कि धारा 4 में "एनी पब्लिक चैरिटेबुल आर रिलीजस ट्रस्ट" इसको एग्जेम्पशन दिया है। दूसरा इस बारे में मेरा निवेदन कि यह ऐसा लूपहोल और लकोना छोड़ रहे हैं जिसके जरिये बोगस ट्रस्ट्स बनाकर लोग अपनी अपनी प्राईवेट प्रापर्टी को बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने सजेस्ट किया है इसमें एक तो इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए दूसरे वह 1-1-71 की मैंने तारीख रखी, इसमें 1०-8-71 रख सकते हैं जो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट आप दे रहे हैं उस तारीख से पहले एग्जिस्टेन्स में हो उनको मान लिया जाय और रजिस्टर्ड हो।

दूसरा संशोधन इस जो कहा गया है कि "Any urban property or part of the property built for the accommodation of the poorer sections of the society in accordance with the schemes approved by the Central or the State Govt."

इस बारे में मेरा संशोधन है कि इसके अंत में निम्नांकित शब्द जोड़े जायं "और जिसका संचालन अथवा अस्तित्व केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार अथवा स्वायत्त शासन संस्था अथवा किसी ऐसे संगठन, जो कि रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, के नियन्त्रण अथवा देखभाल में होता है।"

यानि ऐसी कोई बिल्डिंग बनी है उसका वही वंचित उपभोग कर रहे हैं, ऐसी सरकार की मन्शा नहीं होगी तो फिर इस प्रकार की प्रापर्टी जो सरकार की एड से बनी हो तो उसका नियन्त्रण, उसका मेन्टीनेन्स कन्ट्रोल या सरकार के हाथ में हो या लोकर अथोरिटी के हाथ मे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हो या किसी पब्लिक बोडी के हाथ में हो या रजिस्टर्ड हो ताकि कोई बोगस आदमी कन्ट्रोल कर गया है, उसी के हाथ में यह न चला जाए और इससे एग्जेम्प्ट न हो जाये। अगला संशोधन महत्वपूर्ण है। वह है हो जाये (iii) उप-खण्ड (1) के भाग (ख) के उप-भाग को निम्नांकित रूप में प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :–

(ii) जिस पर स्वयं स्वामी किसी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार या कारोबार, वैयक्तिक क्रियाकलाप, होटल, सिनेमा, प्राइवेट अस्पताल, शैक्षणिक संस्था या पब्लिक क्लब के ही प्रयोजनार्थ स्वामित्व रखता है और उसका उपयोग केवलमात्र उसके कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए निवास स्थान की सुविधा उपलब्ध करने के प्रयोजनार्थ होता हो और वे व्यक्ति उसके स्वामी, भागीदार, निर्देशक, अंशधारी और ऐसे ही अन्य व्यक्ति न हों, और ऐसी सम्पत्ति जो अतिथि गृह या ऐसे ही अन्य रूप में न तो उपयोग में लाया जाता हो न रखा जाता हो।"

(1) उप-खण्ड (2) में प्रयुक्त दोनों परन्तुक विलोपित किये जायें।"

ये जो इन्डस्ट्रीज, ट्रेड और कामर्स बिसनेस वगैरह की बात है, जो आपने जनरल स्पीच में कहा, उससे ऐसा लगता है कि आप इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा दुकान वाला, ऐसा इन्डस्ट्री वाला, ऐसा होटल जिसको कि मालिक खुद चलाते हैं। अगर उन बिल्डिंग्स को किराए पर देते हैं फिर तो कवर नहीं होते लेकिन खुद चलाते हैं तो आप उनका इसमें एग्जेम्प्शन देना चाहते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है। अगर आप एग्जेम्पशन्स देना चाहते हैं तो यह एक्सप्लेनेशन उसको निगलेक्ट करता है क्योंकि पहले पार्ट में आप कहते हैं 'ओन्ड एण्ड यूज्ड बाई दी ओनर हिम्सेल्फ फार दी एक्सक्लूजिव पर्पज आफ सो एण्ड सो। और एक्सप्लेनेशन में एक्सक्लूजिव पर्पज को एक्सप्लेन किया है :

"The urban property or any part of it, for the purpose of Sec. 4(1)(b) shall be deemed to be used for the exclusive purpose of an industry, commerce, trade or business, professional activity, hotel, cinema, private hospital, educational institution or public club, as the case may be provided it is used for providing housing accommodation to its employees and labourers, not being its owners, partners, directors. share holders and the like and not used or kept for use as a guest House or the like; and.."

तो इस एक्सप्लेनेशन से जाहिर होता है कि इसको पहले साथ में जोड़ें तो आप एक्सक्लूजिव पर्पज केवल उसी को मान रहे हैं जो अकमोडेशन कर्मचारियों को दें तो अगर यह सीमित पर्पज है तो ऊपर की पूरी क्लाज और एक्सप्लेनेशन में बेसिक कान्ट्रेडिक्शन हो जाता है। मंत्री महोदय ने अपने जनरल डिबेट में कहा कि इससे उद्योगों वगैरह को राष्ट्रीयकृत करने की हमारी मन्शा नहीं है। इसलिये हम उनको नहीं लेना चाहते हैं अब मैं कहता हूँ कि इसको एग्जेम्प्ट न करें तो उद्योग को नेशनलाइज करने का नहीं है, न डिसरप्ट करने का है। सवाल केवल बिल्डिंग का है। उद्योग किराये के बिल्डिंग्स में भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चलते हैं। यह बिल्डिंग जिसमें किसी की दुकान है, किसी का होटल है, सिनेमा है वह उसकी टोटल प्रापर्टी में शामिल कराया जाय और अगर वह टोटल प्रापर्टी में शामिल करने के बाद वह अपने आप रखना चाहें तो रखें, अगर सरकार के पास जाती है तो किराया सरकार को देंगे। कोई सिनेमा बन्द हो जाय या होटल बन्द हो जाय या उद्योग बन्द हो जाय ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि आप उसकी ओनरशिप में प्रापर्टी कितनी छोड़ना चाहते हैं वरना अगर इस क्लाज को इस तरह से छोड़ दिया गया तो बहुत बड़े लैकूनाज रह जायेंगे और जैसे माननीय सज्जनसिंहजी कह रहे थे कि आपने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, वह बात सही होगी। तो आप इस कान्ट्रेडिक्शन को एक्सप्लेन करें। इसलिए मैं अपनी तीनों अमेंडमेंट्स को एक साथ मूव करता हूँ और अन्त में एक और है जो प्रोवीजो रखा है कि पांच गुनी जमीन तक छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपने कहा है : "Provided that competent authority may on the application of the owner in suitable cases, exempt so much open land as attached to or part of the urban property as the competent authority deems necessary for the beneficial and proper enjoyment of the urban property"

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया काफी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन दोनों परन्तुकों को विलोपित किया जाए। यह मेरा संशोधन है।

श्री परसराम मदेरणा : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने खण्ड 4 में 4 संशोधन मूव किये हैं। पहला संशोधन है ट्रस्ट के सम्बन्ध में कि इन्डियन ट्रस्ट्स एक्ट के अन्तर्गत 1-1-72 से पूर्व रजिस्टर्ड हो। इसका मतलब यह होगा कि कोई भी ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड नहीं है, इन्डियन ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ट्रस्ट एक्ट तो राजस्थान का है''

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्डियन ट्रस्ट एक्ट है।

श्री गुमानमल लोढा : राजस्थान पब्लिक चेरिटेबुल और रिलीजिस ट्रस्ट एक्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान के एक्ट में भी शामिल कर सकते हैं, उसमें रजिस्टर्ड हो।

श्री परसराम मदेरणा : आपके संशोधन को मान लें तो मजाक होगी, ऐसा कोई एक्ट नहीं है। कई ट्रस्ट्स जेनुयन हैं इससे उनको वंचित रखें और जिन्होंने रजिस्टर करा लिया है, होशियार आदमी रजिस्टर करा लेते हैं और संस्थायें जो ऐसे ट्रस्ट को चलाते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उनके प्रति हास्य होगा। इसलिए मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

दूसरा जो क्लाज है (ख) (1)-जिसका निर्माण समाज के निर्धन वर्ग के लोगों की बात सुविधा के लिए केन्द्रीय या राज्य सर-

(श्री परसराम मदेरणा)
कार को अनुमोदित योजना के अनुसार किया गया हो ।"

आपका संशोधन है :

"और जिसका संचालन अथवा अस्तित्व केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्वायत्त शासन संस्था···"

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रोवीजो है। सबस्टीट्यूशन नहीं है। This is addition.

श्री परसराम मदेरणा : आपने लिखा है कि नए शब्द जोड़े जायं। जोड़ने का मतलब होगा कोई गरीब लोगों के लिए कोई प्राइवेट मकान बना लें, वह नहीं होकर केवल ऐसा संगठन जो भारत सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त शासन संस्था की हो या जो अपने को रजिस्टर्ड कराता हो रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज एक्ट के तहत और वही नियंत्रण और देखभाल करता हो तो उनको एग्जेम्पशन दिया जाए, दूसरों को नहीं।

इसका मतलब यह हुआ कि जो रजिस्टर्ड हो उनको ही एक्जेम्पट किया जाय। और वह भी 1–1–72 से पहले के हों। और उसके बाद के अगर कोई फर्म या मकान रजिस्ट्रेशन वगैरह···

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके बारे में आप कोई हाउस को एश्योरेन्स दें तो···

श्री परसराम मदेरणा : इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि समाज के निर्धन वर्ग के सुविधा के लिये निर्माण किये गये मकानों जो कि ओफिशियली बनाये गये हों जो उनको सुविधा व ओपोरचूनिटी देने के लिये रखे गये हों उनके लिये तो एग्जम्पशन रखा गया लेकिन आपने जो संशोधन रखे इसमें उन्हें मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। दूसरे जो आपने संशोधन खण्ड 4 के भाग क ख में रखे है उनमें आपने कुछ शंकायें की हैं संशोधन यह है कि

"any urban property or part of the property owned and used by the owner himself for the exclusive purpose of an industry, commerce, trade or business.....

उसके साथ आप यदि एक्सप्लेनेशन पढ़ें।

"The urban property or any part of it, for the purpose of Sec. 4 (1) (h) shall be deemed to be used for the exclusive purpose of an industry, commerce, trade or business, professional activity, hotel, cinema, private hospital, educational institution or public club as the case may be provided it is used for providing housing accommodation to its employees and labourers"

आपने जो इसमें संशोधन चाहे वह आपस में कान्ट्राडिक्ट्री होंगे और आपने चाहा कि उद्योग को एक्सक्लूजिव यूज के लिये हो उन्हें ही एग्जम्पशन दिया जाय। इसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि बिल के प्रिन्सीपल्स पर डिस्कशन के समय इस एमेण्डमेंट के सम्बन्ध में जहां तक क्लाज बो में एनी प्रोपर्टी और पार्ट आफ

(श्री परसराम मदेरणा)

दी प्रापर्टी इन्स्टीट्यूशन्स या इन्डस्ट्री का कोई भाग मालिक के पास जिसमें कि इन्डस्ट्री चल रही हो या व्यापार चल रहा हो और कुछ पार्ट में वह खुद रहा हो तो जिस भाग में वह खुद रह रहा हो वह एग्जेम्प्शन नहीं होगा लेकिन ऐसा पार्ट जिसमें उसका एम्पलोयी लेबर रहता है उसे एग्जेम्प्शन मिलेगा लेकिन अगर शेयर होल्डर्स रह रहे हों वो प्रापर्टी एग्जम्प्शन में नही आयेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन मैंने जो एमेन्डमेंट दिया उसमें केवल उसके कर्मचारियों और श्रमिकों के उपयोग के लिये ...

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन मैनेजर की बात मैंने जान कर नहीं रखी है क्योंकि जब इन्डस्ट्री चलानी हो तो उसके मैनेजर को वहीं रहने के लिये मकान की सुविधा देना जरूरी होगी। इसलिये उसको एम्पलोयी मान कर हमने उसके लिये एग्जम्प्शन रखा है और उसके लिये सुविधा नहीं रखें तो इन्डस्ट्री एफिशियेन्टली नहीं चल सकेगी। इन्डस्ट्री के मालिक को तो हमने एग्जेम्प्ट नहीं किया है। जैसे अगर एक इन्डस्ट्री का मैनेजर ठोलिया सर्किल पर रहता है उसकी इन्डस्ट्री दूर है तो इसके लिये हमको वहां पर उसे सुविधा देना पड़ेगा। यदि रैस्ट हाउसेज, इन्डस्ट्री के परपज के लिये ही यूज होते हैं और मालिक उसका उसे यूज नहीं करता है तो हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है और वह हमने एक्सप्लेनेशन में क्लीयर कर दिया है। एम्पलायीज अगर पार्ट आफ दी प्रापर्टी में रहता है और पार्ट आफ दी प्रापर्टी में मालिक रहता है तो एम्पलोयी वाली प्रापर्टी तो एग्जम्प्ट हो जायेगी और मालिक जिस पार्ट में रहता है वह एग्जम्प्ट नहीं होगी। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शंकायें व्यक्त की हैं उसके लिये मुझे भी कल रात को जब 9 बजे मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे इसमें शंकायें पैदा हुई जैसे...

"The urban property or any part of it for the purpose of Sec. 4 (1) (b) shall be deemed to be used for the exclusive purpose of an industry..."

एक्सक्लूजिव परपंज के लिये है।

"...commerce, trade or business, professional activity, hotel, cinema, private hospital, educational institution or public club, as the case may be provided it is used for providing housing accommodation to its employees and labourers."

यहां भी मालिक को एक्सक्लूड किया है इसका क्लेरीफिकेशन एक्सप्लेनेशन में किया है। इसमें लेबरर्स, एम्पलोई आदि को एग्जम्प्ट किया है। मालिक को एग्जम्प्ट नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जनरल डिबेट के समय कहा था..

श्री उपाध्यक्ष : क्या अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेते हैं या प्रेस करते हैं या मतदान करायेंगे। मन्त्रीजी के उत्तर के बाद भी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अपने एमेन्डमेन्ट को प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, खण्ड चार में श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो संशोधन दिये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड चार को स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड चार स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 5।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जो खण्ड पांच में संशोधन दिये हैं उसका मकसद यह है कि उसमें--

Restriction on acquisition of urban property in excess of ceiling limit—on and from the commencement of this Act, it shall not be lawful for any person to acquire by construction, purchase, mortgage or otherwise, any urban property except by way of inheritance, settlement or bequest from any other person or by a sale in execution of a decree or order or a civil court or of an award or order of any other lawful authority, together with the urban property which if any already owned by him exceeds in the aggregate the ceiling limit.

.... अब इस बिल में वह कवर नहीं होता है। फदर एक्वीजीशन कवर हो जाता है। लेकिन फ्यूचर इससे कवर नहीं होता है। धारा 3 में हम कहते हैं कि सीलिंग लिमिट होगी इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि इससे ज्यादा रखेगा, वह इसमें वेस्टेड है। इसको उसी प्रकार रखना चाहिये जैसा कि लैण्ड की सीलिंग में है। इसमें करस्पोंडिंग क्लाजेज हैं, उनमें स्पष्ट रखा गया है। जैसा कि 3 ई है–

"If on or after the commencement of this Act, any person acquires by inheritance, settlement or bequest from any other person or by sale in execution of a decree or other of a civil court or an award or order of any other authority any urban property or holds any urban property to which according to section 4(1)(b) the provisions of this Act does not apply but which after word does not remain to be exempted.

अलग सेक्शन में कहा गया है कि सीलिंग एरिया 30 "सी" में डिवाइड किया गया है। दूसरे में यह कहा गया है –

....then in case such properties together with the urban property if any already owned by him exceeds in the aggregate the ceiling limit he shall within three months of the date of

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
such acquisition or holding file a statement before the competent authority.

इसमें दोनों को रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। मेरा कहना है, धारा–5 है उसमें सीलिंग लिमिट तक ही रहेगा। इसलिए मैंने रि–राइट करके यह रखा है।

खण्ड 5 निम्नांकित रूप में प्रतिस्थापित किया जाये :—

5. अधिकतम सीमा से अधिक नगरीय सम्पत्ति रखने अथवा अर्जित करने पर प्रतिबन्ध –

(1) वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रवृत्त होते ही कोई भी व्यक्ति,

(अ) अपने स्वामित्व में धारा (3) की उप-धारा (1) में निर्देशित अधिकतम सीमा से अधिक नगरीय सम्पत्ति नहीं रख सकेगा। अथवा,

(ब) सन्निर्माण, क्रय, बन्धक द्वारा या अन्य प्रकार से अन्य व्यक्ति से विरासत, समझौते, या इच्छा-पत्र द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से नगरीय सम्पत्ति को इस स्थिति में अर्जित नहीं करेगा जिससे उसके स्वामित्व में नगरीय सम्पत्ति धारा (3) की उप-धारा (1) में निर्देशित अधिकतम सीमा से भी अधिक हो जाये।

स्पष्टीकरण :—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् कोई ऐसी नगरीय सम्पत्ति ग्रहण करता है जिससे लागू अधिकतम सीमा को लांघ जाये और इस सम्पति को ग्रहण करने में उस व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं है तो उस पर धारा '6' की उप-धारा (1) के प्रावधान लागू होंगे।

इस लेकूना को दूर करने के लिए ही मैं यह अमेण्डमेण्ट मूव कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, वह यह समझते हैं कि कोर्ट डिक्री या डायरेक्ट जो उनके पास आये, वह प्रोपर्टी डिफाइन न करके ऊपर ही ऊपर एक्वीजीशन कर लें। जो कुछ प्रापर्टी इस एक्ट के कमेन्समेण्ट के बाद आयेगी...

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले यह निवेदन किया गया है, जो सीमा सीलिंग की डिफाइन कर दी कि 3 लाख होगी। यह और धारा 3 में कर दिया। लेकिन धारा 3 में यह नहीं कहा है कि इस सीलिंग से ज्यादा कोई नहीं रखेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपका मतलब समझ गया। ढाई लाख की प्रापर्टी है, कोर्ट से 75 हजार और आ गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज ही 4 लाख आ गया है।

श्री परसराम मदेरणा : पर वह रख नहीं सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : धारा 3 डिफाइन करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : उसको स्टेटमेन्ट देना पड़ेगा। अगर वह फाल्स स्टेटमेन्ट देता है तो धारा 2 (2) में रखा है। एक बात कहूँ—

"If the competent authority or the Board in the course of any proceedings under this Act, is satisfied that any person has concealed the particulars of any urban property owned by him or furnished inaccurate particulars of such proprty, it may, after giving such person an opportunity of being heard in the matter, by order in writing, direct that such person shall pay by way of penalty a sum which shall not be less than, but which shall not exceed twice the amount representing the value of the urban property in respect of which the particulars have been concealed or in respect of which inaccurate particulars have been furnished"

एक्सपेक्टेड अगर मीटिंग नहीं होती है, तो विथड्रा कर लेते हैं। ऐसी प्रापर्टी अगर आती है—

(7.36 सायं)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

"If any person who is under an obligation to file a statement which he knows or has reason to believe to be false, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees."

इसका मतलब यह हुआ कि अगर वह कन्सील करता है। अगर वह फाल्स स्टेटमेन्ट देता है तो-He shall be punishable with imprisonment or fine. जो उसके क्लाजेज हैं, उनको इफेक्ट करता है — The provisions of Section 6 to 16 shall, as far as may be, apply to the statement filed under this section and to the urban property owned by such person in excess of ceiling limit.

स्टेटमेन्ट फाइल करता है, 6/18 में, मौजूदा प्रापर्टी के सम्बन्ध में—

Section 22 provides for the punishments for false statements or concealment.

यह पनिशमेन्ट है। प्रापर्टी एक्वायर करने में केसेज़ विथड्रा कर लेता है :—

within three months of the acquisition of property

उसको अपना स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। जो पर्टीक्यूलरली सेक्शन 6 के अन्दर स्थिति को प्रेस्क्राइब किया है। इस प्रकार से यह भी करने जा रहे हैं। मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपना अमेण्डमेंट विथड्रा करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I press it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 पर जो संशोधन माननीय सदस्य रामानन्द

(श्री सभापति)

अग्रवाल ने रखा है, वह स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6।

(7.39 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 6। श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 6 में वही संशोधन है, जो पहले खण्ड 3 से सम्बन्धित रखे गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप मूव करना चाहते हैं ?

श्री गुमानमल लोढा : मैं मूव तो करना चाहता हू लेकिन संशोधन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले बता दिया है।

(संशोधन निम्न प्रकार है :

"उप खण्ड (1) में शब्द "से छः मास की कालावधि के भीतर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "के 6 माह पश्चात्" प्रस्तावित की जाये")

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अगवाल : मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

लोढ़ा जी ने मूव किया है।

श्री परसराम मदेरणा : जवाब दे चुका हूं। पीछे नहीं स्वीकार किया है। कान्सिक्वेन्ट अमेन्डमेन्ट है इसलिए इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 पर जो संशोधन गुमानमल लोढ़ा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 7

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 8

मंत्री महोदय ।

श्री **परसराम मदेरणा** : खण्ड 8 में मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"विधेयक के खण्ड 8 के उप-खण्ड (1) में शब्द 'जिसने धारा 6 के अधीन विवरण फाइल किया है' के पश्चात् शब्द 'या जिसके लिए ऐसा विवरण फाइल किया जाता है; अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।"

यह शब्द इसलिये मैंने जोड़े हैं कि विवरण फाइल करने के लिये है । क्लाज 8 में किसी इन्डीविजुअल का फार्म है, जो विदेश में गया हुआ है या मैन्टली अपसेट है तो और कोई उसके बिहाफ पर फाइल कर सकता है । क्लाज में जोड़ा है कि:—

"(1) On the basis of the statement filed under sub-section (1) of section 6 and on the basis of the value, if any, determined under section 7, the competent authority shall prepare a draft statement in respect of the person who has filed the statement under section 6."

पर्सन का मतलब फेमिली से है जिसके प्रति सीलिंग है उसके बिहाफ में दूसरे ने किया तो डिटरमिन होगा और काम्पीटेन्ट अथोरिटी उस पर विचार करेगी । अमेन्डमेन्ट इसीलिये प्रस्तुत किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री ।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : मैं यह संशोधन मूव करता हूं ।

"उप-खण्ड (1) में शब्द 'मूल्य' के स्थान पर 'शब्द निर्माण की कीमत' प्रतिस्थापित किये जायं ।"

माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि कोस्ट आफ कन्स्ट्रक्शन वर्तमान की न हो, किसी भी समय बनाया हुआ हो । वेल्यु साइट की होती है । कन्स्ट्रक्शन और साइट में बड़ा डिफरैन्स है । अधिकारियों के हाथों में, पोलिटिकल डिसीजन्स करने में जो विक्टीमाइजेशन होता है उससे बचाया जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्षजी, क्लाज 8 में संशोधन रखा है और "मूल्य" की जगह 'निर्माण की कीमत' रखा है उसको स्वीकार नहीं करता हूं । जैसा पहले निवेदन कर चुका हूं। हमारा जो एप्रोच रहता है वह न तो एरिया का एप्रोच रहता है और न इन्कम का । आप यह कहते हैं कि निर्माण की कीमत वर्षों पहले लगी थी वह कीमत होनी चाहिये । निर्माण कब हुआ ?

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : कई वर्षों का नहीं है । कोस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन पी. डब्ल्यू. डी. के हिसाब से वर्तमान में हो सकती है । साइट की वेल्यू होती है ।

श्री **परसराम मदेरणा** : तीन लाख से अधिक मूल्य की न हो । 3 में आपने रखा है और आप दो लाख के मूल्य के साथ जोड़ रहे हैं। निर्माण में तो किसी के पास

(श्री परसराम मदेरणा)

डाक्यूमेन्ट्स हैं और किसी के पास नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन की वेल्युएशन के लिये कह रहा था इसको इवेड करेंगे। निर्माण भी कन्फ्यूज टर्म है। कोई व्यक्ति कहेगा कि 50 हजार रुपया नहीं लगा। यह तो व्यक्ति कह रहा है। दिखने में 4 लाख का मकान है और कह रहा है 50 हजार। इसमें बहुत एम्बीगुइटी रहती है इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में श्री भानुकुमार शास्त्री ने संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 यथा संशोधित स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड 8 यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

खण्ड 9

श्री रामानन्दजी अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड 9 में एक्वीजिशन ओफ प्रोपर्टी है। सरकार कब्जा कर लेगी। इसमें मैंने यह कहा है :

(4) Where any urban property is vested in the State Government under sub-section (3), the competent authority may by notice in writing order any person who may be in possession of it to surrender or deliver possession thereof to the State Government or to any person duly authorised by it in this behalf within thirty days of the notice

इसमें मैंने यह संशोधन रखा है :

"उप-खण्ड (4) के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय अर्थात्:–

'परन्तु यदि उक्त नगरीय सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति का एक वैध किरायेनामे के तहत पहले से ही कब्जा है तो सिवाय ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट अथवा राजस्थान भूगृहादि (किराया एवं बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत कार्यवाही के उसको बेदखल नहीं किया जायगा।'

मेरा मकसद बेटर टिनेन्ट को प्रोटेक्शन देना है। मैं अपने अमेण्डमेन्ट को मूव करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य की भावना तो बहुत ठीक है। इसमें बहुत सी पोसिबिलिटीज हैं। किसी के मकान में खराब आदमी किरायेदार रहता है। माननीय सदस्य के पास गरीब आदमी जो टिनेन्ट है वह आता है। लेकिन मैनेजर वगैरह को भी रख कर इस बिल के परपज को अवोइड कर सकते हैं। दूसरे के हाथ

(श्री परसराम मदेरणा)
में प्रापर्टी नहीं जाय और वे बैठे रहें। इसलिये फिर उसको खाली कराने का लम्बा प्रोसीजर होगा, वर्षों तक सम्पत्ति एक्वायर नहीं की जा सकेगी, किरायेदारों को बेदखल नहीं करने से। इसलिये नगरीय सम्पत्ति को लेट आउट किया जायगा। एक्वायर ही न करे और लेट आउट हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कन्स्ट्रक्टिव पोजिशन ले लें। मालिक तो बन जावेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : एक्वीजिशन के बाद प्रोपर्टी तो गवर्नमेन्ट में वेस्ट करेगी। हो सकता है गवर्नमेन्ट को किराया न दे। हो सकता है कोर्ट में करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आतिश बाजार है। सारे के सारे किरायेदार रहते हैं महारानी गायत्री देवी के। अभी तो प्रोटेक्टेड हैं, बेदखल नहीं कर सकते। गवर्नमेन्ट की प्रोपर्टी के अगेन्स्ट किरायेदार को प्रोटेक्शन नहीं है। एक तरफ हम यह अधिकार दे रहे हैं वह नल एन्ड वायड हो जावेगा अगर दूसरे किरायेदार इसको डिफीट करने के लिये करें तो कोई इकोनोमिक स्टेन्डर्ड का कर दें। इसी प्रकार करें तो उचित नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : लॉ में प्रोविजन है। गरीब लोग होंगे उनको निकालने की बात नहीं होगी। रूल्स में प्रोवाइड कर देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 9 में जो संशोधन माननीय रामानन्दजी अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 से 13 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 से 13 स्वीकार किये गये।

खण्ड 14

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 14 में मेरा संशोधन है जो इसमें उसके साथ ब्याज और मूलधन को बात की है। मैंने ब्याज वाली धारा को निकाल दिया है। मेरा संशोधन है "उप-खण्ड (1) की चौथी तथा पांचवीं पंक्तियों में से शब्द 'मूलधन और अर्जन की तारीख से 5½ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के रूप में' विलोपित किये जायें।"

दूसरे में मैंने संशोधन रखा है कि जो नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं उनकी कोई तनख्वाह या कोई चीज बकाया है तो उस प्रापर्टी का डिस्पोजल जो उनको लैण्ड दी जानी है उसमें से हो जाये। तो यह दूसरा संशोधन भी मैं मूव करता हूं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उप-खण्ड (3) में शब्द 'तृतीयत:' के स्थान पर शब्द 'चतुर्थत:' प्रतिस्थापित किया जावे तथा उसके पहले निम्नांकित जोड़ा जावे :–

"तृतीयत: उक्त व्यक्ति के नौकरी पर काम करने वाले मजदूरों या कर्मचारियों के वेतन अथवा अन्य अभ्यर्थन के भुगतान में उपभोग की जावेगी"

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है इसे मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं और इसलिए असमर्थ हूं कि सम्पत्ति जो राज्य सरकार की हो जायेगी और एक्वीजीशन हो जायेगी और उसके बाद में हम जो कुछ भी लैण्ड दे रहे हैं एक्वीजीशन की हुई वह कम्पन्सेशन तो रहा नहीं। जो कुछ दे रहे हैं वह 15 साल के बाण्ड में दे रहे हैं और बाण्ड्स भी एक्वायर जमीन का हो सकता है। बाण्ड्स बाद की तारीख के दिये जा सकते हैं इसलिए यह उचित नहीं होगा कि ब्याज नहीं दिया जाये। तीसरे मौजूदा परिस्थिति में बाण्ड्स का इसलिए रखा है कि राज्य सरकार की ऐसी वित्तीय स्थिति नहीं है कि वह रकम का इमीडियेटली भुगतान कर सके इसलिए हमने बाण्ड्स का रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाण्ड में तो संशोधन नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : शिड्यूल के अन्दर हमने बहुत कम लैण्ड एक्वीजीशन के लिए रखा है और बाण्ड्स में भुगतान किया जा रहा है और तीसरे हम सम्पत्ति के साथ में अगर ब्याज नहीं देते हैं और उसका भुगतान नहीं करते हैं और सिर्फ बाण्ड् पकड़ा देते हैं तो माननीय सदस्य स्वयं जानते होंगे कि जागीर बाण्ड्स के अन्दर ब्याज देने का प्रश्न नहीं था और हाई कोर्ट ने दो फैसलों में तय किया कि बाण्ड्स दे रहे हैं या तो मार्केट से भुगतान कर दो नहीं तो ब्याज दो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 31 (बी) में प्रोटेक्टेड है अब तो हाईकोर्ट में नहीं जा सकते।

श्री परसराम मदेरणा : हाईकोर्ट में तो अमाउन्ट के लिए नहीं जा सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ब्याज के लिए भी।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें ब्याज देना आवश्यक है इसलिए मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : इस रिप्लाई के बाद क्या आप अपने संशोधन वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहला तो स्टेण्ड करता है लेकिन दूसरा विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 14 में जो संशोधन माननीय रामानन्द जी अग्रवाल ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 14 स्वीकार किया गया

खण्ड 15

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड 15 में मेरा पहला संशोधन है :

"चौथी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'निर्धन लोगों' के पश्चात् शब्द "जो नियमों में परिभाषित किये जायेंगे" निविष्ट किये जायें।

आपने कहा कि नियम तो बनायेंगे लेकिन इसका रेफरेन्स इसकी भाषा में भी होना चाहिए। दूसरा यह है :

"इस खण्ड के अन्त में ये निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाये:—

"परन्तु यदि उक्त नगरीय सम्पत्ति पहले ही किसी गृहविहीन सम्पत्तिहीन या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या निर्धन व्यक्ति के अवैध कब्जे में हो तो उक्त व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जायेगा और आवंटन करते समय ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर आवंटन किया जायेगा"।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेंट इस तमाम बिल का जो उद्देश्य है कि हम ऐसे लोगों को सम्पत्ति देने के लिए यह सीलिंग मुकर्रर कर रहे हैं यह इसका कार्नर स्टोन है। इसका यह मतलब है कि अगर उसके लिए देना चाहते हैं तो उनको आप घोषित कर दें कि जो भी सीलिंग के ऊपर की जमीन पर या मकान पर बैठे हैं और ऐसे बैठने वाले गरीब लोग हैं और जो इस सीमा में आते हैं उनको बेदखल नहीं किया जायेगा और सरकार उन्हीं को देगी जो कि वहां रह रहे है। तो इस दृष्टिकोण से जो बिल का उद्देश्य है और जो घोषित किया गया है उसकी भावना पूरी होती है। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी गम्भीरता से इसके ऊपर विचार करें और कम से कम इसको तो आपको मंजूर करना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : इसको तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय सदस्य का जो दूसरा संशोधन है 'जो नियमों के परिभाषित किये जायें' वाला संशोधन मैं स्वीकार करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह मेटिरियल नहीं है उसको नहीं भी करें तो कोई खास बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि किन किन लोगों के लिए यूज में रखा जायेगा और इसका डिस्पोजल किस प्रकार से होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूल्स में ही जिसको आप डिफाइन करें प्रापर्टीलेस यह होगा, पूअर यह होगा।

श्री परसराम मदेरणा : जो आपका दूसरा संशोधन है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं उसको इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि इस संशोधन के मिसयूज होने की पासीबिलिटी है।

"चौथी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "निर्धन लोगों" के पश्चात् शब्द जो नियमों में परिभाषित किये जायेंगे निविष्ट किये जायें।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसको मैं स्वीकार करता हूँ और जो परन्तुक जोड़े जाने का संशोधन है इसको मैं अस्वीकार करता हू ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (15) में "चौथी पंक्ति में संयुक्त शब्द "निर्धन लोगों" के पश्चात् शब्द जो नियमों में परिभाषित किये जायेंगे," निविष्ट करने का संशोधन श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि :

"परन्तु यदि उक्त नगरीय सम्पत्ति पहले ही किसी गृहविहीन सम्पत्तिहीन या आर्थिक रूप मे पिछड़े हुए या निर्धन व्यक्ति के वैध कब्जे में हो तो उक्त व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जायेगा और आवंटन करते समय ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर आवंटन किया जायेगा"। ।

यह खण्ड 15 में जो दूसरा संशोधन माननीय सदस्य रामानन्दजी ने दिया है क्या इसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित रूप में खण्ड 15 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधित रूप में खण्ड 15 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 16

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 16। गुमानमल जी ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 16 में मेरा संशोधन है "शब्द इस अधिनियम के प्रारम्भ "व" के पश्चात "के मध्य" में शब्द व अंक "6 माह" निविष्ट किये जायें ।".

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार जी शास्त्री कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि इस बारे में जो प्रावधान है वह यह है कि--

After the commencement of this Act no person owning urban property in excess of the ceiling limit shall transfer by way of sale, mortgage gift, exchange or otherwise any urban property declared or to be declared under section 9 to be in excess of the ceiling limit.

एक तारीख जो ; हमने पहले सेक्शन 3 के अन्दर इस बात का प्रोविजन रखा है कि इस एक्ट के प्रोविजन्स को डिफिट करने के लिये कोई ट्रांसफर करता

(श्री परसराम मदेरणा)
है तो वह पर्टीक्यूलर डेट 16 अगस्त, 1971 से रिकोग्नाईज्ड नहीं होंगे। इसमें माननीय सदस्य चाहते हैं कि कमेन्समेन्ट के बाद में ही नहीं, कमेन्समेन्ट के छः महीने बाद लागू किया जाय तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर अरबन प्रोपर्टी सीलिंग के बारे में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं वे डेफर्ड हो जायेंगे मैं समझता हूं कि इस बात को इस सदन के कोई भी माननीय सदस्य, इस प्रकार संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे और न राज्य सरकार सहमत होगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी रखा गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 स्वीकार किया गया ?

(स्वीकृत)

खण्ड 16 स्वीकार किया गया।

खण्ड 17 से 27

खण्ड 17 से 27 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 से 27 स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 17 लगायत 27 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि विधेयक में उपबन्धित घोषणा को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

घोषणा स्वीकार की गई।

श्री जगमोहन सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें, इस शिडूल में जो अमाउण्ट प्रापर्टी जो ली जायेगी उसके बदले में जो अमाउण्ट दिया जायगा वह दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि वह बहुत अधिक है। यह पहला बिल है इस राजस्थान विधान सभा में जो कि आर्टिकल 31 (बी) आफ दी कांस्टीट्यूशन, प्रोटेक्टेड बाई आर्टिकल 25 अमेंडमेंट जो कांस्टीट्यूशन में हुआ है उसके तहत जो अमेन्डमेन्ट हुआ है आर्टिकल 25वें में कांस्टीट्यूशनल अमेन्डमेन्ट के द्वारा, उसके तहत यह डिक्लेरेशन करके कि हम अपने जो डायरैक्ट प्रिंसिपल हैं उनको फोलोअप करने के लिए बिल ला रहे हैं उस प्रोटेक्शन के जरिए, इसको ला रहे हैं। तो उसका मकसद यह है कि बिल्कुल नोमीनल मुआवजा नहीं बल्कि अमाउण्ट बिल्कुल नोमीनल दिया जाय। क्योंकि यह बिल प्रोपर्टीज की डिस्पेरिटीज को कम करने का है। अगर आप एक मकान को लें और उसकी कीमत दे दें तो फिर उसके अन्दर तो कोई डिस्पेरिटिज खत्म नहीं हुई। और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपने इसमें 25 परसेंट वेल्यू देने की बात कही है। मैं समझता हूं कि जो आपने प्रिंसिपल और दूसरे किन्हीं बिलों में रखा है, चाहे जागीर रिजम्प्शन बिल हो, बिश्वेदारी अबोलिशन एक्ट हो और चाहे यह भूमि की सीमा का एक्ट हो, इन सब के अन्दर जो प्रिंसिपल आपने रखा है, मैं समझता हूं कि बिश्वेदारी अबोलिशन में हमने मामूली चार गुना लगान का और उसी के ऊपर एक्वायर करलें तो यह अधिकतम भूमि के सम्बन्ध में 30 टाईम आफ लैंड रेवेन्यू, 25 टाईम आफ लैंड रेवेन्यू, 20 टाईम लैंड रेवेन्यू रखा है जो कितना बनता है। जो जमीन गंगानगर में है उसका लगान आप देखिये क्या बनता हैं। तीन बीघा जमीन का सौ डेढ़ सौ रुपया लगान बनता है जब कि जमीन की कीमत दस हजार बैठेगी।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे भी आर्थिक दशा हमारे प्रान्त को काफी पहले ही संकट में है और जब हमें कांस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मौजूद है कि जब इस तरह की प्रोपर्टी को लें तो उसमें जो मुआवजा दिया है उसके अन्दर बहुत थोड़ा है और यह जो 25वां अमेंडमेंट आया है उसका सारा मकसद ही यह है जो प्रोपर्टी ली जाय उसका एक्सचेकर पर वजन न पड़े, तो फिर यह बात समझ में नहीं आती कि इतना हैवी मुआवजा देने की बात क्यों करते हैं। दो तीन लाख से ऊपर कोई गरीब लोगों का सवाल नहीं है। तीन लाख से ज्यादा जिनकी प्रोपर्टी है उनको आप दे रहे हैं तो दस परसेंट भी अगर मान लें तो आप मान लीजिए कि जैसे जयपुर महाराजा को ही मान लीजिए। उनकी प्रोपर्टी आप लें तो उनकी प्रोपर्टी कितनी बैठेगी और उसमें अगर दस परसेंट भी लें तो आपको दो करोड़ की प्रोपर्टी का बीस लाख रुपया देना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल भी किसी तरह भी उचित नहीं है और इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, जो कुछ भी प्रोपर्टी एक्वायर की जायेगी कि सीलिंग लिमिट से ज्यादा है तो ऐसी प्रापर्टी के लिए यह अमाउन्ट है। ऐसा है कि यह एक्विजिशन है कान्फिस्केशन नहीं है। मध्यप्रदेश में भी जो बिल आया था ओरिजिनल बिल उसमें मार्केट प्राइस देने का सवाल था...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मार्केट वेल्यू दे रहे हैं तो लेना किस से है?

श्री परसराम मदेरणा : फिर वहां पर उन्होंने रूल्स में प्रोवीजन किया, लेकिन रूल्स में प्रोवीजन करने के लिए जो माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया है अगर इसको मैं स्वीकार कर लेता हूं तो करीब करीब जो है हिन्दुस्तान के संविधान के आर्टिकल 31 में संशोधन होता है। कम्पेन्सेशन वर्ड रहता है उस वक्त तक उसके कोई मायने नहीं हैं। आज इसमें 'अमाउन्ट' वर्ड जो रखा है 'कम्पेन्सेशन' की जगह यह न रख कर उसमें यह रख देते कि उसके डिस्क्रीशन पर है या बिल्कुल भी नहीं देंगे तो 3, 2, 1 और आधा पर्सेन्ट तो माननीय सदस्य ने

(श्री परसराम मदेरणा)

रखा है जैसा कि भारत सरकार ने मोटर बिल भेजा था उसमें कम्पनसेशन अमाउन्ट कहीं ज्यादा था । उसको हमने आधा रिड्यूस करके 1 लाख पर 25 परसेंन्ट, इससे ज्यादा हो एक लाख रुपया तो 20 पर्सेन्ट और उससे ज्यादा हो तीन लाख रुपये तक तो 15 पर्सेन्ट और बाकी के लिए जो कि 3 लाख से ज्यादा हो तो 10 पर्सेन्ट का रखा है । उस एमाउन्ट का निर्णय, वेलुएशन का एसेसमेंट मार्केट प्राइस पर करते हैं तो काफी संपत्ति उनकी आ सकती है । इसलिए मैं संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामानन्द अग्रवाल से) आप वापिस लेना चाहते हैं या मतदान के लिए.. .

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मतदान पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि परिशिष्ट को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

परिशिष्ट स्वीकार किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड (1) अधिनियम, सूत्र और नाम ।

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष, महोदय, खण्ड (1) में जो कमेन्समेंट की उप-धारा है उसमें मेरा संशोधन यह है–

"उपखण्ड (8) निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाय ।

(3) यह तत्काल लागू होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू से ही कहा था इसको तत्काल लागू करने में कोई भी दिक्कत नहीं है । जैसा कि इन्होंने कहा कि कमेन्समेंट जब नोटिफिकेशन करेंगे उससे होगा तो इससे इसकी बहुत सी क्लाजेज हैं जो कि फौरन प्रभावित नहीं होंगी जैसा कि सैक्शन 16 में रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो रैस्ट्रिक्शन लगाया है वह है कि रजिस्ट्रार कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे । माननीय मंत्री जी की इस कमेन्समेंट के बारे में ।

श्री परसराम मदेरणा : यह आप पहले जब प्रिन्सिपल को डिसकस कर रहे थे तब कह चुके हैं वह मेरे ध्यान में हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके बारे में क्या उत्तर है ? आपने एक समय कोई उतर नहीं दिया था ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने पहले भी यह शंका जाहिर की थी कि उसका रजिस्ट्रेशन वह बाद में करवा सकता है अगर कमेन्समेंट इसका इमीजिएटली नहीं करते तो मेरी समझ में नहीं आया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकता है । कोई भी प्रापर्टी को अगर वह इस एक्ट के प्रोवीजन को डिफीट करने के लिए ट्रान्सफर करेगा ।

(श्री परसराम मदेरणा)

16-8-71 के बाद तो वह इल्लीगल समझी जायगी। उसके बाद में ट्रान्सफर को रजिस्टर्ड कैसे करवा सकता है। एक बात।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि रूल्स के बनने में टाईम लग जायेगा तो भी प्रापर्टी को तो वह डिसपोज आफ नहीं कर सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : परचेजर माना जायगा। रजिस्ट्रार तो इन्कार नहीं कर सकता जब तक कि कमेन्समेंट हो इस एक्ट का तब तक।

श्री परसराम मदेरणा : रजिस्ट्रार इन्कार नहीं करेगा। यह आपका मानना ठीक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल । वह परचेजर माना जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : परचेजर को पता है कि बिल बन रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इसमें दिक्कत क्या है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट आने के बाद कम्पीटेंट ऑथोरिटी का जो है उसका एपाइन्टमेंट करना है और रूल्स बनाने है। रूल्स के बारे में आपकी भ्रान्ति है सरकार लम्बे अर्से तक रूल्स नहीं बनाती है। यह मैं एश्योरेन्स दे सकता हूं कि रूल्स बनाने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट से कन्सलटेशन के बाद उनकी लीगल ओपीनियन लेने के बाद इमीजियेटली बनायेगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसमें रूल्स इमीजियेटली बनाये जायेंगे। मैंने इस बात के पहले ही आदेश दे दिये हैं कि प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट आये उसके पहले पहले रूल्स बनने चाहिये लेकिन थोड़ा बहुत टाईम लग सकता है। यह भी हो सकता है कि उनके आने के साथ ही लागू कर देंगे इमीजिएटली लेकिन 2-4 दिन की देरी हो जाय तो कह नहीं सकता। रूल्स बनाने के पूर्व यह एक्ट एन्फोर्स में लाया नहीं जा सकता। इसलिए जरूरी है कि रूल्स भी एक जगह डेलीगेटेड पावर्स का जो कि मैंने शेड्यूल दिया है यह पूरे के पूरे उनके और क्लाजेज के अन्दर रूल्स बनने चाहिए और रूल्स भी कम्प्रिहेन्सिव बनने चाहिए। रूल्स पर ज्यादा मुनस्सर करेगा कि कोई भी आदमी सीलिंग को वायलेट न करें। इसलिए मैं इस संशोधन को अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी के आश्वासन के पश्चात् भी आप प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय रामानन्द जी अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियम, सूत्र और नाम स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1, अधिनियम, सूत्र और नाम स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी।

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधयक 1972 का पारण

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक 1972 को पारित किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष, मैं सिद्धान्ततः इस बिल का विरोधी नहीं हूं। मेरी इस प्रकार की मान्यता है कि एक हजार वर्ग गज जमीन और दूसरे दो लाख की कास्ट का कन्स्ट्रक्शन एट प्रजेन्ट जो मार्केट के आधार पर किया जाना चाहिये। यह बात भी इसमें जोड़ ली जाती तो यह उपयुक्त होता।

दूसरी बात रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट के बारे में जो बात कही गई है मैं उसका विरोध करता हूं, और इसलिए विरोध करता हूं कि किसी भी व्यक्ति ने अपना मकान बनाया, अपनी जायदाद बनाई और उसको मालूम नहीं था कि कभी कोई भी ऐसा समय आ सकता है कि राज्य सरकार लोगों की जमीनें छीनेंगी, राज्य सरकार लोगों की सम्पत्ति छीनेंगी। इसलिए मेरा इस प्रकार का निवेदन है कि उन लोगों को 6 महिने का मौका देना चाहिए कि 6 महीने के भीतर भीतर यह जो संपत्ति का सीलिंग लगाया गया है उसके भीतर वह अपनी जायदाद को कर लें। यदि उस समय तक जायदाद को नहीं कर पाते हैं तो जायदाद पर सीलिंग का कानून लागू होगा। इसलिए राज्य सरकार द्वारा रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट वाली बात आई है मैं उसका विरोधी हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक्वायर करने वाली बात का मैं विरोधी नहीं हूं। मैं इस बात पर निवेदन करना चाहता हूं कि जो उसके पश्चात या.........

श्री दलपत सिंह : अच्छी वकालात नहीं की है.........

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 6 महिने के अन्दर अपनी संपत्ति को जो 3 लाख की सीमा रखी हुई है उसके भीतर ले आये। अगर नहीं आती है तो राज्य सरकार को हैवी पैनाल्टी लगाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति विवश होकर अपनी जमीन एक्वायर कराये या अपने पास जो भी भूमि है, मकान है उसको डिसपोज आफ कर दे। मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन भी एक्वायर करेंगे किसी लखपति से तो वह जमीन किसी को नहीं मिलने वाली है, या लखपति का मकान जो एक्वायर करने वाले हैं वह किसी गरीब को नहीं मिलने वाला है

एक माननीय सदस्या : जमीन का बिल नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : मालदार से, लखपति से जो जमीन ली जायगी वह गरीब को मिलेगी नहीं। बड़े बड़े लोग उस पर कब्जा करेंगे। जिस प्रकार से लखपति का मकान जो राज्य सरकार इस सीमा के आधार पर लेगी उसमें गरीब रहेगा नहीं। मालदार लोग उसमें इस प्रकार से कब्जा करेंगे, या सरकार यह काम करेगी कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सरकार उन मकानों को तुड़वायेगी और स्वयं दूसरे मकान बनवायेगी, गरीबों में बांटने की बात करे तो वह दूसरी बात है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने नारा दिया 'गरीबी हटाओ' तो गरीबी तो हट नहीं सकी, लेकिन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के नाते, दूसरे डेवलपमेन्ट करने के नाते इस प्रकार से एक सीमा बांधने का या आय की सीमा बांधने का काम किया है, और प्रदेशों में होड़ लगी हुई है कि कौनसा प्रदेश आगे बढ़ता है, कौनसा प्रदेश 5 लाख करता है तो दूसरा 4 लाख करता है। एक दूसरा दल है कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि 18 एकड़ होना चाहिए तो कांग्रेस के लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया आज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग 9 एकड़ की बात करेंगे तो कांग्रेस के लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर 9 एकड़ की बात को स्वीकार करेंगे। इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आयगा कि सरकार इस प्रकार लोगों के मकानों पर कब्जा कर लेगी और गरीबी मिटेगी नहीं, और आज देश की बरबादी के चिन्ह मुझे नजर आते हैं। इसलिए मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सीलिंग एक्ट आपने यहां पर लगाया है, मैं इसका सिद्धान्ततः विरोधी नहीं हूं। लेकिन जिस सिद्धान्त के आधार पर आपने किया है, एक हजार वर्ग गज जमीन का रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से नहीं होना चाहिए। 6 महीने का समय देना चाहिए। गरीबों को जमीन मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस बिल का प्रबल समर्थक था। कितने ही वर्षों से इन्तजार था। आज जो बिल की कमियां नजर आयीं तो 3 संशोधन रखे थे। इस बिल से ज्यादा सहूलियत हो सके, यह आपने भी स्वीकार किया है। हम अनुभव से ही सीखेंगे। और, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल का कानून बनाने में देरी नहीं लगायेंगे। जैसा कि आपने आश्वासन दिया है। तुरन्त नियम बनायेंगे, तुरन्त लागू करायेंगे। ताकि जो लोग सम्पत्ति बेचकर इस बिल को डिफीट करना चाहते हैं, गरीबों को लाभ से वंचित करना चाहते हैं। उनकी यह आन्तरिक मंशा हल नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, लोग ऐसा देखते हैं कि जो हम मंजूर करते हैं, वह प्रेक्टिकल में नहीं करते हैं। आपको इसके लिए इस्तेमाली जामा पहनाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है और उसमें जो प्रस्तावना की गई है, मैं अपने दल की ओर से उसका स्वागत करता हूं। पहले

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

भी मैंने यह निवेदन किया था कि हमारे दल ने अपने गाजियाबाद सम्मेलन में ऐसा प्रस्ताव पारित किया था कि शहरी सम्पत्ति की लिमिट होनी चाहिए। उसी सिद्धान्त के अनुकूल यह प्रबल इच्छा थी कि निम्न वर्ग की, गरीब वर्ग की असमानता को समाप्त करके, समानता लाने के लिए, बीच की खाई को पाटने के लिए इस प्रकार का एक विधेयक आना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम, कल जब सत्रावसान होगा, उससे पहले हम उसको पारित कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मन्त्री महोदय को और उनकी सरकार को कि हमने इस बात का दृढ़ निश्चय किया है कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए हम सेवा का व्रत लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं हो सकता है, भाषा के अन्दर मेरा और मन्त्री महोदय ने जो बिल प्रस्तावित किया है उसमें अन्तर था। मैंने संशोधन प्रस्तुत किये लेकिन बिल की जो मूल भावना है उसके साथ हम हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमेशा जो सिद्धान्त लेकर चले हैं, आज कल मानव है, उसकी गरीबी का अभिशाप खत्म करके मानव को महा मानव बनाने के लिये हम प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। इससे राजस्थान की ढाई करोड़ जनता में नवजीवन का संचार होगा और हम अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की वास्तविक नीतियों को प्राप्त करने के लिये हमने यह प्रस्ताव वालण्टरी रखा है। सरकार की नीति यह है कि इस प्रकार की सम्पत्ति नगरीय सम्पत्ति अवाप्त की जाय। उसका उपयोग नगरीय क्षेत्र में रहने वाले गृहहीन और गरीब व्यक्तियों के लिये किया जाय जिससे कि उनको सिर छुपाने को जगह मिले। मैं इस बिल को इस उद्देश्य से लाया था। इस बिल का उद्देश्य है कि नगरीय क्षेत्र में क्रमबद्ध तरीके से उनका विकास हो सके। इसी उद्देश्य से और इसी दृष्टि से इस सदन में हम इसे लाये हैं। यह जन जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा, इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। इस एक्ट को माननीय सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिलने के लिए भेजा जायेगा और उसके बाद मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी इस कानून को राजस्थान में लागू किया जायेगा। यहां पर हवामहल से आनेवाले माननीय सदस्य ने इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू करने की बात कही है। अभी मैंने निवेदन किया है, उसे मैंने अस्वीकार किया है। इसी प्रकार गाजियाबाद के प्रस्ताव की भी बात कही गई है। इसी प्रकार से एक अन्य माननीय सदस्य ने भी कहा है। लेकिन इस सदन मे सभी क्लाजेज समाप्त हो चुके हैं। इसमें यह नहीं हो सकता है कि किसी भी प्रकार हम थर्ड रीडिंग में चेन्ज स्वीकार कर सकें। अगर यह स्वीकार होता है तो उससे इस अधिनियम की पूर्ति नहीं होगी और जैसा कि लोगों को हम फायदा पहुंचाना चाहते

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं उसके उपयोग से और फायदे से वह वंचित रह जायेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि इस बिल में परिवर्तन करने के बाद पारित करने का प्रस्ताव मैंने रखा है, उसको सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 को मय संशोधनों के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक मय संशोधनों के स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 27-5-72 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर रात्रि के 8 बजकर 28 मिनट पर सदन की कार्यवाही दि. 27-5-72 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या—802 की सूची

जयपुर स्थित कार्यालयों की सूची जो निजो भवनों में स्थित हैं।

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	मासिक किराया	मकान मालिक का नाम
1	2	3	4
1.	निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर महाराजा संस्कृत कालेज	646) रु. प्रतिमाह 78) ,,	श्री जयसिंह राठौड़ देवस्थान विभाग
2.	निदेशालय भेड़ व ऊन, जयपुर	1137) ,,	श्री तुलसीदास भार्गव
3.	जिला भेड़ व ऊन कार्यालय, जयपुर	239) ,,	श्रीमती गीतादेवी
4.	भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान (होस्टल) जयपुर	292) ,,	श्री मालीराम खंडेलवाल
5.	निदेशक, स्याकन विभाग (सिंचाई)	350) ,,	श्री मोतीलाल ढाबी (राज्य अतिरिक्त एस. पी. सेवा)
6.	मुख्य लेखाधिकारी राज. जयपुर	600) ,,	श्रीमती गायत्री देवी
7.	निदेशक नागरिक सुरक्षा एवं महा समादेष्टा गृह रक्षक दल जयपुर	698) ,,	श्रीमती कमला कुमारी
8.	सचिव, राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल	800) ,,	श्री जगन्नाथ पुरोहित
9.	सचिव, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा चयन आयोग जयपुर	900) ,,	मेजर फतेहसिंह
10.	निदेशक, भाषा विभाग, जयपुर	538) ,,	श्री नवरतन वर्मा (रि० आर. ए. एस.)
11.	निदेशक, कालेज शिक्षा, जयपुर (दो कार्यालय)	1090) ,,	1. श्री एन. एन. मिश्रा 2. श्री एल. एन. सरकार
12.	क्षेत्रीय उप-श्रम आयुक्त, जयपुर	160) ,,	श्री पी. एल. राय
13.	मुख्य नगर नियोजन एवं वास्तु विधिक परामर्शदाता	930) ,,	श्री जयसिंह तथा साझीवर

1	2	3	4	5
14.	ग्रामीण हैल्थ ट्रेनिंग सेन्टर	258)	रु. प्रतिमाह	डा. के. एन. हल्दिया (राज्य सेवा)
15.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, मय (12 अधीनस्थ कार्यालय एवं संस्था) जो निम्न हैं:--	1020)	,,	श्री रघुनाथ सिंह
	1. जिला कार्यालय जयपुर	490)	,,	श्री एम. पी. वशिष्ट
	2. अनुसूचित जनजाति छात्रावास	400)	,,	श्रीमती वी. सोहनलाल पुरोहित
	3. अनुसूचित जाति छात्रावास	450)	,,	श्री बी. एल. अजमेरा
	4. विमुक्त जाति छात्रावास	300)	,,	श्रीमती प्रेमलता देवी
	5. जिला आश्रय गृह महिला	318)	,,	श्री हरिनारायण
	6. शिशु गृह	230)	,,	श्री बालूसिंह
	7. सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र	64)	,,	श्री गोपालदास गिरधारीलाल
	8. बेगर होम	245)	,,	श्रीमती योगेन्द्रकुमारी
	9. बालक गृह	453)	,,	श्रीमती ज्योती सिन्हा
	10. बालिका गृह	651)	,,	श्री एस.के.एल.माथुर
	11. बाल गृह	536)	,,	श्री आर. एन. माथुर
	12. स्पेशल स्कूल	किराया तय नहीं हुआ है		श्रीमती प्रेम शर्मा
16.	निदेशक, पर्यटन विभाग जयपुर (मुख्य कार्यालय)	825)	रु. प्रतिमाह	श्री आर.एल.कुमार
17.	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय	559)	,,	श्री भूपाल सिंह शेखावत (राज्य सेवा) निरीक्षक सह. समितियां
18.	नियोजक सेवा निदेशालय	980)	रु. प्रतिमाह	श्री किशनपुरी रिटायर्ड आई. ए. एस.
19.	जज लेबर कोर्ट	514)	,,	श्री रामप्रसाद व्यास एडवोकेट

1	2	3	4	5
20.	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग			
	1. नगर खण्ड, जयपुर	1275)	६. प्रतिमाह	श्री हरि सिन्हा
	2. नगर उपखण्ड, जयपुर	108)	,,	श्री जुगल किशोरसिंह खन्ना
	3. नगर जिला खण्ड, जयपुर	398)	,,	श्री मेघराज सिंह
	4. उप खण्ड प्रथम	500)	,,	श्री टी. एन. जोशी
	5. सर्वे एण्ड ड्रेनेज खण्ड	325)	,,	श्री शिव बिहारी तिवाड़ी
	6. सर्वे एण्ड ड्रेनेज उप खण्ड	215)	,,	,,
22.	मुख्य वन संरक्षक			
	1. कार्यालय मंडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी	415)	,,	श्री सेहूराम शर्मा
	2. उप वन संरक्षक राज. व्यापार मण्डल	300)	,,	श्री कृष्ण कुमार
	3. वन संरक्षक राज व्यापार मंडल वृत्त	454)	,,	श्री रामप्रसाद कायल
	4. उप वन संरक्षक संसाधन सर्वेक्षण मंडल	327)	,,	दया प्रसाद माथुर
22.	पंजीयक सहकारी समितियां (दो कार्यालय)	1028)	,,	1. श्री आर.एस.भटनागर 2. श्री वखतसिंह
23.	आयुक्त वाणिज्य कर विभाग	1500)	,,	ठा. हरनाथसिंह
	1. उपायुक्त प्रशासन	600)	,,	श्री जी. एस. माथुर
	2. उपायुक्त प्रशासन एन्टीइवेजन	475)	,,	श्री रामनारायण चौधरी
	3. उपायुक्त अपील 1 व 11	379)	,,	श्री एन.एल.जोशी एडवोकेट
	4. वाणिज्य अधिकारी विशेष क्षेत्र	1115)	,,	श्रीमती गोपीबाई
	5. ,,	2550)	,,	श्री जे.एस. माथुर (स्वर्गीय)
24.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग			
	1. यातायात संगठन	593)	,,	डा. एन. डी. माहेश्वरी (प्रा. प्रेक्टीशनर)
	2. बी.सी. जी. कार्यालय	190)	,,	श्री रावबहादुर केशरीसिंह
	3. अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी	210)	,,	श्री नारायण शर्मा

1	2	3	4	5
	4. अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी (स्टोर)	75)	रु. प्रतिमाह	श्री भंवरलाल सनाढ्य (राज्य सेवा स. अभि. आर. टी. ओ. कार्यालय)
	5. सहायक निदेशक मलेरिया	637)	,,	डा. बी. एल. असावा (राज्य सेवा) लेक्चरार एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर
25.	विद्युत निरीक्षक कार्यालय	250)	,,	
26.	सहायक विद्युत निरीक्षक कार्यालय	250)	,,	श्रीमती चिरंजी देवी चौधरी
27.	मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग			
	1. अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजपथ 1	400)	,,	श्री शिवनारायण सिंह बरवाड़ा
	2. सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय राजपथ 1 उपखण्ड	200)	,,	,,
	3. अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजपथ–2	600)	,,	श्री भगवतसिंह बरवाड़ा
	4. अधिशासी अभियन्ता ई. एस. आई. खण्ड	669)	,,	श्री विष्णुदत्त शर्मा (स्वर्गीय)
28.	निदेशक एन. सी. सी. जयपुर			
	1. 11 राज बटालियन	638)	,,	श्रीमती सदन कंवर
	2. 14 राज बटालियन	338)	,,	श्री भरत सिंह
	3. 2 राज आर्टीलरी बैटरी	199)	,,	श्री रणजीत सिंह
	4. 1 राज गर्ल्स एन. सी. सी. व 1 राज आर्मंड स्क्वाड्रन	900)	,,	श्रीमती ज्ञानवती देवी
29.	निदेशक, उद्योग व रसद विभाग	2007) 75	,,	1. श्रीमती शकुन्तला देवी 2. राजा गोविन्द राजसिंह 3. महाप्रबन्धक एस. एम. एस. इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन

Page No. 183

[redacted]

1	2	3	4	5
30.	निदेशालय पशुपालन विभाग			
	1. मत्स्य विकास अधिकारी जयपुर एवं सहायक अभियन्ता मत्स्य	400)	रु. प्रतिमाह	श्री नागरमल पुरोहित
	2. पशु चिकित्सालय, जयपुर (उत्तर)	112)	,,	श्री चन्द मानसिंह
	3. मत्स्य परियोजन अधिकारी रामगढ़ मु. जयपुर	275)	,,	श्री हमीर सिंह
	4. उपनिदेशक पशु माता उन्मूलन योजना (भन्डार हेतु)	175)	,,	श्री बी. एल. श्रीवास्तव (राज्य सेवा, जज ट्रान्सपोर्ट ट्रिब्यूनल)
	5. पशुपालन अधिकारी पूर्व व पश्चिम एवं चल पशु चिकित्सा इकाई जयपुर पूर्व एवं पश्चिम		किराया निर्धारित नहीं हुआ।	श्रीमती सुगन कंवर
31.	निदेशक, कृषि विभाग			
	1. जिला भू-संरक्षक अधिकारी	480)	,,	श्री के. डी. मित्तल
	2. ,, (फार्म)	258)	,,	श्री परमेश्वरदत्त माथुर वकील
	3. उप निदेशक, कृषि विभाग (दो कार्यालय)	550)	,,	1. श्री पी. सी. सींघवी (राज्य सेवा) लेक्चरार
		291)	,,	अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र।
				2. श्री यशोदेव शर्मा (राज्य सेवा) सचिव, रा. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
	4. जिला कृषि अधिकारी	70)	,,	देव स्थान विभाग
	5. परियोजना अधिकारी कृषि विभाग	250)	,,	श्रीमती पुष्पलता शर्मा

परिशिष्ट 2

स्थगित प्र. संख्या 491 की सूची

राजस्थान वन विभाग में विभिन्न सेवा संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों तथा आदिवासी भीलों की जिलेवार सूची (क)

क्रम संख्या	नाम जिला	राज्य सेवा संवर्ग		अधीनस्थ सेवा संवर्ग		मंत्रालयिक सेवा संवर्ग		चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग	
		कुल सं.	आदिवासी भीलों की संख्या	कुल सं.	आदिवासी भीलों की संख्या	कुल सं.	आदिवासी भीलों की संख्या	कुल सं.	आदिवासी भीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जयपुर	24	—	145	—	130	—	252	—
2	अजमेर	2	—	35	—	16	—	105	—
3	भरतपुर	4	—	48	—	18	—	112	—
4	अलवर	3	—	39	—	7	—	121	—
5	सवाई माधोपुर	3	—	33	—	7	—	64	—
6	उदयपुर	11	—	266	2	59	—	267	44
7	चित्तौड़गढ़	7	—	236	1	41	—	208	3
8	कोटा	16	—	133	—	60	—	143	8
9	गंगानगर	3	—	72	—	27	—	88	—
10	टौंक	1	—	25	—	12	—	129	—
11	बूंदी	2	—	59	3	16	—	112	—

12—बारां	1	—	67	—	18	—	80	1
13—पाली	2	—	58	—	18	—	105	1
14—बीकानेर	1	—	15	—	17	—	45	—
15—चूरू	1	—	10	—	9	—	27	—
16—जोधपुर	7	—	64	—	40	—	137	7
17—बांसवाड़ा	2	—	115	3	35	—	191	21
18—डूंगरपुर	1	—	25	12	5	2	119	54
19—झालावाड़	2	—	53	1	11	—	103	15
20—सिरोही	3	—	80	1	20	—	131	9
2 —नागौर	1	—	34	—	15	—	53	—
22—जालौर	1	—	34	—	12	—	42	—
23—भारत सरकार में प्रति नियुक्ति पर	3	—	—	—	—	—	—	—
	101	—	1646	23	59[illegible]	2	2634	163

राजस्थान वन विभाग में गत 5 वर्षों में विभिन्न सेवा संवर्गों में
नियुक्त कर्मचारियों तथा आदिवासी भीलों की जिलेवार सूची (ख)

नाम जिला	राज्य सेवा संवर्ग		अधीनस्थ सेवा संवर्ग		मंत्रालयिक सेवा संवर्ग		चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	
	कुल नियुक्त	आदिवासी भील	कुल नियुक्त	आदिवासी भील	कुल नियुक्त	आदिवासी भील	कुल नियुक्त	आदिवासी भील
1. जयपुर	–	–	56	–	18	–	24	–
2. अजमेर	–	–	1	–	2	–	17	1
3. उदयपुर	2	–	29	2	15	–	72	6
4. बांसवाड़ा	–	–	15	3	–	–	25	5
5. भरतपुर	1	–	8	–	2	–	56	–
6. कोटा	7	–	48	–	16	–	51	8
7. गंगानगर	–	–	26	–	7	–	75	–
8. टोंक	–	–	–	–	5	–	23	–
9. बून्दी	1	–	42	–	3	–	9	–
10. बारां	–	–	2	–	2	–	13	1
11. बीकानेर	–	–	–	–	6	–	24	–
12. झालावाड़	–	–	9	–	10	–	27	2
13. चूरु	–	–	–	–	2	–	28	–
14. जोधपुर	–	–	15	–	6	–	205	7
15. चित्तोड़गढ़	–	–	18	–	8	–	65	1
16. डूंगरपुर	–	–	–	–	–	–	20	13
17. सिरोही	2	–	41	–	7	–	39	1
18. नागौर	–	–	1	–	–	–	2	–
19. सवाई-माधोपुर	1	–	9	–	2	–	6	–
योग	14	–	320	5	111	–	781	45

परिशिष्ट 3

स्थगित प्रश्न संख्या 516 की सूची

गंगानगर जिले में गंग कैनाल व भाखरा कैनाल प्रोजेक्ट में पानी चोरी के सन् 1960 से 1971 तक मुकदमात दर्ज हुए–

सन्	पानी चोरी के मुकदमे गंगानगर जिले में दर्ज हुए		पाइप द्वारा		मुकदमात जो चालान हुए		संख्या मुलजिमान जिनको सजा हुई		मुलजिमान को कितनी कितनी सजा हुई		संख्या मुकदमात जेर तफतीश पुलिस		संख्या मुकदमात को नहर विभाग की पैरवी की कमी से खिलाफ		संख्या मुकदमात जिन के बारे में अभी नहर विभाग में इन्कवायरी चल रही है		राज्य सरकार द्वारा नहर को भविष्य में पानी चोरी रोकथाम के बारे में प्रस्तावित	विवरण
	गंग क. प्रोजेक्ट	भाखरा कैनाल प्रो.	गंग क. प्रोजेक्ट	भाखरा के. प्रो.	गग कैनाल प्रो.	भाखरा के. प्रो.	गग के. प्रो.	भाखरा के. प्रो.	गग के. प्रो.	भाखरा के. प्रो.	गग क. प्रो.	भाखरा क. प्रो.	गग के. प्रो.	भा. के. प्रो.	गंग के. प्रो.	भा. के. प्रो.		
1967	50	30	4	–	31	18	1	2	विवरण प्राप्त नहीं	विवरण प्राप्त नहीं	–	–	–	7	–	–		
1968	62	69	8	–	39	33	1	5	,,	,,	–	–	–	19	–	–		
1969	58	48	1	–	34	18	2	8	,,	,,	–	–	–	1[illegible]	–	–		
1970	53	2[illegible]	4	–	31	12	–	–	,,	,,	–	–	–	–	–	–		
1971	53	39	4	–	25	12	–	–	,,	,,	2	–	–	–	–	–		
योग	276	210	21	–	160	93	4	15	–	–	2	–	–	36	–	–		

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

युवक बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं

804. **श्री रामेश्वरलाल चौधरी** (नादा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या किसी अशिक्षित व्यक्ति को युवक बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) युवक बोर्ड के सदस्यों की न्यूनतम शिक्षा का क्या माप दण्ड रखा गया है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) युवक बोर्ड के गठन का प्रश्न

(2) सरकार के विचाराधीन है।

बाड़मेर तहसील के ग्रामों को पीने का पानी

805. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर तहसील के ग्राम (1) सोनड़ी (2) बैसालाआगोर (3) सुरा (4) कनोडा (5) केरावा (6) सोखरू (7) मलवा (8) जायडू (9) बसरा (10) इन्द्रोही (11) चौथिया (12) लाबराउ में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है या बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और है तो खारा है? यदि हां, तो उपरोक्त ग्रामों में पानी उपलब्ध कराने हेतु राज्य की क्या योजना है?

(2) क्या उक्त ग्रामों को पानी नल कूप नींबला से आकली और थूम्बली की स्वीकृत योजना को आगे बढ़ा कर सोनड़ी, बैसाला आगोर, सुरा, नोद, इथावेरी, मलवा, सोखर, इन्द्रोई, जायड, बसरा, कनौडा, केरावा ग्रामों को पानी पहुँचाया जा सकता है या नीबला कुए से नई जल प्रदाय योजना का सर्वे करा कर?

(3) उक्त योजना की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जी हां, योजना बनाये जाने के लिए आदेश दिये जा रहे हैं।

(2) स्वीकृत योजना को आगे बढ़ाकर पानी पहुँचाना सम्भव नहीं होगा, नई जल प्रदाय योजना की सर्वे किये जाने के लिए आदेश दिये जा रहे हैं।

(3) अभी योजना बनाई जा रही है।

राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की आयु में फेर बदल

806. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 10 वर्षों में राज्य के कितने राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित कर्म-

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

चारियों की आयु में फेर-बदल की गई है? ऐसे कितने और मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश में राजपत्रित अधिकारियों की आयु में ही कमी की गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के आधार पर 13 राजपत्रित अधिकारियों एवं 74 अराजपत्रित कर्मचारियों की आयु में फेर बदल किया गया है। इसके अतिरिक्त 7 राजपत्रित कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

समाचार समितियों व न्यूज एजेन्सियों को राशि देने का आधार

807. श्री **शंकर लाल** (पाली), **श्री ज्ञानसिंह** (भादरा) एवं **श्री भीमराज** (नोहर) : क्या जनसम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार किन किन समाचार समितियों व न्यूज ऐजेन्सियों को कितना रुपया प्रतिमाह देती है?

(2) यह राशि किन नियमों के तहत व किस आधार पर दी जाती है?

उत्तर

(1) वांछित सूचना साथ में संलग्न है

(2) इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है किस समाचार ऐजेन्सी को कितना मासिक शुल्क दिया जाय इसका निर्णय समाचार समिति की प्रमाणिकता और उपयोगिता को देख कर किया जाता है।

विभाग द्वारा सम्बन्धीमान की जा रही समाचार समिति को सूची

क्रम सं.	समिति का नाम	दर प्रतिमाह
1	पी. टी. आई.	2000.00
2	यू. एन. आई	1500.00
3	हिन्दुस्तान समाचार	1500.00
4	समाचार भारती	500.00
5	ए. एन. एफ.	500.00
6	नाफेन	100.00
7	फोरन न्यूज एण्ड फीचर्स	500.00

करड़ाभाव ग्रेवल सड़क पर कार्य करने वाले मजदूरों को भुगतान

808. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत करड़ा-भाव ग्रेवल सड़क पर लगे 15 गैंगों के मजदूरों की वास्तविक कार्य के आधार पर ता. 1-8-70 से 15-8-70 तक आखरी सप्ताह की मजदूरी का भुगतान करना शेष है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मजदूरों द्वारा शिकायत करने पर सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिकारी के द्वारा उक्त कार्य की जांच कराई थी ? अगर हां, तो क्या और वास्तविक कितनी मजदूरी का भुगतान करने का तखमीना बनाया गया तथा मजदूरी का भुगतान अभी तक क्यों नहीं कराया गया है ? अब उपरोक्त बकाया का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत करडा—भाव ग्रेवल सड़क पर 1—8—70 से 15—8—70 तक अनाधिकृत रूप से—कहीं कहीं काम किया है।

(2) जी हां। मजदूरों द्वारा शिकायत करने पर सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिकारी के द्वारा उक्त कार्य की जांच कराई गई। उक्त अधिकारी नें बोरोपिट्स के आधार पर 60 प्रतिशत टास्क के अनुसार राज्य सरकार यदि उचित समझे तो भुगतान करने के लिए कहा था। भुगतान इसलिए नहीं कराया गया कि यह सारा कार्य अनाधिकृत था और स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं था।

सुमेरपुर के पास दो व्यक्तियों की कार में हत्या

809. श्री माणकचन्द सौगानी (अजमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तारीख 29—4—1972 को अजमेर के श्री अविनाश कुमार दुबे व श्री अखिलेश कुमार दुबे की हत्या हुई और जिस कार में वे सफर कर रहे थे वह कार भी अभी तक नहीं मिली और हत्यारे लोग गाड़ी लेकर भाग गये ?

(2) क्या यह हत्या सुमेरपुर (जिला पाली) के पास हुई है, जैसा कि एफ. आई. आर. से मालूम होता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

सरकारी कर्मचारियों के प्रति नियुक्तियां

810. श्री सुखलाल सेणचा (जैतारण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि किसी भी कर्मचारी को एक ही संस्था में लगातार तीन व पांच वर्षों से अधिक

(श्री सुखलाल सेणचा)

नहीं रखा जाय ? यदि हां, तो जो निरीक्षक (ग्राडिट) एवं (कार्यकारी) तीन वर्ष से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर हैं, क्या उन सभी के बारे में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली है ? यदि नहीं, तो बिना अनुमति क्यों प्रतिनियुक्ति पर वे कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

जी हां, आदेशानुसार एक ही संस्था में लगातार पांच वर्ष से अधिक समय प्रतिनियुक्ति पर रखने के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होगी । अतएव जो कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन सभी को राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नाथद्वारा तहसील के अभावग्रस्त ग्राम

811. **श्री मनोहरलाल कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नाथद्वारा तहसील के कितने गांव खरीफ की फसल में अभावग्रस्त हुए ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जिलाधीश उदयपुर ने उक्त गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने की सिफारिश की है ? यद हां, तो उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यही गांव पाला पड़ने और पानी की कमी के कारण अभावग्रस्त रहे हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इनके लिए कोई अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नाथद्वारा तहसील के 6 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल में खराबा पाया गया । ये 6 ग्राम लोसिंह, अमराजी का गुडा, श्री मालियों कडोन, मोरियों की कडिया, बोर का कुआ व घोड़च हैं ।

(2) जिलाधीश, उदयपुर ने नाथद्वारा तहसील के 12 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने की सिफारिश की थी, किन्तु केवल 6 गांवों में 50 प्रतिशत खराबा होने के कारण एवं तहसील की स्थिति सामान्य होने के कारण इन्हें अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया ।

(3) जी नहीं । फसल रबी में जिलाधीश ने तहसील नाथद्वारा के कुछ 10 में 8 आने से अधिक खराब होना बताया । इतने से गांवों के लिये किसी प्रकार के सहायता कार्य खोलने की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती–क्योंकि अभावग्रस्त लोगों को अन्य सामान्य क्षेत्रों में रोजगार मिल सकता है और अत्यन्त प्रभावित लोगों को क्रेश योजना एवं केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राहत मिल सकती है ।

अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

812. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने 1971 में यह फैसला किया था कि किसी

(श्री केदारनाथ)

भी अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति नहीं की जायेगी एवं किसी भी पहले से पुनर्नियुक्त सरकारी अधिकारी के पुनर्नियुक्ति काल को बढ़ाया नहीं जायेगा तथा किसी भी पुनर्नियुक्त सरकारी अधिकारी को 58 वर्ष की उम्र के बाद सरकारी नौकरी में नहीं रहने दिया जायेगा ?

(2) क्या सरकार ने पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी अपनी नीति के अपवाद-स्वरूप 1971-72 के वर्ष में किन्हीं अवकाश प्राप्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो किन किन की पुनर्नियुक्ति किन पदों पर किस तारीख से कितनी अवधि के लिये कितने वेतन पर की गई तथा पुनर्नियुक्ति के समय उनकी उम्र कितनी थी ?

(3) क्या 1971-72 में पुनर्नियुक्त किये गये किसी भी अवकाश प्राप्त अधिकारी की पुनर्नियुक्ति पहले भी की जा चुकी थी ? यदि हां, तो किस किस की पुनर्नियुक्ति पहले कब किन किन पदों पर, कितनी अवधि के लिए कितने वेतन पर की गई थी तथा पुनर्नियुक्ति की अवधि को कब कब, कितने समय के लिये बढ़ाया गया ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील आहोर के गांवों में पेयजल का अभाव

813. श्रीमती समुद्र कंवर (आहोर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील आहोर जिला जालोर के गांव बावड़ी सांडन, कोटड़ा, चांगाडी आदि में पेय जल का अभाव है ? यदि हां, तो उन गांवों के लिये क्या योजना बनाई जा रही है ?

उत्तर

जी हां, अभी तक इन गांवों के लिये योजना बनाई नहीं गई है, योजना बनाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

ट्रेक्टर्स के साथ दिये जाने वाले उपकरण

814. श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रेक्टर्स के विक्रय के साथ दिए जाने वाले उपकरणों व उपकरणों से सम्बन्धित अन्य सामग्री के सम्बन्ध में किस किस फर्म एवं व्यक्ति को क्रय एवं विक्रय हेतु एजेन्सी दी हुई है ? कृपया ऐसे व्यक्ति एवं फर्म से व उनके पार्टनर्स के नाम मय पते सहित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) इन फर्म्स एवं व्यक्तियों से किस किस वर्ष में किस किस मूल्य से सामान का क्रय विक्रय किया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर ने अभी तक मैसर्स जे. के. फार्म इक्विप्मेन्ट, मंडावा हाऊस, जयपुर को निगम द्वारा निर्मित ट्रेक्टर चालित उपकरणों एवं उनसे सम्बन्धित अतिरिक्त

(कृषि मंत्री)

कलपुर्जो (स्पेयर पार्ट्स) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में विक्रय हेतु एजेन्सी दी है। इस फर्म के हिस्सेदारों के नाम एवं पते निम्न प्रकार से हैं :–

1–श्री एस. के. जैन पुत्र श्री डी. आर. जैन ज्योति सदन, गौतम मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

2–श्री एस. एल. खन्ना पुत्र श्री आर. एल. खन्ना 100 बी. मीरा मार्ग बनी पार्क, जयपुर।

(2) अभी तक उक्त फर्म द्वारा कोई भी उपकरण या उपकरणों से संबंधित अतिरिक्त कल पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) नहीं उठाये गये हैं।

भूतपूर्व राजाओं की सम्पत्ति

815. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भूतपूर्व राजाओं की सम्पत्ति संविधान के 25वें संशोधन द्वारा 'रूलरशिप' समाप्त कर देने के कारण राज्य सरकार में स्वतः ही निहित हो गई है इसका क्लेरीफिकेशन पूछा है? यदि हां, तो यह पत्र कब लिखा गया था? कृपया उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार की स्वयं की इस सम्बन्ध में क्या मान्यता है?

(3) क्या राज्य सरकार ने संविधान में 25वें संशोधन के स्वीकार होने के बाद ऐसी किसी सम्पत्ति को, जिसको राज्य सरकार अपने अन्दर निहित समझती है, अपने अधिकार में लिया है? यदि हां, तो कौन कौन सी? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि संविधान में 25 वें संशोधन के बाद भी भूतपूर्व राजा लोग उस सम्पत्ति को बेच रहे हैं जो उनके कब्जे में है लेकिन जिस पर अब उनका स्वामित्व का अधिकार नहीं रहा? क्या राज्य सरकार ने ऐसे बेचान को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार को पत्र दिनांक 11-4-72, 8–4–72 व 10-5-72 को लिखा गया था।

(2) कानूनी सलाह ली जा रही है तथा भारत सरकार की राय भी प्राप्त की जा रही है।

(3) मामला अभी विचाराधीन है। भारत सरकार से स्पष्टीकरण आने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) भूतपूर्व राजाओं द्वारा सम्पत्ति के बेचान के कुछ मामले राज्य सरकार को ज्ञात हैं। राज्य सरकार ने शहरी भूमि एवं सम्पत्ति के 1–1–72 के बाद के बेचानों को कोई मान्यता नहीं देने का प्रावधान

(मुख्य मन्त्री)

इस सम्बन्ध में विधान सभा में प्रस्तुत विधेयक में रखा है। राज्य सरकार ने जिलाधीशों को भी किसी बेचान के सम्बन्ध में शीघ्र सूचना देने के निर्देश दिये हैं। कृषि भूमि, जो निर्धारित सीमा से अधिक है, के बेचान पर भूतपूर्व राजाओं को नोटिस दिये हैं।

करौली नगर की जल योजना

816. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) करौली नगर में जल योजना का कार्यक्रम कब चालू किया गया ?

(2) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

(3) अब तक इस योजना पर कितना व्यय हो चुका है ?

(4) इस योजना को चालू करने में देरी का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) करौली नगर जल योजना का कार्यक्रम सन् 1968–69 में चालू किया गया है।

(2) जल योजना पर वित्तीय वर्ष 1972–73 तक कुल रुपये 11,63,000/– राशि स्वीकृत की गई है।

(3) जल योजना पर अप्रेल 1972 तक कुल रुपया 9,29,118/– व्यय हो चुका है।

(4) योजना को चालू करने में विद्युत कनेक्शन पम्पिंग सेट प्राप्त होने हैं उनको लगाना शेष है।

लघु उद्योगों को सहकारिता के आधार पर चलाने की स्वीकृति

817. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौडगढ़ जिले में कौन कौन से लघु उद्योग सहकारिता के आधार पर चल रहे हैं ?

(2) इन उद्योगों की विनियोग पूंजी कितनी है ?

(3) इस वर्ष सरकार द्वारा कितने नये लघु उद्योगों को सहकारिता के आधार पर चलाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी ?

उत्तर

(1) चित्तौडगढ़ जिले में 22 लघु उद्योग सहकारिता के आधार पर चल रहे हैं। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) इन औद्योगिक सहकारी समितियों की विनियोग पूंजी 553844 है।

(3) सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 817 की सूची

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	सहकारी समिति		संख्या समितियां
1.	सर्विस सहकारी समितियां		9
2.	ताड़ गुड़ उत्पादक सहकारी समितियां		1
3.	तेल घाणी	"	11
4.	साबुन	"	1
5.	कत्था	"	1
6.	दाल चावल	"	2
7.	पत्थर	"	2
8.	बांस टोकरा	"	1
9.	काष्टकला वस्तु	"	2
10.	केलिको रंगाई छपाई उत्पादन सहकारी समिति		2
11.	चर्म	"	13
12.	ईंट चूना भट्टा	"	2
13.	कुट्टी	"	1
14.	हाथ कागज	"	1
15.	कुम्हारी बर्तन	"	2
16.	लोह यन्त्र	"	1
17.	ताम्बा पीतल	"	1
18.	दरी गलीचा	"	1
19.	गुड खांडसारी	"	8
20.	चीनी	"	1
21.	वन श्रमिक सहकारी समितियां		7
22.	जिनिंग क्वाटर (काटन)		1

डिग्री व डिप्लोमा होल्डर बेरोजगार इंजीनियर

818. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने डिग्री व डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर बेरोजगार हैं और उनमें कितनों के नाम मैन पावर कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं ? इनमें कितने फर्स्ट क्लास डिग्री होल्डर हैं ?

(2) उपरोक्त बेरोजगार इंजीनियर्स में से कितनों को बेरोजगार भत्ता मिलता है ?

(श्री पी.के. चौधरी)

(3) जिनको भत्ता मिलता है क्या उनको घर बैठे ही भत्ता दिया जाता है या इनसे कोई काम लिया जाता है? यदि काम लिया जाता है, तो किस प्रकार ?

(4) उन बेरोजगार इंजीनियर्स को, जिनको कि भत्ता मिलता है, सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में भर्ती करने की सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) बेरोजगार इंजीनियर (डिग्री एवं डिप्लोमा होल्डर्स) के बारे में कोई गणना तो नहीं की गई है परन्तु राज्य के भिन्न भिन्न नियोजन कार्यालयों में चालू पंजिका पर दिनांक 15–4–72 तक 350 डिग्री एवं 984 डिप्लोमा होल्डर्स नौकरी की तलाश में थे। जन शक्ति विभाग के रजिस्टर में क्रमशः 1107 डिग्री होल्डर्स एवं 2807 डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिनमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण डिग्री होल्डर्स की संख्या 416 हैं।

(2) बेरोजगार इंजीनियर्स को राज्य सरकार द्वारा कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा केवल वृतिका दी जाती है जो निम्न स्कीमों के तहत स्वीकृत की गई है :

(अ) स्टाइपेन्डरी स्कीम:—इसके अन्तर्गत अब तक 201 अभियांत्रिकों को वृत्तिका स्वीकृत की जा चुकी है।

(ब) पूल स्कीम: इसके अन्तर्गत लगभग 500 अभियांत्रिक वृतिका का लाभ उठा रहे हैं।

(3) किसी अभियांत्रिक को घर बैठे वृतिका नहीं दी जाती है। स्टाइपेन्डरी स्कीम के तहत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में व उद्योगों में एक वर्ष का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाया जाता है तथा पूल स्कीम के अन्तर्गत अभियान्त्रिक विभिन्न राजकीय इंजीनियरिंग विभाग में एप्रेंटिस इंजीनियर्स एवं सबोर्डीनेट्स के रूप में कार्य करते हैं।

(4) इस संबध में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं जो पूल कार्मिकों पर भी लागू होंगे:–

(क) विभिन्न इंजिनियरिंग विभागों में जन शक्ति निदेशालय द्वारा बनाये गये रजिस्टर में से पूर्व की भांति तदर्थ नियुक्तियां की जाती रहेंगी।

(ख) समस्त बेरोजगार अभियांत्रिकों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से (पूल स्कील वाले भी) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल एवं अन्य विभागों द्वारा चयन हेतु स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों को परीक्षा (Screening test) का आयोजन किया जावेगा तथा अभ्यार्थीगण इस परीक्षा में सफल घोषित किये जावेंगे उनको साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जावेगा। यह चयन परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के अध्यक्ष ने यह संकेत दिया है कि यदि लोक

Page No. 197

(आयोजना मंत्री)
सेवा आयोग इन परीक्षाओं को आयोजित करने में असमर्थता प्रकट करे तो राजस्थान विद्युत मण्डल इस परीक्षा को आयोजित करने को तैयार है। विशिष्ट सचिव, नियुक्ति विभाग, लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन परीक्षाओं को आयोजित करने सम्बन्धी योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं।

(ग) समस्त पूल के स्नातक इंजिनियर्स चाहें वे किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हों, सहायक अभियंता के पदों के लिये चयन परीक्षा में बैठने के योग्य माने जावेंगे। इसी भांति पूल के डिप्लोमाधारियों को भी सबोर्डीनेट इंजिनियरिंग पदों के लिये परीक्षा में बैठने के लिये योग्य माना जावेगा।

(घ) राज्य विद्युत मन्डल को इस बात को आवश्यक रूप से देख लेना चाहिये कि सबोर्डीनेट इंजिनियरिंग के 25 प्रतिशत रिक्त पदों को डिप्लोमाधारियों से भरना होगा। इसी भांति राज्य सरकार के अन्य इन्जिनियरिंग विभाग भी मौजूदा प्रणाली को आवश्यक रूप से अपनाते हुए 75 प्रतिशत सबोर्डीनेट इंजिनियर्स के रिक्त पद डिप्लोमाधारियों से भरें तथा इसके अतिरिक्त निम्न पदों को डिप्लोमाधारियों के लिये 50 से 100 तक सुरक्षित रखें:–

(क) सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

1. जूनियर फिल्ड अटेन्डेन्ट
2. सीनियर सिविल मिस्त्रीज
3. मीटर रीडर
4. जूनियर ड्राफ्ट मैन

(ख) सिंचाई विभाग

1. सुपरवाइजर
2. सर्वेयर
3. सीनियर फोरमेन
4. मैकेनिक्स । इलेक्ट्रीशियन्स

मैकेनिक्स, वेल्डर, फोरमेन इत्यादि के 50 प्रतिशत रिक्त पदों को डिप्लोमाधारियों से ही भरा जावेगा।

(ग) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल

सर्वेयर्स एवं एस्टीमेटर्स के रिक्त पद अधिकांश रूप से डिप्लोमाधारियों से ही भरे जावें।

(घ) सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में जो सबोर्डीनेट इन्जिनियरिंग के कुछ पद भरे जा रहे हैं उनके लिये पूल के समस्त सिविल स्नातक एवं डिप्लोमाधारियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। यही निर्णय सहायता एवं पुनर्वास विभाग में इंजिनियरिंग पदों के भरने के लिये मान्य कर दिया गया है।

ग्राम लालगढ़ की जल प्रदाय योजना

819. **श्री रावतराम (छापर)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लालगढ़ जिला चूरू के लिए जल प्रदाय योजना बनाई है ? यदि हां, तो इसका सर्वे कब हुआ

(श्री रावतराम)
और फिलहाल इस योजना की क्या स्थिति है?

(2) इस योजना में कितने गांव शामिल किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस योजना को व्यापक बनाने के लिये समीप के ग्राम बाढसर, जोगलसर आदि को शामिल कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ, योजना बनाई जा चुकी है, सर्वे माह नवम्बर 71 में किया गया था योजना की तकनीकी जांच की जा रही है ।

(2) यह योजना सिर्फ लालगढ़ ग्राम के लिए बनाई गई है।

(3) लालगढ़ योजना में अभी और कोई गांव जोड़ने की योजना नहीं है। बाढ़सर व जोगलसर के लिये अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं ।

जोधपुर जिले की अधूरी सड़कें

720. **श्री रामसिंह** (लूनी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में सं. 2025 व 2026 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो सड़कें बनी हैं उनमें से कौन कौन सी कितनी कितनी अधूरी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त जिले में उन अधूरी सड़कों पर कितना ग्रेवल एवं मेटेरियल कहां कहां एकत्रित किया हुआ पड़ा है ?

(3) उक्त अधूरी सड़कों को पूरा करने के लिए इस वर्ष अभावग्रस्त क्षेत्रों में सरकार क्या योजना बना कर कदम उठा रही है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम शहर व सोप के मिडिल स्कूल की सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नति

821. **श्री फारूक हसन** (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मिडिल स्कूल को सैकेन्डी स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिए सरकार का आधार क्या है ?

(2) ग्राम शहर व सोप सब डिविजन गंगापुर के मिडिल स्कूल को जिस समय सैकेन्डरी स्कूल बनाया गया उस समय इन स्कूलों की छात्र संख्या क्या थी और इन दोनों ग्रामों में कितना फासला है ?

(3) मिडिल स्कूल कुंडेरा, खिलचीपुर, शामपुर और सूखाल तहसील सवाईमाधोपुर व पीपलवाडा तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर में कितने कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं और यह स्कूलें कब से मिडिल स्कूल हैं ? इन स्कूलों को सैकेन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत क्यों नहीं किया गया ?

(4) तहसील सवाई माधोपुर में इस साल कितने सैकेन्डरी स्कूल व कितने मिडिल

(श्री फारूक हसन)
व प्राइमरी स्कूल राज्य सरकार खोलने जा रही है ?

उत्तर

(1) प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) ग्राम शहर व सोप सब डिवीजन के मिडिल स्कूल को जिस समय सेकण्डरी स्कूल बनाया गया उस समय उनकी छात्र संख्या क्रमशः 332 एवं 310 (कक्षा 1 से 8 तक) थी। इन दोनों ग्रामों में लगभग 5 किलोमीटर का फासला है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) इस वर्ष माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं है तथा अन्य शालाओं के लिए प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 821 की सूची

III. Criteria for upgrading middle schools to High/Higher secondary schools

(a) Plains:

1. There should be a secondary school within the habitation having a population of 10,000 and above.
2. There should be a secondary school within a group of habitation with population of 10,000 and above within a radius of 5 miles.
3. In habitations having a population of 10,000 within a distance of 3 miles, separate schools need not be insisted upon till the enrolment in the school of large population becomes out of size.
4. There should be at least 75 boys and 50 girls in classes VI-VIII in the schools for boys and girls respectively.
5. There should be at least 25 boys and 20 girls within radius of 5 miles in class VIII in the schools for boys and girls respectively.

(b) Hilly, desert and tribal areas:

6. The population criteria should be relaxed to 7000 and distance limit to 7 miles.

(शिक्षा मंत्री)

7. The enrolment in classes VI-VIII and in class VIII may be as follows:—

	Boys Schools	Girls Schools
(i) Total enrolment in Classes VI-VIII.	60	40
(ii) Total enrolment in Class VI-VIII.	20	15

Note:—

1. Wherever a mention has been made of radius above, the same will be worked out with the largest village of the area as the central point.
2. Other things being equal and the conditions of criteria being fulfilled, preference will be given to a place making better contribution for building and equipment etc.

प्रश्न के भाग 3 के उत्तर की सूची

विद्यालय का नाम	मिडिल स्कूल बनने का वर्ष	वर्तमान छात्र संख्या
1. कुण्डरा	1948	350
2. खिलचीपुर	1952	297
3. श्यामपुरा	1961	190
4. सूरवाल	1958	371
5. पीपलवाड़	1963	182

निजी क्षेत्र में स्थापित लघु उद्योग

822. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य में 1971-72 में कुल कितने लघु उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित किये गए ?

(ख) इस वर्ष कुल कितने उद्योगों को कितनी कितनी धन राशि दी गई ?

(ग) इनमें से अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कितने लोगों को कितनी कितनी राशि दी गई ?

उत्तर

(क) 1034 लघु उद्योग स्थापित हुए।

(ख) इस वर्ष 86 लघु उद्योगों को स्टेट एड टू इण्डस्ट्रीज (लोन) रूल्स के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा 2, 35,000) रुपये ऋण के रूप में दिया गया।

(उद्योग मंत्री)

इसके अतिरिक्त चूरू व नागौर जैसे जिले में ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत 1,70,000) रुपये ऋण एवं 28,006) रु. अनुदान के रूप में 155 इकाइयों को दिये गये।

इसी वर्ष राजस्थान वित्त निगम द्वारा 249 संस्थानों को 160.44 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में दी गई।

(ग) उद्योग विभाग द्वारा दिये गये उपरोक्त ऋण व अनुदान में से 109 अनुसूचित जाति द्वारा संचालित इकाइयों को 1,43,107)रु. ऋण एवं 9,512)रु. अनुदान तथा जन-जाति की 5 इकाइयों को 3,050)रु. ऋण दिया गया।

रेन्ज प्रतापगढ़ में व्यापार मण्डल के ब्लाक में आग लगने से नुकसान

823. श्री हुरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ फोरैस्ट रेन्ज प्रतापगढ़ में फोरैस्ट व्यापार मण्डल का मेहन्दी खेड़ा ब्लाक नम्बर 1, 7, 13, 15, 21 व्यापार मण्डल को अलाट हुआ था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अभी अभी उक्त ब्लाकों में आग लगने से लगभग तीन-चार लाख रुपयों का कटा हुआ माल जो वहां इकट्ठा किया हुआ था जल कर खाक हो गया? यदि हां, तो आग कब कैसे और किसने लगाई?

उत्तर

(1) जी हां। ब्लाक नं. 1 वर्ष 1969-70 में व ब्लाक नं. 7,13,15 का अलाटमेन्ट वर्ष 71-72 में। 21 में कोई कार्य नहीं कराया गया।

(2) जी नहीं। आग से राजकीय व्यापार मंडल के कटे हुए माल की क्षति नहीं हुई। आग आकस्मिक आस पास के क्षेत्र से लगी जो कूप नं. 1 व 15 में प्रवेश कर गई। प्रश्न में वर्णित अन्य ब्लाकों में कोई आग नहीं लगी।

ग्राम पालोट जल प्रदाय योजना हेतु चन्दा

824. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

क्या यह सत्य है कि ग्राम पालोट, तहसील लाडनूं, जिला नागौर की जल प्रदाय योजना के लिये चन्दा वसूल करके गबन कर लेने के बारे में एक मामला सरकार के आदेश से थाना डीडवाना में दर्ज हुआ था? यदि हां, तो कब और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा क्या कार्यवाही करनी शेष है उसका चालान कब तक दिया जावेगा?

उत्तर

जी हां। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं. 27 धारा 420/406 ता. हि. दिनांक 23-4-72 को थाना डीडवाना में दर्ज किया गया है। मुकदमे की अब तक की तफतीश में करीब 116 गवाहान के बयान कलमबन्द किये गये हैं और 50-60 गवा-

(गृह मंत्री)

हान से अब भी तफतीश करनी है। जो शीघ्र पूरी कर, जैसी सूरत होगी मुकदमे का नतीजा दिया जावेगा।

यात्री कर की बकाया रकम

825. **श्री भानुकमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर रीजन में चलने वाली यात्री बसों के मालिकों में यात्री कर की कितनी रकम बकाया है? यह रकम किस किस बस मालिक में कितनी कितनी बकाया है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए राज्य सरकार ने कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये हैं?

(3) जिन अधिकारियों की लापरवाही से यात्री कर की रकम वसूल न हो सकी उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

(1) उदयपुर रीजन में चलने वाली यात्री बसों के मालिकों में यात्री कर की बकाया राशि रु. 16,02, 610–70 है। ऐसे बस मालिकों की सूची संलग्न है।

(2) यात्री व माल कर अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन चल सम्पत्ति. की व भू-राजस्व अधिनियम के अधीन वसूली की कार्यवाही की गई है। 10,000 से ऊपर के मामलों में वाणिज्यिक कर आयुक्त को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं व कम के मामलों में उपायुक्त प्रगति प्रतिवेदन मांगता है।

(3) अभी तक किसी अधिकारी की लापरवाही एवं दोष नहीं पाया गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

[सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई]

श्री डूंगरगढ़ कस्बे का रेल्वे स्टेशन

826. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रेल्वे स्टेशन श्री डूंगरगढ़ कस्बा श्री डूंगरगढ़ की भूमि में एवं नगरपालिका सीमा में नहीं है?

(2) यदि हां, तो यह किस ग्राम व ग्राम पंचायत को सीमा में है?

(3) क्या यह सही है कि रेल्वे स्टेशन जिस ग्राम की भूमि में स्थिति है वह ग्राम नगरपालिका सीमा श्री डूंगरगढ़ में नहीं है?

(4) यदि हां, तो नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ यात्री कर, टरमिनल टैक्स व माल टैक्स किस आधार पर वसूल करती है?

(5) क्या यह सही है कि सन् 1960–61 के लगभग पंचायत समिति श्री डूंगरगढ ने इस आशय का यह प्रस्ताव पास करके कि रेल्वे स्टेशन श्री डूंगरगढ़ नगरपालिका सीमा श्री डूंगरगढ में नहीं है और पंचायत क्षेत्र में है इसलिए यह टैक्स ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए का पास

(श्री लूणाराम)

कर जिलाधीश चूरू व राज्य सरकार को भेजा गया था ?

(6) क्या यह सही है कि जिलाधीश चूरू ने सरकार को यह टैक्स बजाय नगर-पालिका के ग्राम पंचायत को देने का सुझाव दिया था ?

(7) यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं तो क्यों ?

(8) क्या अब भी सरकार पंचायत को टैक्स दिलाने का विचार रखती है ?

(9) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति फागी की सहकारी समितियां

827. **श्री जयकिशन लाल तोसवाडा** (फागी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फागी पंचायत समिति में कुल कितनी सहकारी समितियां पंजीयत हैं और कितनी समितियां प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर पंचायतवार रखने को कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि लसाडिया, नीमेड़ा, चित्तौड़ा, हरसूलिया समितियों में गबन घोटाले हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या गबन व घोटालों की राशि मय ब्याज वसूल की गई है ? यदि हां, तो कहां कहां से ? यदि नहीं ,तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि सहकारिता प्रसार नगण्य सा है ? कितनी सहकारी समितियां यू.एल. में हैं और कितनी की यू.एल. हेतु सिफारिशें की गई हैं ? प्रत्येक समिति के कारोबार व उत्पादन के आंकड़े प्रतिवर्ष के सन् 1967 से आज तक के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या प्रस्तावित समितियां सरकार पंजियन करने में असमर्थ है ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ऋण सुविधा देने हेतु समितियां कार्यबद्ध हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय शेष हैं जहां समितियों का अभाव है और इन स्थानों पर सरकार कब तक समितियां गठित कर देगी ?

(5) किन-किन समितियों को कब कब किस-किस मद में अनुदान की राशि प्रदान की है ? सूची सन् 1967 से आज तक की सदन की मेज पर रखें। सरकार इस वर्ष इस क्षेत्र में कितना अनुदान किस किस समिति को देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) फागी पंचायन समिति में कुल 69 सहकारी समितियां हैं तथा एक समिति प्रस्तावित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, चित्तौडा, निमेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में की गई गबन राशि वसूल हो चुकी है। लसाडिया समिति

(सहकारिता मंत्री)

के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है। हरसूलिया समिति में गबन की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं, 16 सहकारी समितियां अवसायन में हैं। अन्य और किसी भी समिति को अवसायन में लाने हेतु सिफारिश नहीं की गई है। कारोबार व उत्पादन के आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं। प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दिये जावेंगे।

(4) जी नहीं। मामला विचाराधीन है। प्रत्येक पंचायत ऋण सुविधा देने हेतु सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में है।

(5) सूचना प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सूची

पंचायत समिति फागी क्षेत्र की ग्राम पंचायतवार समितियों का नाम

क्र. सं. समिति का नाम

1. ग्राम पंचायत फागी:–
   1. आदर्श ग्राम सेवा स.स.लि.
   2. फागी दुग्ध उत्पादक स.स. लि.
   3. फागी हाथ कर्घा बुनकर स. स. लि.
   4. फागी चर्म उत्पादक स. स. लि.
   5. शिक्षा विभाग कर्म. स. स. लि.
   6. राज्य कर्मचारी जीवन सुधार स. स. लि.

2. ग्राम पंचायत रैनवाल :–
   1. रैनवाल वृत कृषि ऋणदात्री स. स. लि.
   2. रैनवाल बैरवा बहु. स. स. लि.
   3. रैनवाल कोआप. विलेज बैंक लि.
   4. रैनवाल दुग्ध उत्पादक स. स. लि.
   5. रैनवाल सह. ग्राम उद्योग समिति

3. ग्राम पंचायत हरसूलिया :–
   1. हरसूलिया सामू. कृषि स. स. लि.

4. मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत :–
   1. मोहम्मद पुरा ग्राम सेवा स. स. लि.

5. चित्तौड़ा ग्राम पंचायत:–
   1. चित्तौड़ा बहु. कृषि ऋण स.स.लि.
   2. चित्तौड़ा सामूहिक कृषि स.स.लि.

6. ग्राम पंचायत पहाड़िया :–
   1. पहाड़िया कृषि स.स.लि.
   2. बैरवा कृषि स. स. लि.
   3. पहाड़िया ग्राम सेवा स. स. लि.

7. ग्राम पंचायत पीपला :–
   1. पीपला ग्राम सेवा स. स. लि.

8. डाबिच ग्राम पंचायत :–
   1. डाबिच ग्राम सेवा स. स. लि.

9. **ग्राम पंचायत दोहरा :–**
   1. दोहरा ग्राम सेवा स. स. लि.

(सहकारिकता मंत्री)

2. सहदरिया सामू. कृषि स.स. लि.
3. दोरुरा सामू. कृषि स. स. लि.

10. ग्राम पंचायत डीडवाना :–

1. ग्राम सेवा स.स. लि. डीडवाना
2. डकेता चर्म उत्पा. स.स. लि.

11. ग्राम पंचायत भांकरोटा :–

1. भांकरोटा ग्राम सेवा स.स. लि.
2. जेराणा कृषि स. स. लि.

12. ग्राम पंचायत कडाला :–

1. ग्राम पंचायत चित्तौडा वृ.कृ.स.स. लि. में आता है।

13. ग्राम पंचायत चांद माकला:—

1. चान्दनाकला बृ.कृ.ऋण.स.स.लि.

14. ग्राम पंचायत माधोराजपुरा:—

1. माधोराजपुरा अभ्रक श्रमिक कर्म. उप. सहकारी भंडार लि.
2. माधोराजपुरा वन कोआप. सो. लि.
3. माधोराजपुरा घाणी तेल उत्पा. स. लि.
4. माधोराजपुरा वृहत कृ. स. स.
5. माधोराजपुरा अशोक साबुन उत्पा.स. स.
6. माधोराजपुरा बैरवा चर्म उत्पा. स. स.

15. ग्राम पंचायत परबन:—

1. परबन ग्राम सेवा स. स. लि.

16. ग्राम पंचायत मादी :–

1. मादी ग्राम सेवा स. स. लि.
2. नथमलपुरा कृषि स. स. लि.

17. ग्राम पंचायत किशोरपुरा:–

1. मोहनपुरा ग्राम सेवा स. स. लि.
2. समेलिया सामू. कृ. स. स.

18. ग्राम पंचायत मेन्दवास:–

1. मेन्दवास बृहत कृषि. स. स.
2. मेन्दवास चर्म उत्पा. स. स.
3. दोहालिया हाथ कर्घा स. स.

19. ग्राम पंचायत लसाडिया:–

1. ग्राम सेवा स. स.लि., लसाडिया

20. ग्राम पंचायत नारेडा:–

1. नारेडा ग्राम सेवा स. स. लि.
2. छापरी कुम्हारगिरी उद्योग स. स.

21. ग्राम पंचायत मंडावरी:–

1. मंडावरो ग्राम सेवा स. स. लि.

22. ग्राम पंचायत चोरू:–

1. चोरू ग्राम सेवा स. स.लि.
2. चोरू चर्म उत्पा. स. स.लि.
3. चोरू अन उत्पा. स. स. लि.

23 ग्राम पंचायत कासेल:–

1. सवाई जयसिंहपुरा ग्राम सेवा

(सहकारिता मंत्री)

24. ग्राम पंचायत चकवाड़ा :—

1. चकवाड़ा दुग्ध उत्पादक स.स.लि.
2. विश्वनाथ ग्राम सेवा स. स. लि.
3. भरतपुरा दुग्ध उत्पा. स. स. लि.
4. शंकरपुरा दुग्ध उत्पा. स.स.लि.

25. ग्राम पंचायत [illegible]:—

1. भेढ़िन्दा भोजपुरा ग्राम सेवा स.स.लि.
2. ,, ,, दुग्ध उत्पा. स.स. लि.
3. ग्रावड़िया सुलतानपुरा दुग्ध ,,
4. अबकावास सामु. कृ.स. स. लि.

26. ग्राम पंचायत मंडोर:—

1. मण्डोर ग्राम सेवा स. स. लि.
2. मण्डोर संयुक्त कृषि स. स. लि.
3. शीकेल पीरोदान दुग्ध उत्पा. स. स. लि.
4. पनाच सामु. कृषि. स. स. लि.

27. ग्राम पंचायत गोदी:—

1. हीरापुरा ग्राम स. स. लि.

28. ग्राम पंचायत लदाना

1. लदाना ग्राम सेवा स. स. लि.
2. लदाना कृषि स. स. लि.

29. नीमेडा ग्राम पंचायत:—

1. नीमेडा ग्राम सेवा स. स. लि.
2. नीमेडा हाथ कर्घा वस्त्र उत्पा. स.स.
3. नीमेड़ा बढ़ईगीरी उद्योग स. स. लि.

प्रस्तावित समिति

1. हरयूलिया ग्राम सेवा स. स.

जिला झालावाड़ में थानेदारों के तबादले

828. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड में 1 जनवरी, 1971 से 30 अप्रेल, 1972 तक कौन कौन से थानेदारों का तबादला हुआ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस जिले में थानेदारों के दो-दो तीन-तीन बार तबादले हुए और वे कैंसिल होते गये? यदि हां, तो किन किन थानेदारों के तबादले कितनी कितनी बार कैंसिल हुए? सूची कृपया सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) दिनांक 1-1-71 से 30-4-72 तक जिला झालावाड़ में कुल 27 थानेदारों का तबादला हुआ जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला झालावाड़ में जिन जिन थानेदारों के दो दो बार या तीन तीन बार तबादले हुए और वापस केन्सिल हो गये उन थानेदारों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

दिनांक 1-1-1971 से 30-4-1972 तक जिला झालावाड़ में तबादला हुये थानेदारों की सूची

1. श्री कल्याणसिंह
2. ,, इब्राहीम अली

(गृह मंत्री)

3. श्री रामनारायण
4. „ किशोरसिंह
5. „ नन्दराम
6. „ भोलाराम
7. „ नाथूसिंह
8. „ अर्जुन दान
9. „ नारायण लाल
10. „ नगेन्द्र पुरी
11. „ अब्दुल वहीद
12. „ मूलचन्द
13. „ किशन सिंह
14. „ कुतुबुद्दीन
15. „ नारायण लाल
16. „ रतनसिंह
17. „ जनार्दनसिंह
18. „ मोहम्मद यासीन
19. „ शकूर मोहम्मद
20. „ भंवरसिंह
21. „ कीरथसिंह
22. „ गोविन्द लाल
23. „ देवी शंकर
24. „ नन्दसिंह
25. „ प्रकाश त्यागी
26. „ विजय सिंह
27. „ छतरसिंह

जिला झालावाड़ के उन थानेदारों के नाम जिनके दो बार तबादले हुए और वापस कैन्सिल हो गये:—

1. श्री रतन सिंह
2. श्री किशन गोपाल
3. श्री नारायण लाल
4. श्री भोलाराम
5. श्री कैलाश चन्द्र

जिला झालावाड़ से उन थानेदारों के नाम जिनके तीन बार तबादले हुए और कैन्सिल हो गये।

1. श्री अर्जुन दान

जंगलात की भूमि पर नाजायज कब्जे

829. श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील दांतारामगढ़ में कितनी भूमि वन विभाग के अधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) क्या यह सही है कि जंगलात की भूमि पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा काफी समय से कर रखा है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चूरू, जिले में निलम्बित अध्यापक

830. श्री मोहरसिंह (चूरू): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में शिक्षा विभाग के कितने अध्यापक पिछले पांच वर्ष से निलम्बित हैं ? उनके नाम व निलम्बन की तारीख बताने की कृपा करें ।

(2) निलम्बित अध्यापकों को चार्जशीट कौन सी तारीख को दी गई ?

(3) क्या नियमानुसार निलम्बन को तिथि से छः माह की अवधि में जांच की कार्यवाही समाप्त की जानी चाहिए ? यदि हां, तो इतने विलम्ब का क्या करण है ?

(4) ऐसे मामलों का निर्णय कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(1) केवल एक अध्यापक श्री लक्ष्मणसिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पूलसर दिनांक 14-6-66 से निलम्बित हैं।

(2) इस अध्यापक को दिनांक 29-7-68 को चार्जशीट दी गई।

(3) जी हां। विलम्ब का कारण यह है कि श्री लक्ष्मणसिंह को निलम्बित किये जाने पर वे दिनांक 2-7-66 से बिना स्वीकृति के ही मुख्य स्थान छोड़कर चले गये। अतः आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी। चार्जशीट उप निदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर द्वारा दिनांक 29-7-68 को दी गई थी परन्तु उसका प्रत्युत्तर विद्यालय निरीक्षक शिक्षा विभाग, चूरू के कार्यालय में प्रधानाध्यापक के मार्फत मई, 69 तक नहीं आया, फिर इन्हें कई बार उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। अन्त में फरवरी 70 को चार्जशीट का जवाब आने पर सारे कागजात उप निदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर को उचित निर्णय हेतु भेज दिये गए। उप निदेशक के आदेशानुसार फिर प्रकरण की जांच वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1958 के अन्तर्गत की जाकर अन्तिम रिपोर्ट विद्यालय निरीक्षक, चूरू के कार्यालय से दिनांक 28-1-71 को उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर को भेजी गई।

(4) इस मामले में कार्यवाही चल रही है और शीघ्र अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

सीकर डिपो को कोयलों का आबंटन

831. श्री गोरधन सिंह (सीकर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोरधनसिंह)

(1) भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को कितने वेगन कोयला इस वर्ष (1972-73) आवण्टित किया है ?

(2) इस आवण्टित कोटे के वितरण में क्या तरीका अपनाया है तथा कितने वेगन्स का आवण्टन किया जा सका है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सीकर के स्थानीय डिपो होल्डर जो बहुत पुराने हैं तथा गत बीस वर्षों से यही कार्य करते आ रहे हैं उनको कोयलों का आवण्टन नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सीकर में विष्णु कोल डिपो के नाम से कोयला अलाट कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों और क्या यह फर्म सेल्स टैक्स देती है ?

उत्तर

(1) सन् 1972 के लिए 26,448 वेगन ।

(2) कोटा आवंटन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये । जो जो प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारियों एवम् अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों की सिफारिश के साथ निर्धारित तिथि तक प्राप्त हुए, उन्हें उद्योग निदेशालय द्वारा सिफारिश कर संयुक्त निदेशक (यातायात) कलकत्ता को भेज दिया गया । इस प्रकार 3936 वेगन्स के लिए प्रति माह उद्योग निदेशालय द्वारा सिफारिश (स्पोन्सरशिप) को गई । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) सीकर से सिर्फ दो प्रार्थना-पत्र आये थे, जिन दोनों की विभाग द्वारा सिफारिश कर दी गई थी ।

(4) जी हां । इसकी सिफारिश प्राप्त हुई थी । जी नहीं ।

सूची

S. No.	Priority.	Steam Coal.
1.	E.N.S. (Engineering)	85 Wagons.
2.	M.I.S. (Miscellaneous)	72 "
3.	G.L.S. (Glass)	5 "
4.	O.L.E. (Oil)	65 "
5.	Wol (Wool)	15 "
6.	L.C.M. (Chemical)	277 "
7.	Sop (Soap)	4 "
8.	D.I.S. (Distellory)	32 "
9.	D.I.R. (Dairy)	5 "
10.	H.O.S. (Hospital)	3 "

(उद्योग मंत्री)

11.	L.M.S. (Lime)	186 Wagons.
12.	POT. (Pottery)	70 ..
		820

HARD COKE.

E.N.G. (Engineering)	106½ ..
Slack (Bricks).	391 ..
Depots	497½
Steam Coal	746 Wagons.
Hard	886 ..
Soft	987 ..
Stocks	2619

G. Total : 3936 Wagons

सूरतगढ नगरपालिका द्वारा तह बाजारी की दुकानों का अलाटमेंट

832. **श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सूरतगढ़ नगरपालिका द्वारा वर्ष 1971-72 में कितनी तह बाजारी की दुकानों का अलाटमेन्ट किया गया और इसके लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ?

(2) क्या उपरोक्त तह बाजारी का डिजाइन व दुकानों के साइज को एप्रूवल टाउन प्लानर से प्राप्त की गई और क्या उसी एप्रूव्ड प्लान के मुताबिक दुकानें काटी गई ? अलाटमेंट के क्या क्या नियम बनाये गये और अलाटमेन्ट किन किन प्राथमिकताओं के आधार पर किया गया ?

उत्तर

(1) सम्बन्धित रेकार्ड जांच में होने से चाही गई सूचनायें दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) प्रश्न उत्तर प्रश्न के भाग एक में दे दिया गया है।

आलोक उद्योग पर बकाया राशि और सहायता के लिये आवेदन-पत्र

833. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 211

(श्री चेतराम)

(1) क्या यह सच है कि आलोक उद्योग पर, सरकारी करों एवं बिजली आदि का बहुत रुपया बकाया है? यदि हां, तो अब तक किस किस वर्ष का कितना कितना रुपया बकाया है और सरकार बकाया की वसूली के लिए क्या कदम उठा रही है?

(2) क्या सरकार एवं वित्त निगम के समक्ष आर्थिक सहायता हेतु कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन है?

उत्तर

(1) आलोक उद्योग में कर और बिजली की बकाया नहीं है।

(2) जी नहीं।

बून्दी जिले में सिलिका की खान

834. **श्री रमेशचन्द्र** (हिन्डौली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बून्दी जिले में सिलिका की खान का इस शर्त पर स्वामित्व दिया गया था कि अमुक समय में वहां कांच की फैक्ट्री चालू कर दी जायेगी?

(2) यदि हां, तो अब तक ऐसा न होने में क्या क्या बाधाएं आई हैं? तथा निकट भविष्य में यहां कब तक कांच की फैक्ट्री खुलने की आशा को जा सकती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कांच की फैक्ट्री योग्य सिलोकासैंज ज्ञात होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार देने के लिए विशिष्ट योजना

835. **श्री भीमाराम** (डीडवाना) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्रामीण व विकलांग एवं पिछड़े लोगों के रोजगार के लिए विशिष्ट योजना बनाने के लिए सरकार के पास क्या प्रस्ताव हैं?

उत्तर

ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए केश प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में 1001 व्यक्तियों को 10 माह के लिए रोजगार प्रदान किये जाने का कार्यक्रम है। विकलांग लोगों के रोजगार के लिये सरकारी सेवाओं में स्थान सुरक्षित रखने के प्रश्न पर प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये रोजगार देने के लिये अनुसूचित जातियों के लिए 17 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 11 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं। पिछड़ी जातियों के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को वजीफे भी दिये जाते हैं। राज्य की पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाते समय समाज के कमजोर वर्ग को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा।

आदर्श बुनकर बस्ती, जयपुर

836. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(1) क्या यह सही है कि आदर्श बुनकर बस्ती, चौगान, जयपुर जो कि समाज कल्याण विभाग की सहायता द्वारा 1958-59 में निर्मित हुई है, उसके बीच में नगरपालिका, जयपुर द्वारा छोड़े गये चिल्ड्रन पार्क की भूमि जो 100×100 फीट है में 26 प्लाटों का आवंटन स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा जनवरी, 1972 में हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन लोगों को भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं, उनमें उसी बस्ती के जरूरतमन्द व्यक्तियों को आवंटन न होकर ऐसे व्यक्तियों को हुआ हैं जिसमें नाबालिग भी हैं और बाहर के तथा अन्य बस्तियों के भी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस बस्ती में पार्क को यथावत रखने में तथा अन्य जांच के संबंध में राज्य सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा और अब सरकार उस पर क्या निर्णय लेने जा रही है ? जब तक इस संबंध में पूर्ण जांच न हो जाय तब तक के लिये निर्माण कार्य के स्टे आर्डर करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

(4) क्या यह सही है कि इन लोगों के बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बस्ती के बीच में पार्क रखना अनिवार्य नहीं है ? यदि हां, तो आवंटन कार्य को तुरन्त रद्द किया जाय ताकि बस्ती का ढांचा खराब न हो ?

उत्तर

(1) जी हां।

स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी।

(2) नगरपरिषद, जयपुर की अभिलाषानुसार स्वीकृति दी गई थी।

(3) जी हां।

श्री कुशलचन्द महावर द्वारा : बस्ती के पास ही चौगान स्टेडियम है, जिसको काफी खुली जमीन उपलब्ध है इसलिए इस छोटी बस्ती के लिए अलग पार्क रखने एवं स्टे-आर्डर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(4) प्रश्न के भाग तीन में उत्तर दे दिया गया है।

राजस्थान फाईनेन्स कारपोरेशन

837. श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर), **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान फाईनेन्स कारपोरेशन की स्थापना कब हुई ?

(2) इसकी स्थापना के समय से अब तक इनके संचालकगण तथा प्रबन्ध संचालक कौन-कौन व्यक्ति किस किस साल तक रहे हैं ?

(श्री श्रीराम गोटेवाला, चेतराम)

(3) इन संचालकों को कभी ऋण स्वीकार किये गये ? यदि हां, तो क्या ये नियत अवधि में नियमानुसार चुकता हो गये ? यदि नहीं, तो बकाया की वसूली के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

(4) फाईनेन्स कारपोरेशन ने अब तक किन-किन फर्मों को कितना ऋण दिया ?

(5) फाईनेन्स कारपोरेशन में अब तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये तथा प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के कितनी अवधि में उन प्रार्थना-पत्रों का निबटारा हुआ तथा जिन प्रार्थना-पत्रों पर कर्ज नहीं दिया गया उनकी संख्या कितनी है ?

(6) क्या यह सही है कि सरकार इसके प्रक्रिया संबंधी नियमों में कोई ऐसा संशोधन करने जा रही है जिससे कि प्रार्थना-पत्र देने वाले को प्रार्थना-पत्र देने की अवधि से एक माह के भीतर ही कर्ज प्राप्त हो सके ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन की स्थापना 17 जनवरी, 1955 को हुई थी।

(2) निगम की स्थापना से वर्ष 1971—72 के अन्त तक के संचालक मण्डल के सदस्यों की सूची एवम् निगम के प्रबन्ध संचालकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) संचालक मण्डल के किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से निगम द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है, किन्तु उनसे सम्बन्धित औद्योगिक संस्थानों को ऋण दिया गया है। मार्च 31, 1972 को केवल एक संस्थान में चढ़ी किस्त के रुपये 4 लाख बकाया थे। इस बकाया रकम में से भी निगम द्वारा एक लाख रुपया अप्रेल, 1972 में वसूल कर लिया गया है। बकाया रकम की वसूली की कार्यवाही जारी है। वित्त निगम ने वर्ष 1971—72 के अन्त तक 591 संस्थानों को 958.07 लाख रुपये की राशि का ऋण दिया। निगम की स्थापना से दिये गये समस्त ऋणों की नामवार सूची के तैयार करने में समय लगेगा। वांछित सूचना तैयार की जा रही है।

(5) इस सम्पूर्ण विवरण को तैयार करने में समय लगेगा। वांछित सूचना तैयार की जा रही है।

(6) यद्यपि सरकार के पास वित्त निगम की प्रक्रिया संबंधी नियमों में कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है, निगम द्वारा स्वयं ही स्वीकृति में देरी को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

डूंगरपुर जिले की सहकारी समितियां

838. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत है इनमें कितन

(श्री महेन्द्र कुमार)

क्रियाशील हैं और कितनी डिफेक्ट ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि सहकारी समितियों में ओवर ड्यूज की बकाया है ? यदि हां, तो कितना और उसके क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो समितियों में अवशिष्ट ऋण कब-कब से है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि जिले की सहकारी समितियों में हजारों रुपये के घोटाले हैं और इसकी शिकायतें सहकारी विभाग को की गई ? यदि हां तो किस-किस सहकारी समिति के विरुद्ध शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर जिले की सहकारी समितियां स्वावलम्बी नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो डूंगरपुर जिले में कौन कौन-सी सहकारी समितियां स्वावलम्बी हैं ? उनको विगत 5 वर्षों में कितना कितना अनुदान किस-किस कार्य के लिए कब कब दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भिनाय थाने में दर्ज चोरी के मामले

839. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भिनाय थाने में चोरी की कितनी रिपोर्टस् पिछले पांच वर्षों में दी गई ? तथा कितने केस रजिस्टर किये गये ?

(2) कितने मुकदमों में माल बरामदगी हुई तथा चोर पकड़े गये ?

(3) उनमें से कितने मुकदमों का चालान कोर्ट में पेश किया गया ? तथा कितने केसों में मुलजिमों को सजा हुई तथा कितने बरी हुए ?

(4) मुकदमों में माल की बरामदगी नहीं होने तथा चोर नहीं पकड़े जाने के लिये कौन-कौन पुलिस कर्मचारी दोषी हैं ? सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) चाही गई सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। सम्बन्धित विवरण तालिका के कालम 3 व 4 में अंकित है।

(2) चाही गई सूचना सम्बन्धित विवरण तालिका के कालम 5 व 6 में अंकित है।

(3) चाही गई सूचना संलग्न तालिका के कालम नं. 7, 8 व 9 में अंकित है।

(4) चोरों को नहीं पकड़ने व मुकदमों में माल की बरामदगी न करने वाले दोषी पुलिस कर्मचारी सर्व श्री रतनलाल, गोविन्द स्वरूप व्यास उ. नि. नथसिंह व च्चूमल, मु. आरक्षीगण के विरुद्ध दफा 17 सी. सी. ए. रूल्स 1958 के तहत विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है।

थाका भिनाय में वर्ष 1967 से 1971 तक दर्ज चोरी के मुकदमों की सूची

क्र. सं.	वर्ष	चोरी की रिपोर्टस प्राप्त हुई	मुकद्दमे दर्ज किये गये	मुकद्दमें जिनमें माल बरामद हुआ	मुलजिम गिरफ्तार हुए	मुलजिम चालान हुए	मुलजिम सजायाब हुए	मुलजिम बरी हुए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1967	51	51	15	42	40	15	9
2	1968	41	41	9	24	22	8	5
3	1969	36	36	8	16	16	5	3
4	1970	55	55	9	10	10	—	—
5	1971	36	36	9	22	20	2	—

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16–5–72)

झामर कोटडा परियोजना

532. श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि झामर कोटड़ा को परियोजना में स्वीकार किया गया है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि परियोजना पर लगे हुए कर्मचारियों को सैद्धान्तिक रूप से राज्य सरकार ने भत्ता देना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या वहां पर नियुक्त कर्मचारियों को वह भत्ता दिया जा रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या राज्य सरकार ने परियोजना पर मिलने वाली नियमानुसार सभी सुविधायें (स्कूल, डिस्पेन्सरी व रिक्रिएशन सेन्टर) इत्यादि का प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या झामर कोटड़ा पर कार्य करने वाले श्रमिकों को मिनीमम वेजेज एक्ट के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या माइन्स एक्ट के अन्तर्गत झामर कोटडा के कर्मचारियों को सभी सुविधायें दी जाती है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी हां। राज्य कर्मचारियों को भत्ता देने की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) आवश्यक सुविधायें शनैः शनैः वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर दिलाई जावेंगी।

(घ) मिनिमम वेजेज एक्ट झामर कोटड़ा के राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

(ङ) जिन कर्मचारियों के लिए माइन्स एक्ट लागू है उन कर्मचारियों को उसके अन्तर्गत सुविधायें दी जाती हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17–5–72)

लोकवाणी, श्रमजीवी पत्रकारों की प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि

547. श्री **श्रीराम गोटेवाला**, (किशनपोल बाजार) एवं **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या लोकवाणी, जयपुर के श्रमजीवी पत्रकारों को उनकी प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि तथा अन्य देय राशियों के भुगतान हो गये ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने लोकवाणी के श्रमजीवी पत्रकारों के हितों तथा उनकी देय राशियों के भुगतान व अन्य प्रश्नों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार ने प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उनकी क्रियान्विति कब होगी ?

(श्री श्रीराम गोटेवाला, श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

(4) क्या राज्य सरकार लोकवाणी का टाइटिल श्रमजीवी पत्रकारों को देने का विचार रखती है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 17-5-72)

ग्राम बिडोली में नदी पर बांध

554. **श्री गोरधनसिंह** (सीकर) एवं **श्री झाबरमल सुण्डा** (फतहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण विभाग द्वारा ग्राम बिडोली, तहसील सीकर में नदी पर बांध बंधाने की मंजूरी दी गई थी ? यदि हां, तो कब तथा इसका कार्य कब शुरू किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध का कार्य केवल एक माह जनवरी, 1972 में चला और फिर बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि यदि यह बांध वर्षा के पहले पक्का नहीं बनाया गया तो इससे काफी गांवों व खेतों को नुकसान होने का खतरा है ?

(4) क्या यह सही है कि इस नदी पर यह बांध केवल मिट्टी का कच्चा ही बांधा गया है जो मौसम की पहली वर्षा से ही टूट जायेगा और गांव बिडोली के काफी किसानों के खेतों व गांव बाडलवास, धोद सिहोट इत्यादि गांवों के बह जाने का खतरा भी है ? यदि हां, तो इस बांध को पक्का बनाने तथा इसका कार्य पुनः शुरू करवाने का सरकार का कब तक विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत बांध बनाने को तकनीकी स्वीकृति 18-11-71 को प्राप्त हुई तथा 4-12-71 को कार्य शुरू किया गया।

(2) 4 दिसम्बर, 1971 से 14 जनवरी, 1972 तक 42 दिन तक कार्य चला। विकास विभाग से वित्तीय स्वीकृति केवल 63,593) रु. की ही प्राप्त हुई जब कि सम्बोधित तखमीने के अनुसार 1,01,300 रु. की प्राप्त होनी थी अतः स्वीकृति प्राप्त होने तक के लिए कार्य रोक दिया गया।

(3) जी नहीं।

(4) बरसात के पूर्व ही बांध बनाने की योजना है। पक्का नहीं बन सका तो भी नुकसान का खतरा नहीं है कारण कि पानी को दूसरे नाले से अस्थाई रूप से डाईवर्ट की योजना पहले ही जा चुकी है तथा स्पिल वे पहले ही बना दिया जावेगा इस अहतियाति कार्यवाही से गांवों व खेतों को नुकसान नहीं होना चाहिए।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 18-5-72)

राजा खेड़ा क्षेत्र के ट्यूब वेल

605. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजाखेड़ा में जो सरकारी नलकूप खुद चुके हैं उनको कब तक चालू करने का सरकार का इरादा है ?

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(2) जो एक्सपेरीमेण्टल ट्यूब वैल्स खोदे गये उनको सरकार ने अब तक चालू क्यों नहीं करवाया ? क्या सरकार यह मानती है कि उक्त नलकूपों पर जो धन व्यय हुआ है उनको चालू न करने से बेकार जावेगा ?

उत्तर

(1) राजाखेड़ा क्षेत्र में कुल 23 राजकीय नलकूप खुद चुके हैं जिनमें से 14 को चालू कर दिया है। बाकी 9 नलकूपों को अभी विद्युतिकरण होना बाकी है। इस रबी के पूर्व यह चालू कर दिए जावेंगे।

(2) राजस्थान भू–जल मण्डल द्वारा एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर 3 नलकूप राजाखेड़ा क्षेत्र में बनाये हैं। प्रायोगिक नलकूप सर्वेक्षण के लिए बनाये जाते हैं तथा उन्हें स्टेट ट्यूब वैल बनाने के पूर्व उनके डिस्चार्ज, भूमि की कृषि क्षमता तथा बजट प्रावधान की दृष्टि से विचार होता है। इन तीन नलकूपों को ट्यूब वैल स्कीम के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

परिशिष्ट 5

स्थगित प्र. सं. 503 की सूची

तारांकित प्रश्न संख्या 71 कि. मं.

जिले का नाम	कुल उर्दू मदरसे	मान्यता प्राप्त मदरसे	सहायता प्राप्त में मदरसे
1	2	3	4
1. अजमेर	–	–	–
2. अलवर	–	–	–
3. भरतपुर	–	–	–
4. जयपुर	–	–	–
5. झुंझुनूं	–	–	–
6. सीकर	–	–	–
7. सवाईमाधोपुर		सूचना प्राप्त नहीं हुई	
8. टोंक	8	–	–
9. बीकानेर	3	2	2
10. चूरू	–	–	–
11. गंगानगर	–	–	–
12. बाड़मेर		सूचना प्राप्त नहीं हुई	
13. जैसलमेर	1	–	–
14. जोधपुर	–	–	–
15. जालोर	–	–	–
16. सिरोही	–	–	–
17. नागौर	18	3	2
18. पाली	–	–	–
19. कोटा	5	3	–
20. बूंदी	–	–	–
21. झालावाड़	–	–	–
22. बांसवाड़ा	–	–	–
23. भीलवाड़ा	–	–	–
24. डूंगरपुर	7	3	–
25. चितौड़गढ़	–	–	–
26. उदयपुर	–	–	–

परिशिष्ट 6

अ. ता. प्र. सं. 326 की सूची

परिशिष्ट (क)

जालौर जिले की जिन जिन सोसाइटीज के विरुद्ध गबन के मामले
पुलिस में दर्ज कराये गये हैं
उनकी सूची

क्र. सं.	नाम समिति	राशि	पुलिस मे भेजन की तारीख
1	2	3	4
1.	वावरला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., वावरला	383. 25	16-1-71
2.	पुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., पुर	7225. 62 8800. 00	16-1-71
3.	लियादरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., लियादरा	926. 00 693.00 2854. 83	16-1-71
4.	डेडवा ग्राम सेवा स. समिति लि., डेडवा	810.00	16-1-71
5.	करावडी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., करावडी	1276. 55	16-1-71
6.	बाकरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., बाकरा	9097. 07	15-11-71
7.	जानवी ग्राम सेवा स. समिति लि., जानवी	1400·00	3-4-72

परिशिष्ट 7

(अ. ता. प्र. सं. 328 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

पंचायत समिति दौसा क्षेत्र की ग्रामसेवा सहकारी समितियों को वर्ष 1964–65 में ग्रामीण गोदाम निर्माण हेतु स्वीकृत राशि की सूचना व गोदामों की स्थिति ।

क्रम सं.	नाम सहकारी समिति	स्वीकृत राशि ऋण	अनुदान	योग	राशि कहां से स्वीकृत हुई ।	स्थिति
1.	भान्डारेज ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	9375/–	3125/–	12500/–	राज्य सरकार से (क्रेश प्रोग्राम)	अपूर्ण है ।
2.	नागल राजावतान ,, ,,	9375/–	3125/–	12500/–	राज्य सरकार से (क्रेश प्रोग्राम)	अपूर्ण है ।
3.	डिगारिया ,, ,,	9375/–	3125/–	12500/–	राज्य सरकार से (क्रेश प्रोग्राम)	पूर्ण हो चुका है
4.	बड़ा गांव ठीकरिया ,, ,,	–	4500/–	4500/–	राज्य सरकार से (समाज कल्याण)	पूर्ण हो चुका है ।

परिशिष्ट 8

(प्र. ता. प्र. सं. 329 की सूची)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (प्रकोष्ठ-1) विभाग,

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

सं.एफ.10 (8) शिक्षा-प्र–1/71 जयपुर, दिनांक 7–7–71

विषय:–प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने बाबत।

महोदय,

राज्यपाल महोदय ने संलग्न सूची में वर्णित शालाओं (कुल-322) को उच्च प्राथमिक शालाओं में चालू सत्र 1971-72 से निम्नलिखित शर्तों पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की है:–

(1) कक्षा 6 में छात्रों की संख्या विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम न हो।

(1) स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति द्वारा विद्यालय के लिये उपयुक्त भवन की व्यवस्था करनी होगी।

भवदीय
स.ह.
(कमला किशोर सक्सेना)
उपशासन सचिव।

लड़कों के प्राथमिक विद्यालय को सन् 1971–72 में उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किये गये की सूची।

नागौर जिला

(1) आसावरी (मूण्डवा) (2) धोड़वा (जायल)
(3) लूणसरा (जायल) (4) जूसरीय (मकराना)
(5) डोडियाना (रियां) (6) कड़ोद (मूण्डवा)

(7) कुमारी (नागौर) (8) कुरडया (मेड़ता)
(9) सिरालना (डेगाना) (10) बल्दू (लाडनूं)
(11) तिलियां (रियां) (12) सिलनवाड़ (लाडनूं)
(13) बस्सी (परबतसर) +डोडियाना (नागौर)+

स. ह. जे. सिंह,
सेक्शन आफिसर।

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, नागौर (राजस्थान)

क्रमांक शिविना।प्रावि।2।71—72।498—501 दिनांक 16-7-71

श्री शासन सचिव,
शिक्षा [प्रकोष्ठ-1] विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—प्राथमिक शालाओं के उ.प्रा. शालाओं में क्रमोन्नत के सम्बन्ध में।
प्रसंग—आपका पत्रांक—एफ।10[8] शिक्षा—प्र—। दिनांक 7—7—71

उपरोक्त प्रसंग में निवेदन है कि आपके उपरोक्त प्रसंग द्वारा प्रसारित प्राथमिक शालाओं के क्रमोन्नत की सूची में नागौर जिले में क्रम संख्या 14 पर अंकित डोडियाना [नागौर] है, और क्रम संख्या 5 पर डोडियाना रियां अंकित हैं।

क्रम सं. 14 पर जो डोडियाना [नागौर] है सम्भव है वह भूल से अंकित हो गया हैं। क्योंकि पंचायत समिति नागौर में इस नाम का कोई स्थान नहीं है। क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम सही है। तथा उसके ही प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे।

अतः इस जिले में कुल 13 शालाएं ही क्रम्मोनत हुयी हैं।

क्रम संख्या 14 के स्थान पर कृपया मंगलाना [परबतसर] को क्रमोन्नत करने के आदेश प्रसारित करने की अनुकम्पा करें। इस शाला की छात्र संख्या 221 है, और भवन में सात कमरे उपलब्ध हैं तथा गांव की जनता अतिरिक्त कमरे बनाने को भी तैयार है। अतः निवेदन कि आप प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत सूची में नागौर जिले की क्रम संख्या 14 के डोडियाना [नागौर] के स्थान पर मगंलाना [परबतसर] शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नति के आदेश प्रसारित करने की अनुकम्पा करें।

स. ह.
विद्यालय निरीक्षक,
नागौर।

परिशिष्ट –9

प. ता. प्र.सं. 331 की सूची

CONFIDENTIAL

For the Rajasthan Hotel Corporation Ltd., it has been approved by FM and CM that the Board of Directors to consist of the following ;—

1.	Shri Z.S. Jhala, IAS	: Chairman
2.	Shri A.L. Roongta, Dy. Secretary GAD (Ex-Officio)	: Director
3.	Shri V.R. Bhatnagar, Adl. C.E. (Ex-Officio)	: Director
4.	Dy. Secretary, Finance (to be named)	: Director
5.	Shri V.N. Kak	: Managing Director
6.	& & : to be nominated by the Government.	: Director

As the registration of the Corporation is to be under taken shortly and the other directors have to take share notionally, the directors may be nominated to constitute the full Board.

Sd/—A.L. Roongata
12-2-65

Government of Rajasthan

General Administration Department

No F. 17(a)(153)GAA/65 Dated, Jaipur, the 15th June, 1965.

ORDER

The Governor of Rajasthan has been pleased to nominate the following to be the members of the Board of Directors of Rajasthan State Hotel Corporation (Rajasthan Government undertaking.)

1.	Shri Z.S. Jhala, IAS.	Chairman
2.	Shri V.N. Kak	Managing Director
3.	Shri A.L. Roongta, IAS. Dy Secretary to the Govt, G.A.D.	Director (official) (Ex-officio)
4.	Shri S.P. Vishnoi, IAS. Dy. Secretary to the Govt. F.D.	-do-
5.	Shri V.R. Bhatnagar, Adl. C.E. P.W.D. (B &R) Raj. Jaipur.	-do-
5.	Shri G.S. Mehta. IAS (Retd.) Matric Chhaya. Udaipur.	Director (non-offical)
7.	Shri Shah Kastoor Mal Shah Building Jaipur.	

By Order

Sd/- A.L. Roongta,

Dy. Secretary to the Government,

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 26 मई, 1972)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	नीचे से 1	ापर्टी	प्रापर्टी
4	,, 4	वाकाया	वाकया
5	ऊपर से 6	को	की
5	नीचे से 9	करें	करे
6	,, 3	सूरतगगढ़	सूरतगढ़
7	,, 13	बद	बंद
7	,, 11	कपास	कयास
9	,, 7	किये जा	कर
10	ऊपर से 18	सम	समय
10	नीचे से 4	मीडियेटरी	मीडियेशन
13	ऊपर से 7	को	की
13	नीचे से 15	एडीशन	एडीशनल
16	,, 8	पो	पी०
16	,, 3	करना	कहना
18	ऊपर से 7	तैयाार	तैयार
18	,, 16	कहां	कहा
18	,, 7	मर्डर केर	मर्डरर के
19	नीचे से 16	अफेक्ट्स	फेक्ट्स
21	,, 12	कु०	सुश्री
21	,, 5	कु०	सुश्री
25	ऊपर से 13	--	सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव
25	,, 14	दूसरी	--
25	,, 18	तीसरी	दूसरी
26	,, 1 व 7	कु०	सुश्री
27	,, 7	जयपर तने	जयपुर शहर में कितने
27	,, 10	व्यक्यियों	व्यक्तियों
27	,, 15	समस्या	समस्त

1	2	3	4
27	नीचे से 6	सूचना के	सूचना सूची के
29	,, 7	किस	किसी
31	,, 10	मोहनलाल कुंगाणी	—
40	ऊपर से 6	लोन	लोन
48	नीचे से 10	अमत	अमृत
48	,, 3	वित	बित
50	,, 5	को	की
56	ऊपर से 17	डलोमाइट	डेलोमाइट
26	नीचे से 7	त	—
56	नीचे से 3	चिट	चिप्स
63	ऊपर से 1	विनियोजना	विनियोजन
89	,, 12	सम्पत्ती	सम्पत्ति
90	,, 24	Government to its donate	Government to donate
95	अन्तिम पंक्ति	वान	दीवान
99	21	जिस जोधपुर	जिस समय जोधपुर
100	4	श्री सिंह	श्री खेतसिंह
109	23 व 24	आम नी	आमदनी
111	16	नहा	नहीं
201	20	जाता	जाती
114	1	इस बिलका उन का पढ़े	इस बिल का स्कोप पढ़ें
114	4	प्रापटोई	प्रापर्टी
116	4	लोगों ने	..
118	तीसरी पंक्ति	सीमिट	लिमिट
127	6	महाराज	महाराजा
127	11	कग	कम
130	13	सजा दण्ड	सजा का दण्ड
132	ऊपर से 17	राजम	राज्य
132	नीचे से 2	मैं	है
133	ऊपर से 17	इम्पूवेबल	इम्मूवेबल
133	,, 19	इम्पूवेबल	इम्मूवेबल
133	नीचे से 9	जनम	जनमत

1	2	3	4
134	ऊपर से 4	के	से
134	,, 7	होता	—
134	,, 11	प्रस्ताथ	प्रस्ताव
136	,, 6	ही	हों
139	,, 7	रकार.	सरकार
140	,, 22	जो	—
142	,, 5	−1−72	1−1−72
145	नीचे से 2	रख	रखी
146	ऊपर से 4	नहीं	वहीं
146	नीचे मे 9	कमत	कीमत
146	,, 2	मत्ता	पत्ता
147	ऊपर से 11	यहां रहे	यहां रह रहे
149	,, 15	स्थावर	स्थायी
157	पृष्ठ संख्या	517	157
157	ऊपर से 5	टिट्रोस्पेक्टिव	रिट्रोस्पेक्टिव
157	नीचे से 1	समभता कि	समभता हूं कि
158	,, 2	चाहिए	चाहिए
158	,, 1	व्य	व्याह
161	ऊपर से 10	चेरिटेबल बना	चेरिटेबल ट्रस्ट बना
162	नीचे से 7	एक्स्लेनेशन	एक्सप्लेनेशन
166	,, 12	सको	इसको
168	ऊपर से 12	हमने	हटने
169	नीचे से 11	इलैक्शण्स	इलैक्शन्स
171	ऊपर से 5−6	महोदय	महोदय शब्द विलुप्त
174	नीचे से 3	कुछ क्लब	कम कुछ
175	ऊपर से 12	कप्लीकेटेज	कम्पलीकेटेड
176	नीचे से 1	अन्द	अन्दर
191	नाम	मगराज	भगराज
19 2	नीचे से 17	निर्धा	निर्धारित
19 5	8	अग	आगे
195	10	शुरू ती	शुरू आती

1	2	3	4
196	नीचे से 8	सशोधन	मंशोधन
198	,, 8	सभापति महोदय	सभापति
199	,, 12	हं है	हैं
206	,, 2	नागरिक	नगरीय
216	,, 15	एक्सप्रेशन	ऐस्पर्शन
217	,, 4	कहीं	नहीं
218	,, 7	ग्रानरशिप	ग्रोनरशिप
228	,, 7	ट्रक्ट	ट्रस्ट
252	1	एनकम	इनकम
252	8	महराजाग्रों	महाराजाग्रों
257	18	कम्पेरिजन	कम्पेरिजन
259	4	वाटमनी	व्हाइट मनी
263	2	इलाज	क्लाज
265	नीचे से 6	स्टोमेशन	एस्टीमेशन
265	,, 5	ग्रावधान	प्रावधान
278	,, 6	हो	भी
279	7	थिज गारे	थिग्स के बारे
289	ऊपर से 7	ग्रमोडस	ग्रमेण्डमेन्ट
292	नीचे से 10	ट्रांफर	ट्रांस्फर
299	ऊपर से 6	ग्रनजस्टोफाइढ	ग्रन्जस्टीफाइड
304	नीचे से 5	सलिंग	सीलिंग
305	प्रथम ऊपर से	रानन्द	रामानन्द
307	ऊपर से 8	एक्सलेनेशन	एक्सप्लेनेशन
311	नीचे से 11	ग्रग्रवा	ग्रग्रवाल
311	,, 10	होदय	महोदय
311	,, 1	पब्लिलक	पब्लिक
312	ऊपर से 2	निवेदन कि	निवेदन है कि
325	ऊपर से 13	--	--
328	,, 11	गुमानमल लोढा	श्री गुमानमल लोढ़ा
341	नीचे से 8	किया गया ?	किया जाय ?
342	ऊपर से 14	बत	बहुत
344	नीचे से 10	जायदाद वना	जायदाद बनाई

1	2	3	4
357	5	ख्याकन	संख्याकन
374	ऊपर से 5	स्टाइयेन्डरी	स्टायपेन्डरो
,,	,, 18	नियुकियां	नियुक्तियां
380	नीचे से 14	स्थिति	स्थित
381	,, 2	लम्बन्ध	सम्बंध
381	ग्रंतिम	सिलीकासेंज	सिलिका सैंड
393	प्रथम	थाका	थाना
401	नीचे से 6 व 10	क्रमोम्नत, क्रम्मोनत	क्रमोन्नत
